शोधशौर्यम्

Website : http://shisrrj.com

ISSN : 2581-6306

Peer Reviewed and Refereed International Journal

: Editor-In-Chief :

Dr. Raj Kumar

Volume 1, Issue 4, November-December-2018

SHODHSHAURYAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED RESEARCH JOURNAL

Email: editor@shisrrj.com

Publisher Address :

3 & 4, Sterling Plaza,
Indira Circle, 150 Feet Ring Road,
Rajkot-360005, Gujarat, India

शोधशौर्यम्

Shodhshauryam

International Scientific Refereed Research Journal

[Frequency: Bimonthly]

ISSN : 2581-6306

Volume 2, Issue 5, September-October-2019

International Peer Reviewed, Open Access Journal
Bimonthly Publication

Published By
Technoscience Academy

Website URL : www.technoscienceacademy.com

Advisory/Editorial Board

Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**
  SST, Palamu, Jharkhand, India

Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**
  Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada

- **Dr. Ashok Kumar Mishra**
  Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India

- **Prof. Ajit Singh**
  Assistant Professor, Department of MCA, Patna Women's College, Patna, Bihar, India

- **Dr. Somanath Dash**
  Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

- **Dr. Raj Kumar Mishra**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India

---

Executive Editor

- **Dr. Sheshang D. Degadwala**
  Head of Computer Department, Sigma Institute of Engineering, Vadodara, Gujarat, India

---

Editors

- **Dr. Ekkurti Venkateswarlu**
  Assistant Professor in Education, Sri Lal bahadur Sashtri National Sanskrit University, (Central University), New Delhi, India

- **Rajesh Mondal**
  Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

---

Assistant Editors

- **Dr. Virendra Kumar Maurya**
  Assistant Professor- Sanskrit, Government P.G. College Alapur, Ambedkarnagar, Uttar Pradesh, India

---

International Editorial Board

- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**
  Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia

- **Onu Peter**
  Asst. Professor, Mechanical Engineering, Kampala International University, Kampala, Uganda

- **Dr. Morve Roshan K**
  Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom

- **Dr. Raja Mohammad Latif**
  Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia

- **Robbi Rahim**
  Faculty of Computer Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambing, 20122, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

- **Dr. Abul Salam**
  UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE
  Dr. Vaibhav Sundriyal
  Department of Computer Engineering , Old Dominion University research Foundation, USA (Phd in Computer Engineering from Iowa State University, USA)

- **Dr. Katarzyna Pietrucha-Urbanik**
  Faculty of Civil and Environmental Engineering, Rzeszow University of Technology, Poland

- **Indrasen Poola**
  Data Scientist & Artificial Intelligence - Industry Consultant & Professional Researcher, Palo Alto Networks, Santa Clara, CA, USA

- **Dr. Mohd Muntjir**
  Information Technology Department, College of Computers and Information Technology, Taif University, Al-Hawiya, Taif, Kingdom of Saudi Arabia

- **Vaibhav Sundriyal**
  Research Scientist, Old Dominion University Research Foundation, USA

- **Dr. Elsadig Gamaleldeen**
  Assistant Professor, Omdurman Ahlia University, Sudan

- **Dr. Yasin Ozdemir**
  Ataturk Bahce Kulturleri Merkez Arastırma Enstitusu, Gıda Teknolojileri Bolumu - Yalova

- **Frank Angelo Pacala**
  Samar State University, Samahang Pisika ng Pilipinas

- **Thabani Nyoni**
  Department of Economics Employers Confederation of Zimbabwe (EMCOZ) , University of Zimbabwe, Zimbabwe

- **Dr. Yasin Ozdemir**
  Ataturk Central Horticultural Research Institute, Department of Food Technologies, Yalova, TURKEY

- **Dr. Moustafa Mohamed Sabry Bakry**
  Plant Protection Research Institute, A.R.C, Dokii, Giza, Egypt

- **Dr. Muhammad Akram**
  Assistant Professor, Department of Eastern Medicine, Directorate of Medical Sciences, Faculty of Science and Technology, Government College University, Faisalabad, Pakistan

- **Dr. Andie Siahaan**
  Computer Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

- **AbdulGaniyu Abdu Yusuf**
  Computer Science, National Biotechnology Development Agency (NABDA), Abuja, Nigeria

- **Dr. M. A. Ashabrawy**
  Computer Science and Engineering, Prince Sattm bin Abdulaziz University, Kingdom Saudi Arabia(KSA), Saudi Arabia

- **Lusekelo Kibona**
  Department of Computer Science, Ruaha Catholic University (RUCU) , Iringa, Tanzania

- **Md. Amir Hossain**
  IBAIS University/Uttara University, Dhaka, Bangladesh

- **Mohammed Noaman Murad**
  Department of Computer Science, Cihan University Erbil, Kurdistan Region, Iraq

- **Sanusi Abdullahi**
  Department of Physics, Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Dundaye, Wamakko LGA, Nigeria
  Email : abdullahi.sanusi@udusok.edu.ng

- **Mahasin Gad Alla Mohamed**
  Assistant Professor, Kingdom Saudi Arabia, Jazan University, Faculty of Education - Female Section, Sabya

- **SK. Saidhbi**
  Assistant Professor, Department of Information Systems, University of Gondar, Ethiopia

Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University Haridwar, Uttrakhand, India

- **Dr. Ganeshwar Nath Jha**
  H.O.D Vyakaran Central Sanskrit University, Ekalavya Campus, Radha Nagar, Agartala Tripura, India

- **Dr. Anita Sengupta**
  Associate Professor, Sanskrit Department, Iswar Saran PG College, University of Allahabad, Uttar Pradesh, India

- **Dr. Jitendra Tiwari**
  Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus, Radhanagar, Agartala, Tripura, India

- **Dr. Sudheer Singh**
  Associate Professor, Amity School of Architecture And Planning, Amity University, Gwalior, Madhya Pradesh, India

- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**
  Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India

- **Dr. Shanti Lal Salvi**
  Assistant Professor, Department of Literature, Faculty of Sanskrit Studies, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Dr. Ajay Kumar Dwivedi**
  Director, MIMT, N4/7 Karaundi Crossing , BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Dr. Arvind Bijalwan**
  Associate Professor (Agroforestry), College of Forestry, VCSG Uttarakhand University of Horticulture and Forestry, (A State Government Autonomous University), Ranichauri, Distt.-Tehri Garhwal, Uttarakhand, India

- **K. Jagadeesh**
  Assistant Professor , Noble Group of Institutions, Villupuram, Tamil Nadu, India

- **Rohit Kumar Verma**
  Researcher & Writer, Institute of Law, Jiwaji University, Gwalior, Madhya Pradesh, India

- **Dr. R. Reka**
  Professor & Head, Department of Computer Science & Engineering, Annai Mathammal Sheela Engineering College, Tamil Nadu, India
- **Dr. Nilamadhab Mishra**
  Post Graduate Teaching & Research Department, School of Computing, Debre Berhan University, Ethiopia, India
- **Dr. S. Ramkumar**
  Department of Computer Applications, Kalasalingam University, Krishnankoil, Sirivilliputhur, Palani, Dindugal, Tamil Nadu, India
- **Prof. Umesh Sehgal**
  Associate Professor, GNA University, Phagwara, Punjab, India
- **Dr. Ikvinderpal Singh**
  Department of Computer Science & Applications, Trai Shatabdi GGS Khalsa College,Amritsar, Punjab, India
- **Dr. Bhasker Mishra**
  Assistant Professor, Department of Political Science, H.N.B.Garhwal Central University, SRT Campus, Badshahithaul, Tehri, Uttarakhand, India
- **Dr. Nirajkumar C. Mehta**
  Associate Professor, Institute of Technology and Management Universe, Vadodara. Gujarat, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**
  Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Ramu Nagarajapillai**
  Associate Professor and UGC Research Awardee, Department of Commerce, Annamalai University , Annamalai Nagar, Chidambaram, Tamil Nadu, India

CONTENT

SR. NO	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	**रघुवंश महाकाव्य में वर्णित नैतिक मूल्यों की अवधारणा** डॉ बशिष्ठ सिंह कुशवाहा	01-06
2	**गीता में प्रतिपादित यज्ञ का महत्व** हंसराज जोशी	07-10
3	**महर्षि भरद्वाज-प्रणीत बृहद् विमानशास्त्र में विमानशास्त्रीय अन्य प्रमुख आयाम।** शशि प्रकाश जायसवाल	11-15
4	**समस्याओं के निदान में श्रीमद्भागवत पुराण** डॉ. जी. एल. पाटीदार, हिम्मत कुमार खटीक	16-21
5	**कारकाणि षट्** डॉः सन्तोष माझी	22-28
6	**आयार्च कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र के अनुसार सप्तांगों का विवेचन** सुमन कुमारी	29-33
7	**व्याकरणे स्त्रीप्रत्ययविमर्शः** चन्द्र शेखर	34-41
8	**वेदों में वर्णित देवी एवं देवताओं के शक्ति स्वरूप की संक्षिप्त विवेचना** डाॅ अवनीश जायसवाल	42-47
9	**स्त्री विमर्श का अभिप्राय** घनश्याम	48-53
10	**जैनसंस्कृतेः एकं विहङ्गावलोकनम्** डा. प्रदीप कुमार वाग्	54-59
11	**वैश्विक परिवर्तन और आधुनिक संस्कृत** डॉ. (श्रीमती) मधु सत्यदेव	60-64
12	**भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य महाकवि कालिदास के महाकाव्य में** डॉ. अनिता सेनगुप्ता	65-69
13	**नरकण्ठीरवशास्त्रिदृशा काव्य.दोष विवेक** अतुल कुमार मिश्र	70-75
14	**Feminist Epistemology of International Relation** Varsha Upadhyay	76-82

15	From co-operation to Domination : The Changing British perspectives about Indian Medicines in the Nineteenth Century India Indranil Pramanik	96-105
16	Organic Pollution and Its Effects: A Global Issue Apurva	106-111
17	**भक्तिकाल में अस्पृश्यता** डॉ. गुंजन त्रिपाठी	112-116
18	**हिन्दी साहित्य में मराठी दलित आत्मकथा की विकास यात्रा** प्रसेन जीत सागर	117-121
19	**भवभूति का भाव एवं भाषागत वैशिष्ट्य का अनुशीलन** इन्दल	122-125
20	**शास्त्रशिक्षणे प्रामाण्यवादः** डॉ. कुलदीपसिंहः	126-130
21	**भारत में हरित क्रान्ति का किसानों के सामाजिक-आर्थिक स्तर पर प्रभाव** डॉ. विमलेश मिश्र	131-138
22	**क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन** प्रो0 (डॉ.) पार्थसारथी पाण्डेय, नरेन्द्र तिवारी	139-146
23	**साहित्य में भक्तितत्त्वविमर्श** अनुपम सिंह	147-153
24	**इतिहास के निर्माण में अभिलेखों की उपादेयता** दिनेश कुमार	154-158
25	**दीन दयाल उपाध्याय की राजनीति में राष्ट्र के लिए समर्पित चिन्तन** डॉ. जगदीश प्रसाद जाटः	159-163
26	**आत्मकथा की संस्कृति और जीवन का श्मशान हो जाना** डॉ. अनुराग मिश्र	164-169
27	An Overview of Relevance of Wind Energy in India Dr. Manju Giri, Dr. Vinay Kumar Singh	170-173
28	**उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन** डॉ. प्रेम चन्द यादव, राजीव सिंह	174-180
29	**समाजिक परिवर्तन और आधुनिक महिलाएं** डॉ. अंग्रेज सिंह, सन्ध्या राज	181-184

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

रघुवंश महाकाव्य में वर्णित नैतिक मूल्यों की अवधारणा

डॉ बशिष्ठ सिंह कुशवाहा

(प्रवक्ता) +2 उच्च विद्यालय, देवघर, झारखण्ड

शोध आलेख सार- कालिदास की सम्पूर्ण कृतियों में नैतिक मूल्य कूट-कूट कर भरा है। उनकी प्रत्येक पंक्ति समाज को एक नया आयाम देती है। उन्होने समाज को जिया था तथा समाजिक गतिविधियों से चिरपरिचित थे। महाकवि कालिदास की सभी रचनाओं में रघुवंश महाकाव्य संस्कृत जगत् की अन्यतम कृति है। जिसमें वैयक्तिक,सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रिय—अन्ताराष्ट्रिय आदि नैतिक मूल्यों का सफलतम प्रयोग मिलता है। कालिदास के रघुवंश में एक आदर्श प्रेम का चित्रण प्राप्त होता है। यह महाकाव्य हमें उपदेश देता है कि अगर सामाजिक मूल्यों का पालन न किया गया तो नैतिकता का विघटन संभव हो जाएगा।

मुख्य शब्द- कालिदास, रघुवंश, महाकाव्य, संस्कृत, नैतिकता, मूल्य|

नैतिकता भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम अवधारणा है। अतः इसका सीधा— सीधा सम्बन्ध धर्म एवं आध्यात्मिकता से है। नैतिक मूल्य एवं धर्म एक दूसरे के पूरक है अतः कहा जा सकता है कि धर्म के बिना नैतिकता और नैतिकता के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी भी व्यक्ति में नैतिक मूल्य का होना धर्म है। नैतिक मूल्यों के अनुकूल आचरण ही उसे चरित्रवान बनाता है। जब मानव धर्म का आचरण करता है तब वह नैतिकता की ओर अग्रसर होता है। नैतिक मूल्य में सत्य, अहिंसा, त्याग, उदारता, विनम्रता, करूणा और ह्रदय की कोमलता का समावेश होता है।

कालिदास की सम्पूर्ण कृतियों में नैतिक मूल्य कूट-कूट कर भरा है। उनकी प्रत्येक पंक्ति समाज को एक नया आयाम देती है। उन्होने समाज को जिया था तथा समाजिक गतिविधियों से चिरपरिचित थे। महाकवि कालिदास की सभी रचनाओं में रघुवंश महाकाव्य संस्कृत जगत् की अन्यतम कृति है। जिसमें वैयक्तिक,सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रिय—अन्ताराष्ट्रिय आदि नैतिक मूल्यों का सफलतम प्रयोग मिलता है। कालिदास के रघुवंश में एक आदर्श प्रेम का चित्रण प्राप्त होता है। श्रीराम का चरित्र नैतिक मूल्य की पराकाष्ठा है। उन्होने एक पत्नीब्रता के आदर्श का निर्वाह किया। सदियों से भारत की संस्कृति नैतिक मूल्यों व गुणों से परिपूर्ण है। हमारी संस्कृति नैतिक आचार-विचार व व्यवहार का पालन करने के लिए सदैव प्रेरित करती है, परन्तु अफसोस की बात है कि आज समाज और जीवन के हर एक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का हास तेजी से हो रहा है। कई लोग यह भी प्रश्न करते है कि आखिर नैतिकता का अभिप्राय क्या है ? अत्यन्त विकट

परिस्थितियों में भी आध्यात्मिक गुणों का पालन करते हुए अपने कर्म विशेष के प्रति जो सदाचरण कायम रख सके, विही नैतिक है । ऐसा तभी संभव है, जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार का परित्याग कर दे तथा धर्म, राष्ट्र और संस्कृति को अपने जीवन की धुरी बनाए। नैतिक मूल्य हमें उचित-अनुचित आचार-व्यवहार का ज्ञान कराते है। हमारी संस्कृति महान् है। हमारे इतिहास से ऐसे अनेक ऋषि-मुनियों, महापुरूषों व श्रेष्ठ साधकों के उदाहरण मिलते है, जिन्होने अपना सम्पूर्ण जीवन नैतिक मूल्यों के रक्षार्थ समर्पित कर दिया और सम्पूर्ण समाज को जीवन के प्रति एक नई दिशा दी।

दिलीप, रघु, राम, कुश दुष्यन्त आदि सभी पात्र आदर्श और उच्च नैतिकता के प्रतीक थे। दूसरे की स्त्री को बुरी दृष्टि से न देखना उचित नैतिक मूल्य के अन्तर्गत समाहित है। कालिदास के नायकों का चरित्र इस जीवन मूल्य से उपेत था । राम का पुत्र कुश अर्धरात्रि के समय अपने शयनगृह में उपस्थित अत्यन्त मनोरम रमणी को देखकर तनिक भी मोहित नही होते है बल्कि अपनी उचित नैतिकता का परिचय देते है और उस रमणी से कहते है—

का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा किंवा मदभ्यागम मकारणं ते।

आचक्ष्व मत्वा वशिनां रघुणां मनः परस्त्रीविमुख प्रवृत्ति ।।[1]

अर्थात विमुख प्रवृति कालिदास साहित्य का एक विशिष्ट नैतिक जीवनमूल्य है। कालिदास स्त्रीत्व को बताते हुए कहते है कि बड़े भाई के पास गयी हुई स्त्री को पूज्य समझना नैतिक मूल्य में समाहित है। पुरूषोत्तम राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण इस नैतिक मूल्य से युक्त है। वे काम पीड़ित मनोरम रमणी शूर्पणखा से कहते है—

ज्येष्ठाभिगमनात्पूर्ण तेनाप्यनभिनन्दिता।

साभूद्रामाश्रयाभूयो नदी वोभयकूलभाक् ।।[2]

भरत जी भी नैतिक मूल्य से पूर्ण आदर्श व्यक्तित्व की प्रतिमा थे। जिस प्रकार बडे भाई के अविवाहित रहते छोचे भाई का विवाह उचित नही है उसी प्रकार भरत, रामचन्द्र जी के द्वारा न स्वीकारे राज्य को ग्रहण करना महत् पाप समझते है। इस दृष्टि से देखा जाय तो भरत के व्यक्तित्व में नैतिकता स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है—

स हि प्रथमजे तस्मिन्नकृत श्रीपरिग्रहे।

परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरणादभुवः ।।[3]

बिना स्वामी से पूछे उसकी वस्तु का भोग करना पाप समझा जाता था। यह कालिदास का नैतिक मूल्य था। रघुवंश के नायक राजा दिलीप स नैतिक मूल्य से युक्त थे वे अपने परम गुरू ऋषि वशिष्ठ से बिना पूछे उनकी गाय का दुग्ध तक नही पीते थे इससे सिद्ध है कि गुरू और शिष्य में मर्यादा की नैतिकता स्पष्ट परिलक्षित होती है—

वस्तल्य होमार्थविधेश्च शेषमृषेरनुज्ञामधिगम्य मातः।

औधस्यामिचछामि तवोपभुक्तं षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः।।[4]

कालिदास यह भी कहते है। के व्यक्तियों को धर्म के अनुसार अपने-अपने कर्तव्य और आचरण में लगे रहना चाहीए क्योंकि यह भी नैतिक मूल्य के अन्तर्गत है। राजा दिलीप की जो प्रजा है। वह निरन्तर धर्माचरण में लगी रहती थी—

रेखामात्रमपि क्षुण्णदात्मनोवर्त्मनः परम्।

न व्यतीयु प्रजारस्तस्य नियंतुर्नेमिवृत्तयः।।[5]

कालिदास अपने रघुवंश में यह बतलाते है। कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिकूल आचरण करता है तो उसे अवश्य दण्ड देना चाहिए। यह भी नैतिक मूल्य है। जैसे शूद्र को तप करने का अधिकार नही है। फिर भी शूद्र शम्बूक ने तप किया ऐसे प्रतिकूल आचरण करने वाले शूद्र सम्बूक का श्रीरामचन्द्र ने इसी नैतिक मूल्य के अनुसार वध किया था।

तपस्यनधिकारित्वात्प्रजानां तमघावहम्।

शीर्षच्छेद्यं परिच्छिद्य नियत्ता शास्त्रमाददे।।[6]

कालिदास का यह नैतिक मूल्य था कि भले ही राजा क्यों न हो उसे सम्पूर्ण प्रजा की सुख शान्ति का ख्याल होना चाहिए। राजा दिलीप इस उचित नैतिक मूल्य से अछूते नही थे इसी कारण राजा दिलीप मुनि वशिष्ठ के आश्रम जाते समय कुछ सेवकों को ही अपने साथ ले गये जिससे कि तपोवन में रहने वाले तपस्वियों के तप में बाधा उत्पन्न न हो—

मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुरः सरौ।

अनुभावविशेषातु सेनापरिवृताविव ।।[7]

महाकवि आगे बताते हुए कहते है कि राजा प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में लेता था तथा उसी कर को प्रजा के कल्याणार्थ व्यय भी करता था यही राजा का परम् नैतिक मूल्य था। राजा दिलीप में यह कर्तव्य विद्यामान था—

प्रजाननमेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्।

सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादन्ते हि रसं सविः।।[8]

समस्त रघुवंशीय राजाओं में उपकारी, सत्यवचन कीर्ति की अभिलाषा आदि सभी आदर्श गुण आचरण में परिलक्षित होते है। और ये सभी गुण लोगों के द्वारा अनुकरणीय भी थे—

त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणम्।

यशसे विजिगीषूणां प्रजायैः गृहमेधिनाम् ।।[9]

राजाओं के जीवन के तीनों काल बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था अनुकूल स्थितियों में व्यतीत होता था—

शैशवेडभ्यस्तविद्यानां यौवनेविषयैषिणाम्

वार्द्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्।[10]

नैतिकता को बताते हुए कालिदास यह भी कहते है कि संसार में हमारी हँसी ने हो जाय तथा व्यर्थ में हमारी शक्ति का अपव्यय न हो जाय, अतः इसके लिए आवश्यक है कि हम सोच-समझ कर ही कोई कार्य को करे, नहीं तो मूर्ख के समान हंसी उड़ेगी—

मन्दःकवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्।

प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः।।[11]

न पादपोन्मूलन शक्तिरहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारूतस्य[12]

महाकवि आगे बताते है कि संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के मानव प्राप्त होते है। हम लोगों है। हम लोगों को चाहिए कि दुष्टों से सम्बन्ध ही न रखो बल्कि हमेशा उनसे दूर रहें। दुष्ट व्यक्ति यदि अपना सगा भाई भी हो तो भी उसे ऐसे ही त्याग देना चाहिए जैसे सर्प यदि हाथ के अंगुली पर डंस लेता है तो हाथ की अंगुली को ही काट कर फेंक दिया जाता है। यह भी नैतिक मूल्य का अनुसरण करता है, इसी नीति का प्रयोग राजा दिलीप भी करते थे—

त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीद्ङ्गुलीवोरगक्षता।[13]

नीतिवान् व्यक्ति को चाहिए कि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी अपना बनाना बड़े तो उसे अपना बना लेना चाहिए जैसे राजा दिलीप अपनी कार्यसिद्धि के लिए अपने शत्रु को भी अपना परम् मित्र बना लेते थे अतः दिलीप का इस प्रकार का कार्य नैतिक मूल्य को ही दर्शाता है—

द्वेष्योऽपि संमतः शिष्टस्तयार्तस्य यथौषधम् ।[14]

नीति के सम्बन्ध में भी कालिदास ने नैतिक मूल्य प्रतिष्ठित किए है। नीति सम्बन्धी उनका मूल्य है कि नीति पराक्रम से युक्त होना चाहिए क्योंकि नीति और पराक्रम का मिश्रित रूप ही श्रेयस्कर होता है। राजा अतिथि दोनों अर्थात् नीति और पराक्रम को मिलाकर सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा करते थे—

कातर्य केवला नीतिः शौर्य श्वापदचेष्टितम्।

अतः सिद्धिं समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष सः।।[15]

इस श्लोक मे केवल नीति और केवल पराक्रम को व्यर्थ माना गया है इसीलिए कालिदास ने पराक्रम से युक्त नीति को ही आदर्श माना है।

महाराजा दिलीप का पुत्र राजा रघु नैतिक मूल्य के अनुसार अपराधी को दण्ड देते थे और अपना व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए वह नैतिक मूल्य का अक्षरशः पालन करते थे—

न हि सर्वस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मनः।

आददे नातिशीतोष्णों नभस्वानिव दक्षिणः।।[16]

महाराजा अज की शासन नीति न बहुत कठोर थी, न बहुत ही सरल । इसी कारण रजा अज ने अपनी इसी नीति का सहारा लेकर सम्पूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया था—

न खरो न च भूयसा मृदुः पावमानः पृथ्वीरूहामिव।

स पुरस्कृतमध्यमक्रमो नमयामास नृपाननुद्धरन्।।[17]

महाराजा दशरथ की नीति सम्बन्धी मूल्य यह थी कि वे 'समता' और 'नियमन' के द्वारा शासन का संचालन करते थे अपने पिता अज तथा पितामह रघु के नीतिपरक मूल्य का अनुसरण उन्होने समता में लिया किन्तु समता का व्यवहार साधुजनों के साथ किया जा सकता है किन्तु दुष्टों का दमन समता से नही किया जा सकता। अतः दशरथ ने अपने शासन को चलाने के लिए नियमन का आश्रय् लिया। अतः हम कह सकते है कि उनके नैतिकता में समता और नियमन दोनों का समावेश था—

समतया वसुवृष्टिविसर्जनैर्नियमनादसतां च नराधिपः।
अनुययौ यमपुण्यजनेश्वरौ स वरूणावरूणाग्रसरं रूचा ।।[18]

कालिदास यह भी बताते है कि रघुवंशी राजाओं के शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्य कूट-कूट कर बरा है। वे अपनी नैतिकता के अनुसार कार्यो का निर्वाह करते थे वे अपराधी को उनके अपराध के अनुसार ही दण्ड देते थे—

यथापराध दण्डाना।[19]

इस प्रकार उपर्युक्त कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में उचित नैतिक मूल्य एवं शासन सम्बन्धी नीतियों का चित्रण किया गया है। कालिदास ने नैतिकता ने नैतिकता को मानव जीवन में श्रेष्ठतम् स्थान दिया।

भारत की इस नैतिक संस्कृति का चित्रण महाकवि कालिदास ने अपनी अनन्यतम कृति रघुवंश महाकाव्य में किया है वह मानो सारे संसार के लिए आदर्शभूत है। मानदण्ड है— **"स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः।"** वस्तुतः वाल्मीकि और वेदव्यास के समान महाकवि कालिदास भी भारतीय नैतिक प्रतिभा के सर्वश्रेष्ठ अवतार है क्योकिं रघुवंश में वर्णित सभी 31 राजाओं के जीवन चरित का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि महाकाव्य में मानवोचित सभी मूल्य पग-पग पर दृष्टिगत होते है। पति का पत्नी के प्रति, पत्नीका पति के प्रति, माता-पिता का पुत्र के प्रति, गुरू का शिष्य के प्रति जो भी आवश्यक मूल्य है आचारण है, सत्कार है सभी परिलक्षित होते है। सामाजिक विकृति अब समाज में हो रहे नैतिक पतनों आदि से उबरने का एक अच्छा माध्यम रघुवंश महाकाव्य हो सकता है। इसके कथानक हमें सन्देश देते है कि कि सदैव पापाचार, दुराचार, परपीडा आदि मानव को नर्क रूपी गहरे गर्त में ले जाता है। क्योंकि रावण जैसे आततायी आतंकवादी का विनाश होना आवश्यक था अतः यह महाकाव्य हमें उपदेश देता है कि अगर सामाजिक मूल्यों का पालन न किया गया तो नैतिकता का विघटन संभव हो जाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रघुवंश, 16/8
2. रघुवंश, 12/35
3. रघुवंश, 12/16

4. रघुवंश, 2/66
5. रघुवंश, 1/17
6. रघुवंश, 15/51
7. रघुवंश, 1/37
8. रघुवंश, 1/18
9. रघुवंश, 1/7
10. रघुवंश, 1/8
11. रघुवंश, 1/3
12. रघुवंश, 2/34
13. रघुवंश, 1/28
14. रघुवंश, 1/28
15. रघुवंश, 1/28
16. रघुवंश, 17/47
17. रघुवंश, 8/9
18. रघुवंश, 9/6

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

गीता में प्रतिपादित यज्ञ का महत्व

हंसराज जोशी
शोधार्थी

श्रीमद्भगवद्गीता आनन्दचिद्घन, षडैश्वर्यपूर्ण, चराचरवन्दित, परमपुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अनन्त रहस्यों से पूर्ण है। परम दयामय भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। इसमें सम्पूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया हैं। इसकी संस्कृत सरल एवं सुन्दर है, थोडा सा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है। परन्तु इसका आशय इतना गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अन्त नहीं आता। प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पन्न होते रहते हैं, इसमें यह सदैव नया बना रहता है। भगवान् ने श्रीमद्भगवद्गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्रीवेदव्यास जी ने महाभारत में गीता का वर्णन करने के उपरान्त कहा है-

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः।
या स्वयं पदमनाभस्य मुखपदमाद्विनिसृता ॥[1]

अर्थात् गीता सुगीता करने योग्य है। गीता को भली प्रकार पढकर अर्थ और भावसहित अन्तःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान् श्रीविष्णु के मुखारविन्द से निकली है; फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार का क्या प्रयोजन है?

श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने भगवद् प्राप्ति की दो युक्तियां बतलायी है- सांख्ययोग के द्वारा और कर्मयोग के द्वारा । कर्मयोग के अन्तर्गत यज्ञादि भी समाहित है। मानव-जाति के जीवन का प्रारम्भ यज्ञ से ही होता है। अतः मानव के

[1] महाभारत

लिये यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने यज्ञ को मनुष्य के लिये “इष्टकामधुक्” कहते हुए बतलाया है कि -

सहयज्ञा प्रजा: सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति:।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्ट कामधुक्॥
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व:।
परस्परं भावयन्त: श्रेय: परमवाप्स्यथ ॥[2]

प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्रजा को उत्पन्न कर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा ही तुम समृध्दि को प्राप्त हो । यज्ञ द्वारा तुम समस्त देवताओं का आप्यायन करो, ज़िससे देवगण भी फलप्रदान द्वारा तुम सबकों आप्यायित करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे का आययन-संवर्धन करते हुए परम श्रेय के भागी होगें।

यज्ञपुरुष भगवान् ने यज्ञ के साथ मनुष्य को उत्पन्न कर जीवन पर्यन्त यज्ञ से सम्बन्धित रहने कि उसे आज्ञा दी है। अत: मनुष्य का जीवन सदा यज्ञमय होना चाहिये।

यज्ञ मानव जाति का विशेष धर्म है और वह यज्ञ साक्षात् भगवान् का स्वरुप है।

भगवान् का ही दूसरा नाम यज्ञ है। यज्ञ में सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी भगवान् का निवास रहता है।

तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मनित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। [3]

अत: मनुष्य को यज्ञ में रहनेवाले यज्ञस्वरुप भगवान की सर्वदा उपासना करनी चाहिये।

गीता में श्रीकृष्ण का जीवन यज्ञमय था। उन्होंने अपना सारा जीवन यज्ञमय बिताया था। इसीलिये आज सारा संसार उन यज्ञ-पुरुष विष्णु भगवान् का पूजन

[2] गीता ३\१०-११

[3] गीता ३\१५

और यजन करता है "यज्ञो वै विष्णुः"[4] गीता में यज्ञ पुरुष की पूजा को बहुत ही महत्व दिया गया है।इसीलिये गीता में यज्ञ करने वालों प्रशंसनीय एवं बुध्दिमान कहा गया है और यज्ञ न करने वालों को निन्दनीय और मूर्ख कहा है। गीता में उन लोगों की भी बहुत निन्दा की है जो यज्ञों के प्रति संकुचित भाव अथवा यज्ञ की निन्दा करते है।

गीता में भगवान् ने यज्ञ का महत्व अपने सदृश कहते हुए उसकी प्रशंसा में कहा है-

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धः। [5]

अर्थात् याज्ञिक कर्म के अतिरिक्त समस्त कर्म लोकबन्धकारक है। और भी भगवान् ने कहा है-

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः।

यज्ञायाचरतःकर्म समग्रं प्रविलीयते॥[6]।।

अर्थात् आसक्तिरहित होकर यज्ञ करने से मनुष्यकृत समस्त बन्धनों का नाश हो जाता है।

गीता में भगवान् ने यज्ञादि कर्म को अत्यन्त पवित्र बतलाया है-

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।[7]

अर्थात् यज्ञ, दान और तप ये तीनों मनुष्यों को पावन करते हैं।

श्रुति कहती है-

यज्ञोऽपि तस्यै जनतायै कल्पते।[8]

---

[4] ऐतरेय ब्राह्माण - ३४\१

[5] गीता १\२३

[6] गीता ४\२३

[7] गीता १८\५

८ ऐतरेयब्राह्मण २\१

अर्थात् यज्ञ जनता-जनार्दन के कल्याणार्थ होता है।

गीता[9] में “भोक्तारं यज्ञतपसाम्” कहकर भगवान् को यज्ञ और तपों का भोक्ता कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्यों के किये हुए यज्ञ, दान, तप आदि सभी शास्त्रविहित शुभ कर्म भगवान् में उसीप्रकार पर्यासित होते हैं जिस प्रकार गंगा आदि नदियों का जल समुद्र में जाकर स्थित होता है।

गीता के सोलहवें अध्याय में यज्ञ को “दैवी सम्पत्” कहा है। दैवी सम्पति से परिपूर्ण होने के लिये यज्ञ की आराधना आवश्यक है। यज्ञ की आराधना से मनुष्य “देवता”बन जाता है।

गीता [10] के “एवं प्रवर्तित चक्रम्” के अनुसार यह सृष्टि-क्रम यज्ञ के द्वारा प्रचलित है। सृष्टि में दिव्य शक्ति का यज्ञों द्वारा ही होता रहा है। यज्ञ से ही मनुष्य में अद्भुत आत्मबल बढता है, जिससे उसका आत्मा सर्वविध दु:खों और शोकों से विरत हो जाता है।

---

[9] ७\२८

[10] ३\३६

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

महर्षि भरद्वाज–प्रणीत बृहद् विमानशास्त्र में विमानशास्त्रीय अन्य प्रमुख आयाम।

शशि प्रकाश जायसवाल
शोध छात्र – संस्कृत विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ

शोधसार

शोध आलेख सार – ऋतुभेद से विमानचालक यात्रियों के वस्त्रों के प्रबोधक तीन पद सूत्र में कहे हैं अशनकल्प ग्रन्थ में कहा गया है। तृण, गुल्म लता आदि का सत्त्व–लुगदी या रस चालक यात्रियों का भोजन हैं। पूर्वोक्त सत्त्व–कन्द मूल फल के सत्त्व की भाँति देह का आरोग्य ले लें। सूत्र 6 भाग, मूज्ज 6 भाग, कुशा 6 भाग, शैण्डोर–देव धान्य–केगुनी या स्वंय उत्पन्न जंगली तृण धान्य 6 भाग, अश्वकर्ण, लताश्ज्ञाल 6 भाग, शतमूलं– शतमूलिका–महा मूषाकर्णी 3 भाग, भोजन मे अत्यन्त अच्छे हैं।

मुख्य शब्द – महर्षि भरद्वाज, विमानशास्त्र,ऋतु, संस्कार, शक्ति।

विमान चालक तथा यात्रियों को ऋतुओं की 25 विषशक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए ऋतु के अनुसार पहनने और ओढ़ने के योग्य वस्त्रों और भिन्न–भिन्न भोजनों का विधान अन्य भोजन के अभाव में मोदक आदि तथा कन्द मूल फलों एवं उनके मुरब्बों रसो का विशेष सेवन करने का विधान है।[1]

यन्तृप्रावरणीयौ पृथक् पृथगृतु भेदात् ।। अ01 सूत्र 6 ।

ऋतुभेद से विमानचालक यात्रियों के वस्त्रों के प्रबोधक तीन पद सूत्र में कहे हैं उनके अर्थ का विवेचन किया जाता है यात्रियों के पहनने और ओढ़ने का वस्त्र भेद कम से सूत्र के अदिम पद से कहा, दूसरे पद से संस्कार उसके वर्ण गुण जाति आदि कहें हैं, तीसरे पद से कालभेद कहा है, इस प्रकार सूत्रार्थ कर विशेष अर्थ निरूपित किया जाता है, आदिम–व्याप्त अग्नि के मुख से एवं अनन्त सूर्य किरण शक्तियों की विचित्रता के भेद से वसन्त आदि छः ऋतुए होती है यजुर्वेद के आरण्यक में सूर्य किरणों की अनन्तता प्रतिपादन होने से **''याद् धाव इन्द्र ते शतम्''** हे इन्द्र सूर्य तेरी किरणों

सैकड़ों सहस्त्रो हैं। इस प्रकार वाक्य श्रुति ने गान किया कहा है। अतः अनन्त सूर्यो के शक्ति समूह से विषय और अमृत के विभाग से ऋतु शक्तियाँ भिन्न–भिन्न हो जाती है।

छेदिनी अंग छेदन करने वाली, रक्तपा–रक्त पीने वाली, मेधा–मद मांस चिकनाई सिरा आहार वाली कम से संख्या में ऋतुओं की विष शक्तियाँ हैं जो मज्जा–चर्बी, हड्डी, नाड़ी रक्त सिरा आदि वेर बीजो–शरीर के तत्वों को नष्ट करती है। अतः शरीर के तत्वों की रक्षा के अर्थ कदर्पी ने ऋतुशक्ति के अनुसार वस्त्रों के भेद निरूपित किये हैं।[2]

'**उक्तं हि पट संस्कार रत्नाकरे–** पट संस्कार रत्नाकर ग्रन्थ में कहा है, रेशम, रूई, जलकाई, बाल, अभ्रक परत आदि को 27 संस्कार शुद्ध करे हुओ को अभ्रक जल या कपूर जल या नागरमोथे के जल से प्रक्षालित करके शास्त्र से यन्त्र में रखकर गालब की विधि से धागो को बनावे। केतकी–केवड़ा (बांस केवड़ा), बड़, ताड़, आँख, नारियल, क्षण आदि उस उसके शुद्धि प्रकार से 8 बार शोध कर 19 संस्कारों से विधिवत, करके उसके उस वल्कल लेकर तन्तुमुख नामक यन्त्र मे रखकर तन्तुओं को बनाकर गालब के कहे मार्ग से वस्त्र यथाक्रम करे पश्चात वस्त्रो को लेकर पाँच तैलो से पकावें जो कि पाँच तैल है अलसी, तुलसी, आमला, शमी, मालुकाली तुलसी, रूचिका, सरसों। इन औषधियों के बीजों के तैल से सप्ताह भर धूम में प्रतिदिन पाँच बार तपाकर सुखाकर गोपी–गोपिका–कृष्णा सारिवा, लाख, चण्डमुखी–इमली, मधु, पिष्ट–तिल की खल, अभ्रक में समान लेकर एण्क्षार–एणक्षार हरिणश्रृंग भस्म के क्षार से मिला कर बड़ी मूषा (कृत्रिम बोलत) के मुख से भर कर कूर्म व्यासटिका–कछवे के आकार वाले कुण्ड के अन्दर रखकर तीन मुख वाली भस्त्रा से सिञ्जीर के वेग से धमन करें। उसके मध्य में अगस्त्य वृक्ष के पत्तो पर 8 सेर रस डाल दे स्वर्णमाक्षिक अभ्रक सिञ्जीर–थूहर, सुहागा, वाकुट–वाकुची या वाकुल–वकुल का फल वस्तुओं से विधिवत, तैल लेकर उसमें डाल दे पश्चात् लेकर गर्भपात यन्त्र में उनके काण्डा–रस तपाकर उस तैल से लिप्त वस्त्र ले ले।

अग्निमित्र की कही विधि मे यह जाति के अनुसार ऋतु धर्मानुसार कवच आदि बनावे, उस उस काल के योग्य वस्त्र कवच आदि यथाक्रम मनोहर विमान चालन अधिकार मे श्रेष्ठों के लिए देकर स्वरूपयन रक्षाकरण पूर्वक करके उन्हें हर्ष से विमान चालन के कार्य मे प्रेरित करें सर्व दोषो का विनाश हो

उन वस्त्रों से विमान यात्रियों का बल बढ़े, मेधा बढ़े, धातु वृद्धि हो अङ्ग पुष्ट हो, स्फूर्ति अंगरक्षण आदि हो।[3]

आहार : कल्पभेदात् ।। अ0 1 सं0 7 ।।

कल्पशास्त्र मे कही रीति से यहां ऋतुकाल के अनुसार चालक यात्रियों के आहार भेद तीन प्रकार के निर्णीत किये हैं।[4] **तदुक्तमशन कल्पे** – वह भोजन कल्प ग्रन्थ मे कहा गया है दुग्ध वर्ग मे भैंस के दूध, धान्य में अरहर शाली चावल, मांसो में भेड़ का मांस भोजन है वसन्त और ग्रीष्म ऋतु में। दूधो मे बकरी के दूध धान्यो मे जौं मूंग, मांसो में चिड़िया कबूतर का मांस हेमन्त शिशिर ऋतु मे क्रम से हैं। द्विजों को मांस के बिना भोजन समान कहा गया है।[5]

विषनाशस्त्रिभ्य :।। अ0 1 सू0 8।।

ऋतु से उत्पन्न होने वाली 25 विष शक्तियाँ हैं जो पूर्व कहे व्यापार के भेद से विनाश को प्राप्त हो जाती हैं अन्यथा नही।[6] **तदुक्तं विष निर्णयाधिकारे–** विष निर्णयाधिकार मे कहा गया है ऋतुए छः प्रकार की है। उनकी काल शक्ति आदि क्रम से वरुण–आकाश मे फैले जल के वेग की चपलता से बहुत भेदो में होते हैं उसी प्रकार मरूत्–आकाशीय वायु को चपल शक्ति के भाग 101 है,

वारूण शक्ति के 16 अंश (सौ) सातवें अन्तर में है सम्मेलन यदि हो तो तब अनन्त प्रकार से हो, सिनीवालीपूर्वा अमावस्या और कुहू–उतरा अमावस्या के योग से विष अमृत के भेद से भिन्न–भिन्न हो जाती है, जो तो सिनीवाली से सम्बन्ध रखती हुई है वे सब अमृत शक्तियाँ हैं और जो कूहू से संग्रस्त हैं वे सब विषशक्तियाँ हैं। सात करोड़ अठावन लाख सात सौ अमृत शक्तियाँ हैं और उतनी ही विष शक्तियां वाल्मीकी गणित से कही हुई है उनमे मेदिनी 25 विष शक्तियाँ हैं। जो ऋतुकालानुसार चालक यात्रियों के देह का विनाश करने वाली है। उनका नाश आहारभेद से हो जाता है ऐसे शतातप के पुत्र में तीन स्थानों पर कहा है, उनके सेवन से यात्रियों के शरीर पुष्ट निश्चित हो जावे।[7]

तत्कालानुसारादिति ।। अ0 1 सूं0 9।।– इस सूत्र में भोजन काल निर्णय प्रसंगः में तीन पद कहें हैं, अब संक्षेप में इसका वर्णन किया जाता है। पूर्वोक्त तीन प्रकार के आहार तत् शब्द से यहाँ वर्णित किये हैं भोजनकाल का विधान दूसरे पद से कहा है दूत्थम्भाव के अर्थ में इति शब्द है यह शब्दार्थ का निर्णय है चालक यात्रियों का आहार यहाँ भेद से पाँच प्रकार का है।[8] **तदुक्तं शौनकीये–** शौनकीय सूत्र मे कहा गया है– अब भोजन की काल विधि को काल–अकाल विभाग से कहूँगा। गृहस्थों का दो काल एक काल, सन्यासियों का एक काल, अन्यो का चार बार, विमान के चालक यात्रियों का पाँच वार करना और योगियों का इच्छानुसार करना।।[9] **लल्लकारिका** – लल्लकारिका मे भी कहा गया है। दिन में दूसरे प्रहर के अन्त में रात्रि मे प्रथम प्रहर के अन्दर गृहस्थों का काल निर्णय सकाल भोजन में अर्थात निश्चितकाल भोजन है दिन में तीसरे प्रहर से लेकर चतुर्थ प्रहर तक कहा है। संन्यासियों का एक बार भोजन का अधिकार होने से एक काल पर ही करना, शूद्रों आदि का तो भोजन में दिन रात के विभाग से दिन मे तीन बार रात्रि में एक बार यह काल निर्णय है। उनका भोजन में काल

नियम नही यथेच्छ भोजन को जानते है।[10] **तदभावे सत्त्षं गोले वा।। अ0 1–सूत्र–10** इस सूत्र में तीन पद हैं आहारान्तर–अन्य आहार के स्थान को बोधन कराने वाले उनके अर्थ को मै यथामति संक्षेप मे कहूँगा, आहार की सम्भावना न होने पर उनके सार–आटे आदि के बने कोमल घननिस्वाक–पिण्डो–लड्डुओं को आहारार्थ यथा विधि दें।[11]

दुक्तमशनकल्पे – अशन कल्प ग्रन्थ में भी कहा गया है देह की पुष्ट करने वाले आहार–भोजन पांच प्राकर के है। अन्न, काञ्जिक–धान्याम्ल (खट्टा अन्नरस), पिष्ट–लुगदी, रोटिका, सार–चूर्णरूप में उनमें सत्त्व–सार–चूर्ण–भुनाचना –कसार और गोल लड्डू कहे हैं।[12] **उक्तं हि पाक सर्वस्वे –** पाक सर्वस्व में भी कहा गया है। धान्य आदि आहार वस्तुओं के चूर्ण–आटे की चक्की यन्त्र से लेकर पाचना नामक–कढ़ाई आदि में यथा विधि पाक करके कहे आठवे भाग पाक से सत्त्वगोल–लड्डू बनावे, उसमे सुगन्ध मधुर स्निग्ध डालकर पुष्टिवर्धक आहार बनावे।[13] **फल मूलकन्द सारो वा ।। अ0 1–सू0 11–** पूर्व सूत्र में धान्य–गेहूँ आदि अन्न के चूर्ण, भुने आटे आदि का बना विमान चालक यात्रियों का आहार कहा गया है। वैसे ही उस सूत्र में कन्द, मूल, फल के सत्त्व–गूदे भीगी आदि को आहार कहा है। प्रथम कन्द सत्त्व हो, दूसरे मूल का सत्त्व हो तीसरे फल सत्त्व हो यह सूत्रार्थ है।[14] **तदुक्तमशन कल्पे–** अशन कल्प मे कहा गया है धान्य सत्त्व के अभाव में अलाभ मे न मिलने पर तीन सत्त्व क्रम से हैं, पिष्ट पिसा चूर्ण आटा, शर्करा–दलिया या खाण्ड

मंजूषा, गुदा एवं भीगी, मधु–रस, दूध, धृत आदि स्निग्ध तैल, उडु–जल, क्षर–क्षार जल, कटु–कटुरस, मञ्जूषाम्ल–गुदे या भीगी का मुरब्बा, अचार, शरबत अर्क, रूप में म्लुच मे क्रम से एक की भी यदि हो जावे तो संशोधन से स्वतः सत्त्व के आधर कार्य में कन्द को श्रेष्टतम जातने है।

आहार मूल वर्ग तो शास्त्र में 16 प्रकार के कहे है, वैसे ही आहार फल वर्ग 32 कहे है, कन्द सत्त्व से मेद मज्जा हड्डी वीर्य आदि बढ़ते हैं। मूल सत्त्व से ओज, बल काय की पुष्टि प्राण कोश आदि बढ़ते हैं, फलस्वरूप से मन ज्ञानेन्द्रियों का ज्ञान रक्त मांस सिञ्जिर–रस बढते है। ऐसा श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ कहते है, यह तीन सत्त्वों का आहार विमान के चालक यात्रियों के भोजन में विद्वानों ने शास्त्रो का आहार वर्गो में श्रेष्ठतम माना है। अतः सर्व प्रयत्न से बुद्धिमान उस सत्त्व का संग्रह करें।[15] **अपि च तृणादीनाम् ।। अ0 1 – सू0 12–** पूर्व सूत्र में कन्द मूल फल का सत्त्व कहा है, इस सूत्र से तृण गुल्मलता आदियों का सत्त्व निरूपित किया जाता है।[16]

तदुक्तमशन कल्पे– अशनकल्प ग्रन्थ में कहा गया है। तृण, गुल्म लता आदि का सत्त्व–लुगदी या रस चालक यात्रियों का भोजन हैं। पूर्वोक्त सत्त्व–कन्द मूल फल के सत्त्व की भाँति देह का आरोग्य ले लें। सूत्र 6 भाग, मूज्ज 6 भाग, कुशा 6 भाग, शैण्डोर–देव धान्य–केगुनी या स्वंय उत्पन्न जंगली तृण

धान्य 6 भाग, अश्वकर्ण, लताश्ङ्गाल 6 भाग, शतमूलं– शतमूलिका–महा मूषाकर्णी 3 भाग, भोजन मे अत्यन्त अच्छे हैं। कारूवेल्ली–कारवल्ली, छोटा करेला,चन्द्रवेल्ली–ब्राह्मी, मधु वेल्ली, मूलहठी, वर्चुली, माकुटी वेल्ली, सुगन्धा–तुलसी, सूर्य वेल्ली–सूर्य वल्ली–क्षीर काकोली। ये गुल्म सदा चालक यात्रियों के भोजन मे पुष्टिवर्धक है। सदा चालक यात्रियों के भोजन में पुष्टिवर्धक है। सोम वल्ली, सोमलता, चक्रिकाद्, तुम्बिका–धिमा लौकी, रसवल्ली, पेठा कटटू लता, इक्षुवल्लिका–इक्षुवल्ली–कुष्णाक्षीर विदारी, पिष्ठवल्लटी–पिष्टपर्णी, सूर्यकान्ता– आदित्यपर्णी, चन्द्रकान्ता–निर्गुण्डी–सम्भालू, मेधनाद–चौलाई, पुनर्नवा, अवन्ती–राई, वास्तु–वथवा, मत्स्या–कुटकी, क्षीररूक्मा–क्षीरपुष्पी– शंखपुष्पी, मे पुष्टि वर्धक हैं। पूर्व कहे चूर्ण लुगदी–गुदा दलिया या खण्ड यथाकम विधिवत् शास्त्रमुख से प्राप्त होते हैं। जो भी कोई भी गुल्म, लता, दूब, आदि ही क्रम से सत्त्व लेने योग्य हो वे बल पुष्टि बढ़ाने वाले हैं शाक फूल पत्ते कोंपल आदि आहार में उनके सत्त्व को यात्रियों को आहार में जाने।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. महर्षि भरद्वाज प्रणीत वृहद विमानशास्त्र–अ0 1, सूत्र 6
2. पट संस्कार रत्नाकर (बोधनन्दवृत्ति 10–15 श्लोक)
   ❖ पट संस्कार रत्नाकर (बोधानन्दवृत्ति 16–20 श्लोक)
   ❖ पट संस्कार रत्नाकर (बोधनन्दवृत्ति 21–24 श्लोक)
3. वृहद् विमान शास्त्र – अ0 1–सू0 7
4. अशन कल्प (बोधानन्द कृत्ति 27–29 श्लोक)
5. वृहद् विमानशास्त्र– अ0 1–सू0 8
6. विष निर्णयाधिकार (बोधनन्द वृत्ति– 32–39 श्लोक)
7. वृहद् विमानशास्त्र – अ0 1 सू0 –9
8. शौनकीय सूत्रो (बोधानन्द वृत्ति)
9. लल्ल कारिका (बोधानन्द वृत्ति 43–47 श्लोक)
10.वृहद् विमानशास्त्र, अ0 1–सू0 10
11. अशनकल्प (बोधानन्द वृत्ति –50)
12. पाक सर्वस्वे (बोधानन्द वृत्ति – 51–52)
13. वृहद् विमानशास्त्र– अ0 1– सू0–11
14.अशन कल्प (बोधानन्दवृत्ति 59–60)
15. वृहद् विमानशास्त्र– अ0 1– सू0–12
16. अशन कल्प (बोधानन्दवृत्ति–67–74)

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

समस्याओं के निदान में श्रीमद्भागवत पुराण

डॉ. जी. एल. पाटीदार
सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
हिम्मत कुमार खटीक
शोधार्थी, संस्कृत विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

शोध-सार

वर्तमान मानव कई प्रकार की समस्याओं से लिपटा हुआ सा दिखाई देता हैं। जब से मानव जीवन आरंभ हुआ है, समस्या मानव के इर्द-गिर्द ही रही है, और अब जिस बाजारवाद और भौतिकवाद में मानव कूदा है, तब से समस्याएं और भी बढ़ गई है। जिस विज्ञान को आधुनिक नासमझ मानव विकास बताकर ढोल-नगाड़े पीट रहा है, वही उसके विनाश का कारण बनेगा। तथा जिस वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक, आर्षकाव्य एवं स्मृति-साहित्य में ज्ञान की बात की है, या ज्ञानकाण्ड की बात करने वाला उपनिषद साहित्य ही इस मानव को सभ्य मानव बनाने में योगदान देगा। विनाश का प्रादुर्भाव कब से हुआ है? जब से चालाक मानव ने ज्ञान के आगे वि लगा कर विज्ञान कहा है, वहीँ से दुःख का आरंभ हो गया था, परंतु अंधविश्वास की दौड़ में कई वर्षों तक वह दिखाई नहीं दिया, और अब कलिकाल में हर तरफ विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। मैं विज्ञान का सर्वदा विरोधी नहीं हूँ न करता हूं, पर जब मेरी प्रजाति खतरे में हो तो मैं क्या करूं? और हर व्यक्ति ऐसे विकास का विरोध भी करेगा। आज मेरी जाति-प्रजाति ही नहीं अपितु सम्पूर्ण पृथ्वीलोक का हर जीव रेड़जोन में दिखाई दे रहा है। चाहे वह दिल्ली का प्रदूषण हो या आसमाँ से बरसातें गोले या पिघलते हिमखण्ड हो या तेजधूप हो या अशुद्धवायु, हमें विकास ने वाई-फाई के जॉन में तो पहुंचा दिया, पर वायु को दूषित कर। अब पृथ्वी पर संघर्ष केवल-केवल जीने का ही है, न की विकास-विस्तार-वैभव का । क्योंकि जीवन ही नहीं होगा तो विकास किसके लिए होगा? हम साँसे लेकर विकास को जीवित रखने का छलावा-दिखावा ही कर सकते हैं। इस प्रकार की कई समस्याओं से आज का जीव भय, डर और आतंक का जीवन जी रहा है। समस्त विकास को विज्ञान की दृष्टि से नहीं अपितु दार्शनिक दृष्टि और जरूरत की दृष्टी से देखना होगा, जो जरूरतें है ही नहीं उनको बनाया जा रहा है और पिरोया जा रहा है और जरूरतों को उत्पन्न किया जा रहा है, इस प्रकार कृतिम आवश्यकताओं को उत्पन्न कर मानवमात्र को अंधलूट का शिकार बनाया जा रहा है, इस प्रकार इस गोले को नष्ट-नाबूत करने का प्रायोजित कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इस

दृष्टी को ध्यान में रखते हुए दार्शनिक एवं व्याहारिक दृष्टी से देखने समझने का प्रयास इस लेख में किया जा रहा है।

मानव जीवन अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं समाज में अपराधिक गतिविधियों की निरंतर बढ़ोतरी हो रही हैं। सामाजिक आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याओं से जनजीवन अस्त-व्यस्त, दुःखी व व्याकुल है तथा सद्भाव, परोपकार व मानवतावादी विचारों की न्यूनता से समाज में स्वार्थवादी प्रवृत्ति विकसित हो रही हैं। इस कलिकाल का भागवत पुराण में वर्णन इस प्रकार किया गया है-

श्रृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः ।
तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गम्तपांसि च ।।[i]
जना अघासुरयन्ते शाठ्यदुष्कर्मकारिणः।
इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति हयसाधवः।
धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा।।[ii]

इन्हीं समस्याओं के निवृति हेतु हमारे धार्मिक व आध्यात्मिक ग्रन्थों में 'सर्वे भवंतु सुखिनः' व 'वसुधैव कुटुम्बकम्' जैसी भावनाओं को उद्घाटित किया गया है। समाज में सुव्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है परंतु वह सिर्फ बाहरी स्वच्छता पर आधारित है, आंतरिक मन की शुद्धता बिना सभ्य समाज कि कल्पना नहीं कि जा सकती। आंतरिक मन की शुद्धता तो साहित्य द्वारा ही होगी, बिना मन की शुद्धता के मानव मन में मन की मलिन वृत्तियों से अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं यथा – राग-द्वेष, मोह, मद, मत्सर, लाभ-लिप्सा इत्यादि जिसके फलस्वरूप समाज में अनेक समस्याएं उत्पन हो रही हैं। मन ही सभी प्रकार की अच्छाइयों और बुराइयों का कारण है, कहां भी गया है-

मन एवं मनुष्याणां बंध मोक्ष कारणम् ।
बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ।।[iii]
चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्।
गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये।।[iv]

इस मन को साध कर मानव का सुखी व समृद्धि हो, इस हेतु वेदों और उपनिषदों में चतुर्थ पुरुषार्थ- धर्म. अर्थ. काम. मोक्ष के संबंध में अनेक वचन कहे गए हैं जिस पर मनुष्य धर्म के मार्ग द्वारा इमानदारी पूर्वक धन अर्जन करते हुए मर्यादित आचरण द्वारा सांसारिक सुख भोगता हुआ परमसुख स्वरूप मोक्ष के मार्ग में प्रवृत्त हो सके परंतु वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को सामान्य जीवन यापन करने वाले लोगों द्वारा समझ पाना व अपने आचरण में आत्मसात कर पाना कठिन होता है। इसी कारण जब वेदव्यास जी वेदों की रचना के पश्चात भी व्यथित व व्याकुल थे, उन्हें वेदों की रचना के पश्चात की तृप्ति का एहसास नहीं हुआ तो नारद मुनि ने उन्हें प्रेम व भक्तिमय भागवत पुराण की रचना करने को कहा-

विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो-
रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् ।
प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मन-
स्ततो भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः ।।[v]

जिससे सामान्य जन भी भगवान कृष्ण के जीवन व अनेक आख्यान-उपाख्यान के माध्यम द्वारा सरलतापूर्वक ज्ञान अर्जित कर आत्मसात कर सके व जिससे उनके मन में "सत्यं वद । धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः।[vi] एवं 'सत्यमेव जयते' की भावना दृढ़ हो, आचरण मर्यादित हो व चतुर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि हो सके।

सामान्य जन की कथा कहानियों में रूचि होती हैं वह उन्हें सहज ही याद रहती हैं श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित श्री कृष्ण के जीवन चरित्र व अनेक पौराणिक कथा कहानियों के माध्यम से व्यक्ति रूचि पूर्वक श्रवन व अध्ययन करता है जिसके फलस्वरूप वह कथा-कहानियों के अंतर्गत ज्ञान को सहज रीति समझ पाता है जिससे वह अपने सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों को समझता हुआ संस्कारित होता है तथा समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने में सहायक बनता है।

वर्तमान समय में अनेक समस्याएं समाज में व्याप्त हैं उन समस्याओं के निवारणार्थ भागवत पुराण जीवन में मानवीय गुण व आध्यात्मिक व धार्मिक ज्ञान को ऐतिहासिक आख्यान-उपाख्यान के माध्यम से सहजता पूर्वक अवबोधित करवाता है। कहा भी गया है कि – "**श्रीमद्भागवत एक जीवन ग्रंथ है। यह मानव जीवन का एक अनुपम उकृष्ट एवं आदर्श मार्गदर्शक हैं इसमें जीवन का संपूर्ण दर्शन है, जीवन के प्रश्नों के उत्तर हैं, जीवन एवं जगत की समस्याओं के समाधान हैं और सफल शांतिपूर्ण जीवन जीने के सूत्र है।**"[vii]

इस समय राग और द्वेष ही समस्त अनर्थो के मूलभुत हेतु है। वर्तमान समय में एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव व्याप्त हैं जो अनेक समस्याओं का कारण है इस द्वेष भाव के निराकरण स्वरूप श्रीमद्भागवत पुराण में सभी में भगवत दर्शन एवं सबका आदर करने की बात कही गई है। सब में भगवत तत्त्व समझने से द्वेष समाप्त हो जाता है और द्वेष विहीन व्यक्ति दूसरों का अहित नहीं कर सकता। सब में भगवत दर्शन नहीं कर पाने की स्थिति में मूर्ति पूजा को आडंबर माना है-

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा।
तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेऽर्चाविडम्बनम्।।[viii]
मनसैतानि भूतानि प्रणमेब्दहु मानयन्।
ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति।।[ix]

मानव वर्तमान समय में अनेक विषयों में आसक्त हैं तथा येन केन प्रकारेण धन अर्जन कर विषय भोग करना चाहता हैं, भले ही इसके लिए उसे दूसरे को हानी पहुंचानी पड़े। वह धन में ही सुख देखता

है तथा धन द्वारा ही ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, परंतु श्रीमद्भागवत पुराण मे जीवों पर दया, संतुष्टि और विषयों से निवृत्ति को ही भगवान की शीध्र प्रसन्नता का कारण माना है-

दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा।

सर्वेन्द्रियोपशान्ता च तुष्यत्याशु जनार्दन।।[x]

हमारे जीवन के विकास में पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण की उपेक्षा से अनेक अहितकारी परिणाम हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं, यथा- अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप इत्यादि जो एक गंभीर समस्या है। श्रीमद्भागवत पुराण में ज्ञानयोग भक्तियोग कर्मयोग के अतिरिक्त पर्यावरण का भी वर्णन किया गया है जिसमें श्री कृष्ण अपने मित्रों को वृक्षों का महत्त्व बताते हैं-

पश्यतैतान् महाभागान् परार्थैकान्तजीवितान्।

वातवर्षातपहिमान् सहन्तो वारयन्ति नः।।[xi]

अहो एषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम्।

सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः।।[xii]

इन्हीं वर्क्षों का उदाहरण देते हुए श्रीकृष्ण अपने मित्रों से कहते हैं कि संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु जीवन की सफलता इसमें ही हैं कि जहां तक हो सके अपने धन से, विवेक-विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाऐ जिनसे दूसरों की भलाई हो और मन वचन कर्म से भी लोकहितार्थ कार्य किये जावें-

एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु।

प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत सदा।।[xiii]

आज समाज में आत्महत्या की समस्या बढ़ी हैं परीक्षा में उत्तीर्ण ना होने के कारण अथवा अन्य कठिनाई का सामना ना कर पाने के कारण या असहनशील व दुर्बल विचारधारा के कारण आत्महत्या चिंता का विषय है जिसका मूल कारण शास्त्रों के ज्ञान की उपेक्षा प्रतीत होती हैं। श्रीमद् भागवत में कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानते हुए उनसे लड़ना सिखाया गया है, यथा- श्री कृष्ण का जीवन चरित्र जिसमें बाल्यकाल से ही उन्हें मारने के प्रयत्न हुए परंतु वे हर परिस्थिति का सामना करते हुए निष्प्रपञ्च भाव से आनंदित रहें तथा दूसरों को आनंद व ज्ञान प्रदान करते रहे -

प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले।

प्रपन्नजनतानन्दसन्दोहं प्रथितुं प्रभो।।[xiv]

श्रीमद्भागवत पुराण जीवन के हर पहलू से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है एवं विभिन्न अहितकारी मानवीय वृत्तियों (राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि) से पृथक कर विभिन्न

आख्यान-उपाख्यान के माध्यम से जीवन जीने की राह बतलाता है तथा ज्ञान, भक्ति, कर्म के अतिरिक्त मानवीय गुणों का ज्ञान प्रदान कर जीवन की कठिन से कठिन विषम परिस्थितियों में भी जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है तथा निराशा की निवृत्ति कर मानव मन के संशय को दूर कर आनंद की अनुभूति व नवचेतना जाग्रत करता है।

शोधात्मक निष्कर्ष

संसार की समस्त समस्याओं का निदान केवल और केवल ज्ञान व्यवहार एवं ज्ञानकाण्ड से ही आ सकता है, क्योंकि जब से मनुष्य का आकर्षण का केंद्र विलासी पदार्थ बना हुआ है, तब से समस्याओं ने जन्म लिया है। मनुष्य का पदार्थ प्रेम ही उसके नाश-विनाश-नरक का कारण भी बन गया है। संसार की समस्त समस्याओं का ज्ञान व्यवहार से ही निदान किया जा सकता है। आज का मानव कई प्रकार के कष्टों दुःखों में पल-बढ़ रहा है, ज्ञानाभाव के कारण जिस प्रकार के विलासिपूर्ण भावी उपक्रम पदार्थ बनाए जा रहे हैं, वहीं प्रथम दुःख का प्रथमहेतु है। समस्याएं सर्वदा होती तो समाधान भी कर लेते परंतु समस्याओं को हर क्षण उत्पन्न किया जा रहा है, अतः समाधान भी क्षणिक ही होता है। प्राकृतिक आपदा को छोड़कर समस्त समस्याओं का प्रादुर्भाव मानव एवं विज्ञान निर्मित हैं। भोग्यवादी संस्कृति और बाजारवाद की दौड़ इन समस्त समस्याओं का जन्मदाता है। इन समस्त समस्याओं का समाधान चित्त की एकाग्रता एवं शांतचित्त होकर धैर्य-संयम एवं संतोषीजीवन यापन कर ही किया जा सकता है। यह निदान हमारी भारतीय चिन्तन परम्परा से हो सकता है और श्रीमद् भागवत पुराण इसका साक्षात् प्रमाण भी है। यदि मानव को मानव बनाने का सार्थक प्रयास किया जाए तो हम कई प्रकार की समस्याओं से ही निजात पा सकते हैं। मानव का मशीन की और जो आकर्षण रहा है, उससे भी समसामयिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। किस वस्तु, किस मशीन और किस पदार्थ का किस तरह उपयोग करना है, उसका संतुलन भी मानव को होना चाहिए तभी हम सांसारिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यह समस्त सुझाव कठिन है पर थोडा सा प्रयास एवं बचाव हमें कई प्रकार की समस्याओं से बचा सकता हैं। शरीर का एक ही बुद्धि तत्त्व जिसे विवेक कहते है, वह ही हमारे जीवन का श्रेष्ठ मार्ग बता सकता है। अच्छाई और बुराई को विवेक की कसौटी पर तराशे तो ही जीवन सुगम बन सकता है और सौम्य-सरल-तरल भी। समस्याओं का सर्वदा निदान नहीं किया जा सकता है पर कम एवं बचाव हर व्यक्ति अपने विवेक से कर सकता है।

"अस्तु अलम्"

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची-

---

[i] श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्य- 1.57

[ii] वहीं - 1.58

[iii] https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/brahmabindu.html?lang=sa

[iv] श्रीमद्भागवत महापुराण- 3.25.15

[v] वहीं- 1.5.16

[vi] तैत्तिरीयोपनिषद्-(शिक्षावल्ली)-11/1, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं.2065

[vii] राधेश्याम खेमका, स्रोत- डॉ. राजाराम गुप्ता, पृष्ठ संख्या - 3 ,जीवन संजीवनी, गीताप्रेस, गोरखपुर

[viii] श्रीमद्भागवत पुराण- 3.29.21

[ix] वहीं- 3.29.34

[x] वहीं - 4.31.19

[xi] वहीं - 10.22.32

[xii] वहीं - 10.22.33

[xiii] वहीं - 10.22.34

[xiv] वहीं- 10.14.37

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

कारकाणि षट्

डॉ॰ सन्तोष माझी

व्याकरणविभागः, सहाध्यापकः,

राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः।

शोधालेखसारः- प्रयोगविज्ञाने वाक्यनिर्माणे च कारकाणां प्रयोजनम् अङ्गवद्भवति। उच्चारित वाक्ये कर्ताकर्मक्रिययोः कः सम्बन्धः, तच्च कथमिति न ज्ञायते चेत् यौक्तिकता न सुष्ठुतया सम्पाद्यते। आदौ प्रयोकौशलः ज्ञेयः, ततःपरं देशकालपात्रभेदेन उपयोगःकर्तव्यः नोचेत् हानिः। अतः प्रबन्धेऽस्मिन् कारकस्वरूपं कारकभेदान् प्रत्येक्कारकस्य उदाहरणसहितं व्याख्यानञ्च कृतवान्।

मुख्यशब्दः – कारकस्वरूपं, प्रयोजनम्, सम्बन्धः, उपयोगः, वाक्ये, प्रयोगविज्ञाने।

लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति वाक्यानुसारं लोके प्रयुक्तानां शब्दानां साधुत्वान्वाख्यानङ्क्रियते व्याकरणशास्त्रेण।

1. चैत्र एति।
2. पितरमाह पुत्रः।
3. गुरूणा सार्धं शिष्या यान्ति।
4. जिज्ञासवे ज्ञानं देयम्।
5. वृक्षात् पर्णानि पतन्ति।
6. ईश्वरे भक्तिरस्ति।

इत्यादीनां वाक्यानां प्रयोगेनैव कार्यं साधयन्ति लौकिकाः। तत्र वाक्यं नाम किमिति प्रश्ने एकतिङ् वाक्यमिति वैयाकरणैरुच्यते। एकस्मिन् वाक्ये अन्ततः एकं तिङन्तं रूपं भवति चेत्तत् वाक्यमिति वक्तुं शक्यते। यथा– रामो वनं गच्छति। रामो गच्छति। गच्छतीति वा। उदाहरणत्रयस्य परिशीलनेन दृश्यते यत् रामो वनं गच्छतीति इति वाक्येन रामकर्तृकं वनकर्मकं गमनमिति बोध्यते। द्वितीये रामो गच्छतीति वाक्ये रामकर्तृकं गमनमिति बोध्यते। तृतीये वाक्ये तु केवलं गमनमेव बोध्यते। उक्तेषु उदाहरणेषु कर्तुः कर्मस्य वा प्रयोगाभावेनापि वाक्यं साधयितुं शक्यते इति दृष्टमेव। किन्तु केवलं रामो वनमिति वाक्यं न भवति। अन्ततः तत्र अध्याहारेणापि काचन क्रिया अपेक्षिता एव। यथा– रामो वनं गच्छति। लक्ष्मणोऽपि। अत्र द्वितीये लक्ष्मणोऽपि इति वाक्ये यद्यपि क्रियापदं न श्रूयते तथापि प्रथमवाक्यात् तिङन्तस्य गच्छतीत्यस्याध्याहारेण वाक्यस्य परिपूर्णता भवतीति एकतिङ् वाक्यमिति लक्षणं सङ्गच्छते। वाक्येषु पदानां क्रियया सह सम्बन्ध एव कारकमिति

महावैयाकरणेन भट्टोजिदीक्षितेणोक्तम्। उपर्युक्तेषूदाहरणेषु प्रथमादिविभक्तिभि: क्रियान्वयित्वङ्क्रियाजनकत्वं वा दृश्यते तदेव कारकमिति नाम्ना समभिधीयते। तदुक्तं क्रियान्वयित्वं कारकत्वमिति।अत एव हरिराह–

निष्पत्तिमात्रे कर्तृत्वं सर्वत्रैवास्ति कारके।

व्यापाराभेदापेक्षायां करणत्वादिसम्भव:॥इति

भगवता पाणिनिना अष्टाध्याय्यां कारके इति अधिकारसूत्र प्रणय्य तदधिकारे या संज्ञा पठिता ता संज्ञा: कारकसंज्ञया सह स्वनाम्ना उपयुज्यन्ते। तद्यथा कारके इत्यधिकारे ध्रुवमपायेऽपादानम् इत्यनेन सूत्रेण अपादानसंज्ञा विहिता। तेन सा अपादानसंज्ञा अस्माभि: अपादानकारमिति व्यवह्रियते। कारकं नाम किमिति जिज्ञासायाम् वैयाकरणै: बह्व्य: संज्ञा: प्रणीता:। तत्र भट्टोजिदीक्षितैरुक्तम् क्रियान्वयि कारकम् इति। तत्र नागेशेन क्रियाजनकत्वं कारकत्वमिति कारकस्य स्वरूपमुक्तम्। महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना करोति, क्रियां निष्पादयतीति व्युत्पत्तिप्रदर्शनात् क्रियाजनकत्वमेव युज्यते इति नागेशस्याशय:।

कारकशब्दस्य निर्वचनम्

करोतीति विग्रहे डुकृञ् करणे इति तनादिगणीयात् धातो: **ण्वुलतृचौ**(3.1.133) इति सूत्रेण कर्त्रर्थे ण्वुल्प्रत्यये णकार–लकारयो: **चुटू (1.3.37) इति हलन्त्यम्**(1.3.3) इति च सूत्राभ्याम् इत्संज्ञायां तस्य लोप: इति तयोर्लोपे कृ वु इति स्थिते **युवोरनाकौ**(7.1.1) इति सूत्रेण वु–इत्यस्य अकादेशे कृ अक इति स्थिते बृद्धौ रपरत्वे कारक इति कृदन्तस्य **कृत्तद्धितसमासाश्च** (1.2.46)इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां नपुंसकप्रथमैकवचनविवक्षायां सुप्रत्यये **अतोऽम्**(7.1.24) इति सूत्रेण सोरमादेशे कारकम् इति पदं निष्पद्यते।

कारकभेदा:

कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च।
अपादानाधिकरणमिति वै कारकाणि षट्।इति।

इत्यभियुक्तवचनात् षडेव कारकाणि। तद्यथा कर्ता, कर्म, करणं, सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणञ्चेति। षट्कारकेषु कर्तु: कर्मणश्च क्रियया सह साक्षात्सम्बन्धो भवति। अन्येषां तु परम्परया अर्थात् कर्तृद्वारेण कर्मद्वारेण वा। **आधारोऽधिकरणम्** (1.4.45) इति सूत्रस्य वृत्तावेतत्स्पष्टम् उपलक्ष्यते। तथाहि भट्टोजिदीक्षितेन आधारोऽधिकरणमित्यस्य सूत्रस्य वृत्तावुक्तम् कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्टक्रियाया आधारोऽधिकरणसंज्ञ: स्यादिति। कारकाणां अर्थविचारप्रसङ्गे भूषणसारे उक्तम्–

आश्रयोऽवधिरुद्देश्य: सम्बन्ध: शक्तिरेव वा।

यथायथं विभक्त्यर्था: सुपां कर्मेति भाष्यत:॥ इति।

एकस्यां प्रधानक्रियायां नैका अवान्तरक्रिया अन्तर्भवन्ति। तास्सर्वा अवान्तरक्रिया: प्रधानक्रियायां साधनत्वेनोपयुज्यन्ते। तद्यथा – लोके राजानं प्रति सेवका: स्वगृहकार्यम्प्रति स्वतन्त्रा: तथापि राजकर्मण्यधीनास्सन्त: कार्यङ्कुर्वन्ति।

इदानीं षण्णां कारकाणां सामान्यपरिचय उपस्थाप्यते।

1) कर्तृकारकम्

करोतीति कर्ता। **स्वतन्त्रः कर्ता (1.4.54)** इति सूत्रेण कर्तृसंज्ञा विधीयते। क्रियायं स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्याद् इति तदर्थः। क्रियासम्पादनायां यत्स्वातन्त्रं भवति तत् कर्तृकारकम् इत्युच्यते। अत्र स्वातन्त्र्यं नाम व्यापाराश्रयत्वम्। धात्वर्थः फलं व्यापरश्च। तत्र यः व्यापाराश्रयः भवति सः कर्ता इत्युच्यते।

उदाहरणसङ्गतिः- देवदत्तः ओदनं पचति। पच्-धातोर्थः पाकव्यापारः पाकक्रिया वा। सा च क्रिया पाचके अस्ति। तथा च पाकक्रियायाः आश्रयः देवदत्तः। अतः देवदत्तः कर्ता। अस्यायमाशयः - कश्चन देवदत्तः ओदनपाकार्थम् आदौ आपणं प्रति गच्छति। ततः तण्डुलान् आनयति। ततश्च तानि प्रक्षालयति, ततः अग्निं प्रज्वालयति, ततः परं चुल्याम्पात्रं स्थापयति। पात्रे जलं स्थापयति, जले च तण्डुलान् स्थापयति। ततः किञ्चित्समयानन्तरं दर्वीचालनं करोति। एते सर्वेऽपि व्यापाराः देवदत्ताधीनाः सन्ति। स च कार्येऽस्मिन् स्वतन्त्रः। अतः देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा भवति।

अभिहिते तु कर्तरि प्रथमा भवति। अनभिहिते कर्तरि च **कर्तृकरणयोस्तृतीया**(2.3.18) इति सूत्रेण तृतीया विधीयते।यथा- कृष्णः अर्जुनं गीतोपदेशं करोति। अत्र वाक्ये कृष्ण इति तिङा अभिहितमस्ति। तेन अभिहिते कर्तरि अत्र प्रथमा। रामेण हतो वाली इति वाक्ये रामः कर्ता। अत्र तिङा अनभिहितत्वात् तृतीया स्यात्। अत्र प्रसङ्गत एतदुल्लेख्यं यत् अभिधानं न प्रायेण तिङ्कृत्तद्धितसमासैः भवति। यत्र अभिहितं भवति तत्र अभिहिते प्रथमा एव भवति। **प्रातिपदाकार्थलिङ्गसंख्यापरिमाणवचनमात्रे प्रथमा**(2.3.46) इति सूत्रमत्र प्रथमाविभक्तिविधायकम्।

2) कर्मकारकम्

कर्मसंज्ञाविधायकेषु सूत्रेषु **कर्तुरीप्सिततमं कर्म** (1.4.49) इति अन्यतमं सूत्रमस्ति। कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञः स्यात् इति सूत्रस्यार्थो भवति। कर्ता क्रिया द्वारा यत् वस्तुं प्राप्तुमिच्छति तत्कर्म इत्युच्यते। तस्माद् वक्तुं शक्यते- कर्त्रा स्वनिष्ठव्यापारप्रयोज्यफलेन सम्बद्धुमिष्यमानं यत् तत् कर्म। तदेव नागेशः वदति- प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारप्रयोज्यप्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्वम् इति। यथा चैत्रः ओदनं पचति इति वाक्ये प्रकृतधातुः पच्-धातुः तदर्थप्रधानीभूतव्यपारः पाकानुकूलव्यापारः तत्प्रयोज्यं प्रकृतधात्वर्थफलं विक्लितिरूपं तदाश्रयत्वेनोद्देश्यत्वम् ओदनस्य इति तस्य कर्मसंज्ञा। ततश्च **कर्मणि द्वितीया**(2.3.2) इति सूत्रेण द्वितीयाविभक्तिर्भवति।

येन प्रकारेण कर्तुरीप्सिततमं क्रियया युज्यते तेन प्रकारेण यदनीप्सितं भवति तस्य कर्मसंज्ञा भवति **तथायुक्तं चानीप्सितम्**(1.4.50) इति सूत्रेण। तत्र सूत्रार्थः ईप्सिततमवत्क्रियया युक्तमनीप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञा स्यात्। यथा ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इति वाक्ये ग्रामगमनमीप्सितमस्ति अतः तस्य कर्तुरीस्तितततमं कर्म इति कर्मसंज्ञायां द्वितीया विभक्ति। जलं स्पृशति इति वाक्ये यथा स्पर्शनक्रियायाम् ईप्सितस्य जलस्य कर्मसंज्ञा भवति तद्वद् स्पर्शनक्रियायां ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यत्र अनीप्सितस्य तृणपदस्य प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञायां कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीयाविभक्तिः।

कर्म सप्तविधम्-

निर्वत्यञ्च विकार्यञ्च प्राप्यञ्चेति त्रिधा मतम्।

तच्चेप्सिततमं कर्म चतुर्द्धान्यत्तु कल्पितम्।।

औदासीन्येन यत्प्राप्तं यत्तु कर्तुरनीप्सीतम्।

संज्ञान्तरैरनाख्यातं यद्यच्चाप्यन्यपूर्वकम्।। इति।

एतेषु सप्तषु कर्मसु निर्वत्यकर्म, विकार्यकर्म, प्राप्यकर्म च ईप्सीततमं कर्म। औदासीन्यकर्म, प्राप्तकर्म, अनीप्सीतकर्म, संज्ञान्तरै: अनाख्यातं कर्म ईप्सीतभिन्नं कर्म। एतेषामुदाहरणानि यथाक्रममुच्यते- घटं करोति, काष्ठं भस्मं करोति, सुवर्णं कुण्डलं करोति, घटं पश्यति, तृणं स्पृशति, विषं भुङ्क्ते, गां दोग्धि, क्रूरमभिक्रुद्ध्यति इति।

3) करणकारकम्

करणसंज्ञाविधायकं सूत्रं भवति **साधकतमं करणम्**(1.4.42) इति। क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात् इति तदर्थ:। क्रियासिद्धौ इत्यस्य क्रियोत्पत्तौ इत्यर्थ:। क्रियाया: साधनार्थं क्रियोत्पत्तौ वा कर्तु: यत्प्रधानसहायकं तत् करणसंज्ञं इत्यपि वक्तुं शक्यते। यद्व्यापारादनन्तरं क्रियानिष्पत्ति: तत्प्रकृष्टम्। कर्तृव्यापाराधीनयद्व्यापाराव्यवहिततया क्रियानिष्पत्तिस्तस्यां करणम्। यथा छात्र: पुस्तकं कलमेन लिखति। इति उदाहरणवाक्ये कर्ता भवति छात्र: तन्निष्ठा क्रिया लेखनरूपा तां लेखनक्रियां सम्पादनार्थं प्रकृष्टतमं साधनं भवति कलमम् इत्यत: तस्य करणसंज्ञा। ततश्च करणे **कर्तृकरणयोस्तृतीया**(2.3.18) इति सूत्रेण अनभिहिते करणे तृतीया विधीयते।

स्वनिष्ठव्यापाराव्यवधानेन फलनिष्पादकत्वं करणत्वम् इति नागेश:। यथा- रामेण बाणेन हतो वाली इति। अत्र रामकर्तृकबाणकरणकहिंसाविषयो वालीत्यर्थ:। अत्र बाणस्य यच्छरीरभेदनादिव्यापार: येन प्राणवियोगो जायते तत्र बाणस्य प्रकृष्टोपकारकत्वात् करणत्वम्। हरिरप्याह-

क्रियाया: परिनिष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरम्।

विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम्।।

4) **सम्प्रदानकारकम्**-

कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्(1.4.32) इति सम्प्रदानसंज्ञाविधायकं सूत्रम्। दानक्रियाकर्मणा अर्थात् करणभूतेन कर्त्रा यमभिप्रैति(सन्तुष्टिं करोति) सम्बन्ध्नाति सम्बद्धुमिप्सति वातत्कारकं सम्प्रदानमित्यर्थ:। वृत्तौ भट्टोजिदीक्षितेनोक्तं दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति तत्सम्प्रदानसंज्ञ: स्यादिति। वस्तुतस्तु उद्देश्यं चतुर्थ्यर्थ: इति नागेशमहोदयानामाशय:। तेन पिता ब्राह्मणाय गां ददाति इत्यादि: सङ्गच्छते। इह दा धातु: विद्यते। तस्यार्थ: अपुनर्ग्रहणाय स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरसत्वोत्पादनम्। कर्ता राजा स्वनिष्ठदानकर्म गौ:। तया गौकर्मकदानक्रियया ब्राह्मण: सन्तुष्यते। अत: ब्राह्मणस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। ततश्च **चतुर्थी सम्प्रदाने**(2.3.33) इति सूत्रेण तस्य चतुर्थीविभक्ति:।

सम्प्रदानसंज्ञाविधायकानि बहूनि सूत्राणि सन्ति **यथा- रुच्यर्थानां प्रीयमाणः (1.4.33), श्लाघह्नुस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः(1.4.34),धारेरुत्तमर्णः(1.4.35),स्पृहेरीप्सीतः(1.4.36),क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः(1.4.37),राधीक्ष्ण्योर्यस्य विप्रश्नः(1.4.39),प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता(1.4.40),अनुप्रतिगृणश्च(1.4.41),परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् (1.4.42), इति**। एतेषु सूत्रेषु **रुच्यर्थानां प्रीयमाणः** इति सूत्रस्य प्रयोगः लोके अधिकं दृश्यते इति तस्योदारणं प्रस्तूयते। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणोऽर्थः सम्प्रदानं स्यात्। रुचिर्नाम अन्यकर्तृकोऽभिलाषः। यथा– हरये रोचते भक्तिः। अन्यकर्तृकोऽभिलाषो रुचिः।

- **श्लाघह्नुस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः**– गोपी स्मरात्कृष्णाय श्लाघते, ह्नुते, तिष्ठते, शपते वा।
- **धारेरुत्तमर्णः** – भक्ताय धारयति मोक्षं हरि।
- **स्पृहेरीप्सीतः** – पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति।
- **क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः** – हरये क्रुध्यति, द्रुह्यति,ईर्ष्यति, असूयति वा।
- **राधीक्ष्ण्योर्यस्य विप्रश्नः -** कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा।
- **प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता -** विप्राय गां प्रतिशृणोति आशृणोति वा।
- अनु**प्रतिगृणश्च -** होत्रे अनुगृह्णाति प्रतिगृह्णाति वा।
- **परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्** – शतेन शताय वा परिक्रीतः।

5) अपादानकारकम्-

ध्रुवमपायेऽपादानम् (1.4.24) इति अपादानसंज्ञाविधायकं सूत्रम्। अपायो– विश्लेषः, तस्मिन् साध्ये यद् ध्रुवमवधिभूतं कारकं तदपादानं स्यादिति तदर्थः। अत्र ध्रुवं नाम स्थिरम्। पुनश्च अपायो नाम विश्लेषः। अर्थात् यस्य कस्यापि वस्तुनः यस्मात् कस्मात् अपि विच्छेदो भवति चेत्, तस्मिन् विच्छेदे ध्रुवं यत् भवति, तस्य ध्रुवस्य अपादानसंज्ञा भवति इति। उदारणसङ्गतिः– वृक्षात् फलं पतति। अत्र विभागानुकूलव्यापारः पत्लृ धातोर्थः। विभागः अत्र फलम्। विभागश्च वृक्षफलोभयनिष्ठः। फलं पतनाश्रयः। वृक्षोऽनाश्रयः। अतः वृक्षस्य अपादानसंज्ञा। ततः **अपादाने पञ्चमी (2.3.28)** इति सूत्रेण पञ्चमीविभक्तिर्विधीयते।

अपादानविषये उक्तञ्च वाक्यपदीये–

अपाये यदुदासीं चलं वा यदि वाचलम्।

ध्रुवमेवातदावेशात्तदपादानमुच्यते।। इति।

भट्टोजिदीक्षितेन प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारानाश्रयत्वे सति तज्जन्यविभागाश्रयत्वं ध्रुवमिति उक्तम्। नागेशस्तु अपाये गतिविशेषे सति यद् ध्रुवं अर्थात् अवधिभावोपगमाश्रयत्वे सति तदतिरिक्तावधित्वोपयोगिव्यापारानाश्रयत्वं ध्रुवत्वमिति।

अपादानभेदः– अपादानकारकं त्रिविधम्।तदाह वाक्यपदीये–

निर्दिष्टविषयं किञ्चिदुपात्तविषयं तथा।

अपेक्षितक्रियाञ्चेति त्रिधाऽपादानमुच्यते।। इति।

निर्दिष्टविषयम् – चैत्रः अश्वात् पतति।उपात्तविषयम् – बलाहकात् विद्योतते विद्युत्।अपेक्षितक्रियम् –कुतो भवान् ? पाटलीपुत्रात्।

अपादानसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि बहूनि सन्ति। तानि यथा– **भीत्रार्थानां भयहेतुः(1.4.25), पराजेरसोढः(1.4.26), वारणार्थानामीप्सीतः(1.4.27), अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति(1.4.28), आख्यातोऽपयोगे(1.4.29), जनिकर्तुः प्रकृतिः(1.4.30), भुवः प्रभवः(1.4.31)**इति। महाभाष्यकारेण तु ध्रुवमपायेऽपादामिति सूत्रमाश्रित्य अन्यानि सूत्राणि प्रत्याख्यातानि। अत्र समासेन अपादानविषये इत्येवतैवोक्त्वा सर्वेषां सूत्राणामुदाहरणानि प्रस्तूयन्ते।

- **भीत्रार्थानां भयहेतुः** चोराद्बिभेति, चोरात्त्रायते।
- **पराजेरसोढः** अध्ययनात्पराजयते।
- वा**रणार्थानामीप्सी**तः यवेभ्यो गां वारयति।
- **अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति** मातुर्निलीयते कृष्णः।
- **आख्यातोऽपयोगे** उपाध्यायादधीते।
- **जनिकर्तुः प्रकृतिः** ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते।
- **भुवः प्रभवः** हिमवतः गङ्गा प्रवहति।

6) **अधिकरणकारकम्-**

आधारोऽधिकरणम् (1.4.45) इति सूत्रेण अधिकरणसंज्ञा विधीयते। आध्रियन्ते क्रियागुणा अस्मिन्नित्याधारःइति। क्रियां प्रति य आधारः स एव अत्र गृह्यते। क्रियाया अभिमुखो य आधार इत्यर्थः। यश्च क्रियां धारयति स क्रियाया अभिमुखो भवति। क्रियायास्तु धारणं साक्षात्, व्यवधानेन वा; कर्तृकर्मणोः क्रियाश्रययोर्धारणात्। अत्र पूर्वस्य व्यवच्छेदार्थं **'कर्त्तृर्मणोः'**इत्युक्तम्।तदेतदुक्तं वैयाकरणसिद्धान्तकैमुद्यां भट्टोजिदीक्षितेन– **कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्टक्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञं स्यात्**। अर्थात् कर्तृद्वारा, कर्मद्वारा वा क्रियायाः आधार एव अधिकरणकारकम् इत्युच्यते। तदेव वाक्यपदीये उक्तम्–

कर्तृकर्मव्यवहितामसाक्षाद्धारयत क्रियाम्।

उपकुर्वत् क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्।। इति।

उदाहरणम् –

कर्तृनिष्ठक्रियायाः उदाहरणम्

बालः कटे उपविशति । उप–उपसर्गपूर्वकविशधातोः अर्थः यत्किञ्चिद्देशसंयोगरुपं फलम्, तदनुकूलक्रिया च । उपवेशनक्रियायाः आश्रयः बालः कर्ता । बाले विद्यमानायाः क्रियायाः आधारः कटः । अतः कटः अधिकरणम्।

कर्मनिष्ठक्रियायाः उदाहरणम्

देवदत्त: ओदनं स्थाल्यां पचति । पचधातो: अर्थ: विक्लित्तिरुपफलं, तदनुकूलक्रिया च। पाकक्रियाश्रय: देवदत्त: कर्ता। विक्लित्तिरुपफलाश्रय: ओदन: कर्म। कर्मभूते ओदने वर्तमानस्य विक्लित्तिरुपफलस्य आधार: स्थाली। अत: स्थाली अधिकरणम्। अत: सर्वत्र परम्परया क्रियाया: फलस्य वा आधार: एव अधिकरणं भवति इति ज्ञेयम्।

अधिकरणस्यभेद: –अधिकरणं त्रिविधम्। तच्च औपश्लेषिकं वैषयिकम् अभिव्यापकं चेति। तेषामुदाहरणानि क्रमेण यथा– शिशु: कटे शेते।मोक्षे इच्छा अस्ति।तिलेषु तैलम् अस्ति।

उपसंहार:–

कारकस्योपयोगिता वाक्यानां निर्माणे महती वर्तते। कारकज्ञानं विना वाक्यानां निर्माणं नैव सम्भवति। कारकविषये उपरि यदुक्तं तत्सामान्यमेव। विभक्त्यस्य प्रयोगो एव वाक्ये दृश्यते। विभक्तीनां च प्रयोग: कारकज्ञानं विना न सम्भवतीति कारकमस्माभिर्ज्ञातव्यमेव। न केवलं कारकस्य ज्ञानम् अपि तु वाक्यानां शुद्ध्यर्थं उपपदविभक्तीनां ज्ञानमावश्यकम्। भट्टोजिदीक्षितेन वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां कारकप्रकरणे कारकविभक्त्या सह उपपदविभक्तीनां सूत्राण्यपि प्रणीतानि। तेन कारकप्रकरणस्य पाठेन अस्माकं भाषा शुद्धितां गच्छति। किञ्च, बहुत्र अस्माकं भाषायां मातृभाषाया: प्रभावो वर्तते। तस्य प्रभावस्य शुद्धिकरणार्थं कारकज्ञानं तु निरतामपेक्षते। तस्य प्रकृष्टमुदाहरणं तावत्– सहयुक्तेऽप्रधाने इति। अस्माकं प्रान्तीयभाषाप्रभावेन अप्रधाने सम्बन्धत्वेन उपयुज्यते। किन्तु संस्कृतभाषायामत्र तृतीया एव विधीयते।

एतादृशमन्यदुदाहरणं तावत् यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति। वस्तुत: एतादृशा: प्रयोगा: प्रान्तीयभाषासु प्रायेण नास्त्येव। अत: एतादृशानां मनोरमाणां प्रयोगानां ज्ञानाय कारकप्रकरणस्य ज्ञानमपेक्षते एव।

परिशीलितग्रन्थसूची

1. पाणिनीय अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: सम्पा.पं सत्यनारायणशास्त्री खण्डुडी, कृष्णदास अकादेमी वारणसी – 2012
2. लघुशब्देन्दुशेखर:–सम्पा.हरिनारायण तिवारी, चौखाम्वा विद्याभवन–वाराणसी–2014
3. वाक्यपदीयम्(ब्रह्मकाण्डम्), भर्तृहरि:, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2006
4. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी–तत्त्वबोधिनीसहिता, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2006
5. अष्टाध्यायी–सहजबोध:, पुष्पा दीक्षित, पाणिनीयशोधसंस्थान, छत्तीसगढ, 2004
6. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, (सं)म.म.श्रीगिरिधरशर्मा, मोतीलाल बनारसीदास, देहली, 1997
7. भूषणसार:, कौण्डभट्ट:, चौखम्बासंस्कृतसीरीज् वाराणसी, 1969
8. भूषणसार:–परमलघुमञ्जूषयो: सिद्धान्तानां समीक्षा. डॉ.राममनोहरमिश्र: सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय:, वारणसी, 1983
9. लघुशब्देन्दुशेखर:, नागेशभट्ट:, चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान– दिल्ली, 2001

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

आयार्च कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र के अनुसार सप्तांगों का विवेचन

सुमन कुमारी
शोधरत छात्रा,
राजनीति विज्ञान विभाग
रॉची विश्वविद्यालय, रॉची

शोध आलेख सार –''कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत'' केवल राज्य के सावयत स्वरूप (Organic form) का निरूपण करता है बल्कि यह संकेत भी देता है कि राज्य के किस अंग का क्या कार्य है। राजनीति की सूक्ष्म विवेचना करने में आचार्य कौटिल्य का नाम अग्रगण्य है। आधुनिक युग में राज्य के अस्तित्व के लिए इन सभी तत्वों को आवश्यक नहीं समझा जाता। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सात अंगो की सर्वश्रेष्ठता एवं विशुद्धता पर ही राज्य की सर्वश्रेष्ठता मानी जाती है।

मुख्य शब्द– कौटिल्य, अर्थशास्त्र, सप्तांगा, राजनीति।

राजनीति की सूक्ष्म विवेचना करने में आचार्य कौटिल्य का नाम अग्रगण्य है। इनके द्वारा विरचित अर्थशास्त्र विश्व के महान राजनीतिक ग्रंथों में शीर्षण्य है। इस अर्थशास्त्र में कुल पन्द्रह अधिकरण है। इन पन्द्रह अधिकरणों में राजनीति के अंगों एवं उपांगों का विधिवत् विवेचन किया गया है। इस अर्थव्यवस्था में कुल 6600 श्लोक है। इनका जन्म आज से से लगभग 2350 वर्ष पूर्व हुआ था ये सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य (ई0 पू0 324 से ई0 पू0 300) के प्रधान अमार्त्य थे। इससे पहले वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। उन्होंने नंदवंश का नाश करके चन्द्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंन्थ है।

कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सात अंगो की सर्वश्रेष्ठता एवं विशुद्धता पर ही राज्य की सर्वश्रेष्ठता मानी है। इनका मानना है कि यदि राज्य के इन अंगो में एक अंग भी कमजोर हुआ तो सम्पुर्ण राज्य ही कमजोर हो जायेगा। अतः अर्थशास्त्र (कौटिल्य) में इन अंगों को इनके स्वाभाविक रूप में बनाये रखने के लिए अनेक उपायों एवं साधनों की व्यवस्था की गई है। राज्य ही एक मात्र ऐसा संगठन है, जिसके द्वारा मानव जीवन सम्भव, निश्चित तथा उद्देश्यपूर्ण बनाता है।

कौटिल्य ने राज्य संचालन में सात प्रकृतियों का विवेचन किया है :–

1. स्वामी (शासक या सम्राट)
2. अमात्य
3. मित्र
4. कोष
5. सेना/बल
6. दुर्ग
7. जनपद या राष्ट्र

(1) स्वामी :– स्वामी राज्य का शिर या शीर्ष है। कई प्राचीन ग्रंथों में भी स्वामी की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी यह उल्लेखित है कि देवों ने राजा के न होने पर अपनी दुर्दशा का अनुभव किया। उसके बाद एक योग्य राजा का चुनाव किया। आचार्य कौटिल्य ने कहा है कि – "जब दण्ड का प्रयोग नहीं होता है तब मत्स्य न्याय की दशा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दण्डघर (राजा) के अभाव में बलवान दुर्बल को खा जाता है। इसलिए इस मत्स्य न्याय से बचाने के लिए राजा का होना नितांत आवश्यक है। राज्य की इच्छा एवं दण्ड शक्ति व्यक्ति को धर्म की सीमाओं के अन्दर रखती है। आज्ञा के उल्लघंन पर दण्ड देती है और सबका कल्याण करती है।

आचार्य चाणक्य के अनुसार राजा कि कुछ विशेषतोओं का वर्णन किया है – राजा में कुछ गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक है जैसे–कुलीनता, शीलनिष्ठ, धर्मनिष्ठा, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलवान, उत्साही, हठ–प्रतिज्ञ, विनयशील, विवेकवान, स्पष्ट विचारयुक्त, तर्क–विर्तक, प्रजा का हित चिंतक, राज्य कोष का वर्द्धक इत्यादि विशिष्ट गुणों से युक्त होना चाहिए। राजा को अपने कार्य की सुगमता के लिए योग्य मंत्री एवं पुरोहित का होना अनिवार्य है, जिसके द्वारा राजा प्रजा का कल्याण कर सके और उचित न्याय के द्वारा प्रजा का हित चिंतक होना चाहिए। ताकि प्रजा सुखमय दंग सानन्द जीवन का निर्वाह कर सके।

(2) अमात्य/मंत्री :– अमात्य राज्य की ऑखे है, राज्य के सात अंगो में द्वितीय अंग है अमात्य जिसे सचिव या मंत्री भी कह सकते है। प्राचीन काल में राज्य के मुख्य पदाधिकारियों और राज्य कर्मचारियों को अमात्य कहा जाता था। आचार्य कौटिल्य के अनुसार किसी व्यक्ति की योग्यता की परख उसके कार्यो की सफलता पर ही निर्भर करती है। अतः राजा को चाहिए कि वह व्यक्ति के गुणों–विद्या, बुद्धि, साहस और समर्पण आदि का देश और काल का तथा पद की गरिमा का विचार करके योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर सुचारू व्यवस्था के लिए अमात्यों की नियुक्ति पर विशेष बल दिया है, क्योंकि अमात्य से सलाह करके राजा किसी भी समस्या का समाधान कर सकते है। अमात्यों की योग्यता के

अन्तर्गत उन्हें कुलीन, स्वदेशोंत्पन्न, समर्थ, चतुर, नीति–निपुण साहसी, स्वामिभक्ति, सहिष्णु होना चाहिए। राज्य के प्रत्येक कार्य में राज्य के लिए मंत्री लोंगो का सहयोग अपेक्षित है। योग्य पुरोहित द्वारा और योग्य मंत्रियों की मंत्रणा के अनुसार राज्य कार्य को चलाने वाला राजा अजेय हो जाता है।

(3) मित्र :–राज्य संस्था के लिए यह भी आवश्यक है कि अन्य राज्य व पडोसी राज्य से मित्रवत् सम्बन्ध होना चाहिए क्योंकि विपदा, अशांति तथा आवश्यकता पड़ने पर सर्वाधिक सहायता इन्ही के द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए मित्र बनाने की आवश्यकता पर बहुत बल दिया गया है और राजा के लिए अच्छे मित्र के गुणों का वर्णन किया है – ''राजा सोना या भूमि पाकर उतना समृद्धिशाली नहीं होता जितना कि अटल मित्र पाकर''।

कौटिल्य ने मित्र के कुछ आवश्यक गुण गिनाये है वह वंश परम्परागत हो, वह स्थायी हो, अपने वश में रह सके। जिनसे विरोध की सम्भावना न हो। प्रभुमंत्र उत्साह आदि शक्तियों से युक्त हो, जो समय आने पर सहायता कर सके।

(4) कोष :– ''कोष'' वित्त विभाग का सूचक है, कौटिल्य का कहना है कि जिस राजा का कोष रिक्त हो जाता है। वह अपने प्रजा के ऊपर अतिरिक्त करों का बोझ डाल देता है। तथा राज्य के समस्त कार्य व्यापार कोष पर निर्भर रहता है। अतः राजा की सर्वप्रथम कोष पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। राजकोष के संचय धर्मानुसार अर्थ संग्रह करना चाहिए। राजकोष को स्वर्ण, रजत, सोने की मुद्राओं, विविध रंगो व बहुमूल्य रत्नों से पूर्ण होना चाहिए और उसे इतना पर्याप्त होना चाहिए कि उससे सम्पूर्ण राज्य का कार्य सुचारू रूप से निर्वाह हो सके। कौटिल्य का कहना है कि राजा को यह भी निर्देश है कि उसे यह निश्चित कर लेना चाहिए कि वाह्य आक्रमण, दुर्भिक्ष एवं अन्य दैवीय आपत्तियों के समय पर चाहे ये विपत्तियॉ आदि सुदीर्धकाल तक क्यों न चले कोष में कमी न आनी चाहिए।

(5) सेना/बल :– राज्य की सुरक्षा तथा विस्तार के लिए सैन्य शक्ति का संगठने आवश्यक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अन्य ग्रंथों में बल को ही दण्ड कहा गया है कौटिल्य के अनुसार दण्ड वह साधन है जिसके द्वारा आन्वीक्षिकी, त्रयी एवं बार्ता का स्थायित्व एवं रक्षण नियमों की व्याख्या होती है, उसी से प्रजा को मत्स्य न्याय से बचाया जा सकता है। राजा अपने बल (सेना) से राज्य की रक्षा सम्यक रूप से करता था।

कौटिल्य ने सेना कों सात श्रेणियों में विभक्त किया है :–

(i) **मौल सेना :–** यह राजधानी की सुरक्षा के लिए होती थी तथा वंश परम्परानुगत हुआ करती थी।

(ii) **भृत सेना :–** वेतन पर रखे गये सैनिकों के दल को भूत सेना कहा गया है।

(iii) **श्रेणी सेना :–** इसमें युद्धवीर जातियों के लोग भर्ती किये जाते थे।

(iv) **मित्र सेना :–** इसमें मित्र राज्यों के सैनिक होते थे।

(v) **अमित्र सेना :–** ऐसी सेना जो कभी शत्रुपक्ष की थी।

(vi) **आटविक सेना :–** इसमें वन्य जातियों के सैनिक होते थे।

(vii) **औत्साहिक सेना :–** इसमें लूटमार करने वाले हिंसक तथा दस्यु आदि होते थे।

(6) दुर्ग (सुरक्षित नगर या राजधानी) :– राज्य की रक्षात्मक और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक दुर्ग सात अंगों में से एक है, कौटिल्य ने राज्य पर विशेष बल देते हुए युद्धोचित दुर्ग निर्माण को आवश्यक बताया है। राजा को युद्ध की दृष्टि से अपने राज्य की चारों दिशाओं में तथा प्राकृतिक दृष्टि से सुरक्षित एवं अनुकूल लगनवाले स्थानों पर दुर्गो का निर्माण कराना चाहिए। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिसमें सेना के लिए अच्छी मोर्चाबन्दी हो, पानी खाध–सामग्री तथा गोला–बारूद की उचित व्यवस्था हो, युद्ध छिडने, आन्तरिक अशान्ति उत्पन्न होने तथा शत्रु से राज्य की रक्षा करने में दुर्ग का विशेष महत्व है। यदि दुर्ग न हो तो शत्रु आसानी से राज्य में आक्रमण कर कब्जा कर सकते है। युद्ध के अवसर पर शत्रु की पराजय के लिए दुर्ग को ही आश्रय लेना होता है वही से सैन्य शक्ति का प्रबन्ध किया जाता है। राजकोष और सैन्य मुख्यालय दुर्ग में ही स्थित होते है।

<u>दुर्ग चार प्रकार के होते है :–</u>

(i) **औदक :–** किसी टापू के समान चारों ओर गहरे पानी से भरे तालाबों, नदियों तथा झीलों से घिरा हुआ।

(ii) **पार्वत :–** बड़ी–बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ अथवा पार्वत की कन्दराओं के रूप में बना हुआ।

(iii) **घान्वन :–** जल एवं हरियाली से सर्वथा रहित, रेतीली धरती पर बना हुआ।

(iv) **वनीय :–** चारों ओर दल–दल अथवा कांटेदार झाडियों से घिरा हुआ व घने जंगल में बना हुआ।

कौटिल्य का यह भी कहना है कि प्रथम दो प्रकार के दुर्ग जन–संकुल स्थानों की सुरक्षा के लिए है और अंतिम दो प्रकार जंगलों की रक्षा के लिए है। दुर्ग धन, धान्य, बल, वाहन, ब्राहमण और पुष्प, अस्त्र, शस्त्र, देव–मंदिर, अग्निशाला, जल तथा वृक्षादि से सम्पन्न होना चाहिए।

(7) जनपद या राष्ट्र :– राज्य की सात अंग जनपद है। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि और वर्तमान काल में जिसे हम जनता और भूमि कहते है। अर्थशास्त्र (कौटिल्य) में जनपद के लिए जनसंख्या निशिचित और प्राकृतिक सीमाबद्ध भू–क्षेत्र, राज्यसत्ता की स्थापना, सैन्य शक्ति तथा आर्थिक अवस्था को आवश्यक अंग बताया गया है। जनपद में सभी साधनों की उपलब्धि, शासनतंत्र का सुचारू संचालन, प्रजा में देश भक्ति तथा विधि के पालन की भावना, राजदण्ड तथा राज्य के करों को सहन करने की क्षमता का भी उल्लेख किया गया है। जनपद की भूमि इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि जनता का पालन हो सके, विपत्ति के समय शरण लेने वाले विदेशी लोग भी उससे अपना निर्वाह कर सके, उसमें शत्रुओं से रक्षा के साधन हो खेत,

चरागाह, जंगल, खानें, जल और स्थल मार्ग सिचाई के लिए नहरें तथा कुएँ आदि उसमें हो और उसकी जलवायु भी उत्तम हो, राष्ट्र की वास्तविक शक्ति जन समाज की विश्वसनीयता से युक्त होती है। आचार्य कौटिलय पड़ोसी राज्यों के विषय में भी विस्तार में भी विचार वयक्त करते हुए कहते है कि सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए।

निष्कर्ष :– इस प्रकार हम यह कह सकते है कि ''कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत'' केवल राज्य के सावयत स्वरूप (Organic form) का निरूपण करता है बल्कि यह संकेत भी देता है कि राज्य के किस अंग का क्या कार्य है? इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त से यह भी पता चलता है कि राज्य की विशेषताएँ क्या है? दूसरे शब्दों में राज्य का अस्तित्व तभी संभव है, जब उसमें राजा, मंत्री मित्र, कोष, सेना, दुर्ग, ओर पुर (जनपद) का समावेश है। आधुनिक युग में राज्य के अस्तित्व के लिए इन सभी तत्वों को आवश्यक नहीं समझा जाता। इनमें से प्रथम और अंतिम तत्व अर्थात् राजा (आधुनिक युग के संदर्भ में प्रभुसताधारी) और पुर (अर्थात् भूमि और प्रजा) ही पर्याप्त समझे जाते है। अन्य तत्व गौण है, क्योंकि मंत्री राज्य को चालने के लिए आवश्यक तो है परन्तु यह राज्य के अस्तित्व की बुनियादी शर्त नहीं है। मित्र विदेशी मामलों के सम्यक् संचालन से बनते है, ''कोष'' वित्त विभाग का सूचक है ''सेना'' और दुर्ग प्रतिरक्षा विभाग के अन्तर्गत आते है – ''ये सभी तत्व राज्य के प्रशासन के लिए आवश्यक है परन्तु इन्हें उस अर्थ में राज्य के ''अंग'' नहीं माना जा सकता आधुनिक युग में'' विधान सभा तथा न्यायालय भी राज्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, परन्तु कौटिल्य के युग में इनकी आवश्यकता तब थी ही नहीं – धर्म और लोकाचार ही सर्वमान्य कानून थे। न्याय राजा स्वयं करता था।

संदर्भ :–

(i) प्राचीन भारत का इतिहास – के0सी0 श्रीवास्तव

(ii) प्राचीन इतिहास – एस0के0 पाण्डेय

(iii) वृहत्तर भारत – दत्ता पुरी मजूमदार

(iv) राजनीतिक विचारक – पुखराज जैन

(v) भारतीय विचारक – बी0एल0 फाडिया

(vi) संस्कृत साहित्य का इतिहास – वाचस्वपति गैरोला

(vii) प्राचीन भारत का इतिहास – के0सी0 श्रीवास्तव

(viii) कौटिलीय अर्थशास्त्र – ओम प्रकाश शर्मा

(ix) भारतीय राजनीति विचारक – ओम प्रकाश गावा

(x) प्राचीन भारत का इतिहास – डॉ0 गिरिजा शंकर प्रसाद मिश्र

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

व्याकरणे स्त्रीप्रत्ययविमर्शः

चन्द्र शेखर (शोधच्छात्रः)
संस्कृतविभागः, जा.मि.इ., नई दिल्ली-25
ई-मेलः shekharkv2@gmail.com

भूमिका-

छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते॥[1]

अत्र वेदपुरुषस्य कल्पना कृता अस्ति। वेदपुरुषस्य पादौ छन्दः अस्ति, कल्पः हस्तरूपेण परिगण्यते, चक्षुः ज्यौतिषं कथ्यते, निरुक्तं च श्रोत्रम् उच्यते एवं हि शिक्षा वेदपुरुषस्य घ्राणमुच्यते, व्याकरणञ्च वेदपुरुषस्य मुखमस्ति। अतः एतानि वेदाङ्गानि अधीत्य ब्रह्मलोकं याति जीवः। अत्र अस्मिन् व्याकरणस्य कल्पना मुखेन कृतास्ति, शरीरावयवेषु प्रायः समेऽपि अवयवाः प्रधानाः भवन्ति परन्तु तेष्वपि अवयवेषु मुखं प्रधानं भवति, यतोहि तेन व्यवहारः क्रियते। इत्थं वेदाङ्गेषु व्याकरणस्यापि प्राधान्यं स्वीकृतमस्ति। व्याकरणं प्रधानमस्तीति महाभाष्ये उक्तमस्ति- '**प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम्। प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति**'[1] अर्थाद् व्याकरणं प्रधानमस्ति प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति। व्याकरणञ्च तद् शास्त्रं यत्र शब्दानां साधुत्वासाधुत्वयोर्विचारः स्पष्टतया कृतः स्याद्। प्रकृतिभ्यो प्रत्ययाः पृथक्क्रियन्ते अथवा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम्। अर्थाद् व्याकरणं शब्दानां सिद्धिः करोति। व्याकरणस्य लक्षणं प्रतिपादयन् भाष्यकारः पतञ्जलिः आह- **'लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम्'**[2]। व्याकरणपरम्परातीव प्राचीनास्ति। व्याकरणपरम्परायामनेके हि आचार्याः अभवन्। व्याकरणस्य प्रथमः प्रवक्ता शिवः एव। शिवः एव व्याकरणस्य प्रथमः कर्त्तेति। माहेश्वरसूत्राणि अत एवोच्यन्ते यतोहि एतानि शिवढक्कातः निर्गताः-

---

[1] महाभाष्य-पस्पशाह्निकम्

[2] महाभाष्य-पस्पशाह्निकम्

नृत्तावसाने नटराजराजो, ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्।

उद्धर्तुकाम: सनकादिसिद्धान्, एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्॥[3]

इतः परं व्याकरणपरम्परायामाचार्याणाम् संख्या महती अस्ति। यैराचार्यैः स्वकीयानि व्याकरणानि दृष्टिपथि आनीतानि।

ऐन्द्रश्चान्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः।

पाणिन्यमरजैनेन्द्राः जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः॥[4]

अत्र पाणिनीयव्याकरणं जगति अतीव प्रसिद्धिङ्गतः। पाणिनिना अष्ठाध्यायीं विरच्य स्वस्थानं व्याकरणजगति सर्वोपरि कृतम्। त्रिमुनि व्याकरणस्य लोके प्रसिद्धाः - पाणिनिः, कात्यायनः पतञ्जलिश्च। पतञ्जलिना महाभाष्यं व्यरचि, कात्यायनश्च वार्तिकानि प्रणीतवान्। अत एव एते त्रयो अपि त्रिमुनिरूपेण प्रसिद्धाः। व्याकरणे अनेके हि विषयाः तेषु प्रत्यविधानं विषयोऽप्यस्ति। प्रत्ययाः अपि अनेकानि यथा- कृत्प्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाः स्त्रीप्रत्ययाश्च। तत्र स्त्रीप्रत्ययाः अत्र विवेच्याः। पूर्वं विवेच्यं यत् प्रत्ययः कः? प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्ययः। अर्थात् यः प्रतीतिं कारयति अथवा यस्य विधानं क्रियते विधीयते वा सः प्रत्ययः। प्रत्ययस्य शाब्दिकार्थः विश्वासः इति भवति। इदानीं स्त्रीप्रत्ययानां विषये चिन्त्यते।

स्त्रीप्रत्ययाः-

सर्वप्रथमतया ज्ञेयं यत् स्त्रीप्रत्ययाः के सन्ति के च ते? **‘स्त्रियाम्’**[5] इतिसूत्रस्य अधिकारे चाप्, टाप्, डाप्, ङीप्, ङीष्, ङीन्, ऊङ्, ति एते अष्टप्रत्ययाः स्त्रीप्रत्ययाधिकारे अन्तर्भवन्ति। इदानीम् अत्र विज्ञेयं यत् कुत्र कः प्रत्ययः भविष्यतीति। यतोहि प्रत्ययानाम् अवबोधे सर्वथा सन्देहः यत् ङीप् अस्ति ङीष् अस्ति अथवा ङीन् अस्ति। अतः सूत्रानुसारं अवधेयं कुत्र कः प्रत्ययः भविष्यतीति। अत्र सर्वप्रथमं स्त्रीप्रत्ययानाम् आरम्भः द्रष्टव्य। '**स्त्रियाम्**' इति सूत्राद् आरभ्य ‘**समर्थानां प्रथमाद्वा**’[6] इति यावत् स्त्रीप्रत्ययाधिकारः भवति। तत्र स्त्रीप्रत्ययेषु प्रथमः आयाति-

टाप् प्रत्ययः - **‘अजाद्यतष्टाप्’**[7] अस्यार्थः अजादीनामकारान्तस्य वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात्। अजादि उक्तिर्ङीपोङीषश्च बाधनाय। उदाहरणानि यथा- अजा, एडका, चटकादयः। अतः इत्यस्योदाहरणं खट्वा। अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषेणत्वात् न इह भवति पञ्चवटी। अत्र तु **‘द्विगोः’**[8] इति सूत्रेण ङीप् भविष्यति। अत्र समासार्थसमाहारनिष्ठं भवति

[3] नन्दिकेश्वरः

[4] कविकल्पद्रुमः

[5] अष्टाध्यायी- ४/१/३

[6] अष्टाध्यायी- ४/१/८२

[7] अष्टाध्यायी- ४/१/४

[8] अष्टाध्यायी- ४/१/२१

स्त्रीत्वम्। अन्यानि उदाहरणानि यथा- अजा, एडका, अश्वा, चटका, मूषिका। एषु जातिलक्षणो ङीष् प्राप्तः परण्टाप् एव भवति। बाला, वत्सा, होढा, मन्दा, विलाता अत्र तु **'वयसि प्रथमे'**[9] इति ङीप् प्राप्तः परण्टापेव भवति।

ङीप् प्रत्ययः - 'उगितश्च'[10] उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात्। उदाहरणानि यथा- भवती, पचन्ती। **'श्प्श्यनोर्नित्यम्'** इति नुम् जातः। **'उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः'** इति सूत्रे अज्ग्रहणेन 'धातोश्चेदुगित्कार्यं तर्ह्यञ्चतेरेव' इति नियम्यते। तेन इह न भवति- उखास्रत्, पर्णध्वत्। अञ्चेस्तु स्यादेव प्राची, प्रतीची। अपरं सूत्रं **'वनो र च'**[11] वन्नन्ताद् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात्, रेफश्चान्तादेशः।- धीवरी, पीवरी, शर्वरी। क्वनिब्वनिपां सामान्येन ग्रहणम्। **'प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्'** [12] तेन प्रातिपदिकविशेषणात्तदन्तान्तमपि लभ्यते। सुत्वानमतिक्रान्तातिसुत्वरी। अतिधीवरी, बहुधीवरी, बहुधीवा अत्र तु **'बहुव्रीहौ वा'** इति वार्तिकेन विकल्पः। **'पादोन्यतरस्याम्'** पाच्छब्दः कृत्समासान्तस्तदन्तात् प्रातिपदिकात् ङीब्वा स्यात्। द्विपदी, द्विपाद्। **'टाबृचि'**[13] ऋचि वाच्यायां पादान्तात् टाप् स्यात्। द्विपदा ऋक, एकपदा ऋक्। षट्स्वस्त्रादिषु निषेधः भवति तेन इह न पञ्च, चतस्रः। **'मनः'**[14] मन्नन्तात् न ङीप् भवति अपितु टाप् एव भवति। यथा सीमन् शब्दः- सीमा, सीमानौ, सीमानः एवमेव दामन्, पामन् शब्दाभ्याम् अपि। **'अनो बहुव्रीहेः'** अनन्ताद् बहुव्रीहेर्न भवति ङीप्। यथा बहुयज्वन् शब्दात्- बहुयज्वा, बहुयज्वानौ, बहुयज्वानः। **'डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्'** उभाभ्यामपि सूत्राभ्यां प्रतिपादितं तत्र डाब् विकल्पेन भवति- सीमा, सीमे, सीमानौ। दामा, दामे, दामानौ। बहुयज्वा, बहुयज्वे, बहुयज्वानौ। एवमेव सुचर्मन्, सुपर्वन् शब्दाभ्याम् इति। **'अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्'** अन्नन्ताद् बहुव्रीहेरुपधालोपिनो वा ङीप् स्यात्, पक्षे डाब् ङीप् निषेधौ। बहुराज्ञी, बहुराज्ञौ। बहुराजे, बहुराजानौ। अत्र टाप् प्रकरणे **'प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्यात इदाप्यसुपः'** अत्र कात् पूर्वस्याकारस्य इकारादेशः यदि असुप् प्रत्ययस्थश्च भवति। यथा- कारिका, सर्विका, एवमनेकानि हि उदाहरणानि अत्र प्रभवन्ति। निषधादीनाहत्य अनेकानि रूपाणि सिध्यन्ति।

'टिड्ढाणञ्द्वयसज्दघ्नञ्मात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्वरपः' [15] अनुपसर्जनं यत् टित् आदिः तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां ङीप् स्यात्। कुरुचरी, नदट् शब्दात् नदी। ऊपसर्जनत्वात् इह न

---

[9] अष्टाध्यायी- ४/१/२०

[10] अष्टाध्यायी- ४/१/६

[11] अष्टाध्यायी- ४/१/७

[12] पारिभाषिक- २४

[13] अष्टाध्यायी- ४/१/९

[14] अष्टाध्यायी- ४/१/११

[15] लघु सिद्धान्तकौमुदी १२५४

भवति– बहुकुरुचरा। अन्यान्युदाहरणानि – सौपर्णेयी, ऐन्द्री, औत्सी, उरुद्वयसी, उरुमात्री, पञ्चतयी, आक्षिकी, लावणिकी, यादृशी, इत्वरी। **'नञ्स्नञीकक्ख्युंस्तरुणतलुनानामुपसंख्यानम्'** [16] अर्थात् अत्रापि ङीप् प्रत्ययः भवति। स्त्रैणी, पौंस्नी, शाक्तिकी, आढ्यङ्करणी, तरुणी, तलुनी। **'यञश्च'** [17] यञ्न्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात् अकारे लोपे कृते- **'हलस्तद्धितस्य'** इति यकारलोपोऽपि जायते गार्गी। ष्फादि प्रत्यये सति षित्वात् **'षिद्गौरादिभ्यश्च'** [18] इत्यनेन ङीष् भवति। यथा गार्ग्यायणी, लौहित्यायनी, कात्यायनी। कौरव्यायणी, माण्डूकायनी इत्यत्र तु ङीष् न भवति, ण्यढक् प्रत्ययौ स्तः, अतः **'टिड्ढाणञ्.'** इत्यनेन ङीप् एव भवति। **'वयसि प्रथमे'**[19] प्रथमवयोवाचिनोऽदन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात्। कुमारी, वधूटी, चिरण्टी, वधूट-चिरण्टशब्दौ यौवनवाचिनौ स्तः। 'अतः' इति किम् ? शिशुः अत्र न स्यादिति। कन्यायाः तु **'कन्यायाः कनीन च'**[20] इति निर्देशात् न भवति। **'द्विगोः'**[21] अदन्तात् द्विगोर्ङीप् स्यात् स्त्रियाम्। त्रिलोकी, अजादित्वात् त्रिफला, अतः अत्र ङीप् न भवति। त्र्यनीका सेना, **'अपरिमाणविस्ताचितकम्बलेभ्यो न तद्धितलुकि'** अनेन ङीप् प्रतिषेधः जायते अतः पञ्चभिरश्वैः क्रीता पञ्चाश्वा इत्यत्र टाप् एव भविष्यति। द्वौ बिस्तौ पचति द्विबिस्ताः, द्व्याचिता, द्विकम्बल्या, परिमाणात्तु द्व्याढकी। **'काण्डान्तात् क्षेत्रे'**[22] अनेनापि प्रतिषेधः क्रियते। द्विकाण्डा इति। **'पुरुषात् प्रमाणेऽन्यतरस्याम्'**[23] अत्र ङीब् विकल्प्यते। द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्याः सा द्विपुरुषी द्विपुरुषा वा परीखा। **'बहुव्रीहेरुधसो ङीष्'**[24] ऊधोऽन्तात् बहुव्रीहेर्ङीष् स्यात् स्त्रियाम्। कुण्डोध्नी, अस्यापवादोऽयं **'संख्याव्ययादेर्ङीप्'** [25] द्वयूध्नी, अत्यूध्नी। **'दामहायनान्ताच्च'** संख्यादेर्बहुव्रीहेर्दामान्तात् हायनान्ताच्च ङीप् स्यात्। दामान्ते डाप् प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः हायनान्ते टापि प्राप्ते वचनम्। द्विदाम्नी, द्विहायनी बाला। **'वयोवाचकस्यैव हायनस्य ङीब्णत्वं चेष्यते'**[26] त्रिहायणी, चतुर्हायणी। वयसोऽन्यत्र तु द्विहायना, त्रिहायना।

'केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्थकृतसुमंगलभेषजाच्च'[27] नित्यं ङीप् स्यात् संज्ञाछन्दसो – मामकी, भागधेयी, पापी, अपरी, समाजी, आर्यकृती, सुमङ्ली, भेषजी अन्यत्र तु केवला इत्यादि।

[16] वार्तिक प्रकाश

[17] लघु सिद्धान्तकौमुदी १२५५

[18] लघु सिद्धान्तकौमुदी १२५८

[19] सिद्धान्तकौमुदी ४७८

[20] सिद्धान्तकौमुदी १०२४

[21] काशिकावृत्ति ४/१/२१

[22] सिद्धान्तकौमुदी ४/१/२३

[23] काशिकावृत्तिः ४/१/२४

[24] सिद्धान्तकौमुदी ४/१/२५

[25] सिद्धान्तकौमुदी ४/१/२६

[26] वार्तिकप्रकाश

[27] सिद्धान्तकौमुदी ४/१/३०

मामक ग्रहणं नियमार्थम्। असंज्ञायां तु मामिका। **'अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्'** [28] अन्तर्वत्नी पतिवत्नी।**'पत्युर्नो यज्ञसंयोगे'** [29] वाशिष्ठस्य पत्नी, गृहपति-गृहपत्नी, दृढपत्नी-दृढपतिः, वृषलपत्नी-वृषलपतिः।पूर्वेण विकल्पः प्राप्तः अनेन नित्यं विधीयते **'नित्यं सपन्यादिषु'** [30] विकल्पावादः, समानः पतिर्यस्या सा सपत्नी, एकपत्नी, वीरपत्नी।

ङीष् प्रत्ययः - **'अन्यतो ङीष्'**[31] तोपधभिन्नाद्वर्णवाचिनोऽनुदातान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीष् स्यात्। कल्माषी, सारङ्गी। **'षिद्गौरादिभ्यश्च'** षिद्भ्यो गौरादिभ्यश्च ङीष् स्यात्– नर्तकी, रजकी, गौरी। **'आमनडुहः स्त्रियां वा'** अनडुही अनड्वाही। **'सूर्यतिष्यागस्त्यानां य उअपधायाः'** मत्सी, सूरी, अगस्ती। **'जानपदकुण्डगौणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद् वृत्यमात्रवपनाकृतिमाश्राणास्थौल्य वर्णानाच्छादनयोविकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु'** एभ्योऽपि वृत्यादिस्वर्थेषु ङीष् वा स्यात्। जानपदी, गोणी, गोणा, स्थली, स्थला, भाजी, भाजा इत्यादयः। **'शोणात्प्राचाम्'** शोणी, शोणा। **'वोतो गुणवचनात्'**[32] उदन्तात् गुणवचनात् वा ङीष् स्यात् – मृद्वी, मृदुः, पट्वी, पटुः। **'बह्वादिभ्यश्च'** बह्वी, बहुः। **'कृदिकारादक्तिनः'** रात्रिः, रात्री। **'सर्वतोऽक्तिन्नर्थादित्येके'**- शकटिः, शकटी, पद्धतिः, पद्धती। **'पुंयोगादाख्यायाम्'** या पुमाख्या पुंयोगात् स्त्रियां वर्तते ततो ङीष् स्यात्। गोपस्य स्त्री गोपी। **'पालकान्तान्न'** गोपालिका, अश्वपालिका। **'सूर्याद् देवतायां चाब् वाच्यः'** सूर्यस्य स्त्री देवता सूर्या। **'इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्'**[33] एषामानुगाममः स्यात् ङीष् च। इन्द्रादीदानां षण्णां मातुलाचार्याणां च पुंयोग एव इष्यते। इन्द्राणी, हिमानी, अरण्यानी, यवानी। **'यवनाल्लिप्याम्'** यवनानांलिपिर्यवनानी, मातुलानी, मातुली, उपाध्यायानी, उपाध्यायी। **'या तु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा ङीष् स्यात्'** उपाध्यायी, उपाध्याया। **'आचार्यादणत्वम् च'** अचार्यस्य स्त्री आचार्यानी, पुंयोग इत्येव। आचार्या स्वं व्याख्यात्री। **'अर्यक्षत्त्रियाभ्यां वा स्वार्थे'** अर्याणी, अर्या, क्षत्त्रियाणी, क्षत्त्रिया, पुंयोगे तु क्षत्त्रियी। **'क्रीतात् करणपूर्वात्'** वस्त्रक्रीती, क्वचिन्न-धनक्रीता। **'क्तादल्पाख्यायाम्'** अभ्रलिप्ती। **'बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात्'** उरुभिन्नी। **'अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा'** विकल्पः विधीयते- सुरापीती, सुरापीता। **'स्वाङ्गच्चोपसर्जनाद् असंयोगोपधात्'** [34] असंयोगोपधमुपसर्जनं यत्स्वांगं तदन्तात् अदन्तात् प्रातिपदिकात् वा ङीष् स्यात्। केशानतिक्रान्ता-

---

[28] काशिकावृत्ति ४/१/३२

[29] सिद्धान्तकौमुदी ४/१/३३

[30] प्रथमावृत्ति ४/१/३५

[31] प्रथमावृत्ति ४/१/४०

[32] लघु सिद्धान्तकौमुदी १२६२

[33] प्रथमावृत्ति ४/१/४९

[34] प्रथमावृत्ति ४/१/५४

अतिकेशी, अतिकेशा। चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा। संयोगोपधात् तु सुगुल्फा। उपसर्गाद् इति किम्? शिखा। स्वांगं त्रिधा भवति-

अद्रवं मूर्त्तिमत्स्वाङ्गं, प्राणिस्थमविकारजम्।
अतत्स्थं तत्र दृष्टं च, तेन चेत्तथायुतम्॥ [35]

सुस्वेदा द्रवत्वात्, सुज्ञाना अमूर्तत्वात्, सुमुखा शाला अप्राणिस्थत्वात्, सुशोफा विकारजत्वात्, अतत्स्थ तत्र दृष्टं च सुकेशी-सुकेशा वा रथ्या, तेन चेत्तथा युतम् सुस्तनी, सुस्तना वा प्रतिमा। **'नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णश्रृङ्गाच्च'** एभ्यो वा ङीष् स्यात्- तुङ्नासिकी, तुङ्नासिका इत्यादि। '**अङ्गमात्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम्'** स्वङ्गी, स्वङ्गा। '**पुच्छाच्च'** सपुच्छी, सपुच्छा। **'न क्रोडादिबह्वचः'** अत्र ङीष् प्रतिषिध्यते। कल्याणक्रोडा, अश्वानामुरः क्रोडा। आकृतिगणोऽयमस्ति। **'सहनञ्विद्यमानपूर्वाच्च'** एतेभ्यः ङीष् न स्यात्। सकेशा, अकेशा। विद्यमान-नासिका। '**नखमुखात् संज्ञायाम्'** ङीष् न भवति। शूर्पणखा, गौरमुखा। संज्ञायामिति किम्? ताम्रमुखी कन्या। **'दिक्पूर्वपदात् ङीप्'** दिक्पूर्वपदात् स्वाङ्गात् प्रातिपदिकात् परस्य ङीषो ङीबादेशः स्यात्- प्राङ्मुखी। **'वाहः'** वाहन्तात् प्रातिपदिकात् ङीष् स्यात्। ङीषो एव अनुवर्तनं न तु ङीप् 'दित्यवाह च मे दित्यौही च मे'। **'सख्यशिश्वीति भाषायाम्'** इति शब्दः प्रकारे भाषायामित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः। तेन छन्दस्यपि क्वचित्- सखी, अशिश्वी। **'जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्'**[36] जातिवाचि यन्न च स्त्रियां नियतमयोपधं ततः स्त्रियां ङीष् स्यात्, आकृतिग्रहणा जातिः- तटी, वृषली। अप्रत्ययान्तः शाखाध्येतृवाची च शब्दो जातिकार्यं लभते इत्यर्थः। औपगवी, कठी, कलापी, बह्वृची। **'पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च'** पाकाद्युत्तरपदाज्जातिवाचिनः स्त्रीविषयादपि ङीष् स्यात्। ओदनपाकी, शङ्कुकर्णी, शालपर्णी, शङ्खपुष्पी, दासीफली, दर्भमूली, गोवाली औषधिविशेषे एते रूढाः। **'इतो मनुष्यजातेः'**[37] ङीष् प्रत्ययः स्यात्- दाक्षी। उदमेयस्यापत्यं स्त्री औदमेयी। मनुष्य इति किम्? तित्तिरिः।

ऊङ् प्रत्ययः - 'ऊङुतः'[38]उकारान्तादयोपाधाद् मनुष्यजातिवाचिनः स्त्रियामूङ् स्यात्। कुरूः **'कुरुनादिभ्यो ण्यः'** विहितस्य ण्य प्रत्ययस्य लुक्। अयोपधात् इति किम्? अध्वर्युः **'बाह्वान्तात् संज्ञायाम्'** स्त्रियामूङ् स्यात्। भद्रबाहूः। संज्ञायाम् इति किम्? वृत्तबाहुः। **'पङ्गोश्च'** पङ्गूः। **'श्वसुरस्योकाराकारलोपश्च'** चादूङ् विधीयते पुंयोगलक्षणस्य ङीषोऽपवादः। श्वश्रूः, **'ऊरुत्तरपदादौपम्ये'** उपमावाचिपूर्वपदमूरुत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तस्मादूङ् स्यात्। करभोरूः।

---

[35] कारिका

[36] लघु सिद्धान्तकौमुदी १२७२

[37] प्रथमावृत्ति ४/१/६५

[38] प्रथमावृत्ति ४/१/६६

'संहितशफलक्षणवामादेश्च' अनौपम्यार्थमिदं सूत्रम्। संहितोरूः, सैव शफोरूः, लक्षणोरूः, वामोरूः, हितेन सह सहितौ ऊरू यस्याः सा सहितोरूः, सहोरूः। **'संज्ञायाम्'** कद्रुकमण्डल्वोः संज्ञायाम् स्त्रियाम् ऊङ् स्यात्। कद्रूः, कमण्डलूः। संज्ञायाम् इति किम्? कद्रुः, कमण्डलुः।

ङीन् प्रत्ययः - **'शार्ङ्रवाद्यञो ङीन्'**[39] शार्ङ्रवादेरञो योऽकारः तदन्ताच्च जातिवाचिनो ङीन् स्यात्। शार्ङ्रवी, बैदी। **'नृनरयोर्वृद्धिश्च'** इति नृनरयोश्चेति वृद्धिः नारी।

चाप् प्रत्ययः - **'यङश्चाप्'**[40] यङन्तात् स्त्रियां चाप् स्यात्। यङिति ञ्यङ्ष्यङो सामान्यग्रहणम्। आम्बाष्ठ्या, कारीषगन्ध्या **'षाद्यञ्श्चाब्वाच्यः'** शार्कराक्ष्या, पौतिमाष्या। **'आवट्याच्च'** अस्मादपि चाप् स्यात्, **'यञश्च'** इति ङीपोऽपवादः आवट्या।

ति प्रत्ययः - **'यूनस्तिः'**[41] अनुपसर्जानात् युवन् शब्दात् ति प्रत्ययः स्यात् स च तद्धितः, **'तद्धिताः'** इत्यास्याधिकारे यूनस्तिः युवतिः। अनुपसर्जानादित्येव बहवो युवानो यस्यां सा बहुयुवा। युवतीति तु यु मिश्रणेऽमिश्रणे च इत्यस्य धातोः शत्रन्तात् ङीपि रुपं भवति।

निष्कर्षः- व्याकरणे स्त्रीप्रत्ययेषु ङीप्, ङीष्, ङीन् इत्येतेषु संदेहः जायते कुत्र कः प्रत्ययः अतः संदेहः न स्यादतः अत्र विवृतम् एवं चाप्टाबादिषु अपि संदेहः न स्यात् अत एव आहत्य अत्र स्त्री प्रत्ययाः अष्टौ भवन्ति, येषु एकः तद्धितः स्त्रीप्रत्ययश्च स ति प्रत्ययः। अष्टौ प्रत्ययाः - टाप्, चाप्, डाप्, ङीप्, ङीष्, ङीन्, ऊङ्, ति। यावत् स्त्रिप्रत्ययानां सम्यगवबोधः न जायते तावत् संस्कृतसाहित्यस्य अवगतिः न जायते। अतः संस्कृतसाहित्यमवगन्तुं व्याकरणस्याध्ययनमावश्यकमस्ति, न केवलं साहित्यमपितु सम्पूर्णवाङ्मयमप्यवगन्तुं व्याकरणमत्यावश्यकम् उक्तं च- **'व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानाम्'।**[42] संस्कृतव्याकरणे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अष्टाध्यायीक्रमेण पठनावसरे विस्तारबाहुल्यं भवति कौमुदीक्रमेण च पठने प्रकरणस्य अवबोधने जटिलता भवति। अतः प्रस्तुतशोधपत्रे मध्यममार्गमवलम्ब्य स्त्रीप्रत्ययानां बोधनस्य प्रयासो विहितः।

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

१. *वाक्यपदीयम्* (ब्रह्मकाण्डम्) (भर्तृहरिः, सोपज्ञवृत्या अम्बाकर्त्र्या च सम्भूषितम्), सम्पूर्णानन्दसंस्कृत-विश्वविद्यालयः, वाराणसी : १९८८.

२. *अष्टाध्यायीसूत्रपाठः* (पाणिनिमुनिप्रणीतः), रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ, सोनीपत, हरियाणा : १९८८.

[39] लघु सिद्धान्तकौमुदी १२७८

[40] प्रथमावृत्ति ४/१/७४

[41] प्रथमावृत्ति ४/१/७७

[42] ध्वन्यालोक कारिकावृत्ति१३

३. *काशिका* (श्रीवामनजयादित्यविरचिता), सं. विजयपालो विद्यावारिधिः, रामलालकपूरट्रस्ट, बहालगढ़, सोनीपत, हरियाणा : सं.१; १९९७.

४. *काशिकावृत्तिः* (वामनजयादित्यौ) {चतुर्थपञ्चमषष्ठाध्यायात्मकद्वितीयभागः}, व्या. ईश्वरचन्द्रः, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान, नवदेहली : २०१०.

५. *व्याकरणमहाभाष्यम्* (महर्षिपतञ्जलिः, 'ज्योत्सना' समुद्भासितम्) (चतुर्थोऽध्यायः), टीकाकारः- हरिनारायणतिवारी, चौखम्बा पब्लिशिंग हाऊस, नवदेहली : २००९.

६. *वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी* (भट्टोजिदीक्षितः, वासुदेवदीक्षितप्रणीतबालमनोरमाटीकया समलङ्कृता), {तृतीयचतुर्थभागौ} सं. गोपालदत्तपाण्डेयः, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन, वाराणसी : सं.१५; २००७.

७. *व्याकरणमहाभाष्यम्* (पतञ्जलिः, कैयटनिर्मितप्रदीप व्याख्यान्वितं मधुसूदनप्रसादमिश्रकृतप्रकाश- व्याख्यान्वितञ्च), चौखम्बाविद्याभवनम्, वाराणसी : २००३.

८. *पाणिनीयशिक्षा,* व्या. शिवराजकौण्डिन्न्यायनः, चौखम्बा विद्याभवनम्, वाराणसी : २००८.

९. *वाक्यपदीयम्* (भर्तृहरिः, वृत्तिसमुद्देशात्मकम्) (हेलाराजविरजितप्रकाशव्याक्यया रघुनाथशर्मविरचितया अम्बाकर्त्रीव्याख्यया सहित), (तृतीयकाण्डम्), सं. भागीरथप्रसादत्रिपाठी "वागीशः शास्त्री", सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी : १९७७.

१०. *ईशादि नौ उपनिषद्*, व्या. हरिकृष्णदास गोयन्दका, गीताप्रेस गोरखपुर (उ.प्र.) : सं३०.; २०६७वि.सं.

११. मीमांसक, युधिष्ठिर, *संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास* (भाग १-२), रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ, सोनीपत, हरियाणा : २०५७वि.सं.

१२. लघुसिद्धान्तकौमुदी, आचार्यवरदराजप्रणीता, व्याख्याकारः- डॉ. सत्यपाल सिहः, शिवालिक प्रकाशन, शक्तिनगर २०१३

१३. *संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि,* युधिष्ठिर मीमांसक, रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेवली, सोनीपत २००४

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

वेदों में वर्णित देवी एवं देवताओं के शक्ति स्वरूप की संक्षिप्त विवेचना

डॉ अवनीश जायसवाल

ग्राम–उसरी, पोस्ट– रिठियां, जिला– आजमगढ़

शोध आलेख सार – वेद कहते हैं कि शक्ति से ही यह ब्रह्माण्ड चलायमान है। वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तिओं को साकार रूप में मानते थे। देवी देवताओं का विभिन्न रुपों का वर्णन वेदों में मिलता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुमति, सुनृता (उदारता) असुनीति, रति, सरण्यू, अश्रीनाशन देवता इत्यादि का भी उल्लेख अनेक रुपों में प्राप्त होता है।

मुख्य शब्द– वेद, वैदिक, देवी, देवता, शक्ति, प्रकृति, ब्रह्माण्ड, ऊर्जा।

वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तिओं को साकार रूप में मानते थे। और उन्हें "मनुष्य" और "पशु" का सृजन कर्ता के रूप में देखते थे। विभिन्न श्रोतों से पता चलता है कि उस समय न तो "मंदिर" होते थे और न ही "मूर्तियां" होती थी।

शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। वेद कहते हैं कि शक्ति से ही यह ब्रह्माण्ड चलायमान है। शरीर या मन में यदि शक्ति नहीं है तो शरीर और मन का क्या उपयोग। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्माण्ड की ऊर्जा है।

माँ पार्वती को शक्ति भी कहते हैं। वेद, उपनिषद और गीता में शक्ति को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति कहने से अर्थ वह प्रकृति नहीं हो जाती। हर माँ प्रकृति है। जहाँ भी सृजन की शक्ति है वहाँ प्रकृति ही मानी गयी है इसलिए माँ को प्रकृति ही कहा गया है। प्रकृति में ही जन्म देने की शक्ति है। जिसमें भी जन्म देने की शक्ति है वह प्रकृति है।

अनादिकाल की परम्परा ने माँ के रूप और उनके जीवन रहस्य को बहुत ही विरोधाभाषी बना दिया है। वेदों में ब्रह्माण्ड की शक्ति को चिद् या प्रकृति कहा गया है। गीता में इसे परा कहा गया है। इसी तरह प्रत्येक ग्रन्थों में इस शक्ति को अलग–अलग नाम दिया गया है। लेकिन इसका शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती से कोई सम्बंध नहीं। फिर भी पुराणकारों ने सभी का सम्बंध दुर्गा से जोड़ दिया।

इस समूचे ब्रह्माण्ड में व्याप्त है सिद्धियाँ और शक्तियाँ। स्वयं हमारे भीतर भी कई तरह की शक्तियां हैं। ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति, मनःशक्ति और क्रियाशक्ति आदि। अनंत है शक्तियाँ। वेदों में इसे चित शक्ति कहा गया है। जिससे ब्रह्माण्ड का जन्म होता है। यह शक्ति सभी के भीतर होती है।

वेदों के आराध्य देवी और देवता

वैदिक ऋषि देवी और देवताओं से कहीं अधिक 'बह्म' को सर्वोच्च सत्ता मानते थे। बह्म अर्थात् ईश्वर ही उनकी दृष्टि में सर्वोच्च है। वेद एकेश्वरवाद के समर्थक है लेकिन वे देवी एवं देवताओं सहित प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम को भी सिखाते हैं। ऋषियों के अनुसार हम सभी का जीवन सभी से जुड़ा हुआ है। सभी उस बह्म की ही शक्तियाँ हैं।

ऋग्वेद – अग्नि, वायु, मित्रावरुण, अश्विनी कुमार, इन्द्र, विश्वदेवा, सरस्वती, मरुत, प्रजापति, वरुण, उषा, पूषा, सूर्य, वैश्वानर, रुद्र, और सविता।
यजुर्वेद –सविता, यज्ञ, विष्णु, अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, वायु, विद्युत, द्यौ, धावा, मित्रावरुण, पितर, पृथ्वी।
सामवेद – अग्नि, वायु, पूषा, विश्वदेवा, सविता, पवमान, अदिति, उषा, मरुत, अश्विनी, सोम, वरूण, सूर्य, गौः।
अथर्ववेद – वाचस्पति, पर्यन्य, आपः, इन्द्र, पूषा, विद्युत, यम, वरुण, सोम, सूर्य, पृथ्वी, विश्वदेवा, आदित्य, इत्यादि।
प्राकृतिक शक्तियों सहित लगभग कुल देवी–देवता 40 हैं। कुछ देवी और देवताओं के नाम चारों वेदों में मिलते हैं।
उषा–वैदिक देवी – उषा शब्द का मूल धातु है 'वस'। जिसका अर्थ है – चमकना। इस शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार वत अन्धकार का नाश करने वाली है। वेदों में उषा का वर्णन 21 ऋचाओं में है। एक देवी और सृजनात्मिका शक्ति के रूप में उससे दानशीलता और प्राचुर्य के लिए प्रार्थना की गयी है। उषा का सम्बंध एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वैदिक शब्द 'ऋत' से है। इस शब्द का मूल ध्वनि 'ऋ' है। जिसका अर्थ है गति। अतः उसे ऋत का रक्षक और पत्नी भी कहा गया है। उषा का पर्व से उदय होने के कारण उसे सूर्य की माता कहा गया है तो दूसरी ओर उसे सूर्य की पत्नी भी कहा गया

है तथा सूर्य को नवयुवक के रूप में उषा रूपी नवयुवती का पीछा करने वाला कहा गया है। ये तथ्य उसे गुह्नय आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करते है।

श्री अरविन्द ने उषा के दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप का उद्घाटन किया है। ऋग्वेद 7–75–5 में उषा के सात रुपों का वर्णन करते हैं – (1) वेग प्रदायक (2) ज्ञान–सूर्य से सम्पर्क करने वाली (3) वस्तुओं में अद्भुत ऐश्वर्यवाली (4) ऋषियों द्वारा स्तुत्य (5) भक्तों द्वारा स्तुत्य (6) ऐश्वर्य प्रदायक एवं (7) तम को जलाने वाली इसके अतिरिक्त वह 'ऋतावरी' है क्योंकि वह प्रतिदिन ठीक समय पर प्रकट होती है। पुराणी होते हुए भी नित–नूतना है। वह अजर अमर है। वह सुभगा (सौभाग्यवती), रेवती (वैभव सम्पन्न), प्रचेताः (बुद्धिमती), मधोनी (दानशीलता) है। वह अमृतस्य केतुः (अमरत्व का चिन्ह) है। ऋग्वेद के उषा सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण मंन्त्रों–

(1–34–5, 1–92–6, 1–113–7, 3–55–12, 3–55–15, 5–43–2, 5–47–1, 5–47–1) आदि में उषा को द्यौ की पुत्री कहा गया है। एक सूक्त के मन्त्र (3–31–2) में जिस प्रकार एक गुह्नय रहस्यमय भाषा का प्रयोग करते हुए अदिति से दक्ष और दक्ष से अदिति की उत्पत्ति बताया गया है। उसी प्रकार से दिव्य उषा को ज्योति की पुत्री और ज्योति को गर्भ में धारण करने वाली कहा गया है।

पृथ्वी देवी – ऋग्वेद तक पृथ्वी का मानवीकरण अत्यधिक अपूर्ण रहा है। उसके सम्बन्ध में सबसे अधिक उसके मातृत्व का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में भी पृथ्वी के विषय में एक सुन्दर सूक्त प्राप्त होता है। किन्तु इसमें मुख्यतः पृथ्वी के ऊपर घटित होने वाले विभिन्न दृश्यों की परिगणना की गयी है। जिसके ऊपर मनुष्य गाते और नाचते हैं। साथ ही जिसके ऊपर दुन्दुभियां बजाकर आपस में घोर युद्ध भी करते हैं, वह भूमि हमारे शत्रुओं को नष्ट करे और हमें कल्याण प्रदान करें।

अथर्ववेद 12–1–49

ऋत्रि, भूमि के भौतिक स्वरुप से अधिक ऊपर नहीं उठ सका है। किन्तु अत्यन्त स्नेहसिक्त शब्दों में उसने पृथ्वी को अपनी माता बताया है। भूमि मेरी माता है और मैं उसका प्रिय पुत्र हूँ। जैसे माता अपने पुत्र को दूध पिलाती है, उसी प्रकार माता पृथ्वी (अपने अन्नादि से) मुझे पुष्ट करें –

माता भूमिः पुत्रों अहं पृथिव्याः
सा नो भूमिविंसृजतां माता पुत्राय में पयः।
अथर्ववेद 12/1/12

अदिति – ऋग्वेद में अदिति को आदित्यगण की माता के रुप में उल्लेख मिलता है –

ता माता विश्ववेदसाडसुर्याय प्रमहसा
महीजजानादितिर्ऋतावरी।। **ऋग्वेद 8/25/3**

निरुक्त में इसे देवों की महान माता कहा गया है।

अदीना देवमाता **निरुक्त 4/22**

अदिति में अनेक स्थानों पर देवी कहा गया है।

देवैर्नोदेव्यदितिः नियातु देव स्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन्
नहि मित्रस्य वरूणस्य धासिमहोमसि प्रमियं सान्वग्नेः।

ऋग्वेद 4/55/7

अदिति को अर्नवा एवं प्राणियों को धारण करने वाली कहा गया है।

ऋग्वेद 2/40/6
ऋग्वेद 1/136/3

अदिति को मुख्य रुप से आदित्यों की माता के रुप में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मित्र, वरुण, अर्यमा का विशेष उल्लेख किया गया है। इस आदित्यगणों के वर्णन के साथ ही इसे महान, पवित्र एवं मंगलकारिणी माता कहा गया है। अनेक स्थानों पर इसे राजपुत्रा, सुपुत्रा, एवं उग्रगुत्रा इत्यादि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है।

अदितिर्न उरुष्पत्व दितिः शर्म यच्छतु
माता मित्रस्य रेवतोऽर्यम्णो वरुणस्य चानेहसो व ऊतयः

ऋग्वेद 4/47/9

पियर्तु नो अदिति राजपुत्राडति देषांस्यर्यमा सुगेभिः। **ऋग्वेद 2/27/7**

एतरेय ब्राह्मण में अदिति के सन्दर्भ में कहा गया है कि अदिति सम्पूर्ण प्राणियों को धारण करती है – **प्रतिष्ठत्या अदितिः।** –ऐतरेय ब्राह्मण

अतः अदिति के संदर्भ में कहना उचित होगा होगा कि अदिति को अनेक स्थानों पर विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है।

दिति – ऋग्वेद में दिति का नाम कुल तीन बार आया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि – हे मित्र और वरुण! तुम उषाकाल में सूर्योदय होने पर यज्ञ में आते समय सुवर्णमय रथ पर चढ़ो। तुम्हारा रथ सूर्यास्त के समय लोक के स्थूणों से युक्त होता है, अपने उस रथ से तुम अदिति एवं दिति को देखो।

हिरण्यरुपमुषसो व्युष्टावय स्थूणमुदिता सुर्यस्य
आ रोहथो वरुण मित्र गर्तमतश्यक्षाथे अदितिं दितिं च।।

ऋग्वेद 5/62/8

अथर्ववेद में दिति का उल्लेख अदिति के साथ देवी के रुप में मिलता है –

अहोरात्रे नासिके दितिश्यादितिश्च शीर्षकपाले संवत्सरः शिर।

अथर्ववेद 14/18/4

और अथर्ववेद में ही दिति के पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है। इनका नाम दैत्य है। ये वेदोत्तर कालीन गाथाओं में देवताओं के शत्रु के रुप में प्रसिद्ध है।

वाक् – सरस्वती वाक् का ही एक रुप है। ऋग्वेद में वाक् को सहश्ररुपों में विश्व को व्याप्त करने वाली शक्ति के रुप में बतलाया गया है। **ऋग्वेद 10/114/8**

वाक् के सम्बन्ध में ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक व्याख्यान प्राप्त होते हैं – ऐतरेय ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण तथा कौषीतकि ब्राह्मण में मिलता है कि – वाक् प्रजापति की सृष्टि की प्रक्रिया है। एक रुप में वह पुत्री है दूसरे रुप में पत्नी। जैमिनी ब्राह्मण में वर्णन है कि सबसे आदि में वाक् थी। वाक् ने यज्ञ किया उसकी आहुतियाँ ही बारह महीने के रुप में परिणत हुई वाक् ने पुनः यज्ञ किया और पुनः यज्ञ किया और 30 दिन की आहुतियां बनी। इस प्रकार संवत्सर की रचना हुई। –

जैमिनी ब्राह्मण 2/396

काठक ब्राह्मण के अनुसार वाक् प्रजापति की सहचारी है। वाक् ने प्रजापति से गर्भ धारण किया और सोम को उत्पन्न किया। सोम को उत्पन्न करने वाली वाक् पुनः प्रजापति में प्रविष्ट हो गई। **काठक ब्राह्मण 12/5/14**

ऋग्वेद में वाक् के सम्बंध में आता है कि – वाक् रुद्रो, आदित्यो, वसुओं आदि सभी देवताओं के साथ रहती है। इन्द्र, अग्नि, तथा अश्विनौ को आलम्बन प्रदान करती है। वह सोम, वष्टा, पूषा एवं भग को धारण करती है। यजमानों द्वारा प्रदान की गयी हवि एवं सोम रस को वाक् ही देवताओं तक पहुचाती है।

श्री–सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में 'श्री' का देवी के रुप में वर्णन प्राप्त होता है। श्री की उत्पत्ति प्रजापति से हुई है। यह अत्यन्त धुतिमती एवं सम्पत्ति शालिनी है। देवताओं ने ईर्ष्यावश इसके वध की अनुमति प्रजापति से मांगी। श्री के स्त्री होने के कारण प्रजापति ने वध की अनुमति नहीं दी, किन्तु उसकी समस्त सम्पत्तियों को देवताओं में बितरित कर दिया। प्रजापति ने श्री को आश्वासन दिया कि वह अपने समस्त ऐश्वर्य एवं सम्पत्तियों को यज्ञ के द्वारा प्राप्त कर सकती है। आगे चलकर श्री प्रमुख शक्ति लक्ष्मी के रूप में विकसित हो गयी है। ऋग्वेद में श्री के सम्बंध में बताया गया है कि – श्री सौभाग्य की देवी न होते हुए भी इसके समान अर्थो में प्रयुक्त है –

भद्रा एषां लक्ष्मी र्निहिताधिवाचि। ऋग्वेद 10/71/2

अरमति – अरमति का उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 11 बार मिलता है। यजमान अरमति से धन की प्रार्थना करता है। मरुद्–गण, पूषा तथा त्वष्टा के साथ अरमति से धन की याचना करता है। एक मन्त्र में कहा गया है कि महान लोगों का पोषण करने वाली तथा सोमाभिषव के कारण महान कही जाने वाली अरमति देवी समस्त स्वीकारणीय धनों को व्याप्त करती है।

अनेक विद्वानों के अनुसार अरमति का सम्बन्ध पृथिवी के साथ भी है।

सायण के कथानुसार – अरमति वास्तव में पृथिवी ही है या कुछ और। –

वैदिक धर्म एवं दर्शन पृ0 261

अरमति का उल्लेख सविता के साथ भी मिलता है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर पूषा, भग, वाजदेव तथा सामूहिक रुप से देवताओं के आह्ववान के साथ अरमति को भी यज्ञ में बुलाया गया है। ऋग्वेद में अरमति देवता का उल्लेख यत्र–तत्र मिल ही जाता है जो अनेक देवताओं के साथ यज्ञ में आहूत की जाती है तथा यजमानो को धन–धान्य से समृद्ध भी करती है।

वस्तुतः अनेक देवी देवताओं का विभिन्न रुपों का वर्णन वेदों में मिलता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुमति, सुनृता (उदारता) असुनीति, रति, सरण्यू, अश्रीनाशन देवता इत्यादि का भी उल्लेख अनेक रुपों में प्राप्त होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

(1) ऋग्वेद 7–75–5
(2) ऋग्वेद 3–31–2
(3) अथर्ववेद 12–1–49
(3) अथर्ववेद 12–1–12
(4) ऋग्वेद 8–25–3
(5) निरुक्त 4–22
(6) ऋग्वेद 4–55–7
(7) ऋग्वेद 2–40–6
(8) ऋग्वेद 1–136–3
(9) ऋग्वेद 4–47–9
(10) ऋग्वेद 5–62–8
(11) अथर्ववेद 14–18–4
(12) ऋग्वेद 10–114–8
(13) जैमिनी ब्राह्मण 2–396
(14) काठक ब्राह्मण 12–5–14
(15) ऋग्वेद 10–71–2
(16) वैदिक धर्म दर्शन पृ0 261

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

स्त्री विमर्श का अभिप्राय

घनश्याम

शोधच्छात्र, हिन्दी विभाग,

नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

शोध आलेख सार– ''स्त्री–विमर्श का सरोकार जीवन और साहित्य में स्त्री–मुक्ति के प्रयासों से है। स्त्री की स्थिति की पड़ताल उसके संघर्ष एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति के साथ–साथ बदलते सामाजिक सन्दर्भों में उसी भूमिका, तलाशे गए रास्तों के कारण जन्में नए प्रश्नों के टकराने के साथ–साथ आज की स्त्री की मुक्ति का मूल प्रश्न उसके मनुष्य के रूप में अस्वीकारे जाने का प्रश्न ही है। स्त्री के मनुष्यत्व को स्वीकारना आज के इस युग में भी मनुष्य की अवधारणा में मात्र पुरुषों को स्थान दिया गया है। समकालीन समय में स्त्री–विमर्श के स्वरूप को स्त्री–मुक्ति के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है।

मुख्य शब्द – स्त्री, विमर्श, मनुष्य, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक संघर्ष, पीड़ा।

'स्त्री–विमर्श की चर्चा करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि विमर्श का मतलब क्या है? विमर्श का मतलब किसी वस्तु के बारे में लोगों के बात–चीत करने के तरीके या सोचने की पद्धति से है। ये तरीके मिल–जुलकर लोगों की सामान्य धारणा को बनाते हैं। विमर्श का अर्थ किसी एक निश्चित फ्रेम वर्क में किसी विषय के बारे में सोचना है, धारणा है और धारणाकारी व्यक्ति विशेष की नहीं होती सामान्य लोगों की होती है। जैसे स्त्रियों के बारे में लोगों की होती है। जैसे स्त्रियों के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या विचार रखते हैं यह सब विमर्श है। इसी तरह 'स्त्री–विमर्श' यानी स्त्री को समग्रता के साथ जानने, समझने और उसे बेहतर बनाने की पड़ताल है। ''स्त्री–विमर्श का सरोकार जीवन और साहित्य में स्त्री–मुक्ति के प्रयासों से है। स्त्री की स्थिति की पड़ताल उसके संघर्ष एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति के साथ–साथ बदलते सामाजिक सन्दर्भों में उसी भूमिका, तलाशे गए रास्तों के कारण जन्में नए प्रश्नों के टकराने के साथ–साथ आज की स्त्री की मुक्ति का मूल प्रश्न उसके मनुष्य के रूप में अस्वीकारे जाने का प्रश्न ही है।''[1] स्त्री के मनुष्यत्व को स्वीकारना आज के इस युग में भी मनुष्य की अवधारणा में मात्र पुरुषों को स्थान दिया गया है।

स्त्री विमर्श ''स्त्री की अस्मिता की लड़ाई आधी दुनिया को मनुष्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई है।''[2] स्त्री का व्यक्ति के बारे में पहचान करना, अपनी सम्पूर्णता में जी सकना अपनी प्रकृति एवं व्यक्तित्व विशेषताओं को आत्मसात कर प्रकाशित करना, मनुष्य जाति के बचे रहने की शर्त है।

''स्त्री–विमर्श स्त्री की सभी स्थितियों सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक का प्राचीन समय से लेकर अब तक के इतिहास का मूल्यांकन और विवेचन कर इन सभी व्यवस्थाओं के खिलाफ संघर्ष है न कि पुरुष वर्ग के साथ संघर्ष है। स्त्री बस अपना पहचान बनाना चाहती है। वह भी पुरुष के समकक्ष है यह बताना चाहती है।''[3]

''स्त्री विमर्श की शुरूआत मूल रूप से पश्चिमी देशों में हुई थी, इसलिए पाश्चात्य देशों में स्त्री विमर्श की सोच कैसी थी, यह जानना आवश्यक है। वहाँ पर स्त्री की लड़ाई व्यक्तिगत तौर पर समानता के लिए थी। अपने ऊपर हुए दुराचार से वह इतनी परेशान हो चुकी थी। अपने ऊपर हुए दुराचार से वह इतनी परेशान हो चुकी थी कि हर हाल में स्वतंत्रता चाह रही थी। उसे किसी भी प्रकार का हस्ताक्षेप स्वीकार नहीं थां इस आन्दोलन का प्रारम्भ फ्रांसीसी महिला ओलिंप डगूज ने किया और इन क्रांन्तिकारी व्यवस्था में समानता की सीमित अवधारणा की चुनौती दी। उनका कहना था कि '' क्रांतिकारी व्यवस्था दावा तो सार्वजनिक केवल बुर्जुआ पुरुष–नागरिकों को उपलब्ध है। इसमें स्त्रियों के लिए कोई जगह नहीं है।''[4]

'स्त्री–विमर्श' स्त्री–पुरूष के बीच नकारात्मक भाव के बदले स्त्री के प्रति सकारात्मक भाव की बात करता है। वस्तुतः इस रूप में देखा जाए तो स्त्री–विमर्श अपने समय और समाज के जीवन की वास्तविकताओं तथा संभावनाओं की तलाश करने वाली दृष्टि है।

बलवंत कौर अपने एक लेख में लिखती हैं– ''नारीवादी विमर्श एक स्वरूप दृष्टिकोण है जो एकांगी नही यह पुरुषों का नहीं उसकी मानवीयता घटाने वाले उस छद्म मुखौटे का प्रतिकार है जो मर्दानगी के नाम पर गढ़ा गया है और जिसके पीछे झूठी अहमन्यता और उत्पीड़क प्रवृत्ति नकारात्मक नहीं बल्कि एक स्वस्थ मानवीय दृष्टिकोण है।

स्त्री–विमर्श का अर्थ नारी की पुरुष के मुक्ति नहीं है बल्कि समाज में स्त्री के लिए बनायी गयी रूढ़ियों से मुक्ति है। सिर्फ स्त्री ही नहीं पुरुष भी इसका शिकार हुआ है। इसलिए स्त्री के साथ पुरुष भी इससे मुक्ति पाने की कोशिश जारी हैं अतः मूल रूप से नारी मुक्ति मन अस्मिता बोध को लेकर दुविधा है। भारतीय संस्कृति मुक्ति के आधुनिक स्वरूप पर विश्वास नहीं कर पा रहे है कि यह संभव है या नहीं? वहीं स्त्रियों को समान अधिकार देने के पक्ष में मीरा देसाई लिखती हैं– ''स्त्रियों में आज दिखायी पड़ने वाली बौद्धिक तथा अन्य असमर्थताएं या विकृतियां अन्तर्निहित नहीं हैं, अपितु ये असमर्थतायें वर्तमान समाज में उनकी दीन हीन स्थिति के कारण है। स्त्रियों के स्वभाव के बारे में जो कहा जाता है वह एकदम बनावटी या गलत है और कुछ कमी है वह बरबस दमन या फिर कुछ क्षेत्रों में अप्राकृतिक प्रोत्साहन का

परिणाम है। अभी तक हमारी नीति के मूल्य अधीनता और शौर्य पर आधारित थे, बस समय आ गया है जब न्याय पर आधारित नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है।''[5]

यह भी तभी सम्भव है जब स्त्री ही स्त्री से ईर्ष्या करे। अक्सर देखा गया है कि यदि कोई स्त्री आगे आकर कुछ करना चाहती है तो दूसरी स्त्री उसे दबाने का प्रयास करती है। एक कहावत भी है–''नारी को अगर नारी न मारे तो नारी कभी न हारे।'' लेकिन जो नारी विरोध करती है वह भी जिसे रोकती है उसका अहित नहीं चाहती है। बस वह यही चाहती है कि अपनी पीड़ा को दिखाना चाहती है। अक्सर बातचीत के दौरान यह कहते हुए सुना जाता है कि हम लोग तो इतनी उम्र में न जाने क्या–क्या सहते थे और इन लोगों को देखो। जो सास अपनी बहू पर अपना अधिकार दिखाती है वह बहू पर नहीं बहू के माध्यम से अपने पति और पुत्र को यह दिखाना चाहती है कि
वह भी आदेश दे सकती है, उसका भी एक व्यक्तित्व है इसमें उसका दोष नहीं होता उसकी सामाजिक परिस्थिति का दोष होता है।

सुदेश खन्ना कहते हैं–''जब तक स्त्री स्वयं अपनी दृष्टि में अपने अस्तित्व को सार्थकता नहीं प्रदान करती अथवा पुरूषों के सुलभ अधिकार महत्व और मूल्यों की चाह नहीं करती जब तक वह अपने भविष्य के द्वार को अपनी कर्मठता से, खोलने का साहस नहीं करती तब तक वह पराश्रित चेतना से मुक्त नहीं हो सकती।''[6]

वास्तव में यदि नारी मुक्ति को देखा जाये तो इसका अर्थ और सम्बन्ध स्वतंत्रता से है, यह स्वतंत्रता आन्तरिक है। दफ्तरों, दुकानों में काम करने वाली नारी वास्तव में यह नही जान पाती कि स्वतंत्रता का अधिकार व्यवसायिक दक्षता का पर्याय न होकर उपलब्धि के स्तर पर होता है और अपनी मौलिकता में अतिरिक्त बौद्धिकता सजगता और दायित्व बोध से प्रकाशित होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि स्त्री के भीतर से ही इसकी स्वतंत्रता की इच्छा जागे। अर्थात् मानसिक स्तर पर भी यह संकीर्णता से दूर रहें।

इस प्रकार पाश्चात्य एवं भारतीय दृष्टिकोण में समानता होते हुए असमानता है। जहां पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा है और वहां का आन्दोलन अधिक सक्रिय होने के साथ–साथ यथार्थ जीवन मूल्यों पर आधारित रहा है। भारतीय दृष्टिकोण में यह सक्रियता देखने को मिलती है, इसका मूल कारण भारतीय आदर्शवादी दृष्टिकोण हैं भारतीय परिवेश में हर परम्परागत रूढ़िवादिता को धर्म से जोड़ दिया जाता है। स्त्री विमर्श का आन्दोलन भी उसी रूढ़िवादिता की धर्मान्धता में जकड़ कर रह गया। यदि सैद्धान्तिक आधार पर कुछ परिवर्तन करने का प्रयास भी किया गया तो व्यावहारिक स्तर पर ज्यों का त्यों रह गया।

स्त्री विमर्श को प्रो0 गिरीश रस्तोगी एक जाग्रत आन्दोलन की मुहिम के रूप में स्वीकारते है। उनका कहना है कि– ''स्त्री विमर्श बहस का उतना विषय नहीं है जितना जागृति का।''[7]

इसमें स्त्री अपने विकास के अवसरों की तलाश करते नजर आती है–''स्त्री विमर्श का मूल उद्देश्य महान रचना करने या श्रेष्ठ स्त्री चरित्रों को गढ़ने की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है। इसका मूल उद्देश्य

स्त्री मुक्ति के सन्दर्भ में अधिकाधिक अवसर तलाश करने की साहित्यिक प्रक्रिया से है। यह मुक्ति उसकी वैयक्तिक भी है और सामाजिक भी शारीरिक भी है और यौगिक भी।''[8]

डॉ0 रेखा कस्तवार मानती हैं कि– ''स्त्री विमर्श स्त्री के स्वयं की स्थिति के बारे में सोचने और निर्णय करने का विमर्श है।''[9] ''स्त्री की पहचान जन्मजात न होकर सामाजिक निर्मित है। स्त्री की अस्मिता को तय करने वाला प्रमुख कारक है उसका पुरुष सन्दर्भ। पुरुष सन्दर्भ के कारण ही उसे पत्नी, माँ, बहन बेटी या रखैल का दर्जा मिलता है इसके अलावा उसकी अस्मिता को पहचानने का अगर कोई और रूप सामने आता है जो समाज आज भी उस रूप को पहचानने से इनकार करता है।''[10] हिन्दी साहित्य का आदिकाल स्त्री विषयक इसी विडम्बना का शिकार है।

नामिता सिंह का कहना है कि–''जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो उसका अर्थ सामाजिक विकास की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। किसी भी समाज के विकास का पता इस बात से चलता है कि वहाँ नारी की स्थिति कैसी है जिसमें मुख्य पैमाना स्त्री की शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और उसकी निर्णय क्षमता है। कहना न होगा ये सभी तत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ सामाजिक भी एक आवश्यक आयाम है। इसी के बाद स्वनिर्णय की स्थिति में होती है।''[11]

स्त्री विमर्श में व्यक्ति को अपनाने की स्वतन्त्रता और स्वायत्तता का विचार है। यह विचार है उन लोकतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना का जो समता, समानता, स्वतन्त्रता, सौहार्द, वर्गहीन मानतावाद की प्रतिष्ठा करते हैं और उसी के अनुरूप स्त्री की भी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उसे ऐसी स्त्री कदापि नहीं स्वीकार है जो एक वर्ग, जाति, नस्ल, राष्ट्र में बाँटी जा रही हो क्योंकि छद्म दमन का ही रूप है, शोषण का एक नया तरीका है।

स्त्री विमर्श प्रश्न के घेरे में पुरुष को नहीं रखता वरन् पुरुष तंत्र को खड़ा करता है। न्याय की खातिर न जाने कब से चली आ रही सामाजिक विधान को पलटकर वह स्त्री की भूमिका स्वीकार करने का साहस नहीं दिखा पाता है। इसलिए आज की स्त्री नियम, कानून–कायदे मूलभूत संरचना को ही पलटकर रख देना चाहती है।

बड़ी विडम्बना की बात है कि इक्कीसवीं सदी में भी हमारा अधिकांश समाज मध्यकाल की जड़ मानसिकता रीति–रिवाज, रूढ़ियों, नियमों, मान्यताओं, परम्पराओं, प्रणलियों और जीवन–पद्धतियों में जकड़ा है, उससे मुक्त नहीं हो सका, सम्पूर्ण नारी जाति का नारी इतिहास आदमी और स्त्री की मूक पीड़ा, उसके शोषण एवं दमन का इतिहास है। मजदूर की देह जैसे पूँजीपति का मालिकाना है वैसे ही स्त्री की देह, मन–मस्तिष्क और आत्मा पति (पुरुष) की। परन्तु सम्पन्न या विपन्न अथवा मजदूर तथा पूँजीपति और स्त्री–पुरुष के बीच का द्वन्द्व अलग हो जाता है क्योंकि स्त्री–पुरुष के द्वन्द्व में भी दोनों का हित अलग नहीं एक ही है।

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से जीवन और जगत के विविध क्षेत्रों में स्त्री ने अपनी एक स्वतन्त्र पहचान बनाई है। सृष्टि की आरम्भिक काल से उसने स्वयं पर ममतामयी माँ स्नेहशील भगिनी और सेवारत पतिव्रता पत्नी के आवरण डाल लिए थे जिससे वह अपनी क्षमता बौद्धिक सम्पदा और शक्ति को भुलाकर मात्र इन्हीं दायरों में कैद हो गयी। परन्तु अब स्थितियाँ कुछ बदल रहीं हैं सैकड़ों वर्षों के अन्तराल के बाद पुराणपंथी आवरणों से पर्दा उठने लगा है। स्त्री के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि स्त्री मुक्ति संघर्ष का इतिहास कोरा वैचारिक विलास है, परन्तु ऐसा नहीं है यह आधी दुनिया के अस्तित्व, अस्मिता, भविष्य और उसके सरोकारों से जुड़ा हुआ है। सामंतवाद के पतन और पूँजीवाद के उदय के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर जो परिवर्तन घटित हुए उसने नारी को भी अपनी अभिशप्त जिन्दगी के बारे में सोचने पर मजबूर किया। वह यह समझने लगी कि जिस जिन्दगी को वह अपनी नियति मान बैठी है वह वास्तव में सामाजिक व्यवस्था के दुराग्रहों की देन है।

स्त्री स्वायत्तता को वैचारिक आधार प्रदान करने में स्त्री–विमर्श की बड़ी भूमिका रही है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सर्वप्रथम स्त्री–विमर्श में ही उन पितृसत्तात्मक मूल्यों को रेखांकित किया गया है जिन्हें मानव मूल्य के नाम पर परिभाषित कर स्त्री दमन की सैद्धान्तिकी निर्मित की जा रही थी। इससे स्त्रियों को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने तथा समाज में अपनी जगह पाने में सफलता मिली है। इसलिए हमें स्त्री विमर्श के भीतर वर्तमान सन्दर्भ के साथ उस उल्लास को पहचानना समीचीन जान पड़ता है, जान पड़ता है, जहाँ से इसके आरम्भिक स्वरूप की अभिव्यक्ति की शुरूआत हुई है।

आधुनिक दुनिया का कोई भी सभ्य देश आज नारी के अधिकारों के प्रश्न की उपेक्षा नहीं कर सकता। अगर और स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह कहना होगा कि जीवन में नारी–पुरुष के समान अधिकारों के औचित्य को स्वीकार न करने वाला कभी भी खुद को प्रगतिशील नहीं कह सकता। कई शताब्दियों से गुजरते हुए मानव सभ्यता आज विकास के एक ऊँचे पायदान पर पहुँची है, अनेक संघर्षों के अनुभवों को लेकर मानव समाज आगे बढ़ा है, ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ है, पुरानी परम्परा धर्मान्धता के कुसंस्कार कदम–कदम पर बुद्धिवाद और वैज्ञानिक विश्लेषण के सामने धाराशायी हो रहे हैं, लोगों के बीच वर्ग–विभेद और नारी पुरुष के बीच भेदभाव पैदा किये हैं। जबकि इस असमानता के पीछे विधि का कोई शाश्वत नियम नहीं है। यह भेदभाव उच्च वर्गों की सामंती मानसिकता का प्रतिफलन है। इसलिए समाज में वर्ग विभाजन के विरूद्ध एक साथ संघर्ष जारी है।

''समकालीन समय में स्त्री–विमर्श को स्त्री–मुक्ति के सन्दर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। इसी अर्थ में यह पिछली शताब्दियों के स्त्री लेखन से भिन्न है। ललदद्द से लेकर मीराबाई तक का रचना कर्म इस अर्थ में स्त्री विमर्श का विषय नहीं है। वह, अन्ततः पुरुष शासित समाज ने स्त्री का जो रूप दिया है, उसके साथ अपनी सहमति–असहमति और कहीं–कहीं विरोध के साथ–साथ स्वयं को प्रस्तुत करता है। परन्तु विद्रोह का स्वर वहाँ उस रूप में दृष्टिगत नहीं होता है, जैसा 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21 वीं

शताब्दी के पूर्वार्द्ध में घटित हो रहा है। 18वीं–19वीं शताब्दी में अगर स्त्रियों ने कुछ लिखा भी है, तो अपने नाम को गोपनीय रखने की चेष्टा की है–जैसा एक बंग महिला मा सीमांतनी उपदेश की अनाम लेखिका अपने पूरे साहस के साथ अपनी अभिव्यक्ति को वे समाज में नहीं जा पा रही थीं। इस प्रकार गोष्ठी विशिष्ट और महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसने समकालीन नारी के अन्दर जो विद्रोह की चेतना एवं मुक्ति की आकांक्षा है, उसे रेखांकित करने की कोशिश है।''[12]

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि समकालीन समय में स्त्री–विमर्श के स्वरूप को स्त्री–मुक्ति के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. स्त्री चिन्तन की चुनौतियां, रेखा कस्तवार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण–2014, पृ0 24
2. वही, पृ0 24
3. स्त्री–विमर्श विविध सन्दर्भ, डॉ0 आराधना मिश्रा, राका प्रकाशन, संस्करण–2012, पृ0 1
4. वही, पृ0 2
5. वही, पृ0 3
6. वही, पृ0 4
7. स्त्री–विमर्शः विविध पहलू, संपादक कल्पना वर्मा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण–2011, पृ0 41
8. स्त्री विमर्श का यथार्थ, ममता कालिया, किताब वाले, नई दिल्ली, संस्करण–2015, पृ0 42
9. नई सहस्त्राब्दी का स्त्री विमर्शः साहित्यिक अवधारणा एवं यथार्थ, संपादक डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण–2010, पृ0 11 (भूमिका से)
10. स्त्रीवादी साहित्य विमर्श, जगदीश चतुर्वेदी, अनामिका प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण–2000, पृ0 1
11. स्त्री विमर्श का यथार्थ, ममता कालिया, किताब वाले, नई दिल्ली, संस्करण–2015, पृ0 42
12. स्त्री–विमर्शः विविध पहलू, संपादक कल्पना वर्मा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण– द्वितीय 2011(भूमिका)

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

जैनसंस्कृते: एकं विहङ्गावलोकनम्

डॉ. प्रदीपकुमारवाग्
सहाचार्य:, साहित्यविभाग:
राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपति:

सारांश:— यद्यपि जैनानां रीतय: अस्माभि: नास्तिकत्वेन स्वीकुर्म: तथापि तद्विषयकं ज्ञानं सर्वेषामीष्टं भवति। सनातनधर्मानुरागिन: वयं तज्ज्ञानसामान्यग्रहणाय अस्य ग्रहणं कुर्म:। अस्य सम्प्रदायस्य सिद्धान्त: अहिंसाऽऽधारितोऽस्ति। यद्यपि सम्प्रदायोऽयं नास्तिकेषु परिगण्यते तथापि नैकानि मतानि अस्य आस्तिकमततुल्यानि भवन्ति । अत एव शोधप्रबन्धेस्मिन् एतेषां विचार: मया प्रस्तूयते।

मुख्य शब्द– जैनः, संस्कतिः, नास्ति, ज्ञानं, सिद्धान्तः।

चार्वाक-बौद्धानामिव जैनदर्शनमपि नास्तिकदर्शनेषु अन्तर्भवति । वस्तुत: जैनबौद्धयोर्मध्ये नास्ति कश्चन भेद: इति समालोचका: अभिप्रयन्ति । उभयो: प्रादुर्भावसमय: प्राय: समान एव भवति । इतिहासतिमिरनामके ग्रन्थे शिवप्रसादनृप: जैनबौद्धयो: एकार्थवाचकत्वमङ्गीकरोति । महावीरगौतमोभयनामाभ्यां **"गणधर:"** नाम कश्चन श्रमण आसीदिति केचन कथयन्ति । परन्तु जैनसम्प्रदाये महावीरस्य एकादश शिष्या गणधरनाम्ना अभिहिता: सन्ति इति केचन । ते यथा - पृथ्वीवसुभूत्यो: त्रय: पुत्रा: (१) इन्द्रभूति: (२) वायुभूति: (३) अग्निभूतिश्च ; (४) वारुणीधर्मप्रिययो: पुत्र: व्यक्त:, (५) भादिलधम्मिल्लयो: पुत्र: सुधर्मा (६) विजयाधनदेवयो: पुत्र: मण्डित: (७) विजयामौर्ययो: पुत्र: मौर्यपुत्र: (८) जयन्तीदेवयो: पुत्र: अकम्पित: (९) नन्दावस्वो: पुत्र: अचलव्रत: (१०) वरुणदेवीदत्तयो: पुत्र: मेतार्य: (११) अभिभद्राबलयो: पुत्र: प्रभासश्चेति । जिनसम्बन्धात् "जैन"शब्द: निष्पद्यते ।

जैनरत्नत्रयम् – दु:खत्रयनिवृत्त्यर्थं **रत्नत्रयमे**तैरङ्गीक्रियते । यथा – १) सम्यग्दर्शनम् (Right view) २) सम्यज्ज्ञानम् (Right knowledge) ३) सम्यक् चरित्रं (Right conduct) चेति । रत्नत्रयस्यैकतैव मोक्षमार्ग: । चित्पदार्थ: जीवश्चेतनो वैक एव ; अचेतन: जड: पञ्चधा विभज्यते धर्माधर्माकाशकालपुद्गलभेदात् ।

जैनसम्प्रदायभेदा: – जैनानां द्विधा सम्प्रदाय: दृश्यते, श्वेताम्बरदिगम्बरभेदात् । श्वेताम्बरसम्प्रदायोऽपि त्रिधा विभज्यते । यथा - १) मूर्त्तिपूजक: २) स्थानकवासी ३) टेरापन्थी च । एषा परम्परा महावीरस्य निर्वाणप्राप्त्यनन्तरमेव प्रारब्धेति समालोचका: वदन्ति ।

जैनानां **पञ्च व्रतानि –** (१) अहिंसा (Nonviolence) (२) सत्यम् (Truthfulness) (३) अस्तेयव्रतम् वा अचौर्यम् (Non-steeling) (४) ब्रह्मचर्यम् (Celibacy) (५) अपरिग्रह: (Non-possession or Non-materialism) । एतानि तत्त्वानि सामासिकधर्मत्वेन मनुना प्रतिपादितानि । यथा –

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: ।

एतत्सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनु: ।।*(मनुस्मृति: – १०/६३)*

जैनानां **षड् देवता: –** (१) सर्वज्ञ: (२) वीतराग: (३) अर्हन् (४) केवली (५) तीर्थङ्कर: (६) जिनश्चेति । एतासु देवतासु पदार्थानां यथार्थवक्ता, रागद्वेषादिशून्य:, त्रिलोकपूज्य: सर्वज्ञ: “अर्हन्” एव परमेश्वरो भवति । जैनभिक्षव: तीर्थङ्करा: इत्युच्यन्ते । तेषामेव मुक्तिर्जायते ।

चतुर्दश गुणस्थानानि – निर्वाणप्राप्त्यर्थमूर्ध्वगतिशीलजीवावस्थाविशेष: गुणस्थान-मित्युच्यते । एतच्चतुर्दशविधं भवति । यथा – १) मिथ्यात्वम् २) सासादनम् (जैनसिद्धान्ते अविश्वास:) ३) मिश्रम् (जैनसिद्धान्तविषये सत्यासत्यभावनयो: समानता) ४) अविरतसम्यक्त्वम् ५) देशविरति: (मनोनिग्रहे प्रगति:) ६) प्रमत: ७) अप्रमत्त: ८) अपूर्वकरणम् ९) अनिवृत्तिकरणम् १०) सूक्ष्मसाम्पराय: ११) उपशान्तमोह: १२) क्षीणमोह: १३) सयोगिकेवली १४) अयोगिकेवली च ।

जैनानामाश्रम: “**अपासरा**” इत्युच्यते । दिगम्बरसम्प्रदायानुसारं स्त्रीणां मुक्तिर्न भवति ।

जैनानां सप्तभङ्गीनय: तत्त्वपूर्ण: विचारणीयश्च वर्तते । ते यथा – १) स्यादस्ति द्रव्यम् २) स्यान्नास्ति द्रव्यम् ३) स्यादस्ति च नास्ति च द्रव्यम् ४) स्यादवक्तव्यं द्रव्यम् ५) स्यादस्ति च अव्यक्तञ्च द्रव्यम् ६) स्यान्नास्ति च अव्यक्तञ्च द्रव्यम् ७) स्यादस्ति च नास्ति च अव्यक्तञ्च द्रव्यम् इति ।

कायिक-वाचिक-मानसिकक्रिया: **"योगा"** इत्युच्यन्ते । एतेन कर्मपुद्गल: आत्मनि प्रविशति । तन्निरोधार्थं य: योगस्य प्रशस्तनिग्रह: स: **गुप्ति**रित्युच्यते । जैनदर्शने **तिस्र: गुप्तयो** भवन्ति । यथा –

१) मनोगुप्ति: (Control of Mind)

२) वचोगुप्ति: (Control of Speech)

३) कायोगुप्ति: (Control of Body)

पञ्चसमितय: (Five carefulness) – कर्मप्रवेशावरोधनार्थं पञ्च उपाया: जैनै: प्रोक्ता: । एत एव पञ्च समितयो भवन्ति । ता: यथा –

१) ईर्यासमिति: (Carefulness while walking)

२) भाषासमिति: (Carefulness while communicating)

३) एषणासमिति: (Carefulness while eating)

४) आदाननिक्षेपणसमिति: (Carefulness while handling their fly-whisks, water-guard etc.)

५) प्रतिष्ठापनसमिति: (Carefulness while disposing of bodily waste matter)

चतस्र: निराहारप्रक्रिया: –

१) पूर्णनिराहार: (Complete fasting)

२) अर्धनिराहार: (Partial fasting)

३) वृत्तिसंक्षेप: (Limiting the number of items of food eaten)

४) रसपरित्याग: (Giving up favourite foods)

अष्टप्रकारिणी पूजा – १) जलपूजा, २) चन्दनपूजा, ३) पुष्पपूजा, ४) दीपपूजा, ५) धूपपूजा, ६) अक्षतपूजा, ७) नैवेद्यपूजा, ८) फलपूजा च ।

दश धर्मा: – क्षमा, मृदुता, सरलता, शौचम्, सत्यम्, संयमता, तपः, त्यागम्, औदासीन्यम्, ब्रह्मचर्यञ्च ।

द्वादशानुप्रेक्षा: – मुक्त्यर्थं साधकस्य द्वादशानुप्रेक्षा: (भावना:) भवेयु: । यथा –

१) अनित्यम् (धर्मं विहाय सर्वमनित्यमिति भावना)

२) अशरण्यम् (सत्यं विहाय सर्वमशरण्यमिति भावना)

३) संसार: (जीवनमरणयोर्भावना)

४) एकत्वम् (जीव: स्वकर्मण: एक एव भागीति भावना)

५) अन्यत्वम् (आत्मा शरीराद्भिन्न: इति भावना)

६) अशुचि: (शरीरं शारीरिकं वस्तु वा च अपवित्रमिति भावना)

७) आस्रवम् (कर्मप्रवेशभावना)

८) संवरत्वम् (कर्मप्रवेशनिरोधस्य भावना)

९) निर्जरा (जीवप्रविष्टकर्मपुद्गलस्य बहिर्निष्क्रमणस्य भावना)

१०) लोक: (जीवात्मा, शरीरम्, जगच्चेति वस्तुनां भावना)

११) बोधिदुर्लभत्वम् (सम्यज्ज्ञानं, सम्यक् चरित्रं च दुर्लभमिति भावना)

१२) धर्मानुपेक्षा (धर्मानुष्ठानस्य भावना)

परीषह: – मुक्त्यर्थं कठोरनियमा: परीषहा इत्युच्यन्ते । ते द्वाविंशतिविधा: भवन्ति । यथा – क्षुधा, तृष्णा, शीतम्, औष्ण्यम्, दंशमशकम्, नग्नत्वम्, अरतिः, स्त्री, चर्या (एकान्तवासः), निषद्या (आसनधारणा), शय्या, आक्रोशः, वधम्, याचना, अलाभः, रोगः, तृणस्पर्शता, मलम्, सत्कारपुरस्कारः, प्रज्ञा, अज्ञानम्, अदर्शनम् इति ।

पञ्च चरित्राणि – १) सामाधिकचरित्रम्, २) छेदोपस्थापना (गुरोस्समीपे स्वीयपूर्वदोषान् स्वीकृत्य दीक्षाग्रहणम्), ३) परिहारविशुद्धि: ४) सूक्ष्मसम्पराय: ५) यथाख्यातम् इति ।

प्रमाणविचारः – प्रमाणतत्त्वे जैनानां प्रमाणलक्षणमित्थमुक्तं यत् -"प्रकर्षणसंशयादित्यव- च्छेदेन मीयते परिछिद्यते शयते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्रमाणम्" इति । सिद्धसेनदिवाकरमतानुसारं प्रमाणं स्वपराभासीत्युच्यते । वस्तुतः जैनदर्शने जीवगुणेषु प्रोक्तेन उपयोगाधारेणैव प्रमाणविचारः प्रस्तूयते । एतन्नये ज्ञानस्य सविकल्पभागे प्रतिपादिताः मतिः, श्रुतः, अविधिः, मनःपर्यायः, केवलमिति पञ्चभेदाः द्वयोः प्रमाणयोः प्रत्यक्षपरोक्षयोरन्तर्भवन्ति । एवमत्र प्रत्यक्षानुमानभेदेन प्रमाणं द्विविधं भवति । परन्तु भगवतीसूत्रे (५-३-१९२) प्रमाणं प्रत्यक्षानुमानौपम्यागमभेदाच्चतुर्धा प्रतिपादितमस्ति ।

जैनशुभचिह्नानि – जैनदर्शने अष्टौ शुभचिह्नानि भवन्ति । यथा – स्वस्तिकम्, श्रीवत्सम्, नन्द्यावर्त्यम्, वर्धमानकम्, भद्रासनम्, कलसम्, मीनयुगलम्, दर्पणश्चेति ।

जैनमतसारः – जिनदत्तसूरिणा जैनं मतमित्थमुक्तं –

बलभोगोपभोगानामुभयोर्दानलाभयोः ।
अन्तरायस्तथा निद्रा भीरज्ञानं जुगुप्सितम् ।
हिंसा रत्नरती रागद्वेषावविरतिः स्मरः ।
शोको मिथ्यात्वमेतेऽष्टादश दोषा न यस्य सः ।।
जिनो देवो गुरुः सम्यक्ततत्त्वज्ञानोपदेशकः ।
ज्ञानदर्शनचारित्राण्यपवर्गस्य वर्तनी ।।
स्याद्वादस्य प्रमाणे द्वे प्रत्यक्षमनुमापि वा ।
नित्यानित्यात्मकं सर्वं नव तत्त्वानि सप्त वा ।।
जीवाजीवौ पुण्यपापे चास्रवः संवरोऽपि च ।
बन्धो निर्जरणं मुक्तिरेषां व्याख्याऽधुनोच्यते ।।
चेतनालक्षणो जीवः स्वादजीवस्तदन्यकः ।
सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययः ।।
आस्रवः स्रोतसो द्वारं संवृणोतीति संवरः ।
प्रवेशः कर्मणां बन्धो निर्जरस्तद्वियोजनम् ।।

अष्टकर्मक्षयान्मोक्षोऽथान्तर्भावश्च कैश्चन ।

पुण्यस्य संवरे पापस्यास्रवे क्रियते पुनः ।।

लब्धानन्तचतुष्कस्य लोकागूढस्य चात्मनः ।

क्षीणाष्टकर्मणो मुक्तिर्निर्व्यावृत्तिर्जिनोदिता ।।

सरोजहरणा भैक्षभुजो लुञ्चितमूर्धजाः ।

श्वेताम्बराः क्षमाशीलाः निस्सङ्गा जैनसाधवः ।।

लुञ्चिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्राः दिगम्बराः ।

ऊर्ध्वाशिनो गृहे दातुर्द्वितीयाः स्युर्जिनर्षयः ।।

भुङ्क्ते न केवली न स्त्री मोक्षमेति दिगम्बरः ।

प्राहुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह ।। इति ।

एवं जैनानां सिद्धान्तः अधुना न केवलं भारतेऽपि तु भारताद्बहिरपि प्रचारितः प्रसारितश्चास्ति । इत्येवं प्रकारेण अस्य विहङ्गावलोकनं मया प्रस्तुतम्।

शोधसन्दर्भग्रन्थसूची

१. भारतीयसंस्कृतिपरिचयःलेखकः - डॉ.सुरेन्द्रकुमारमिश्रःसांविदीप्रकाशनम्, ४७. महोदधिमार्केट, मोचिसाहि पुरी - ७५२ ००१ ; षष्ठसंस्करणम् – २०१३

२. वैदिक साहित्य और संस्कृति (भाग - १-२), डॉ.किरण कुमारी,न्यू भारतीय बुक् कार्पोरेसन्स, ५५७४, ए.चौ.काशीराम मार्के, दुर्गा काम्प्लेक्स, न्यू चन्द्रावल, दिल्ली – ११०००६, संस्करण – २००१

३. संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः – प्रो.हरेकृष्णशतपथी, किताबमहल, कटक – १९९८

४. सर्वदर्शनसंग्रहः, श्रीमद्माध्वाचार्यविरचितः, उमाशंकर ऋषिः, चौखाम्वा विद्याभन्, वाराणसी,-१

५. भारतीय शिक्षा ओर् उसकी समस्या, पी.डी. पाठक्, अग्रवाल् पावलिकेशन् , आगरा-२

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

वैश्विक परिवर्तन और आधुनिक संस्कृत

डॉ0 (श्रीमती) मधु सत्यदेव
एसोसिएट प्रोफेसर
संस्कृत विभाग,
दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर,उत्तर प्रदेश, भारत

शोध आलेख सार– जीवन्त और प्रवाहमान साहित्य में कलात्मक सौन्दर्य के साथ युग की छवि समाहित होती है। युगबोध साहित्यकार को समाज की छवि रचना में अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। यही प्रेरणा उसे निर्देशित करती है कि वह समाज की समस्याओं के विभिन्न आयाम पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करे, साथ ही समाधान का संकेत भी रचना में उपस्थित हो। आधुनिक संस्कृत साहित्य की जीवन्तता का मूल्यांकन इसी दृष्टि से किया जाना चाहिए।

मुख्य शब्द–आधुनिक, संस्कृत, साहित्य, कलात्मक, सौन्दय, जीवन्त, प्रवाहमान।

जीवन्त और प्रवाहमान साहित्य में कलात्मक सौन्दर्य के साथ युग की छवि समाहित होती है। युगबोध साहित्यकार को समाज की छवि रचना में अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। यही प्रेरणा उसे निर्देशित करती है कि वह समाज की समस्याओं के विभिन्न आयाम पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करे, साथ ही समाधान का संकेत भी रचना में उपस्थित हो। आधुनिक संस्कृत साहित्य की जीवन्तता का मूल्यांकन इसी दृष्टि से किया जाना चाहिए।

सामान्यतः संस्कृत के आधुनिक काल का आरम्भ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। डा0 हीरालाल शुक्ल ने इसका आरम्भ 1835 ई0 माना है। इसके मूल में वह राजनीतिक घटनाक्रम है जिससे संस्कृत जगत प्रभावित हुआ था। सन् 1835 में भाषा विषयक मैकाले का प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत हो जाने पर सम्पूर्ण संस्कृत जगत में विक्षोभ हुआ और प्रतिक्रिया स्वरूप संस्कृत की रक्षा हेतु रचनाएँ सामने आयीं। इससे प्रभावित होकर डा0 शुक्ल ने 1835 से लेकर 1920 तक में लिखे गये संस्कृत साहित्य को दरबारी संवेदना साहित्य से पूर्णतः अलग हृदय

के रक्त से सींचा हुआ माना है और इस अवधि को संस्कृत के नवजागरण का विकास काल घोषित किया। डा0 राजेन्द्र मिश्र ने देववाणी सुवासः की भूमिका में पुनर्जागरण काल (1784–1884), स्थापना काल (1884–1950) तथा समृद्धि काल (1950 – अब तक) के तीन भागों में विभक्त किया। डॉ0 जगन्नाथ पाठक ने रचनाकारों के आधार पर आधुनिक संस्कृत को तीन युगों में – राशिवडेकर युग 1890–1930, भट्ट युग 1930–1960 तथा राघवन–युग 1960–1980 में विभाजित किया।[1] इस प्रकार 19वीं शताब्दी से वर्तमान संस्कृत रचनाओं को आधुनिक संस्कृत में स्थान दिया गया है।

आधुनिक संस्कृत के काल में भारत पराधीनता की पीड़ा झेल रहा था। इस पीड़ा का अनुभव करते हुए संस्कृत रचनाकारों ने इस पर लेखनी चलायी। संस्कृत कवियों की प्रखर सामाजिक चेतना ने अंग्रेजों के शोषणतंत्र को पहचान कर कविताओं में उसके विरूद्ध प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्त करने की शैली विविध प्रकार की थी। उदाहरणार्थ रामनाथ तर्करत्न द्वारा रचित **वासुदेव विजय** महाकाव्य का प्रकाशन 1980 में हुआ था। इसमें राष्ट्र के प्रति कवि की जागरूकता अभिव्यक्त होती है जैसे (उसका कीर्ति आलिंङ्गन करती है, सौभाग्य सम्पत्ति उसे वरण करती है, उसे लक्ष्मी अपनाती है प्रीति उसकी सेवा करती है जो दृढ़ता से शत्रु की लक्ष्मी के बाल पकड़कर उस पर अपना अधिकार कर लेता है), पारतन्त्र्य नरक को व्यक्त करता है, क्योंकि वह शौर्य को नष्ट कर देता है, सुरूचि को रोक लेता है, चित्त को तोड़ देता है, धन को बाँट देता है, नीति को रगड़ डालता है, तथा दासता को ला देता है।[2] यहाँ पारतन्त्र्य के प्रति कवि की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है[3] और वह निर्णय लेता है कि आज हम तन्द्रारहित है और प्राणों के चले जाने पर भी स्वतन्त्रता के मंत्र को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि परतन्त्र्य के प्राप्त हो जाने पर यश के धनी लोगों के लिए मृत्यु शरण है।[4] इसी तरह संस्कृत पत्रिका **सूनृतवादिनी** के सम्पादकीय में **अप्पा शास्त्री** ने क्लाइव को लुटेरा कहा गया।[5] स्वाधीनता सेनानी महायोगी **अरविन्द** के संस्कृत काव्य **भवानी भारती** में कवि भारत माता का एक स्वप्नविष्ट स्थिति में साक्षात्कार करता है। उसके बिखरे बाल पर्वत शिखरों को समेटे है। उसकी दृष्टि में सागर प्रसूत है, उसके खास से नभ विदीर्ण हो जाता है और चरण धरने से धरती डोलती है।[6] यह कराल देवी भारत माता के रूप में कवि का आह्वान करती है। यह भारत माता उन भारतीयों को फटकारती हैं जो अपने आपको ब्राह्मण कहते हैं, पर म्लेच्छ अंग्रेजों के चरण चूमते है। वह भारत पुत्रों को अग्नि के समान बन जाने के लिए पुकारती है।[7] क्रान्तिकारी, स्वाधीनता के योद्धा कवि **निर्भय** ने अंग्रेजी शासन के समय अकाल पीड़ित देश की भयावह दशा का वर्णन करते लिखा कि ''सारा देश एक नंगा आदमी बन गया है जो धूप व शीत में बिना ओढ़नी के खड़ा है। उसकी देह से रक्त बह रहा है। यूरोप के गीधों का वह कौर हो गया है। वह एक श्मशान है जहाँ कोई रोने वाला नहीं है। वह एक भटकती आत्मा है जिसका कहीं कोई घर नहीं है।[8] गाँधी जी के अहिंसात्मक संघर्ष से प्रभावित होकर संस्कृत रचनाकारों ने उसे साहित्यिक अभिव्यक्ति दी। **विदुषी क्षमाराव** ने

'सत्याग्रह गीता' नामक महाकाव्य में गाँधी जी के जीवन और संघर्ष को चित्रित किया है। **'सत्याग्रह'** के विषय में उन्होंने लिखा कि ''शान्ति–मार्ग का अवलम्बन करने वाले लोग दुर्बल ही गिने जाते हैं लेकिन सत्याग्रह से बढ़कर कोई बल नहीं है, ऐसा जानो।''[9] गाँधी जी के चरित्र पर 1938 में **सत्यदेव वाशिष्ठ** ने **सत्याग्रह** नीतिकाव्य की रचना हैदराबाद जेल में रहकर की थी। इसमें कवि ने सत्याग्रह के महत्व को प्रभावशाली शैली में सामने रखा है।[10] गाँधी जी के चरित्र पर महात्मा (व्ही राघवन) **गाँधी गीता** (अनन्त विष्णु काणे) **गाँधी शत–श्लोकी** (गणपति शंकर शुक्ल), **गाँधीमाहात्म्य** (विजया राघवाचार्य), **गाँधीचरितम्** (चायदेव शास्त्री), **मोहनपंचाञ्यायी** (1931 ई0) **मोहन गीता** (सुरेन्द्र सेवी), **गाँधी प्रवहणम्** (महाभिक्षु), **वर्ण व्यवस्था** (दीपचन्द्राचार्य) आदि काव्य रचे गये। स्वतंत्र भारत में भी भारत के स्वाधीनता संग्राम को संस्कृत रचनाकारों की रचनाओं में समाहित करने का क्रम चलता रहा है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य में भारत के स्वाधीनता संघर्ष के विभिन्न आयाम विद्यमान है।

भारत पराधीनता से मुक्त हो इसके साथ यह भी आवश्यक है कि सवतंत्र भारत में स्वतंत्रता का फल अन्तिम भारतीय मनुष्य तक पहुँचे, समाज का सर्वांगीण विकास हो, यह चिन्तन भी आधुनिक संस्कृत साहित्य में उपस्थित रहा है। स्वाधीनता–संघर्ष के काल में ही संस्कृत साहित्य में सामाजिक चिन्तन दृष्टिगोचर है। इसके पश्चात् स्वाधीन भारतीय समाज की समस्याओं को गम्भीरता से इन साहित्यकारों ने लिया तथा गिरते राजनीतिक मूल्यों के प्रति चिन्ता प्रकट की। समाधान हेतु तिलक, नेहरू, सुभाष इत्यादि विभूतियों के साथ–साथ स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजाराम मोहन राय, विवेकानन्द के विचारों को उनके व्यक्तित्व के साथ प्रस्तुत किया। बीसवीं शताब्दी के संस्कृत कवियों ने सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश प्रकट किया। **मंजुल पथंक पंतुल** ने लिखा कि ''समान धर्म वाले दो पुरूष हैं। उनमें एक भोग का आस्वाद ले रहा है और दूसरा पेट की आग में जलकर पशु की तरह दारूण रूप में मर रहा है।[11] **हरिदत्त पालीवाल निर्भय** इससे अधिक आक्रोश के साथ प्रश्न उठाते हैं कि जिन श्रमिकों के पसीने की धार जागत् को धुल रही है, वे स्वयं क्षुधार्त और नग्न है। माँ–बहनों का शीलहरण हो रहा है और बच्चे दाने–दाने को तरसते हैं, तो देश की स्थिति में बदलाव कहाँ आया।[12] वस्तुतः संस्कृत के आधुनिक रचनाकारों ने आधुनिक जगत् के उन समस्त मानव–मूल्यों को स्वागत–भाव से देखा जिनसे भारतीय जनमानस का कल्याण की सम्भावना जगी। **रमा चौधरी** का रूपक **लेनिनविजयम्** तथा **पद्मशास्त्री** का महाकाव्य **लेनिनामृतम्** इसी व्यापक चिन्तन को अभिव्यक्त करता है। लेनिन के शोषित जन के प्रति समर्पण भाव तथा संघर्ष के नेतृत्व को इन रचनाओं के माध्यम से ओजपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया गया है।[13] इसी प्रकार स्वतंत्र भारत में नारी–चेतना का जो प्रचार–प्रसार हुआ उसे भी संस्कृत रचनाकारों ने अंगीकार किया। बाल–विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा इत्यादि विषयों को संस्कृत की आधुनिक कविताओं, कथाओं, नाटकों तथा उपन्यासों आदि में मार्मिक शैली में उठाया गया है। नारी के प्रति समाज की भेदभाव पूर्ण दृष्टि के सम्बन्ध में यहाँ तक कहा गया कि जब पुरूष के

समक्ष विदेश–यात्रा जैसी स्थिति आती है तब तो पुराणों आदि ग्रन्थों के निर्देश भुला दिये जाते हैं तब 'नारी' के सम्बन्ध में ही क्यों प्राचीन ग्रन्थों में लिखित मान्यताओं को आधार बनाया जाता है।[14] नारी चेतना की विभिन्न धाराओं की भारतीय परिस्थिति में क्या उपयोगिता है इससे प्रस्थान करते हुए आधुनिक संस्कृत में रचनाकारों ने सहजता के साथ नारी–चेतना को समाविष्ट किया है।[15] वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण के माध्यम से साम्राज्यवादी लूट के प्रति भी संस्कृत रचनाकारों की सतर्कता दृष्टिगोचर है। पिछले दो दशकों के संस्कृत साहित्य में साम्राज्यवादी शोषण, अपसंस्कृति तथा जतनशील मूल्यों के प्रति असंतोष को अभिव्यक्ति मिली है। उदाहरणार्थ **डॉ0 राधा वल्लभ त्रिपाठी** के साथ एककांकियों के संग्रह **प्रेक्षण सप्तकम्** के अन्तिम एकांकी **'प्रतीक्षा'** में आधुनिक समाज में घर आने में विलम्ब होने पर कन्या के प्रति चिन्ता और आशंकाओं का चित्रण है, इसी प्रकार **अभिराज राजेन्द्र मिश्र** ने आधुनिक भारत में मूल्यों के क्षरण के बारे में लिखा है कि – विश्वविद्यालयों में घूस (ट्यूशन फीस) लेकर व्याख्यान देते (उस) पशु को मैंने देखा।

रेलयान में बड़े मझे से शायिका (बर्थ) का विक्रय करते (उस) जानवर को मैंने देखा। सबके लिए दुस्सह विपत्ति पैदा कर (स्वयं) अट्टाहास करते (उस) जानवर को मैंने देखा स्वार्थ–सिद्धि के लिए राष्ट्र की आबरू–इज्जत को भी दाँव पर लगाते उस जानवर को मैंने देखा।[16] इन उदाहरणों से इस तथ्य को समझा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य के आधुनिक स्वरूप में आधुनिक भारत विभिन्न रूपों में उपस्थित है। जिस क्षेत्र में अभी प्रचुर मात्रा में लिखा जाना शेष है वह क्षेत्र है वर्तमान शोषण के विरूद्ध जनसामान्य का संघर्ष। वस्तुतः वर्तमान जन का संघर्ष ऐसा विषय है जिस पर अपेक्षित रचनाओं का अभाव प्रत्येक भाषा के वर्तमान स्वरूप में है। किन्तु सतर्क और सजग संस्कृत रचनाकार भविष्य में इस अभाव की पूर्ति करेंगे। ऐसी आशा उनके अब तक दायित्व निर्वाह की परम्परा को देखते हुए की जा सकती है।

सन्दर्भ

1. संस्कृत वांङ्मय का इतिहास – सप्तम खण्ड
2. कीर्तिस्तमालिङ्ति तं वृणीते सौभाग्यसम्पत् तमुपैति लख्मीः।
   प्रीतिर्मुहुस्तं भजते प्रकामं गृहणाति केशेज्वहितश्रियं यः।।
   वासुदेवबिजय 12/24
3. हिनस्ति शौर्य सुरूचिं रूणद्धि मिनत्तिचित्तं विवृणोति वित्तम्।
   पिनष्टिं नीतिञ्च युनक्ति दास्यं हा पारतन्त्र्यं निरयं व्यनक्ति।।
   वही 13/32
4. असुव्यपायेष्वपि नो जहीम् स्वतन्त्रतामनत्रमन्द्रिणोऽद्य।
   उपागतायां परतन्त्रतायां यशोधनानां शरणं हि मृत्युः।।
   वही 13/34
5. स एवायं यस्य खुले व्यापारः समपातयत् पारतन्त्र्यबन्धने यवनानामपि राज्यानि।
   सूनृतवादिनी
6. आलोलकेशैः शिरान्निगृह्य करालद्रष्ट्रैश्च विसार्य सिन्धून्।
   श्वासेन दुद्राव नभो विदीर्ण न्यासेन पादस्य च भूश्चकम्पे।।
   भवानी भारती (8)

7. उतिष्ठ भो जागृहि सर्जयाग्नीन् साक्षादधि तेजोसि परस्य शौरेः।
वक्षः स्थितेनैव सनातनेन शत्रून् हुताशेन दहन्नटस्व।। वही–18
8. एकं तनमृतनग्नाङ्गं निष्प्रच्छदमातपशीतम्
योरपगृध्रणामेककवलमहहा रक्तच्युतिदिग्धभू
एकं प्रेतवनं तद् यत्र न कश्चिच्चदोकालापी
को भ्राम्यन्नात्मा, यस्य न गेहः कोऽपि क्वापि।।
शङ्खनाद, पृष्ठ–180
9. दुर्बला ननु गण्यन्ते शान्तिमार्गावलम्बिनः।
परं सत्याग्रहाद् विद्धि नास्ति तीव्रतरं बलम्।।
सत्याग्रह गीता 10/35
10. सत्याग्रहज्ञानजुषो नरा ये तच्चावने नालमिहास्ति लक्ष्मी।
नूनं दवाग्नेः शमने समर्थो वायुःकदाचित्त समृद्धवेगः।।
सत्यदेव वाशिष्ठ–सत्याग्रह नीतिकाव्य
11. समानधर्मिणौ द्वौ पुरुषौ
उमयोरेकः भोगः स्वदते
उदरज्वालया अन्यो दग्धः
पशुवत् बीमत्सं म्रियते।।
(मंजुलमयङ्कपन्तुलः)
12. येषां श्रमसीकरो जगत्पालयते ते क्षुधिताः नग्नाः
सीदन्ती सम्पदामीशत्वं चोच्द्मश्रुमुखं जनरक्तपिबम्।
मातरो भगिन्यो मयेक्षिता शीलं जहतीर्वसनादि विना
कणहेतोः शिशवोऽतिदुःखिताः परिवृत्रा जगतः स्थितिर्नहि।
अमृत लता 22
13. प्रकृतिदत्तधनं हि धराधनं भवितुमर्हति नैकजनस्यतत्।
जनसमाजविकासनियोजितं धनमिदं जगतां सुखदं मतम्।।
लेनिनामृतम् 2/4
14. पुराणशास्त्रेषु निरूपित यत्
प्रवृत्रकाले कथमस्य संगति।
पुरातने भद्रभवानि कार्याण्यासन्नकाले दुरितान्ययि पस्युः।।
विदेशयात्रा प्रथमं विवर्जिता तदद्यकाले प्रतिभाविभूशणम्
स्त्रीणां दमः शोषणनीतिचिन्ता पुराणकालेऽद्यतने यथा तथा।।
अपराजितवधू महाकाव्यम् 10/13–14
डा0 पूर्णचन्द्रशास्त्री कलावटिया
15. वधू दहनम् – डा0 हरिदत्त शर्मा
16. विश्वविद्यालयेषु सोत्कोचम्
शब्दमानः पशुर्मया दृष्टः।।
शायिका विक्रयं सुखं कुर्वन्
रेलयाने पशुर्मया दृष्टः।।
दुर्विपर्त्ति विधाय सर्वेषाम्
साऽदृहासः पशुर्मया दृष्टः।।
स्वार्थसिद्धयै स्वराष्ट्रसम्मानम्
हन्त पणयन् पशुर्मया दृष्टः।।
मत्तवारणी

भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य महाकवि कालिदास के महाकाव्य में

डॉ0 अनिता सेनगुप्ता
एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग
ईश्वर शरण पी0जी0 कॉलेज,
प्रयागराज

शोध आलेख सार– हिंसामय वातावरण को पुनः सुख–शान्ति की ओर परिणत करने के लिए भारतीय संस्कृति में वर्णित संस्कारों का, जिनका प्रयोग महाकवि कालिदास ने रघुवंश में किया, इसका अनुपालन कर हम अग्रिम पीढ़ी को संस्कारित कर सकते हैं।

मुख्य शब्द– भारतीय, संस्कृति, महाकवि कालिदास, महाकाव्य, संस्कार।

सम् उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातु से घञ् प्रत्ययन के योग से ''संपरिभ्यां करोती भूषणे'' भूषण अर्थ में सुट् का आगम होकर 'संस्कार' शब्द की निष्पत्ति होती है। इसका अभिप्राय है– संस्करण, परिष्करणादि। इसका प्रयोग शिक्षा, संस्कृति, व्याकरण की शुद्धि, शोभा तथा आभूष्वणादि अनेक अर्थों में हुआ। संस्कारों का उद्देश्य मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का परिष्कार था। संस्कारों द्वारा जीव के जन्मजन्मान्तरों से संचित मलों को दूर किया जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में बालक के गर्भ में आने से लेकर मृत्युपर्यन्त विविध संस्कारों का विधान किया गया है। याज्ञवल्क्यस्मृति के अनुसार–

''ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रवर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः।

निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः।।[1]

धर्मशास्त्रकारों ने मुख्यरूप से गर्भाधानादि से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त कुल सोलह संस्कारों को मान्यता प्रदान की है–

''आधानं पुंस्वनं सीमन्तोन्नयनं जातकर्म नामकरणं अन्नप्राशनं चौलां उपनयनम् ....''[2]

सोलह प्रधान संस्कारों में प्रथम तीन– गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन और पुंसवन् प्राग–जन्म संस्कार कहे जा सकते हैं। शिशु के जन्म से लेकर विद्यारम्भ के पूर्व तक छः संस्कार प्रमुख होते हैं– जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन चूड़ाकर्म तथा कर्णवेध। विद्यारम्भ से लेकर समावर्तन तक पाँच संस्कारों को शैक्षणिक संस्कार कहा जा सकता है।

व्यक्ति के जीवन को अनुशासित किया जाना उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक था, जिसकी पूर्ति संस्कारों के अनुष्ठान से होती थी।

संस्कृत साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंश ''संस्कारों के परिपालन दृष्टि'' से सर्वदउा उपादेय है और रहेगा। रघुवंश के नायक महानायक ''रघु'' मनु द्वारा अनुमोदित अधिकांश संस्कारों का परिपालन कर समाज को एक स्वस्थ दृष्टि प्रदान करते हैं–

गर्भाधान संस्कार –

जिस कर्म की पूर्ति से पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है, उसे गर्भाधान कहते हैं। धर्मशास्त्रकारों ने विधिपूर्वक किए गए गर्भाधान संस्कार द्वारा सुयोग्य सन्तान की उत्पत्ति को स्वीकार किया है। इस संस्कार द्वारा वीर्य तथा गर्भ सम्बन्धी दोषों का परिमार्जन एवं क्षेत्र का संस्कार माना गया है–

गार्भैहोमैर्जातकर्मचौडमौजीनिबन्धनैः।

वैजिकं गार्भिकं चैवो द्विजानामपमृज्यते।।[3]

आचाय सुश्रुत के अनुसार गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष के भावनाओं का उनके रज तथा वीर्य दोनों पर प्रभाव पड़ता है–

आहाराचारचेष्टाभिर्यादृशीभिः समंन्वितौ।

स्त्रीपुंसौ समुपेयातां तयोः पुत्रोपि तादृशाः।।[4]

संभवतः इसी भावना से परिचित महाकवि कालिदास ने भी रघुवंशम् में राजा दिलीप और सुदक्षिणा को महर्षि वसिष्ठ के आश्रम में गोसेवा के लिए भेजा, जिससे दोनों राष्ट्र को रघु जैसा ही जितेन्द्रिय पुत्र प्रदान कर सके। इसलिए महाकवि कालिदास ने राधा रघु अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए इन्द्रिय निग्रहपूर्वक नन्दिनी गो की सेवा करवाते हैं। परिणामतः रघु का चक्रवर्ती लक्षणों से संपन्न पुत्र होना निश्चित था।[5] यह गर्भाधान संस्कार का ही परिणाम था।

पुंसवन् संस्कार

गर्भधारण के पश्चात् गर्भस्थ शिशु को ''पुंसवन् संस्कार'' द्वारा अभिषिक्त किया जाता था। इसमें यह प्रार्थना की जाती थी कि पुमान् (पुरुष) सन्तति का जन्म हो। वैदिककाल में आर्यों को युद्ध के लिए पुरुषों की आवश्यकता पड़ती थी। इसीलिए तभी से यह लोकप्रिय संस्कार था। साधारणतः यह तीसरे से आठवें मास के बीच में संपन्न

किया जाता था। महाकवि ने गर्भिणी रानी सुदक्षिणा का भी पुंसवन् संस्कार करवाकर उसके महत्व से परिभाषित करवाया–

"यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया धृतेश्च धीरः सदृशीर्व्यधत्तः सः।"[6]

धर्मशास्त्रग्रंथों में पुत्र प्राप्ति हेतु पुंसवन् संस्कार का विधान बताया गया है।[7] ऐसी मान्यता है कि पुत्र ही पिता का पुम् नामक नरक से रक्षा करता है। इसी भावना की अभिव्यक्ति महाकवि ने प्रथमसर्ग में की है–

"संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह शर्मणे।"[8]

राजा दिलीप पितृऋण से मुक्ति हेतु भी पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से करते हैं–

तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि।

इक्ष्वाकूणां दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः।।[9]

तत्कालीन समाज में पुत्रप्राप्ति की मान्यता थी इसलिए कवि ने राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के पुंसवन् संस्कार की मान्यता को परिपुष्ट किया।

सीमन्तोन्नयन संस्कार

इसमें गर्भिणी के केशों को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए ऊपर उठाया जाता था। इसका उद्देश्य माता के ऐश्वर्य तथा शिशु के लिए दीर्घायु की प्राप्ति था। यह संस्कार गर्भावस्था के आठवें माह तक किया जा सकता था।

जातकर्म संस्कार

यह संस्कार साधारणतः जन्म से उत्पन्न अशौच का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् किया जाता था। इस अवसर पर शिशु के आयुष्य तथा बल के लिए प्रार्थना की जाती थी। इस संस्कार में बालक का जन्म होते ही नालोच्छेदन से पूर्व स्वर्णशलाका से शहद एवं घी लगाकर मन्त्रोच्चारपूर्वक चटाया जाता है–

प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते।

मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्।।[10]

आयुर्वेद की दृष्टि से स्वर्ण त्रिदोषनायक, धृत आयुवर्धक तथा वातपित्तनाशक तथा मधु कफ नाशक माना गया है। इन तीनों का मिश्रण आयु, लावण्य तथा मेधाशक्ति में वृद्धि करने वाला तथा पवित्रता का आधान करने वाला होता है। इस संस्कार से संपन्न होने के पश्चात् बालक रघु खान से निकले हुए हीरा के समान सुंदर दीख रहे हैं–

स जातकर्मण्यखिलो तपस्विनां तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते।

दिलीप सूनुर्मणिराकरोदभवः प्रयुक्तसंस्कार श्वाधिकं बभौ।।[11]

नामकरण संस्कार

यह संस्कार शिशु जन्म के 10वें या 12वें दिन संपन्न किया जाता था। आचार्य मनु आयु, तेज की वृद्धि एवं लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए ''नामकरण संस्कार'' का विधान करते हैं।[12] साथ ही मनुस्मृति में यह भी उल्लिखित है कि क्षत्रिय को बल से युक्त होना चाहिए–

''क्षत्रियस्य बलान्वितम्''[13]

कालिदास ने भी रघु का नामकरण 'रधि' धातु के 'जान' अर्थ को दृष्टि में रखकर कराया है–

''अवेक्ष्य धातोर्गमनार्थमर्थविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसम्भवम्।।''[14]

निष्क्रमण संस्कार

शिशु के कुछ बड़ा हो जाने पर उसे घर के बाहर ले जाया जाता था। यह साधारणतः जन्म के बाद तीसरे या चौथे मास में सम्पादित किया जाता था। महाकवि ने इस संस्कार का कोई उल्लेख नहीं किया।

अन्नप्राशनसंस्कार का भी रघुवंश में कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता।

चूड़ाकर्म संस्कार

इसका प्रयोजन दीर्घायु तथा कल्याण था। यह संस्कार प्रथम वर्ष के अन्त में या तृतीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाता था।

विद्यारम्भ संस्कार से लेकर समावर्तन तक पाँच संस्कारों को शैक्षणिक संस्कार कहा जाता सकता है।

''यज्ञोपवीत संस्कार'' के बाद ही बालक को वेदाध्ययन, गायत्री जप तथा श्रौत एवं स्मार्तकर्मों को करने का अधिकार प्राप्त होता है–

अथोपनीतं विधिवद्विपश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्।

अबन्ध्ययत्नाश्च बभूवुरत ते क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति।।[15]

उपनयन संस्कार

इस संस्कार के द्वारा बालक आचार्य के समीप लाया जाता था। आचार्य वेद–विद्या की शिक्षा देते थे। साधारणतः यह नियम था कि ब्राह्मण का उपनयन आयु के 8वें वर्ष, क्षत्रियों का 11वें वर्ष तथा वैश्य का बारहवें वर्ष होना चाहिए। इस संस्कार के बाद ही रघु ने योग्य पंडितों से सभी विधाओं का अध्ययन किया। जिसमें वेदारंभ संस्कार भी अभिव्यंजित है। वेदाद्रि विद्याओं के अध्ययन से मनुष्य के पापों का नाश होता है तथा उसे सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है[16]–

विद्यया लुप्यते पापं विद्ययायुः प्रवर्धते।

विद्यया सर्वसिद्धिः स्याद् विद्ययामृतमश्नुते।।

इसी संस्कार के कारण रघु चारों समुद्रों के समान विस्तृत आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति आदि चारों विधाओं को भी सीख लिया[17]—

केशान्त संस्कार या गोदान संस्कार

यह संस्कार 16वें वर्ष की आयु में सम्पन्न होता था तथा यौवन के आगमन का सूचक था। विवाह संस्कार से पूर्व महाकवि गोदान संस्कार का विधान करवाते हैं—

अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरर्वायद् गुरुः[18]

समावर्तन संस्कार

यह संस्कार ब्रह्मचर्य तथा विद्यार्थी जीवन के समाप्त होने का सूचक था। यह संस्कार एक प्रकार से विवाह का अनुमति पत्र होता था।

हिन्दू जीवन का अंतिम संस्कार अन्त्येष्टि है। महाकवि ने इस संस्कार को अति महत्व दिया है। जटायु के मरने पर भी विधिवत दाह संस्कार कराकर श्राद्धादि क्रियाओं को समादित कराते हैं।[19]

इस हिंसामय वातावरण को पुनः सुख—शान्ति की ओर परिणत करने के लिए भारतीय संस्कृति में वर्णित संस्कारों का, जिनका प्रयोग महाकवि कालिदास ने रघुवंश में किया, इसका अनुपालन कर हम अग्रिम पीढ़ी को संस्कारित कर सकते हैं।

सन्दर्भ

1.याज्ञवल्क्य स्मृति—10
2.व्यास स्मृति—1/13—15
3.मनुस्मृति—2/27
4.सुश्रुत — शरीरस्थान—2/46
5.रघुवंश—2/75
6.रघुवंश—3/10
7.गर्भाद् भवेच्च पुंसूते पुंस्त्वरूपप्रतिपादनम् (स्मृतिसंग्रह)
8.रघुवंशम्—1/69
9.रघुवंशम्—1/72
10.मनुस्मृति—2/29
11.रघुवंश—3/18
12.मनु—2/30
13.मनु—2/31
14.रघु—3/21
15.रघु—3/29
16.स्मृति संग्रह
17.रघु—3/30
18.रघु—3/33
19.रघु—12/56

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

नरकण्ठीरवशास्त्रिदृशा काव्य-दोष विवेक

अतुल कुमार मिश्र,
शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत।

शोध-सारांश – इस शोध पत्र में काव्य दोष के स्वरूप के साथ काव्य में उसकी क्या स्थिति है? इन सभी प्रकार के समस्याओं पर नरकण्ठीरव शास्त्री का मन्तव्य प्रस्तुत किया गया है। मम्मट द्वारा काव्यलक्षण के विशेषण रूप में प्रयुक्त **'अदोषौ'** को कविराज आदि ने आलोचित किया गया है। इसका निराकरण करते हुए नरकण्ठीरवशास्त्री ने समाधान प्रस्तुत किया है कि अदोष पद का अर्थ दोषसामान्यशून्यत्व है। जिसका अभिप्राय यह है कि जो उद्देश्यप्रतीति में प्रतिबन्धक हो वही दोष पद के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से मम्मट में प्रदर्शित दोष का निराकरण किया है पुन: काव्य दोष के समस्त विकल्पों का प्रदर्शन किया है।
मुख्य शब्द– नरकण्ठीरव शास्त्री, काव्य-दोष, मम्मट, भारतीय, काव्यशास्त्र, अपकर्षक, काव्य, काव्यलक्षण।

भारतीय काव्यशास्त्र के उद्भव के मूल स्पष्ट रूप से वेदों में प्राप्त होते है, साथ-साथ ही तद्लक्षण घटकीभूत तत्त्वों का भी पर्याप्त वर्णन प्राप्त होता है। यदि समस्त विद्या के आकर वेद-वाङ्मय (ऋक्संहिता) का परिशीलन किया जाए तब भी काव्य-दोषों का पारिभाषिक रूप में अथवा अन्य किसी प्रकार से साक्षात् उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। काव्यशास्त्र का उदय और विकास जिन परिस्थितियों में हुआ उनका भान वैदिक-सूक्तों में होता है। अन्य शास्त्रों के भाँति ही काव्यशास्त्र मानव-चिन्तन का अविभाज्य अङ्ग के रूप में उपस्थित है। यह इस के सतत् विकास परम्परा से ज्ञात होता है। इस प्रकार काव्य दोष सम्बन्धी अवधारणाओं के सन्दर्भ में भी सतत् मानवीय-चिन्तन का ही योगदान रहा है।

आचार्य मम्मट के काव्यलक्षण के **'अदौषौ'** इस प्रथम विशेषण का अभिप्राय यह कि काव्यत्व के व्याघातक जितने भी प्रकार के दोष है उन सभी दोषों से रहित अन्य काव्यलक्षण के उक्त विशेषण से समन्वित होते हुए ही काव्यत्वेन अभिहित है। नरकण्ठीरवशास्त्री के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सामान्यतया वह दोष

प्रतिकूलवर्ण, श्रुतिकटु, कष्ट, च्युतसंस्कृति, क्लिष्ट तथा अभवन्मतयोग ये छः प्रकार के परिगणित किए गये हैं[1]। एतद् अतिरिक्त सभी काव्य के अपकर्षक है। अविमृष्ट-विधेयांश का क्वचित् काव्यत्व के अभिघातक न होने के कारण वह दोष में परिगणित नहीं होता है। जैसेकि "न्यकारोह्यमेव" इस काव्य में उक्तदोष के विद्‌यमान होने पर भी काव्यत्व में कोई क्षति नहीं है। इस प्रकार से दोषाभाव होने के कारण काव्यत्व में अव्याप्ति नहीं है।

यदि काव्य के अपकर्षक अविमृष्ट-विधेयांश प्रकार के दोषों का अभाव काव्यलक्षण में सन्निवेश नहीं कर सकते तो आत्माश्रय दोष की आपत्ति होने लगेगी और काव्य के अपकर्षक जितने भी दोष है, उनका प्रत्येक काव्यत्व के साथ अभावग्रहण करना होगा। परन्तु ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्रत्येक का काव्य लक्षण में ग्रहण करने पर महान गौरव दोष तथा उसका अनुगम भी नहीं हो सकता है इस प्रकार का कथन ठीक नहीं है।

उक्त छः दोषों में से प्रथम जो तीन दोष है उनका रस-प्रतीति के प्रतिसाक्षात् प्रतिबन्धक के होने के कारण दोष है तथा अन्तिम तीन दोषों का शाब्दबोध के प्रतिबन्धक होते हुए दोष है। रस-प्रतीति तथा शाब्द-बोध प्रतिबन्धक इन दोनों अवस्थाओं में दोषों का अननुगम कर के दोनों प्रकार के दोषों का अवच्छेदकता कोटि में सन्निवेश करने पर उक्तदोष का ग्रहण नहीं होता है। काव्य में दोषहीन की स्थिति अन्वय-व्यतिरेक के द्‌वारा दोषों के प्रतिबन्धक ज्ञान से उसी रूप में (दोषहीन) अनुगम सम्भव नहीं है। प्रतिबन्धक ज्ञानविषय के रूप में ग्रहण करने के उपरान्त समूहालम्बन दोष ज्ञान का ग्रहण करके उदासीन पदार्थ घट-पटादि में भी लक्षण का समन्वय होने लगेगा। दोनों प्रकार के दोषों का प्रतिबन्धकतावच्छेदकविषयतानिरुपकतावच्छेदकरूपत्व में ग्रहण के अनन्तर भी घट-पटादि उदासीन पदार्थविषयक समूहालम्बनात्मक ज्ञान के द्‌वारा रसप्रतीति अथवा शाब्दबोधविषयकप्रतिबन्धक ग्रहण करने पर भी अतिव्याप्ति का वारण सम्भव नहीं है। क्योंकि जो रस प्रतीति है, वह सर्वथा अखण्डरूप में होने के कारण उसमें किसी भिन्न विषय घटपटादि का ग्रहण सम्भव नहीं है। अतः रसत्वव्याप्यधर्मावच्छिन्नविषयकत्वावच्छिन्नप्रतिबध्यत्व-रूप अथवा शाब्दबुद्‌धित्वावच्छिन्नप्रतिबन्धकरूप इन दोनों में से किसी एक का प्रतिबध्यतानिरुपितप्रतिबन्धकता कहने पर उक्त दोष का निवारण हो सकता है[2]।

यदि कोई ऐसा कहे कि च्युतसंस्कृत्यादि दोषों का शाब्दबोध के प्रतिप्रतिबन्धकत्व में कोई दृढतर प्रमाण नहीं है तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि च्युतसंस्कृत्यादि दोषों का शाब्दबोधविषयक सामग्री में ही विघटन होने के कारण उन का शाब्दबोध के प्रतिबन्धक होने में अनुभव ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त अन्वय तथा व्यतिरेक भी इसमें प्रमाण है। इनदोषों में च्युतसंस्कृति के द्‌वारा साधुत्व का ज्ञान क्लिष्टत्व दोष के द्‌वारा आसत्ति का ज्ञान एवं अभवन्मतयोग इस दोष के द्‌वारा आकांक्षा तथा योग्यता इन दोनों ज्ञानों का विघटन होता है।

इस प्रकार से यदि विचार किया जाय तो प्रतिकूलवर्णादि दोषों का काव्य के लिए अपकर्षता नहीं है और इस प्रकार से वे काव्य में दोषों के आधायक भी नहीं है और भी इस प्रकार के दोष से संलग्न होने के कारण काव्यविशेष में अव्याप्ति उसी प्रकार से अवस्थित है। इस प्रकार से प्रतिकूलवर्णादि दोषों के रहने पर भी रस के प्रतिबन्धक जितने भी दोष है, उन सब का त्याग करके तथा शाब्दबोध के प्रतिबन्धक जो दोष है, उनके अभाव के सन्निवेश से ही उक्तदोष का अभाव ग्रहण होगा।

शाब्दबोध में घटक जो सामग्री के प्रतिबन्धक न होने पर उक्तदोषों का शाब्दबोध के प्रतिप्रतिबन्धकता नहीं होती है। क्योंकि शाब्दबोधविषयक बुद्धि के प्रति आकांक्षा-योग्यता-सन्निधि ज्ञान की ही कारणता स्वीकार्य है। यदि कोई आकांक्षा आदि ज्ञान के अतिरिक्त च्युतसंस्कृति इत्यादि के कारण मानता हो तो इनके कारण में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि नियम भी है कारणीभूत अभाव का प्रतियोगि ही प्रतिबन्धक पदार्थ होता है[3]। प्रयोजकीभूताभाव का प्रतियोगी प्रतिबन्धक नहीं होता है, क्योंकि उसके ग्रहण में अतिव्याप्ति होती है। तान्त्रिकों के द्वारा अभ्युपगत होने के कारण भी इसका ग्रहण सम्भव नहीं है। इसलिए प्राय: सभी ग्रन्थकार उपाधि को हेत्वाभास से अतिरिक्त भाव स्वीकार करते है और यहाँ प्राप्त विश्लेषण के द्वारा भी यह सम्भव नहीं है। इसलिए लक्षण में

'शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नजन्यतानिरुपितजनकतावच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतिबध्यतानिरुपित-प्रतिबन्धकतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताभाव के सन्निवेश पर उक्त लक्षण में कोई दोष नहीं रहेगा और नहीं इस प्रकार से शाब्दबोध की कारणता में साधुत्व ज्ञान की कारणता नहीं है, क्योकि इसमें प्रमाण का अभाव है।

असाधु स्वरूप वाले च्युतसंस्कृति आदि दोष के ज्ञान होने पर शाब्दबोध का अनुदय तथा असाधु ज्ञान के अभाव की कारणता के स्वीकार की आवश्यकता शाब्दबोध के प्रतिबन्धक के रूप में निर्वाह होते हुए भी शाब्दबोध के विघटक सामग्री के रूप में निर्वाहित नहीं है। जैसे कि काव्यप्रदीपकार ने कहा है कि **'कस्यचिद्वाक्यार्थबोधाभावात् यथा च्युतसंस्कृत्यादे:[4] ।'** कभी-कभी वाक्यार्थबोध के अभाव से भी काव्यत्व का ज्ञान नहीं होता है, जैसे कि च्युतसंस्कृति आदि दोष के अवस्था में। 'प्रभाकरमिश्र' भी ऐसी अवस्था 'नाधीत' आदि स्थान पर असाधुत्व ज्ञान को ही शाब्दबोध के प्रतिप्रतिबन्धक स्वीकार करते है। इस प्रकार से च्युतसंस्कृति दोष का संग्रह सम्भव नहीं है। च्युतसंस्कृति के संग्रह में बाधक का अभाव है। गुण तथा अलङ्कार से युक्त काव्यविशेष को च्युतसंस्कृति दोष से दूषित होने पर वहाँ अतिव्याप्ति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह भी लक्ष्यता के अन्तर्गत ही स्वीकार किया जाता है। किन्तु उस काव्य में वह दोष अपकर्षता मात्र का ही आधायक है। काव्य के व्याघातक दोष की स्थिति बहिर्भाव रूप में स्वीकार है। इसीलिए 'रसगंगाधर' के 'मर्मप्रकाश' टीका में 'नागोजीभट्ट' के द्वारा दोषपद की व्याख्या करते समय स्फुट पददोष की साहित्य की बात करते हुए कुछ इस प्रकार से कहते है। **'स्फुटत्वं च शाब्दबोधप्रतिबन्धकत्वम्[5]'** शाब्दबोध के प्रतिबन्धक के रूप में व्याख्यायित किया है। जिसके द्वारा सर्वथा निराकाङ्क्षत्व का ग्रहण नहीं किया गया है। फिर भी उक्त कथन के अवलोकन से यही ज्ञात होता है, कि दोष पद के द्वारा काव्य का अपकर्ष ही उनको अभीष्ट है ऐसा 'नरकण्ठीरवशास्त्री' का मत है। इस प्रकार से स्वयं ही अदोष पद के द्वारा दोष सामान्य शून्यत्व के निवेश की सम्भावना करके अन्यथा सर्वथा दोषाभाव काव्य कि ऐकान्तिक अथवा असम्भव होने के कारण काव्य का प्रविरल विषयत्व अथवा निर्विषयत्व का आपादान कर के जो दोष होने पर ईषद् दोष का ग्रहण करते हुए किसी अर्थ विशेष की कल्पना कर के उसका रत्नादि का **'किटानुविद्धन्याय[6]'** के समान अपरिहार्यत्व का प्रदर्शन इस प्रकार से खण्डित होती है।

आचार्य 'नरकण्ठीरव' के द्वारा दिए गये विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा प्रतिपादित काव्य स्वरूप सर्वत्र सौलभ्येन प्राप्त है। काव्य के अपकर्षक दोषों का रसादि रूप वैचित्र्य अर्थ में परिहार्यता आवश्यक होते हुए भी काव्य के व्याघातक तत्त्वों का काव्य के दोषक तत्त्व होने के कारण रसादिरूप वैचित्र्य अर्थ में काव्य के दोषक तत्त्व के द्वारा दूषित होने पर भी काव्यतत्त्व नहीं, ऐसा बोध नहीं करना चाहिए। इसीप्रकार की बुद्धि को धारण करके **'दुष्टेष्वपि मता'** इस उक्त नियम के अनुसार भी काव्यत्व में विरोध का अभाव मिलता ही है।

वस्तुतः विचार करने पर यही ज्ञात होता है कि 'अदोषौ' में स्थित दोषपद का अर्थ सामान्य दोष परक ही है। उस दोषपद की लक्षणा के द्वारा दोष विशेषपरत्व रूप में कल्पना करने से गौरव दोष होता है, क्योंकि व्याप्यधर्मावच्छिन्नशक्तपद का व्याप्यधर्मावच्छिन्न उपस्थापकत्व के समान व्यापकधर्मावच्छिन्नशक्तपद का व्याप्यधर्मावच्छिन्न उपस्थापकता भी लक्षणमात्र के द्वारा अवश्य निर्वाह्य करना होगा। दोष का अर्थ यह है कि वह जो मुख्य अर्थ का अर्थात् रस का अपकर्षण या हनन करता हो उसे ही दोष कहते है। मुख्यार्थ का अर्थ इससे है कि जिसके द्वारा काव्य में चमत्कार का बोध होता है। जैसा कि काव्यप्रकाश में मम्मट ने कहा है-

"मुख्यार्थहतिर्दोषः रसश्चमुख्यः तदाश्रयाद्वाच्यः।
उभयोपयोगिनस्स्युः शब्दाद्यास्तेनतेष्वपि सः[7] ॥

यहाँ **'मुख्यश्चासौ अर्थश्चेत् मुख्यार्थः मुख्यार्थस्य हतिः यस्माद्[8]'** इस प्रकार के व्यधिकरणबहुव्रीहि समास के अनन्तर रस अर्थ का ग्रहण किया जाता है। हतिः का अर्थ मम्मट ने स्पष्टरूप से **'हतिरपकर्षः[9]'** कहा है। जिसमें **'हन्यते अपकृष्यते रसादिः अनेन[10]'** इस करणव्युत्पत्ति के द्वारा अपकर्षहेतुपरक 'हतिः' शब्द के साथ षष्ठीतत्पुरूष की भी विकल्प से सम्भावना उपस्थापित है। सूत्र में विद्यमान मुख्यत्व अर्थ का शक्यत्व लक्षण कथमपि सम्भव नहीं है, क्योंकि शक्यत्व लक्षण के रूप में रस आदि के विद्यमान न होने पर लक्षण की असंगति होगी। लेकिन वह किसी भिन्न रूप में होगी इसलिए कहा है- **'रसश्चेति रस्यते आस्वाद्यते इति रसः'।** इसप्रकार के व्युपत्ति के द्वारा रसपद के द्वारा तदङ्गभूतभाव आदि का भी ग्रहण करते है। पुनः पूर्वपक्ष के रूप में जिज्ञासा करते है कि इसप्रकार से नीरसकाव्य में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपकर्षण योग्य रस का अभाव वहाँ पहले से ही विद्यमान है। अतः मम्मट ने **'तदाश्रयाद्'** अर्थात् रस का आश्रय ग्रहण होता है। आश्रयण को ही आश्रय कहा जाता है। इसप्रकार रस के आश्रयदाता होने के कारणवाच्य को भी मुख्यतया स्वीकृत किया है। पुनः इसप्रकार से रस और वाच्य दोनों को ही दोष का आश्रय मानना चाहिए, न कि शब्द आदि को, पुनः इसी के समाधान के लिए **'उभयोपयोगिनः'** कहा है। यहाँ शब्द के द्वारा **'शब्द्यते शाब्दबोधविषयीक्रियते अर्थः'** इसप्रकार के व्युपत्ति के द्वारा शब्द पद से प्रतिपादन की समता रखने वाला शब्दना व्यापारयुक्त पद तथा वाक्य दोनों ही प्राप्त होते है। इसीलिए **'आद्यपदात्वर्णरचने संगृहीते[11]'** इसप्रकार की काव्यप्रकाश की उक्ति ग्रहण होती है। अन्यथा वर्ण का भी शब्दपद के द्वारा ग्रहण कर लेने से **'शब्दाद्याः'** इसपद में प्रयुक्त बहुवचन असंगत होने लगेगा।

इसप्रकार से उक्तकथन अनुपपन्न होगा क्योंकि **'हतिः'** शब्द का अर्थ अपकर्ष परक होते हुए भी रस के उत्पत्ति के बाधक दोषों में अव्याप्ति होने लगेगी और अनुत्पत्तिपरकता रस के अपकर्षकमात्र प्रयोजकों में अव्याप्ति का ग्राहक होता है। इसप्रकार से यह लक्षण अत्यन्त दरिद्रदम्पती के अत्यन्तक्षीण आच्छादक के समान एक के द्वारा खींचे जाने पर दूसरे के शरीर का परिहार हो जाता है एवं अर्थरूप मुख्यार्थ का अनुत्पत्ति अथवा अपकर्ष दोष के अधीन है कि नहीं? इसपर कहते है कि **'हतिः'** शब्द का अर्थप्रतीति का प्रतिबन्धक है। मुख्यत्व का अर्थ, अर्थविषयक उद्देश्यप्रतीतिविषयत्व है जो कि रस तथा वाच्य उभयानुगत प्रतीत होता है। क्योंकि उन दोनों का ग्रहण एकरूप में ही होता है, और भी **'मुख्यार्थस्य हतिः यस्मात्'** इस विग्रह वाक्य में षष्ठी का अर्थ विषयत्व है, तथा उसका आधेयतासम्बन्ध के द्वारा प्रकृतार्थ में अन्वित का निरुपकतासम्बन्ध के द्वारा 'हतिः' पदार्थ को एकदेश के प्रतीति में अन्वय होता है। पञ्चमी का अर्थ यहाँ प्रयोज्यत्व है, जो वस्तुतः स्वरूपसम्बन्ध के द्वारा हतिपदार्थ के अनुत्पत्ति लक्षणविषयक प्रतिबन्धकता में अन्वित होगा। इसप्रकार उद्देश्यप्रतीतिविषयीभूतार्थनिष्ठविषयतानिरुपकप्रतीति का प्रतिबन्ध होना ही दोष है। इस विग्रह वाक्य में प्रयुक्त बहुव्रीहि में उत्तरपद लक्षण के अनुशासन के अनुसार से 'हतिः' शब्द का रस की प्रतीति का प्रतिबन्धप्रयोजक में लक्षण के द्वारा दोषपद का दोषपदार्थ परक ग्रहण करने से रस की प्रतीति में प्रतिबन्ध का प्रयोजक ही दोष पदार्थ है, यही लक्षणवाक्यार्थ के द्वारा लाभ हुआ। प्रतिबध्य की प्रतीति उद्देश्यप्रतीतिविषयार्थविषयकत्वेन करने से पूर्वोक्त वाक्य का प्रकारान्तर से कथनमात्र है, क्योंकि वस्तुतः उसका उद्देश्यप्रतीतित्वेन ही लक्षण में सन्निवेश करना उचित है। जिससे यह अर्थ प्राप्त होता है कि **'उद्देश्यप्रतीतिप्रतिबन्धकत्वं दोषसामान्यलक्षणम्[12]'** अर्थात् उद्देश्य की प्रतीति में जो प्रतिबन्धक होता है, वही दोष कहलाता है। दोष लक्ष्य का लक्ष्यतावच्छेदक जो भी अर्थ प्राप्त होगा वही दोषपद के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। अतः लक्षण और लक्ष्यतावच्छेदक में किसी भी प्रकार से भेद ग्रहण नहीं होगा।

वस्तुतः रस की प्रतीति में अनेक प्रतिबन्धकों के उपस्थित होने के कारण रसबोध में समस्या उत्पन्न होती है। अतः रसवान् काव्य स्थिति ही स्वार्थबोध कराकर रस से आप्लावित कर देते हैं, तथा उनके विषय भी उत्कृष्ट युक्त होते हैं। नीरसकाव्य में रसप्रतीति बाधित हो जाती है, और वहाँ केवल शब्द या अर्थ की चित्रता मात्र ही प्रतीति होती है। परन्तु काव्य में चमत्कारयुक्त रस की प्रतीति तात्पर्यविषयत्वेन ही होता है।

'नरकण्ठीरवशास्त्री' के अनुसार वस्तुतः दोष के ग्रहण में कहीं कहीं साक्षात् रस की ही अप्रतीति होने लगती है। कहीं कहीं प्रतीयमान वस्तु के अपकर्ष होने के कारण भी रसोद्बोध में कठिनता होती है। कहीं कहीं विलम्ब से भी रस के ग्रहण होने के कारण भी दोष उत्पन्न होता है। नीरसकाव्य में भी कहीं कहीं मुख्य अर्थ की ही अप्रतीति होने लगती है जिससे दोष उत्पन्न होने लगता है। कहीं विलम्ब से साक्षात्कार होने के कारण तथा चमत्कारत्व के अभाव में भी दोष प्रकाशित होने लगते है। विशेष्यभूत के प्रतीति की अनुत्पत्ति के कारण अथवा विशेषण के अनुत्पत्ति के कारण विशिष्ट की प्रतीति में अनुत्पत्ति का निदर्शन सर्वत्र प्राप्त होता है[13]। इसीप्रकार से सभी दोषों में उद्देश्यप्रतीतिप्रतिबन्धकत्वरूप लक्षण अवश्यमेव ग्रहण होता है।

सन्दर्भ–

[1]. काव्यलक्षण पृ. सं.२३

[2].रसत्वव्याप्यधर्मावच्छिन्नविषयकत्वावच्छिन्नप्रतिबध्यत्वशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नप्रतिबध्यत्वान्यतरप्रतिबध्यतानिरुपितप्रतिबन्धकतायाः दोषाभावात्। काव्यलक्षण पृ. सं.२३

[3].शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नंप्रतिआकाङ्क्षादिज्ञानस्यैवकारणत्वेनच्युतसंस्कृत्यभावादेः कारणत्वेमानाभावात्। काव्यलक्षण पृ. सं.२४

[4]. काव्यप्रकाशप्रदीप ७.१

[5].रसगंगाधर मर्मप्रकाशटीका

[6].कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता। दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः॥ साहित्यदर्पण प्रथमपरिच्छेद, पृ. सं.९

[7].काव्यप्रकाश ७.१

[8].काव्यप्रकाशप्रदीप ७.१

[9].काव्यप्रकाश वृत्ति ७.१

[10].काव्यप्रकाशप्रदीप ७.१

[1]1.काव्यप्रकाश वृत्ति ७.१

[1]2.काव्यलक्षण पृ. सं.२६

[1]3.विशेष्यभूतप्रतीत्यनुत्पत्त्यावाविशेषणानुपत्पत्त्यावाविशिष्टप्रतीत्यनुत्पत्तेः सार्वत्रिकत्वात्। काव्यलक्षण.पृ. सं.२६

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

Feminist Epistemology of International Relation

Varsha Upadhyay

MA, Political Science

University of Hyderabad

ABSTRACT

The central theme of the paper I conclusively summarize is to sketch all forms of gender biasness and feminist critics and then reformulation of political theory and specifically International relations. The paper consists of elements of writings of a whole spectrum of feminist works and scholarship from 19th to 21st century. Hence, precisely feminist epistemology is an emancipatory and critical study which advocates for the equality of the sexes and gender in every sphere of life through comprehensively "revamping" the domain of knowledge of world politics and political philosophy. Therefore, the nature and aim of feminist epistemology is a basic part of greater struggles which feminist have fought and are still struggling for and towards a just and equal society and world.

It is not in giving life but risking life, that men is raised above the animal: That is why superiority has been accorded not to the sex that brings forth but to that which kills. (Simone de Beauvoir)

Keywords - Feminism, International Relations, Epistemology

Feminist studies began in 1980s with critical and path breaking literature and researches which brought about major shift in the traditional I.R theories. The major attempt of the feminist scholar was at breaking the powerful bond among ' manly man ,states and war by introducing "gender" as a primary relevant category and analytical tool to understand global power relations as well as normative positions from which to construct alternative world order .Moreover, feminist studies though is an area of research ,a domain of knowledge in itself but is deeply linked with political movement ,ideologies, and social movements that share a common goal: to define, establish and achieve political economic ,personal and social equality of sexes. So, we can certainly find a major relation between feminism and feminist epistemology. As feminist movements have campaigned and continued to campaign for women's rights to vote, to hold public office, to work, to earn fair and equal wages, to own property to receive education, to enter contract and to have maternity leave, feminist epistemology very keenly and in coherence with socio political movements have led to a struggle in the domain of knowledge as well. Feminist epistemology is actually a criticism of political philosophy from Aristotelian Greek tradition to liberal democratic tradition and also to the age of realist school of thought.

It is a criticism based on gender biasness and discrimination against women embedded in these philosophies and in the process of building of knowledge of politics itself .Further it is a struggle to incorporate and analyze 'gender' into the studies of political philosophy and lately into newly emerging major disciplines as international relation basically this incorporation and analysis of gender as a variable into major political philosophies and other domain of knowledge is to elucidate fault lines in the knowledge domain and at the same time to eliminate such faults and biasness to reproduce and degenerate a more fair unbiased inclusive and comprehensive knowledge base which help to understand the world in its totality with the said voices and experiences of both men and women.

Feminist perspective of international relations is the area of research and domain of knowledge which introduces the way to see how gender helps to structure world politics. It helps us to understand the continuous subordination of a particular sex that is female. Feminist studies enquire into centuries old marginalized position of women in every space of authority and position of power ranging from social, economic to political domain .This discrimination and biasness surface in the form of gendered vocabulary, practices and knowledge of domestic and international affairs. Therefore, feminist epistemology brings about a challenge to institutionalized gendered concepts and practices in world politics. Moreover, this paper will also enquire into gender relations according to feminist studies in various approaches of international relations itself. Simultaneously it will also elucidate on the feminist reformulation and reconceptualization of various concepts in the principle international relation studies .It is necessary to mention here that the feminist studies have also evolved as an emancipatory study by putting forward gender sensitive studies in order to acknowledge, strengthen and emancipate women in the global world affairs .Moreover feminist epistemology urges for a social and political change through the normative writings and also tend to create a more comprehensive and inclusive domain of knowledge of world system .

Major focus

The first section of the paper focuses on various crucial arguments such as gender 'neutral' account of sexual discrimination and 'public private distinction. These arguments claim that important aspects of the liberal democratic conception of Justice, privacy etc. are mail biased. Hence this part focuses on the anatomy of major stands of political philosophy to elucidate forms of gender biasness in its theories .The second section of the paper describe the development of feminist international relations .It will deal with three overlapping forms of feminist approaches to international relations to further elaborate the contribution of these studies to the knowledge of international relations .These three forms of feminist studies are .(a) empirical feminism ,(b) analytical feminism and (c) normative feminism. Finally, the last section will consist of various strands of feminist theories such as liberal feminism, Marxist feminism, feminist social constructivism, feminist post structuralism etc.

So, all the above three sections of the paper will enquire into major questions as – Where are women in Global politics?

How are the types of power necessary to keep unequal gender structures in place perpetuated?

Does it make any difference to states policy practices that their foreign and security policies are often legitimated through appeals to various types of masculinity? Does it make a difference that it is predominantly men who fight wars?

Answering these questions may help us to see that what is so often taken for granted in how the world is organized, keeping in place certain social arrangements and institutional structures that contribute to the subordination of the women and other disadvantaged groups.

As earlier mentioned, feminist theories have introduced gender as an empirical category and analytical tool for understanding global power relations as well as normative position from which one can consider alternative world order. So, we must first look into this term Gender as defined by and widely accepted by various strands of feminist scholars. Feminist defined gender as a set of socially constructed characteristics that define what we mean by masculinity and femininity also, gender is a system of social hierarchy in which masculine characteristics are more valued then feminine once. Hence, gender finally goes on to become as a structure that signifies unequal power relationship between women and men. Feminism in international relation is a constitutive theory which shifts the study of international relations away from a singular focus on inter state relations towards a comprehensive analysis of trans national actors and structures and their transformations. Simultaneously, with their focus on non-state actors, marginalized people and alternative conceptualization of power and relationships, feminist perspective brings fresh thinking and action to world politics.

Until the 1980s the field of international relations studied the causes of war and conflict and the global expansion of trade and commerce with no particular reference to people .The use of abstract categories such as 'state', 'system', and security discourses of world politics whether related to conventional forces or nuclear weapons and there by nuclear deterrence have very effectively remove the 'people' as agent embedded in their socio cultural and historical context in international relations .It must be noted here that this very essential element of international relation is in stark contradiction with the basic tenants on which the discipline emerged following the end of world war 1.It is so because international relation emerged out of a context of horrific war and thereby with an aim to democratize foreign policy making and empower people as citizen- subjects rather than objects of statecraft .

Feminist epistemology did not emerge in a vacuum, of course it is a part of greater transformation in the discipline itself brought about by constitutive theories such as critical theory, constructivism, green political theory etc. but its emergence is directly influenced by 'waves of feminism' which in the world politics are feminist struggle against unjust power structure and sexual discrimination.

History

Charles Fourier, a utopian socialist and French philosopher is credited with having coined the term 'Feminism' and 'feminist' first appeared in France and the Netherland in 1872. The Oxford English dictionary lists 1852 as the year of first appearance of 'feminist' and 1895 for "feminism" The history of modern western feminist movements is divided into three 'waves'. Each wave dealt with different aspects of the same feminist issues. The first wave comprised women's suffrage movement of the 19^{th} and early 20^{th} centuries promoting women's right to vote. The second wave is associated with the ideas and actions of the women's liberation movement in the 1960s. The second wave campaign for legal and social equality for women. The third wave is a continuation of, and a reaction to, the perceived failures of second -wave feminism, which began in 1990s.

Theoretical debates and concepts

Alison Jagger says that a commitment to eliminating the subordination of women unifies the diverse strand of feminist theory but this agreement soon dissolves into radically different accounts of that subordination and of the measures recalled to eliminate it. Mainstream political philosophy has defended or at least accepted sexual discrimination. Moreover, according to feminist researches while traditional views about sexual discrimination have been progressively abandoned even though the principles which were developed with men's experience and interest in mind are incapable of adequately recognizing

women’s needs or incorporating women’s experiences. So here I present basic argument and lines of thought upon which feminist have based their studies.

Argument: Gender neutral account of sexual discrimination. the primitive theory of political philosophy depicts that for centuries male theorists on all points have argued upon the belief that there was a ‘foundation in nature’ for the confinement of women to the family and for the legal and customary subjection of women to their husbands within the family. There was restriction on civil and political rights of women on the basis of arguments that women are by nature unsuited for political and economic activities outside the home. But contemporary theorist has progressively abandoned this assumption of women’s natural inferiority. They have accepted that women like men, should be viewed as free and equal beings, of self-determination and a sense of justice and hence free to enter the public realm. Yet, these anti-discrimination statutes have not brought about sexual equality.

‘The difference approach ‘,forwarded by Catherine Mackinnon who studied and surveyed about the effects of equal rights in united states to sexual discrimination offers an explanation to why is there still gender inequality and male domination over women even after legislations and shifts from traditional to modern liberal waves of thinking .This is so because sex discrimination as commonly interpreted involves the arbitrary and irrational use of gender in the aboding of benefits or positions .The problem is that the roles may be defined in such a way as to make men more suited to the role even under gendered neutral competition for example the first concerns the use of minimum height and weight rules for access to certain jobs ,such as fire fighters ,police and the army .These rules are officially gendered neutral but since men are on average taller ,and heavier than women these rules operate to screen out most women from being able to apply for the positions .So from this example we can understand that the problem here is not old- fashioned prejudice or chauvinism ,the employer using these height weight restrictions may pay no attention to the gender of the applicants .

So, before we decide whether gender should be taken in to account, we come to know how gender has already been taken onto account. This in turn results in a system of cultural identification in which masculinity is associated with income earning and femininity is defined in terms of sexual and domestic services of men and nurturing of children.

After having analyzed gendered neutrality arguments through different approach in detail the basic arguments and criticism of feminist scholarship in to the larger perspective. We can now in the light of above arguments move further to investigate and analyze feminist epistemology in international relation.

The three approaches of feminist epistemology of international relation

In the new millennium with the growth and range of gender and international relations scholarships, feminists have recently given explicit accounts of their alternative methodological approaches to research on global politics. Increasingly scholars are bringing the insights of feminist praxis to bear on discussions of peace and democratization processes, security operations, the meaning of universal human rights and, more just economic globalization policies. So, within feminist scholarship there are resources for developing normative guidelines about the possibility foe global dialogue across ethnic, cultural, national, racial, sexual and gendered differences on the basis of their empirical and analytical studies. Feminist efforts to reinterpret power and suggest that international relations scholars have underestimated the pervasiveness of power and precisely what it takes to reproduce a grossly uneven and hierarchical world order. Many of these feminist contributions sort to deconstruct and subvert Realism,’ the dominant power politics ‘the explanation of post war international relations. Therefore, feminist epistemology focusses on reconceptualization of power and attention to the margins of global

politics which has allowed international relation scholars to recognize and comprehend new political phenomenon and importantly new angles, the experience of non-elites. The feminist international relation has ben divide into three categories namely empirical feminism, analytical feminism and normative feminism.

Empirical feminism

Empirical feminism turns our attention to women and gender relations as empirical aspects of international relations, it corrects the denial or misrepresentation of women in world politics due to false assumptions that male experiences can count for both men and women, and that women are either absent from international politics and activities or not relevant to global process. This is so because the international relations have been largely focused on conflict and anarchy and way of practicing statecraft and formulating strategies that is excessively focus on competition and fear. Empirical feminism can further divide into three parts.

(A) Researches which shows how the inclusion of women can bring about positive changes in world socio economic order .In this category we can include those studies which reveal that how the most efficient allocation of international development fund or aid is often to provide with agricultural technology ,credit financing ,education to women .investing in girls education is one of the most cost efficient development policies resulting in positive gains for a whole community by raising income and lowering population

(B) Researches which shows effects of globalization on women. These studies take up the issues and questions of victimization as well as empowerment of women. Under force of globalization which explains the current status of women vis a vis world order which is of discrimination, exploitation and empowerment happening simultaneously through gendered ideas. The phenomenal growth of sex tourism and transnational trafficking of girls for prostitution makes a part of foreign exchange, national income and thereby world economy. Simultaneously the provision of employment opportunities and credit facilities of developing regions actually goes on to empower women and there by elimination of patriarchal institutions.

(C) Researches showing role of women in decision making body at international level. The gender streaming where on the one hand have allowed many women to join policy making ranks on the other hands the persistent gender biasness has ghettoized women to less powerful agencies and to administrative posts rather than decision making positions. For example, world percentage of women in parliaments in 2012 is 15.1 %, percentage of women un upper houses of senate in 2012 is 18.4%. percentage of women in single house or lower houses of parliament 2012 is 20.5%

Analytical Feminism

It uses gender as theoretical category to reveal the gender bias of international relation concepts and thereby reconceptualize and retheorize international relation through feminist perspective .The hegemonic western brand of masculinity is associated with autonomy ,sovereignty ,the capacity for reason and objectivity an universalism .Analytical feminism is associated with the absence of or lack of al these characteristics .Feminist scholars argued that these above mentioned are identified specifically with masculinity and men's experiences and knowledge derive from an exclusive male dominated public sphere . The path breaking work of J Ann Tickner which was formulated in 1989 to deconstruct Hans Morgenthau principle of political realism is the most important work in the realm of analytical feminism. In this article she problematizes and criticizes all the six principle of power politics and there by

questioning the basic concepts of international relation as ‘security and power’. She reconceptualizes concept of security as basically security of human including men, women and children and not just territorial security. she also reformulates the concept of power as not mere domination or a tool of zero sum game in anarchical world order but power as a possibility of collective empowerment.

Normative Feminism

Normative feminism focusses on process of theorizing and the role of scholarship in a normative agenda for global social and political change. Cynthia Enloe’s research radically subvert conventional ways of knowing and doing international relations. For example, she considers the withdrawal of Russian mother’s support for the soviet army due to the gross and unaccountable sacrifice of their sons in the USSR-Afghanistan war as one of many personal expressions of gendered power that led to the delegitimization of the Soviet regime and the end of the cold war.

Different theoretical approaches that are built on feminist theories in international relations

(A)Liberal feminism

Liberal feminist documents various aspects of women’s subordination. They have investigated problems of refugee women, income in inequality between women and men and human rights violation incurred disproportionately by women such as trafficking and rape in war. Liberal feminist believes that women ‘s equality can be achieved by removing legal and other obstacles that have denied them the same right and opportunities as men.

(B) Feminist critical theory

It has roots in Gramscian Marxism. It explores both the ideational and material manifestation of gendered identities and gendered power of global politics. Sandra Whitworth in her book “Feminism and international relations 1994 claims that understanding gender depends only in part of material condition of women and men in particular circumstances.

(C) Feminist social constructivism

It builds on social constructivism. Feminist constructivist study the processes whereby ideas about gender influence global politics as well as the ways that global politics shape ideas about gender. Elizabeth Frugal in her book “The Global construction of Gender “1999 uses feminist constructivism to analyze the treatment of home-based work in international law. Frugal shows how ideas about femininity have contributed to the international community’s debates about institutionalizing these home-based workers’ rights.

(D) Post-colonial feminism

It focuses on colonial relations of domination and subordination, established under European imperialism in the 18th and 19th century. Post colonialist claim that these dominants relationships persist, and that they are built in to the way western knowledge portrays people and countries in the south today. Post-colonial feminism makes similar claims about the way western feminism has constructed knowledge about nonwestern women. Chandra Mohanty in 1988 suggests that women subordinations

must be addressed within their own cultural context, rather than through some universal understanding of women's need.

References

1. Jacqui True: Chapter-9, Feminism theories of international relation
2. J. Ann Tickner: chapter 18. gender in world politics; Globalization of world politics. Oxford university press
3. Will Kymlicka . chapter 9. Feminism contemporary political philosophy oxford university press
4. J. Ann Tickner. Hans Morgenthau principles of political realism. A feminist reformulation , Milennium : journal of international studies

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

From co-operation to Domination : The Changing British perspectives about Indian Medicines in the Nineteenth Century India

Indranil Pramanik,

M.Phil Research Scholar,

University of Hyderabad, India

Abstract - The introduction and spread of the Western Medicine in India had to go through a complex process of domination and cooperation. This article explores the possible stages of this process and then tries to go beyond the periodization by exploring the nature of this process in the conclusion.
Keywords - Western, Medicine, Domination, Cooperation, Native, Indian, Practices.

Introduction- "In considering the question of the place which the indigenous system of medical treatment should occupy in any planned organization of medical relief and public health in the country, we are faced with certain difficulties. We realise the hold of these systems exercise don't merely the illiterate masses but over considerable section of the intelligentsia…. We are unfortunately not in a position to assess the real value of these systems……. We do not, therefore, propose to venture into any discussion in regard to the place of these systems in organized state medical relief in this country."[1]

- Bhore committee report, Vol-2, New Delhi, 1946.

Colonialism, the single most important phenomenon of Modern Indian history has not only affected every aspect of Indian life but also has shaped it in many new ways. It was a large break from its pre-colonial past. Modern historians from the very early Nationalist to the contemporary Subalterns have tried their best to identify the nature and character as well as the agents of the colonial changes in India. Unlike the political and the economic history, this field of Medicine and Public health has come late under the focus of the historians but has made great progress in recent years. The focus of this paper would be on how the British at first tried to cooperate with Indian medical system but then moved towards a dominating position in the last decade of the nineteenth century. The Core-Peripheral relationship as well as the internal inconsistency in the process of domination would also get a special mention. These questions are important not only to understand an important agent of British in colonizing India but to see how far they had succeeded in their mission of 'Colonizing the Body'.

Diseases are an integral part of human life. As we use to say- Where there is a problem there is a solution, medicine was the solution of disease and humans from the very beginning were conscious about it. Though

sometimes they had tried to depend on Magic, prayers and mantras, there was considerable use of various medicines, mostly herbal. India is one of those ancient civilizations who had made great progress in the ancient time. Medical references can be found back to Indus civilization in third-millennium B.C.E. But the major progress has happened during the Post-Vedic period. Ayurveda was the ancient system of medicine in India. It reflected a transition in therapeutics from association with religion and magic of Vedic time to a more rational and scientific method of treatment.[2] We have a large number of medical text of this trend such as Charak Samhita, Susruta Samhita, Astanga Samgraha, etc. As per the traditional view, in course of time when religion became more orthodox, these pieces of knowledge became static and unprogressive. But the progress, though limited, was there through commentaries of these texts and memories.

With the coming of Muslim Rule, the Unani system of medical knowledge originated in Ancient Greece and later developed under Caliph Rule in Baghdad, arrived in India. Though there was an encounter in many other fields, surprisingly or maybe because of the practical value of Ayurveda, these two systems of medicine had maintained a peaceful co-operation. There were peoples like Miyan Bhuwah who had practiced both systems. These two systems together came to know as- 'Tibb'. Many of the Sanskrit works were translated into Arabic and Persian. Mughal court patronized these medical systems.

Medical interactions with Europeans in modern times had stared from the time of the European travellers. Francois Bernier, Niocolao Menace, Johan Ovington and others wrote a great deal on Indian Medical practices. There were no great differences at that time. Both were humoral and as the Indian diseases were thought to be environmentally determined, Indian methods were considered as the best suited for them. With the colonial rule in the latter half of the Eighteenth century, the course of Indian history marked a major shift. But in the case of medicine, there was no great shift initially. In reality, company was not in a position to introduce Western medicines in India. Moreover, as I have already mentioned before, there was theoretical similarities of Miasma as well as the environmentalist theory, it didn't leave any great reason for the British to introduction the Western Medicine. The situation started to change from the 1830s and the final shift happened in the last of the nineteenth century. For a better understanding of this great shift from Co-operation to Domination, I would like to discuss it in three phases- from the beginning of the nineteenth Century to 1835, from 1835 to 1860s and from 1860s to the end of the nineteenth century.

The first phase: An age of peaceful cooperation

India in terms of the medicine was not completely unknown to the Europeans but the knowledge was very limited. Western medicines were practiced in very limited European enclaves such as Calcutta, Madras, Bombay, Surat, Goa, Pondicherry, and Dacca[3]. For few reasons like- being far away from home, a lack of the western doctors and medicines, the concept of Environmental determinism and a belief on century-old Indian medical traditions, Europeans at this time moved their favour to the Indian medicines. The public health was not their concern for long and the main focus was on the health of the army. In a way, there was no State Medicine but the military medicines. During the high Victorian age, Europeans were roaming around and exploring places unknown to them. Their new corpus of colonial knowledge on Indian material world not only leads them towards a better understanding of its subordinates politically and socially but also medically. On the other side of the world, medicine had started to take a shape of Science through close observations and experiments. For company officials, India was not a professional exile anymore but a great

laboratory for observing and investigating the new diseases. The medical books and treatises which were written at this time out of their yearlong experiences have great importance. They tried to understand the impact of culture, society and environment in diseases, the needs of Indian peoples and the large regional variations of diseases. These texts had guided the new members who came in India and contributed to the wider scientific community beyond India. Medicine at this time emerged as 'the Master Narrative of Scientific discourse in India' and had contributed a lot in other fields. As D. G. Crawford said- "many of the pioneers of Botany, Zoology, Geology, Meteorology, Ethnography and Philology in late eighteen- early nineteenth century were medical practitioners."[4]

Besides these, there was an influential Orientalist group who tried to glorify the ancient Indian history. William Jones was the most prominent of them. He wrote a memory named- 'Botanical Observations on selected Indian plants' (1790-1800). Whitelaw Ainslie and his work-'Materia Medica of Hindoostan' was another influential work. Some other important works of this time are 'Observations on the Diseases in long voyages to Hot Countries'(1773) by John Clarks, 'An account of Diseases of India as they appeared in English fleet and in Naval Hospitals in Madras' (1802) by Charles Curtis, 'Essay on Diseases, Incident to Indian Seaman, or Lascars, on Long Voyages'(1804) by William Hunter, 'Clinical Illustration of the More Important Diseases of Bengal' (1832) by William Twining, 'Sketches of most prevalent diseases of India' (1828) by James Annesley, 'The influence of Tropical Climates on European Constitution' (1813) by James Johnson.

On the other hand, the colonial government due to its various inabilities also tried to promote Indigenous medicines here. In 1813 The Court of Directors said- "there are also many tracts of merit, we are told, on the virtues of plants and drugs, and on the application of them in medicine, the knowledge of which might prove desirable to Europeans practitioners, and by such intercourse the nation might gradually be led to adopt the modern improvements in these and other sciences".[5]

The year 1822 marked a very important incident- the establishment of Native Medical Institution (NMI) in Calcutta. Some medical classes on Ayurveda and Unani were also introduced in Calcutta Sanskrit College and Calcutta Madrasa. These establishments had great importance at that time. The Bengal Medical Board had prepared the Regulations of these institutions. The number of students was restricted to 20 and knowledge of Hindustani and Persian was compulsory. Eight rupee scholarship was given to them. In this institution, there was no religious or caste discrimination and students were appointed in the Army after their course. Few others were also appointed in Hospitals wards and dispensaries to help in dressing patients and control medicine. More importantly, the medium of instruction was Vernacular. Even the translation of short treaties on Anatomy, medicine and surgery were prepared. Due to the religious restrictions, dissection of the human body was avoided and was practiced on animals. With the progress of time, the number of students was raised at 40. A vocabulary of Persian and Nagri terms was made. Similar schools were started at Bombay in 1826 and at Madras in 1827. Later the Bombay school was abolished in 1832.[6] A small hospital was also made along with Sanskrit college in 1832 in Calcutta. More teachers were appointed to give lectures on Ayurveda in Sanskrit. Tayler said- "The education of Indian peoples should be given in their mother tongue, if possible, and that the English language should not thrust on such a rich medium of instruction as Sanskrit language."[7]

So we can see that the government took steps to encourage and enrich the Indian Medical system with a limited introduction of western medical advantages. For the study of anatomy and dissection, the government provided Skeletons. Translations of European works in vernacular like Madhusudan Gupta and his Hooper's 'Anatomists Veda-Mecum' are clear indication of peaceful co-operations.

The second phase: Age of internal contradictions

This Peaceful Cooperation came to an end in 1835 with the abolishment of Native Medical Institutions. In 1828, the first review came out which was Satisfactory to the Court Of Director. But when W. Bentinck came as Government general, he appointed a committee in 1833 for "improving the constitution and extending the benefits of Native Medical Institution". On Oct. 1834 the committee had submitted their report and the defects like– the absence of proper qualifying standard of admission, the omission of practical human anatomy in the course of instruction, shortness of period of study, the problematic model of conducting the final exam, etc. were found.[8]

It was very much possible to introduce new reforms within the existing model. But the closing of the Native institutions was part of a larger scenario which includes one of the most controversial and well-studied debate, Orientalist-Anglicist debate. From the very beginning, the Indian administrated was greatly influenced by Oriental studies. But gradually the Early British perception about India got changed. In Britain, the Anglicist and Evangelicals became powerful and put more and more pressure on the Indian government for a change in favour of the European line. Their ideological base was built upon the concept of India as- 'The Other One'. According to them India was a great civilization in the ancient time but had declined and its people, without any light of modernity were living a life of eternal pain, poverty and slavery. To take India out of this dark Cul-de-sac and to put it in the highway of modernization and civilization, it's important to introduce the European knowledge system in the English version. The ultimate victory of this group was the 'Macaulay minutes' which not only had changed the course of the general studies but also of the native medical study based on the Co-operation. Instead of that, they had established the Calcutta Medical College, a pioneering western-style medical institution in the East. Some of the most important recommendations of this committee were to abolish the medical classes in Sanskrit college and Madrassa, to appoint the students capable of passing the final exams as native doctors, to place the new medical college under the control of the Education Committee, to introduce English as the medium of education and strict learning of the principles of European Medical Science, to admit the students of the age between 14-20 and to appoint the European superintendent who would instruct the pupils in anatomy, surgery, medicine, and pharmacy, etc.[9]

So there was a crystal clear shifting from the co-operation. Many of the recommendations not only show a shift but an aim to establish better organization or systemization to produce Doctors. More focus was given on practical learning. Both the Anglicist and missionaries had some role in this. Missionaries, influenced by the post-Enlightenment Christian Humanism tried to promote Christianity in the ignorant and backward lands like India. We can track down this reflection when a later European Medical Missionary observed –"for the continued preservation of Christianity to Hindus and Muslims, there is no more potent agency than the work of Medical Mission."[10] No doubt they also had a considerable influence on the changing policies as they thought Western Education in English would favour their mission.

The changes among the Government officials were another important agent of this shift. The new group of officials influenced by the Anglicism saw the Indian medical systems as their rival and mentioned them as irrational, unscientific, and subordinate. For Heyne, majority of Indian practitioners were "Illiterate pretender to knowledge" and most of whom were "quacks, possessors and vendors of nostrums."[11] With the growing confidence and political authority, western medicine had detached itself from the Humoral

Pathology by 1860s. So the bridge which had connected Indian systems and the western system was broken and the Indian Medical systems became a direct rival of the Western system. It was visible in the objective of Bombay Grant Medical College, where Morehead advised to counter the – "demoralized effects of irrational, superstations and too often criminal empiricism"[12] of the Indian Practitioners. Even few newspapers gave a call to the government to suppress these evils of indigenous practitioners as they did with Thugs.

Despite all these calls for exclusion and suppression of Indian Medicine, Government took a different stand. The Indian government was never truly concerned about the Public health. So they were not ready to use very expensive and irregular Western Drugs in place of regular, locally available and cheap Drugs. The theory of Environmental determinism was still very prominent and it was thought that the local drugs were most effective for the local diseases. A group of officials such as William Brook O'Shaughnessy wrote- 'Bengal Pharmacopoeia'. The government had also established a Medical Laboratory in Calcutta for preparing medicine and to know their effects. Few Europeans had introduced some indigenous remedies in the dispensaries around Bengal. Local medicines like – Kala Dana, Kut Kelija and a drug Composed of Opium and Calomel were found effective during Cholera epidemic of 1839-40.[13] This trend will continue up to 1860s before the standardization of Western medicines.

In Europe, the western medical knowledge was progressing in its full speed. In India, the first batch of students had passed their exams in October 1838 and was appointed in various hospitals all over India. It indirectly helped in circulating western medicine from its Indian core Calcutta to the peripheral areas. This one area has not received much attention from historians. January 10, 1836, marked a red-letter day in the history of Medical education as Madhusudan Gupta in the Calcutta Medical College for the first time performed a human body dissection. It broke down the century-old prejudice and marked a clear victory of Western Medical Practice. On October 28 of the same year, a student Rajkrishna Dey had also performed dissection on the human body. Significance of these dissections can be traced down from a speech of Dr Charles Francis in 1868 – "My young Friends- there is a portrait (of Madhusudan Gupta) in this theatre which tells a revolution in your country… an epoch pregnant with momentous blessings to India."[14] New chairs were added in Calcutta Medical College. New courses were also introduced for a better understanding of Western Medicine and education. Previous Courses were rearranged like - Chemistry was separated from Materia Medica in March 1842, Anatomy and Surgery were separated from Midwifery in Feb 1850, Medical jurisprudence instituted in 1850.[15] The importance of these developments shows that Government was becoming more and more conscious regarding the spread and well development of Western medicine in India. In 1846, The University of surgeons and Society of Apothecaries had recognized the medical education at Calcutta Medical College.

But all these steps were not enough to tackle the medical needs of the vast population of India. So again the government had to move back to create a proper body of Indigenous Practitioners who can at least handle the medical need of rural India and play the subordinate roles. Moreover, there was a demand for these Indigenous Practitioners in Indian Regiments. So it was time for the government to reconsider their old declarations.

On August 1839, the government gave an order to revive the study of the Indian medical systems in vernacular. Additional classes were added at Calcutta Medical College. Even though the teaching method was

European, Materia Medica, anatomy, medicine and Surgery were taught in Urdu and Hindustani. Various facilities including scholarships were given. These Students had to perform particular duties in hospitals and also had to give a final exam before becoming a Native Doctor. Further progress took place in 1851 when Bengali vernacular classes were added with it. Medical schools started to spread over the country like – Madras Medical college(1835), Travancore(1835), Hyderabad(1840), Ajmer(1848), The Grant Medical College(1845), Agra(1853), Lahore(1860), Sealdah(1873), Nagpur(1867), Nellore(1876), Patna(1874), Dacca(1870), Indore(1878), Ludhiana(1895), Travancore(1835).

If we take a quick look at the geographical location of these above-mentioned places, we can easily see how the British gradually spread the medical institutions all around India. They had started to come out of their European enclaves of Army Cantonments and Presidency towns. So the process of domination was ready to take its journey further in the hinterland. This phase from 1835 to 1860s at first faced clear trends of the medical domination but soon the government had realized the problems of maintaining a small number of western doctors with insufficient western drugs for a country so vast and diverse. The question of economic rationality became very important as the East India Company was a trading corporation whose interest was in economic profit, firstly and lastly. So, there can be no doubt on why they had chosen Native Doctors and drugs even under a pressure from their Metropolitan.

The third phase: Towards domination

The most important change took place in between the 1860s and 1900 when both the affairs of metropolitan and periphery had affected the historical course of medicine in India. After the Mutiny of 1857, there was a major shift in Indian administrative structure which had changed the authority and the nature of the government. As the British government came into power directly, they had to take greater responsibility for the well-being of the general population. So issues like the welfare of peoples and their good health and happiness came under great importance.

The technological changes or scientific developments always had an impact on History. In the case of India, developments in Metropolitan are important to see. The 1860s was probably most important time for Europe when people not only became more conscious about sanitary measures and nutrition but other two most important changes had revolutionised and put Europe ahead of everyone- the rise of regularised independent medical profession and Standardization of medicines.

In the 1850s, the pharmacopoeia in Britain marked a watershed. After the Medical Act of 1858, the General Medical Council had recognised the British Pharmacopoeia. It was more than a mere listing of drugs and focused on the compound and manner of preparing drugs, their fixed weight and measures. In 1864 it was published for the first time and became very famous.

This standardization of medicine was a great escalate to the medical practitioners in India who were under the compulsion to find out indigenous pharmacopoeia to survive the competition. But they failed in this task and thus left a space for Europeans to be more and more critical about Indigenous medicines. Moreover, the victory of the new germ theory marked a complete break from its past. Udoy Chand Dutt in the Materia Medica had discussed the Humoral observations of Indian medicine which were 'not so much the result of

observation and experience'.[16] Even nationalist leader like Mahatma Gandhi in one occasion talked about the 'unsatisfactory state of these medicines'. Western practitioners, both Indians and Europeans started to maintain a distance from it. These medicines, as not properly refined and measured, were considered unsafe. So they put more pressure on the government to go for Western Drugs. Due to the high cost and very irregular supply of western drugs, the government again denied the proposal. A.P.Howell instructed the Medical department – "supply of European medicines be limited strictly to those medicines for which no native drug could efficaciously be substituted." [17]

The Calcutta Medical College took initiative to make a Pharmacopoeia of India and it was published in 1868. Unlike the British, it had no legal force. The increasing professionalization of European Practitioners put great stress on Indian Vaidya's and Hakims. This professionalization had provided a perfect excuse to a group of Europeans to launch western medicines and to create a pressure on the government. Edgar J. Sprtling in 1902 said-"Brothers, there is where our power lies... the real arbiters of the great body politic society. And think of the social power we even now wield…the people will demand this and the law will give it: we have only to stay awake and be aggressive...could ask for firmer standing ground or a longer lever with which to move the world?"[18] Indian Medical Service and Indian Western practitioners also started to claim their superiority and were asking for a Registration Act. The final attack came when a Drug industry rose in Britain out of German Influence and the problem of insufficient delivery was solved. Though a few indigenous practitioners tried to improve their standardization and scientific base but failed to have the state support. Ultimately by the end of the century, the Western Medicine was in a dominating position, not in the rural areas but in the towns among the English educated peoples.

Conclusion

After all these discussions we can understand the stages of the transformation of the relationship between the Indian medical systems and Western medical system. There was no immediate conquest as many scholars use to think. Even as D. Arnold has said-"the relationship between Western and Indian medicine needs to be looked at in a more Pluralistic and dialectic terms, terms that allow for a continuing interaction between the two during the long history of colonial rule in India."[19] The periodization that has been put forward in the existing works like that of Poonam Bala has roughly marked 1860 as the watershed where the age prior that was an age of cooperation. But as we have seen, there was a high contrast within the official circle. So it's not wise to mark such an age with cooperation. The best option is to escape the traps of periodization as they are never perfect. But for the sake of a better understanding if we need to make a periodization along with all its imperfections, then 1835 should be considered as an important break from the existing tradition. Thus the whole century can roughly be remodelled into three parts, from the beginning to 1835, from 1835 to 1860 and from 1860 to 1900.

Scholars like Daniel R. Headrick have said that medicine might be a 'Tool of Empire'. This is very controversial. British were never fully confident about applying Western medicine in India. Medicine was also largely influenced by political and economic factors. The growing nationalist encounter to Western medicine was an obstacle in its way of rapid progress. As Jayanta Bhattacharya says-"the colonial discourse on medicine was mediated not only by considerations of political economy but also by several factors. Polity, biology, ecology, the circumstances of material life and new knowledge interacted and produce this

discourse."[20] This new knowledge was important in shaping the policies regarding Indian medicine. It is also very important to look at the Core-periphery relation. G. Basalla and his three-stage model of spreading western science are may not be perfect for the Indian case. His model talk's about a non-scientific society (non-European) provides a source for European Science in stage one, colonial science in stage two and the process of transplantation with a struggle to achieve on independent scientific tradition or culture in stage three.[21]

But there was no single way traffic during the first phase. Britain also had contributed to India a lot in that period. In the second phase, we can see, colonial science was detached from the colonial interest. The term colonial interest is even more controversial. If we observe the colonial medical policy, we can easily see that the economic interest was more important up to a very long time. The government was not ready to spend money on Western drugs which day by day was becoming more costly. The third phase marked the great difficulties of this model. In India, unlike the USA or Canada, people have a century-old medical tradition. At the same time, the Western medical practices got a strong supporter group. The middle class or the English educated 'Babu' class was a great supporter of it. This group often had fought against the traditional practitioners over the value of Western medicines. The question of the space which has been neglected should now come in the fore. Studying medicine in isolation cannot clarify its social dimension. Colonial rule and education have created a new space within the indigenous society. A new middle class that emerged as the progressive force had a good idea of tradition and legality. This English educated middle class or Bhadraloks correctly realised the source of power which is the state and its legal implications. Demands for the Regulation acts and Registration acts show a well-developed and new consciousness among this class. The education which gave them a sense of superiority also had misguided them. They failed to realise the values attached to the traditional practices and folk medicines. This very same thing shows their arrogance and intolerance towards traditional and subaltern knowledge's. Europeans who were looking forward to cultural domination through medicine had found a powerful ally among the Bhadraloks.

Another important aspect we need to focus on is that India is a big country with great diversities. If we focused more on the structure, we can find out that Britain was not the only Core or Metropolitan. The presidency towns largely functioned in the same way. The rural areas which were treated like the peripheries were the most important stronghold of Indian medical systems, even up to a very recent time. British medicine had largely failed to penetrate there. They were happy with their medical progress which gave them a sense of superiority. People like Ronald Ross believed that British imperialism was first and foremost a civilising force and British introduced 'what was necessary for civilization, a final superior authority'. [22] According to him hospital was one of them. But the extent of such confidence is questionable. Western medicine up to the end of colonialism remained confined among the elites and middle classes mostly. The larger section of the subalterns and tribes were not in touch with it. So the core-centric nature remained intact.

In the closing section, we can say that the domination of Western medicine on Indian medicines were never successful because of its limitations. Again there was no single route traffic. Both took a few things from each other. Colonies were influenced by the developments of the metropolis but did not necessarily was in a peripheral role always. As Mark Harrison said – "the colonies provide access to a range of drugs that were not commonly available in Europe … British India was also the source a major revolution in therapeutics based

on the use of calomel, or mercurous chloride."[23] May be through a better observation, we can find out some more examples like that.

Endnotes

1. Bhore Committee Report: Report of Health Survey and Development Committee, Vol 2, (New Delhi, The Manager Government of India Press, 1946), 455.

2. Poonam Bala, *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio-Historical Perspective,* (New Delhi: Sage Publications, 1991), 25.

3. David Arnold, *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Diseases in Nineteenth century India,* (California: The California press, 1993) 11.

4. Ibid., 21-22.

5. Poonam Bala, *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio-Historical Perspective,* (New Delhi: Sage Publications, 1991), 41.

6. D.G. Crawford, *A history of The Indian Medical Service: 1600-1913, Vol. ii* (London: W. Thacker & co., 1914), 434.

7. Poona Bala, *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio-Historical Perspective*, (New Delhi, Sage Publications, 1991), 44.

8. D.G. Crawford, *A history of The Indian Medical Service: 1600-1913*, *Vol. ii,* (London: W.Thacker & co., 1914), 435.

9. Ibid., 435.

10. Basu, Rajsekhar. *Healing the Sick and the Destitute: Protestant Missionaries and Medical Missions in 19th and 20th century Travancore*, in *Medical Encounters in British India,* ed. Deepak Kumar & Rajsekhar Basu, (New Delhi: Oxford University Press, 2013), 188-189.

11. David Arnold, *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Diseases in Nineteenth Century India,* (California: The California press, 1993), 51.

12. Ibid., 52.

13. Poonam Bala, *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio-Historical Perspective*, (New Delhi: Sage Publications, 1991), 57.

14. Nath Sankar, *First human Dead Body Dissection in the History of Medical Education in India & Pundit Madhusudan Gopta*, Www.aroiwb.org.

15. D.G. Crawford, *A history of The Indian Medical Service: 1600-1913, Vol. ii,* (London: W. Thacker & co., 1914), 440.

16. Poonam Bala, *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio-Historical Perspective*, (New Delhi: Sage Publications, 1991), 53.

17. Ibid., 51.

18. Jayanta Bhattacharya, *Anatomical Knowledge and East-West Exchange*, in *Medical Encounters in British India*, ed. Deepak Kumar & Rajsekhar Basu, (New Delhi: Oxford University Press, 2013), 40.

19. David Arnold, *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Diseases in Nineteenth Century India*, (California: The California press, 1993), 14.

20. Jayanta Bhattacharya, *Anatomical Knowledge and East-West Exchange*, in *Medical Encounters in British India*, ed. Deepak Kumar & Rajsekhar Basu, (New Delhi: Oxford University Press, 2013), 40.

21. Deepak Kumar, *Science and the Raj: A study of British India*, (The Oxford University Press: New Delhi, 1995), 3.

22. Mark Harrison, *Public Health in British India: Anglo-Indian preventive medicine 1859-1914*, (New Delhi: Cambridge University Press, 1994), 151.

23, Mark Harrison, *From Bazar Medicine to Hospital Medicine: calomel, India and the British Empire c.1750-c.1800*, In Kumar, Deepak & Basu, Rajsekhar, *"Medical Encounters in British India"*, (New Delhi, Oxford University Press, 2013), 61.

Bibliography

1) Bhore Committee Report: Report of Health Survey and Development Committee, Vol 2, New Delhi, The Manager Government of India Press, 1946.
2) Bala, Poonam, Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio-Historical Perspective, New Delhi, Sage Publications, 1991.
3) Harrison, Mark, Public Health in British India: Anglo-Indian preventive medicine 1859-1914, New Delhi, Cambridge University Press, 1994.
4) Kumar, Deepak & Basu, Rajsekhar, Medical Encounters in British India, New Delhi, Oxford University Press, 2013.
5) Arnold, David, Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Diseases in Nineteenth Century India, The California press, 1993.
6) Kumar, Deepak, science and the Raj: a study of British India, The Oxford University Press, New Delhi, 1995.
7) Crawford.D.G, A history of The Indian Medical Service: 1600-1913, Vol. ii, London, W. Thacker & co, 1914.
8) Nath, Sankar, First human Dead Body Dissection in the History of Medical Education in India & Pundit Madhusudan Gopta, www.aroiwb.org

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

Organic Pollution and Its Effects: A Global Issue

Apurva
Research Scholar
P.G. Depart. of Zoology
B.R.A. B. Univ. Muzaffarpur
(Bihar)

ABSTRACT

Industrial, agricultural and other anthropogenic activities have lead to the introduction of thousands of pollutants; most of them are synthetic organic compounds. A fraction of these organic compounds, called organic pollutants or persistent organic pollutants (PoPs) are chemicals that have become a major concern because of their toxicity, persistence, bioaccumulation tendency, and susceptibility to undergo long range atmospheric transport. Our current knowledge indicates that the cycling of these chemicals in the environment is highly complex; indeed their local, regional and global cycle is controlled by repeated air – surface exchange and interactions with the carbon cycle. These chemicals have also the potential to accumulate in all the tropic levels of ecosystems, including those far away from sources. The main objective f this paper is to analyse the relationship between organic pollution and its effect on species diversity as well as organisms.

Keywords - Organic, Pollution, Effects, Global, Issue, Organic pollution.

INTRODUCTION

Organic pollution of water refers to the pollution caused by organic materials that can be decomposed by the microorganisms. In balanced aquatic system, the indigenously produced organic matter (detritus formed from primary and secondary production) is always in amounts that allow its complete degradation by the oxygen available in water, without disturbing its natural balance. It is only when the system receives organic matter in excess from outside, the oxyern tend to diminish and lead to the development of hypoxic or totally anaerobic conditions.

All the organic substances which can serve as food for living organisms to obtain their energy needs and to build new cells can be termed as organic nature. The organic matter, based on its origin, can be divided into two main categories i.e., synthesized naturally by biochemical means, and synthesized chemically in the laboratory. The most commonly encountered organic materials, both in the nature and in organic wastes, are the biologically originated carbohydrates, fats (lipids) and proteins, which are readily utilized by the microorganisms as then every source. Apart from these three basic organic materials, there are a number of

other organic molecules, ranging from simple hydrocarbons to complex molecules, but these are much less abundant.

SOURCE OF ORGANIC MATTER :

The most important sources of organic matter in water are:-

(a) **Disposal of Municipal and Domestic Sewage**:- The municipal sewage consists mainly of human excreta and other household organic wastes. Average raw sewage contains usually 1.0% solids which remain both in suspended and dissolved form. Of the organic constituents 65% are nitrogenous, 25% are carbohydrates and 10% are fats (Tabbut, 1977).

Even after conventional secondary treatment a large quantity of dissolved organic matter remains in sewage and may cause organic pollution, especially in the waters with low self – purification capacity. They even labour a number of pathogenic microbes.

(b) **Industrial Effluents and Waste Water** :- A number of industries like food processing dairy, paper and pulp, sugar, distilleries, breweries, tanneries, textile and others have considerable quantities of organic matter of varying nature beside other pollutants. Table lists the characteristic of some important wastes released from the different industries.

Industry	**Characteristics**
Dairy products	High dissolved organic matter mainly proteins, fats and lactose.
	Organic matter in colloidal and dissolved form. High TSS
Canned food	
	High dissolved and suspended organic matter especially protein and fats Blood.
Meat	
& Poultry	High BOD and suspended solids.
Coffee	High BOD mainly of carbonaceous nature.
Cane sugar	High dissolved organic solid mainly of fermented starches or their products and organic nitrogen.
Breweries	
& distilleries	High BOD, colours, high pH, high suspended solids
Textiles	High BOD and total solids, sulphides, hardness
Leather	High suspended, colloidal and dissolved solids, organic matter mainly of cellulose, high or low pH, colours.
Pulp &	
Paper	High BOD and odours, high suspended solids, chlorides
Natural Rubber	High BOD mainly due to starch and related material

Starch	High BOD, odour, sulphur compounds, phenol
Oil refineries	Organic fatty acids
Candle manufacturing	

(c) **Urban and Rural Run – off** :- The run – off origination from urban areas picks up large quantities of organic matter from the streets, houses, gardens and other places and reach bodies of water through municipal sewers or directly. The urban run – off is especially important at onset of rainy season after the dry spell, during which, huge quantities of organic matter accumulate in the city drains. Though the BOD (Biological Oxygen Demand) of urban run – off is highly variable, its values as high as 7700 mgL^{-1} have been reported in certain cases (Mason, 1981).

Rural run – off originating from the sparsely populated and from natural vegetated areas. It contains variable quantities of organic matter derived mainly from the dead plant mater of annual and deciduous vegetation. The run – off, passing through the agricultures areas may also pick up substantial quantities of organic manure, drived parts of crop plants etc. The rural run – off, in general, is of diffuse nature with no point sources.

(d) **Detritus formed by indigenous primary and secondary production:-** The advanced stages of eutrophication often show the symptoms of organic pollution due to accumulation of excessive dead organic matter which exhaust the oxygen resources of water bodies and convert them into hypereutrophic or dystrophic ones.

The growing plants and animals also secrete a variety of trace organics in natural waters. The algal and fungal growth produce several organic compounds which impart characteristic tastes and odours to the waters. Some of the important exudates are sulphur containing compounds like methyl mercaptan, isopropyl mercaptan etc. The excreta of aquatic animals also contains several refractory organic compounds.

EFFECTS OF ORGANIC POLLUTION :-

The discharge of organic matter in water bodies brings about characteristic changes and effects which are –

(a) **Aesthetic Effects** – Accumulations of certain degradation products in water like H_2S, mercapatans and others produce unpleasant odours and disagreeable tastes.

(b) **Effects on Oxygen Balance** – In most non – polluted waters, oxygen is usually maintained at the saturation level because the factors responsible for its addition and removal remain at an equilibrium. However, the addition of organic matter disturbs this equilibrium and the respiratory demand for

oxygen by aerobic bacteria increases beyond the level that can be replenished. As a result, the oxygen concentration goes down and the water becomes anoxic.

(c) **Effect on physico – chemical characteristics** – The hypoxic conditions, prevent the oxidation of ammonia and hydrogen sulphide formed after the degradation of organic matter, thus allowing their build – up to dangerous levels. The organic pollution decreases nitrate content, due to microbial dentrification and increases the phosphorous content due to decomposition. The built up of carbon dioxide (CO_2) is associated with drop in pH. The reduction in pH and dissolved oxygen modifies the redox potential that governs the movement of nutrients across the water and sediment interface.

(d) **Effect on Primary Production** – The organic pollution may increase photosynthesis initially due to luxuriant supply of nutrients released from the organic matter. However, respiration continue all the time, consuming more oxygen than what is generated. At higher levels of organic pollution, accumulation of toxic H_2S and NH_3, adversely affects the phytoplanktonn and higher plants species, causing the fall in the rate of primary production.

(e) **Effect on Species Diversity –** The diversity of all the groups of aquatia organisms including phyotoplankton, zooplankton and benthic invertebrates falls with the rise in level of organic pollution. Only a few tolerant species tend to dominate resulting in the fall of diversity.

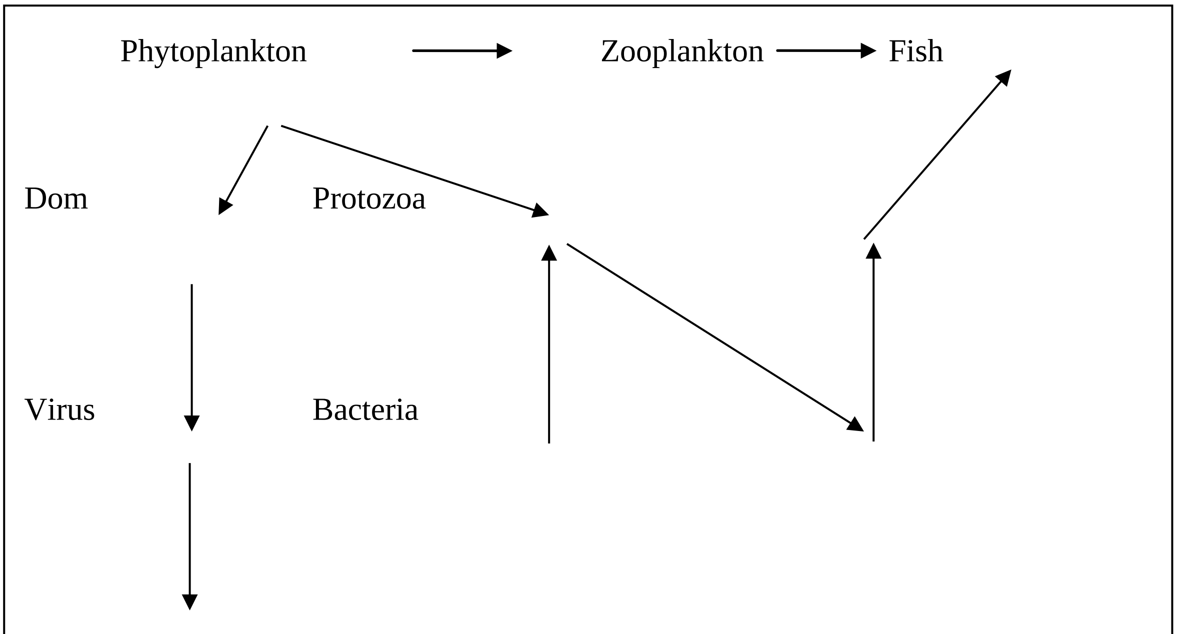

Fig.:- The Pelagic organic carbon Pathways

(f) **<u>Zoning and watershed management</u>** – The land use pattern in the watershed of catchment area will determine the nature of drainage. A check on deforestation and erosion will help in reducing the nutrient land of the water resources. The selections of suitable sites for industries urban development and so on will also controlling the water quality.

(g) **Effect on Organisms** – Organic pollution may affect almost all the aquatic organisms in a variety of ways by reducing the dissolved oxygen, accumulating toxic gases and by products of decomposition, increasing suspended matter and cutting light. Low oxygen affects aerobic organisms. Accumulation of methane, alcohols, aldehydes, ketones, acids and several other byproducts of decomposition is harmful to the organism – Sometimes, a heavy growth of benthic microbial community called "sewage fungus" is seen on heavily polluted conditions. The "sewage fungus" consists of a mixture of several microorganisms, dominated by bacteria and appears as fluffy, fungoid growth over the surface of the substratum. A list of common organisms present in the sewage fungus is –

	Group	Name
1.	Bacteria	**Beggiatoa alfba**
		Flavobacterum spp.
		Sphaerotilus natans
		Zoogloca < pp.
2.	Fungi	**Geotrichum candidum**
		Laptomitus lacteus
3.	Algae	**Fragilaria spp.**
		Navicula spp.
		Stigeoclonium tenue
4.	Protozoa	**Chitodonella cuculluluc**
		C. uncinata
		Colpidim camphylum
		C.colpoda
		Paramecium caudatum
		P.trichium
		Uronema migricans

Algae respond to organic pollution by complete elimination of the original species. Very heavily polluted areas are almost devoid of alagal species. In oderately polluted water bodies, cyanoplycean members like **Oscillatoria** and **Spirulina** are observed.

Some macro invertebrates like members of annedia Tubifex tubifex, Lumbriculus species, Lumbriculus rubellus, diptra members chirenomus larval and Eristalis tenax, Isopoda member Asellus aquaticses etc are tolerant to different levels of organic pollution.

Critical ranges of dissolved oxygen for the survival of fish varies from species to species. Fish kills caused by organic pollutions have been frequently reported from all over the world.

CONCLUSION

Even though the study of the organic pollutants has been active since the early days of the research on the environmental studies. However during the last decade, the amount of research on organic pollutants has increased considerably. Because of the fast development during the last decades of the global economy. The use of resources has increased exponentially and presumably the number of organic chemicals that have entered the environment has also been increasing. In fact, every year there are new pollutants that are "discovered" in the environment. Their introduction should be viewed as another vector of current global charge which represents on additional stressor for organisms, communities and ecosystems that is largely not understood.

REFERENCES :–

1. Bacclar, F.S.S.Dueri, E.Hernandez – Garcia and J.M. Zaldivar, 2009 – Joint effects of nutrients and contaminants on the dynamics of a food chain in marine ecosystems.
2. Berro Jalbiz. N.S. Lacorte, A. Calbet, E.Saiz. C. Barata and J/. Dachis, 2009 – Accumulation and cycling of polycyclic aromatic hydro carbons in Zooplankton. Environ. Sci. Technol.
3. Dachs. J.R. Lohmann, W.A. Ockenden, L. Mehajelle, S.J. eisenrich and K.C. Jones – 2002 Ocenic biogeochemical controls on global dynamics of Persistent organic pollutants, Environ. Sci. Technol.
4. Jaffe. R. 1991 – Fate of hydrophobic organic pollutants in the aquatic environment. A review, Environ. Pollut.
5. Scheriger M.F. Wegmenn, K. Fenner and K. Hungerhihler 2000 – investigation of the cold condition of Persistent organic pollutants with a global multimedia fate model. Environ. Sci. Technical.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

भक्तिकाल में अस्पृश्यता

डॉ. गुंजन त्रिपाठी
IN/5C तिलक नगर, अल्लापुर, प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश :– आंदोलन हो या काव्य–प्रवृत्ति, सब के उद्‌भव के कुछ प्रेरणा–स्रोत होते हैं, ऐतिहासिक–सामाजिक पृष्ठभूमि होती है। भारत में मध्यकाल में अचानक बिजली की चमक की तरह भक्ति–आंदोलन का उदय हो गया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसका कारण क्या था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देने की कोशिश की–''देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही देव मंदिर गिराये जाते थे, देवमूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। .... अपने पौरुष से हताश अस्पृश्यता के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कारण ही क्या था?'' भक्तिकाल में अस्पृश्यता जैसी वैचारिकी प्रभावी स्थिति में थी जो व्यक्ति के उन मूलभूत मानवीय अधिकारों को प्रतिबंधित करती थी जिससे वह सामान्य जीवन का परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर पाता। उस समय प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से असमान प्रस्थिति में था। यह असमानता केवल प्रतिष्ठा और परिसम्पत्तियों के स्वामित्व तक ही सीमित नहीं थी, अपितु जाति विशेष का सदस्य होने के नाते वह मानवीय अधिकारों से भी वंचित था जिसका वह अधिकारी था।

मुख्य शब्दः– अस्पृश्यता, मानवीय अधिकार, पृष्ठभूमि, उद्‌भव, अपमान आदि।

विवेकानन्द के शब्दों में– अस्पृश्यता के दर्द को समझने की एक कोशिश ''मानवीय उच्चता को कोई धर्म इतने सुन्दर रूप से व्यक्त नहीं करता जितना कि हिन्दू धर्म और किसी भी धर्म में मानव का इतना अधोपतन देखने को नहीं मिलता जितना कि हिन्दू धर्म में।''

यह एक सोचनीय विषय है कि अस्पृश्यता का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? जब भी हुआ हो। ये हिन्दू समाज के ऊपर एक दाग है। यदि सृष्टि में कोई भी अनमोल वस्तु है तो वह है 'मानव'; क्योंकि उसी की जाति हम लोग हैं। वह हर चीज को सोचने–समझने की क्षमता रखता है। जब इन्सान एक जैसा ही है और उसकी सारी प्रक्रिया अपने जैसी है तो मानव को इतना रसातल में क्यों रहना पड़ रहा है?

स्पष्ट है कि जितना पुराना हिन्दू धर्म है उतनी ही पुरानी अस्पृश्यता जैसी कटु रुढ़ि। समाज जैसे–जैसे विकसित होता है, वैसे–वैसे व्यक्ति के विचार, भावनाएं एवं सोच हर परिवेश में बदलती रहती है। लेकिन जातिवाद का उत्थान होने के बाद भी अस्पृश्यता के लिए आज तक विशेष बदलाव नहीं आया है। इसी सन्दर्भ में वियोगी हरि ने अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किये हैं। ''विडम्बना है कि एक ओर आदिगुरु शंकराचार्य के अज्ञान को काशी

में एक शूद्र ने दूर किया था और दूसरी ओर उन्हीं की धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त पुरी के शंकराचार्य ने अस्पृश्यता को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित कहकर तथा आज भी इसके औचित्य को बताकर एक संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचय दिया है।''[1]

भारत में अत्यवत् सर्वभूतेषु और पण्डिताः समदर्शिना का आदर्श वाक्यों को प्रस्तुत करने वाले का अस्पृश्यता को मान्यता प्रदान करते हैं।

हिन्दू लोग न केवल हिन्दू शूद्रों को अपितु सभी बाहरी लोगों को (मुसलमानों को भी) अस्पृश्य मानते हैं।

अस्पृश्यता की परिभाषा– कुछ महत्त्वपूर्ण लेखकों ने अस्पृश्यता को कुछ इस तरह परिभाषित करने की कोशिश की है। डॉ. के.एन. शर्मा ने कहा है कि ''अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाये और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत करने पड़ें।[2] डॉ. आर.एन. सक्सेना ने इस विचार का खण्डन करते हुए कहा है कि ''दक्षिण भारत की होलिया जाति के लोग किसी ब्राह्मण को अपने गाँव के बीच से नहीं जाने देते हैं और यदि कोई चला जाता है तो वह अपने गाँव की शुद्धि करते हैं।''[3]

अतः स्पर्श होने का आशय पवित्रतम् अथवा अपवित्रम् नहीं हो सकता है। इसीलिए हट्टन ने कुछ नियोग्यताओं के आधार पर अस्पृश्यता को परिभाषित किया है और कहा है कि ''अस्पृश्य जाति वह है जो उच्च जातियों की सेवा पाने के लिए अयोग्य है। हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश करने से निषेधित है, सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग से वंचित है तथा घृणित पेशे से अलग होने में असमर्थ है।'' डॉ. डी.एन. मजूमदार ने हट्टन से भी उत्तम विचार प्रस्तुत किये हैं ''अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जो बहुत सी सामाजिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से अधिकतर निर्योग्यताओं की परम्परा द्वारा निर्धारित करके सामाजिक रूप से उच्च जातियों द्वारा लागू किया गया।[4]

मनुस्मृति में अस्पृश्यता को स्वीकार किया गया है। उसे देव प्रसाद देना भी निषिद्ध था। अस्पृश्य का वह अंग काट दिया जाता था जिससे वह उच्च वर्णों को छूता था, चोट पहुँचाता था। मध्ययुग में उसे चाण्डाल भी कहा गया और जातियों के साथ खान–पान निषिद्ध किया गया था। यदि वे हट करते तो दण्डित किये जाते थे।

भक्तिकाल में अस्पृश्यता के कारण जाति जन्म के आधार पर ही मनुष्य के कर्म–धर्म तथा गुणों का निश्चय होने लगा था। सभी लोग जाति जन्म के अनुसार ही कर्म का चयन कर सकते थे।

भक्तिकाल में उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये थे जिसके चलते इस अस्पृश्यता ने मनुष्य के मानव होने के अधिकारों को भी समाप्त कर दिये थे। अस्पृश्यता जैसे रोग ने भारतीय समाज को जितना नुकसान पहुँचाया उसकी गणना करना प्रायः असम्भव है। हिन्दू जातियों का एक पहलू यह भी था; क्योंकि उस समय इन जातियों से कोई काम नहीं लिया जाता था। जिससे युद्धों में इनकी ताकत, इनके सहयोग को नहीं लिया गया और मध्यकाल गुलामी की जंजीरों में कैद होता गया और मध्यकाल गुलामी की जंजीरों में कैद होता गया। उस समय युद्ध बुद्धि और बल दोनों से ही लड़े जाते थे। क्या पता इनके सहयोग ने आज भारत को कोई और स्वरूप प्रदान किया होता; क्योंकि बुद्धि और बल ईश्वर प्रदत्त गुण होते हैं और यह किसी में भी हो सकता है। असमानता की वजह से भक्तिकालीन समाज दो वर्गों में बंटा हुआ था। जिसमें कुछ लोग पूजनीय थे तो कुछ लोगों को स्पर्श करना भी अपवित्र माना जाता था। ऐसे लोग जन्मना अस्पृश्य माने गये थे। अस्पृश्य समाज में

चाण्डाल जाति सबसे अस्पृश्य मानी गयी थी। इसकी उत्पत्ति शूद्र अथवा नापित पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से हुई थी। जो अत्यधिक हीन महापातकी, कुत्ते, शूकर और कौए की कोटि के थे। जिनका स्पर्श एवं दर्शन तथा सम्भाषण करना पाप और प्रायश्चित योग्य था।[5]

पूर्व जन्म के असत् कर्मों से उसे चाण्डाल योनि प्राप्त होती थी। अस्पृश्य चाण्डाल जिस गाँव में रहता था वहाँ अध्ययन नहीं किया जाता था, 'सर्व धर्म' बहिष्कृत होने के कारण उसके देखते रहने पर भोजन भी बन्द कर देने की प्रथा थी। कुत्ते उनकी सम्पत्ति होते थे। गाय, बैल, घोड़े आदि उनकी सम्पत्ति नहीं हो सकते थे, कफन उनका वस्त्र था, फूटे बर्तन में यह भोजन करता था। उसका अलंकार लौह धातु का होता था और वह सर्वदा घूमा करता था।

धर्म आचरण करने वाले व्यक्ति उससे न बात करते थे न उसे देखते थे और न ही उसके साथ व्यवहार करते थे। उसे रात्रि के समय विचरण करने की अनुमति नहीं थी वह दिन में राजाज्ञा का विशेष चिन्ह धारण करके गाँव में प्रवेश कर सकता था और बान्धव रहित शव को श्मशान तक ले जा सकता था। प्राण दण्ड पाये हुए व्यक्ति को राजाज्ञा द्वारा वह वध करता था और उसका वस्त्र, शैया और आभूषण आदि वह ग्रहण करता था। पुराणों में भी अस्पृश्यता चाण्डाल के प्रति अमानवीय भावना व्यक्त की गयी है उसे अपवित्र मानकर कुत्ते और पक्षियों की श्रेणी में रखा गया है।

हर्ष के काल में आने वाला चीनी यात्री श्वानच्वांग विस्तृत करता है कि पशुओं को मारकर वह मांस बेचता था। वधिक का कार्य करता था, विष्ठा आदि उठाता था और नगर के बाहर रहता था। उसके घर वर विशेष चिन्ह बने होते थे। बाणभट्ट अपनी कादम्बरी में उसे 'स्पर्श वर्जित' कहने के साथ–साथ बांस की छड़ी बजाकर अपने आने की सूचना देने वाला निर्दिष्ट किया है।[6]

हेमचन्द्र ने लिखा है कि चाण्डाल लकड़ी की आवाज करते हुए चलता था ताकि उच्च वर्ण के लोग छूने से बच जायें।[7]

अलबरूनी लिखता है कि उसका मुख्य कार्य गाँव की सफाई करना था उनके अरब लेखकों ने भी चाण्डाल की निम्न अवस्था का वर्णन किया है। चाण्डाल का वर्ग खिलाड़ी और कलाक्त का था।[8] वह जगह–जगह खेल–तमाशे करके जीविकोपार्जन करता था। कल्हण ने भी उसकी अधम स्थिति का वर्णन किया है।

हेमचन्द्र ने भी चाण्डाल को शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न माना है। जिन व्यक्तियों की माता चाण्डाल होती थी उन्हें मेधातिथि ने सोपाक कहा है। अग्निपुराण ने सोपाक को अपृश्य माना है। बैजयंती कोश (11वीं शताब्दी ई.) में धोबियों, चमारों, वेण, बुरुल, मछेरों, भेड़ों और भीलों की गणना निम्न जातियों में की गयी है। इसमें चमार और मछेर इसलिए अपृश्य समझे गये हैं कि वे नीच व्यवसाय करके आजीविका कमाते थे। पुलिंद, शबर, किरात आदि आदिम जातियाँ पहाड़ों और जंगलों में रहती थीं। वे अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य का मांस अर्पित करती थी। उनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। वे मांस और सुरा का अधिक प्रयोग करते थे। विवाह करने के लिए वे अन्य व्यक्तियों की स्त्रियों को उठा ले जाते थे। अपने ऐसे घृणित कार्यों के कारण वे सभी अस्पृश्य समझे जाते थे।

हिउएनत्सांग के अनुसार ''कसाई जल्लाद और भंगी वगैरह के (जो चाण्डाल और इसी तरह की दूसरी जातियों जैसे थे) उनके मकान शहर से बाहर रहते थे और अपना विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित करते थे।

स्मृतिकारों ने अन्य धर्मावलम्बियों को भी अस्पृश्य माना है। उनके अनुसार बौद्ध, जैन लोकायत नास्तिक कपिल के अनुयायी, शैव और वाम गार्गी शाक्य सभी अस्पृश्य थे। शैवों, पाशुपतो, लोकायतों आदि का स्पर्श करके प्रत्येक उच्चवर्ण के व्यक्तियों को वस्त्रों सहित स्नान करना निर्दिष्ट था।

महाराष्ट्र में महार अपने गले में लटके हुए मिट्टी के पात्र में ही थूक रुकते थे; क्योंकि सड़कों पर थूकने से वह किसी सवर्ण हिन्दू के पैर में लगकर उसे कलुषित कर सकता था। कई ब्राह्मण के महार वाले रास्ते से गुजरे पर महावरों को कांटेदार पेड़ की टहनी से अपने पाँव के निशान मिटाकर दूर लेट जाना पड़ता था जिससे उनकी छाया ब्राह्मणों पर न पड़ सके। मालावार में शाचार को ब्राह्मण से 24 पग, तिया को 26 पग और पुलथन को 96 पग से अधिक दूर रहना पड़ता था।

सोच का सम्बन्ध किसी वस्तु से नहीं जो किसी दायरे में बाँधी जा सके लेकिन जिस विषय में सोचना ही असम्भव हो वही उस वस्तु समाज देश की पराकाष्ठा समझा जा सकता है। हिन्दू समाज इन्हीं रुढ़ियों में अपनी खाई को बढ़ाता गया। आज जिसकी संस्कृति सभ्यता को पूरे विश्व ने सराहा जिसे विश्वगुरु की उपाधि दी जाती थी आज देश में इसी भावनाओं ने हमारे मार्ग को बन्द कर रखा है।

गाँधी जी ने एक बार कहा ''अगर ईश्वर भी अस्पृश्यता को स्वीकार करता है तो मैं उसे ईश्वर मानने से इन्कार कर दूँगा।'' अगर एक भंगी को अस्पृश्य समझा जाता है तो एक माँ को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। यदि मांस जलाने वाले, काटने वाले को अस्पृश्य समझा जाता हो तो साइंस, बॉयोलॉजी के छात्रों को भी एक डॉक्टर को भी अस्पृश्य माना जाना चाहिए। लेकिन इन्हीं दोहरे मापदण्डों से आज हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। समाज में हमें आज ऐसे मापदण्ड स्थापित करने होंगे जिसमें छुआछूत, ऊँच–नीच की भावनाओं का समूल नष्ट हो जाय। आज हमें मिलकर एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे देश में फैली असमानता दूर हो, सोच के स्तर को ही मिटाना है, बदलना है, बदलाव शुरू करना है।

सरकार ने अस्पृश्यता निवारण के लिए बहुत से कार्यक्रम निर्धारित कर रखे हैं। मगर जमीनी स्तर पर इसका प्रसार सीमित ही है। आज भी हमें हर जगह ऐसी बस्तियां, ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं। इंसान होकर खाना–बदोश की जिन्दगी देखकर मर्मराहट सी होती है, क्या करें जिससे इनकी जिन्दगी आसान हो और आम जिन्दगी जी सके। इनके घरों को देखकर लगता है कि आज भी हम सदियों पुराने उस पाषाण युग में रह रहे हैं जहाँ लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। कब होगा इनका विकास? क्या किया जाय? क्या देश में कोई चमत्कार कभी होगा? जब इतनी बड़ी खाई मिटेगी। आयें, हम मिलकर इस देश के लिए कुछ करने का संकल्प लें और इनके उत्थान के लिए आप भी सोचें ताकि इंसान को जानवरों की श्रेणी से निकाला जा सके और मानव अस्तित्व को बचाया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वियोगी हरि, शंकर दिग्विजय (हिन्दुस्तान प्रकाशित वक्तव्य)
2. डॉ. के.एन. शर्मा, भारतीय समाज एवं संस्कृति, पृष्ठ–272
3. डॉ. आर. एन. सक्सेना, भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं, पृष्ठ–99
4. मजूमदार डी.एन. रेसेज एण्ड कल्चर आफ इण्डिया, पृष्ठ–226
5. मनुस्मृति, 10/12 महाभारत (अनुशासन पर्व) 29/27
6. कादम्बरी, पृष्ठ –21 एवं 25
7. देशीनामा पृष्ठ 2 व 77
8. जयशंकर प्रसाद मिश्र, ग्यारहवीं शदी का भारत, पृष्ठ – 127

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

हिन्दी साहित्य में मराठी दलित आत्मकथा की विकास यात्रा

प्रसेन जीत सागर
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग)
डॉ0 राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय
ढिंढुई, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश– दलित चेतना के विकास में दलित पैंथर संगठन का बड़ा योगदान है। पैंथर दलितों पर अत्याचार, अन्याय करने वालों के खिलाफ खड़े हो गये, पैंथर नया था, जोश था। दलितों पर अत्याचार करने वालों में दहशत पैदा हो गयी। पैंथर की शुरूआत ही देवताओं व धर्मों को गालियॉ देकर होती थी। दलित पैंथर की बैठकें, सभाएं, मोर्चे और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चाएं होने लगी थी, इसी प्रक्रिया ने साहित्य सृजन के लिए प्रेरित किया, दलित साहित्य और दलित आन्दोलन सक्रिय केन्द्र बन गया। मुम्बई, औरंगाबाद और नागपुर जैसे शहर। दलित पैंथर और दलित साहित्य दलितों के स्वतंत्र अस्तित्व की आवश्यकता महसूस कराता है। मराठी साहित्य में दलितों का कोई स्थान नहीं वह सवर्णों का साहित्य था।

मुख्यशब्द– हिन्दी, साहित्य, मराठी, दलित, आत्मकथा, अत्याचार।

दलित विमर्श की जो धारा भारतीय साहित्य में उभरकर आई है उसका श्रेय निःसन्देह मराठी भाषा में रचित साहित्य को जाता है। मराठी भाषी क्षेत्र में ही सर्व प्रथम दलित आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तथा बाद में साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में विस्तृत धरातल पर उभरकर आया। साहित्य की अन्य विधाओं की भाँति आत्मकथा विधा सशक्त रूप में दिखाई देती है। इस विधा ने दलित साहित्य को विश्व पटल पर उभारने में अहम् भूमिका निभाई है। मराठी भाषा में दलित साहित्य ने क्रान्तिकारी विचारों को बड़े पटल पर और प्रचुर साहित्यकारों के माध्यम से वाणी दिलाने का प्रयास किया। औरंगाबाद से 1960 में अस्मिता और अस्मितादर्श पत्रिकाओं के माध्यम से दलित साहित्य ने अपनी पहचान कायम की। अस्मिता त्रैमासिक के संस्थापक सम्पादक डॉ0 वानखेड़े थे। इसी पत्रिकाओं के माध्यम से पहली बार मराठी के केशव मेश्राम, बंधु माधव, राजा ढाले, नामदेव, योगीराज वाघमारे, बाबूराव बागुल आदि लेखकों की संक्षिप्त आत्मकथा प्रकाशित हुई और तब से मराठी के अनेक लेखकों ने आत्मकथा लेखन का कार्य प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम मराठी भाषा में डॉ0 अम्बेडकर का आत्मकथ्य 'मेरा जीवन' शीर्षक से 'जनता' पत्र 6 नवम्बर 1954 के अंक

में प्रकाशित हुआ जो निश्चित रूप से किसी दलित चिन्तक की पहली आत्मकथा है जो पत्र में प्रकाशित हुई। डॉ0 अम्बेडकर की यह आत्मकथा दलित साहित्य की ऐतिहासिक धरोहर है। जिससे दलित साहित्यकार प्रेरणा लेकर दलित आत्मकथा विधा को विकसित कर रहे हैं। डॉ0 ओम प्रकाश वाल्मीकि का मानना है कि ''डॉ0 अम्बेडकर की आत्मकथा 'मी कसा झालो' (मैं कैसे बना) से प्रेरणा लेकर दलित सहित्यकारों ने आत्मकथा विधा विकसित की है, जो समाज को दर्पण दिखाती है कि वह समाज जिसमें हम रहते हैं कितना आमानुषिक है।''[1]

सन् 1967 में मराठवाड़ा से दिवाली विशेषांक पत्रिका में दलित साहित्य पर सवर्णों और दलित वर्ग के लेखकों एवं समीक्षकों के विचारों को एक साथ प्रकाशित किया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से दलित साहित्य एक आन्दोलन के रूप में उभर कर आता है। साहित्य की अन्य विधाओं की तरह दलित आत्मकथा लेखन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। 1960 में मराठी लेखन अपने प्रारम्भिक अवस्था में था, लेकिन सन् 1980 तक अधिक समृद्ध दिखाई देता है। डॉ0 अम्बेडकर के नेतृत्व में अनेक सामाजिक, जाति उन्मूलक आन्दोलन चलाये गये और फिर साहित्य में दलित आत्मकथाओं का आगमन हुआ। 1992 तक मराठी में अनेक आत्मकथाएं आ चुकी थी। मराठी में अम्बेडकर और दलित पैंथर की वैचारिकता और आक्रोश का प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिण में दलितों की पीड़ा अभिव्यक्त करने का साहित्यिक माध्यम आत्मकथा विधा प्रभावशाली हुआ तो हिन्दी पट्टी भी इससे अछूता नहीं रहा। आत्मकथा लेखन कार्य समृद्ध होने लगा। आत्मकथा विधा को सामाजिक परिवर्तन की लहर के रूप में देखा जाने लगा।

हिन्दी में मराठी से अनुदित दया पवार की बलुंत (अछूत) 1978 सबसे पहले लिखी गयी, फिर तो आत्मकथाओं का एक सिलसिला ही चल पड़ा । जिसने दया पवार को केवल मराठी साहित्य का ही नहीं बल्कि भारतीय दलित साहित्य का इतिहास पुरूष बना दिया । ''मराठी दलित साहित्य में आत्मकथाएं सर्वाधिक चर्चित हुई, उसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि जातिगत घृणा, अपमान, उत्पीड़न और अपृश्यता के विषैले तीरों का जितना तीव्र और गहरा दंश महाराष्ट्र के दलितों को सहना पड़ा है वह पाशविक और अमानवीयता की पराकाष्ठा है । भद्रता और सौम्यता का लिवास ओढ़े उस समाज के अमानवीय, क्रूर और वीभत्स चेहरे को बेपरदा करके दुनिया को दिखाना आवश्यक था, ताकि वह अपनी जाहिल करतूतों पर शर्मसार हो और दुनिया को अपना मुँह दिखाने लायक रहने के लिए स्वयं को सुधारने का प्रयास कर सके। लोकतांत्रिक गणराज्य में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में, आत्मकथाओं के रूप में दलित साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है।''[2]

मराठी की दलित आत्मकथाएँ हिन्दी में ही नहीं, बल्कि भारतीय तथा अन्य विदेशी भाषाओं में खूब अनुवाद हुआ और चर्चित रही है। मराठी में ही फुले–अम्बेडकर हुए मराठी साहित्य के निर्माण का एक बड़ा कारण यह भी रहा है । यहॉ युवाओं का आन्दोलन ज्यादा हुआ, जिससे वहॉ समाज अधिक सक्रिय हुआ। यहॉ दलित पैंथर के आन्दोलन को दलित युवकों ने संगठित होकर बहुत संघर्ष के साथ आगे बढ़ाया, मराठी में दलित युवकों का आन्दोलन और फुले–बाबा साहब के विचारों के परिणाम के कारण मराठी में दलित साहित्य बड़े पैमाने पर दिखाई देता है । मराठी दलित आत्मकथाओं में तेवर बड़ा तीखा रहा है। यह यहॉ के आन्दोलनों की देन है। पैंथर ने दलित आन्दोलन और दलित साहित्य को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आन्दोलनों से प्रेरणा लेकर दलित साहित्य लिखा गया। दलित लेखक केवल लेखक ही नहीं हैं, बल्कि वह एक कार्यकर्ता भी था। अन्याय, अत्याचार के

खिलाफ आवाज उठाने से लेखकों में लिखने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। महाराष्ट्र में दलित साहित्य के निर्माण में दलित पैंथर की अहं भूमिका रही है ।

मराठी साहित्य के विकास में पैंथर ने एक नया स्वर दिया। पैंथर के पहले दलित आन्दोलन और दलित साहित्य याचना से भरा था। पैंथर में ओज था, इसलिए वे दया और भीख नहीं मांगते हैं। वे जागृत हो चुके हैं, उन्होंने ने हुंकार भरी हम अपना अधिकार छीन कर लेंगे। ''आधुनिक लोकतांत्रिक अधिकार, अस्मिता और चेतना सम्पन्न दलित, आदिवासी और स्त्री समाज, अब अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति लगातार कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब यह साहित्य इस समाज की सामाजिक मुक्ति के आन्दोलन का साहित्य बनकर अभिव्यक्त हो रहा है और यही इस साहित्य का लक्ष्य और उद्देश्य है । इस सामाजिक मुक्ति में दलित साहित्य उस चिन्तन धारा को अपनी वैचारिकी का आधार बनाती है, जो मानवीय मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाली चिन्तन धारा रही है, जिसके हीरो बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर हैं। इसी वैचारिकी की चिन्तन परम्परा से दलित समाज प्रेरणा लेकर दलित चेतना सम्पन्न और दलित समाज की अस्मिता की पहचान करते हुए दलित साहित्य में आत्मकथात्मक अभिव्यक्त करता है, जिसकी पहली साहित्यिक अभिव्यक्ति मराठी साहित्य में होती है।''[3]

समानता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व के सन्देश को ज्योतिबा फुले और डॉ0 अम्बेडकर ने लोकतान्त्रिक जीवन मूल्य और अधिकारों के प्रति सचेत किया। दलितों और आदिवासियों के अन्दर चेतना और अधिकार को जगाया। उनके अन्दर यह भाव पैदा किया कि हम मनुष्य हैं हमें वे सभी मानवीय अधिकार मिलने चाहिए। मराठी दलित साहित्य महात्मा फुले की समृद्ध सोच के परिप्रेक्ष्य में, डॉ0 अम्बेडकर की विचारधारा के प्रभाव में सीधे आन्दोलन के गर्भ से उत्पन्न हुआ और ग्रामीण स्तर तक भी लोक–साहित्य, लोक–कला, नाटक, जलसा आदि के जरिये दलित चेतना के विकास का एक कारगर हथियार बना। दरअसल मराठी दलित नेतृत्व सुधारवादी न होकर परिवर्तनवादी रहा।''[4]

मराठी दलित साहित्य में दलित चेतना और दलित आन्दोलन का विकास प्रखर गति से हुआ। जनवाद और प्रगतिवाद एवं सास्कृतिक मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उभारा गया है। साहित्य सृजन डॉ0 अम्बेडकर के विचारधारा पर ही आधारित है। मराठी दलित साहित्य, साहित्य में व्यापक और दूरदर्शी दृष्टि दिखाई देती है। मराठी दलित साहित्य में दलित चेतना आन्दोलन, संघर्ष, शिक्षा, संगठन और आत्मसम्मान के आधार पर समाज में आमूल–चूल परिवर्तन के लिए संघर्षरत था । राजनीतिक भागीदारी की आकांक्षा से भरा हुआ है। मराठी दलित साहित्यकारों ने इसे तर्कपूर्ण और सशक्त ढंग से साहित्य में अभिव्यक्त किया है। ''महाराष्ट्र में दलित नेता और साहित्यकार अपने बल पर और अपने संगठन के आधार पर डॉ0 अम्बेडकर के नेतृत्व में उनके विचारों से लैस हो सामाजिक के साथ–साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता और पुष्ट दृष्टिकोण के साथ उभरे। इसी कारण वहॉ दलित साहित्य एक क्रान्तिकारी और स्पष्ट समझ के साथ विकसित हुआ और आज वह महाराष्ट्र में मुख्यधारा का साहित्य बन गया है।''[5]

मराठी में दलित साहित्यकारों, कतिपय बुद्धिजीवियों, नौकरशाहों एवं नेताओं ने दलित अस्मिता के लिए अनेक संघर्ष किये, दलित संस्थाओं की भूमिका भी अग्रणी रही है। दलित संगठनों ने ही भारत सरकार पर दबाव डालकर डॉ0 अम्बेडकर के ''सम्पूर्ण वाड्मय'' को छापने के लिए मजबूर किया। अस्सी के दशक में अनेक दलित साहित्यक पत्रिकाएं भी निकाली जाने लगी । डॉ0 अम्बेडकर के नाम से फेलोशिप और राष्ट्रीय आवार्ड दिये गये। झलकारी बाई आवार्ड, दिल्ली में 'दलित साहित्य मंच, सेन्टर फॉर अल्टरनेटिव दलित मीडिया, कदम 1990,

अभिमूक नायक, अखबार, दलित साहित्य प्रकाशन संस्था, डॉ0 श्यौराज सिंह बेचैन के नेतृत्व में 'दलित राइटर्स कोरम,' नागपुर में डॉ0 विमल कीर्ति ने 'फुले अम्बेडकरवादी लेखक संघ का गठन, नागपुर में ही सुश्री कुमुद पांवड़े ने ऑल इण्डिया प्रोग्रेसिव वीमेन आर्गेनाइजेशन नागपुर के तत्वाधान में 2 अक्टूबर 1995 को दलित महिला लेखिकाओं का प्रथम सम्मेलन आयोजन किया गया। नागपुर में ही हिन्दी दलित लेखिकाओं को एक मंच पर लाने के लिए 'दलित लेखिका संघ' की योजना बनी, जिसका प्रथम सम्मेलन दिल्ली में 03 जनवरी 1996 को रजनी तिलक की पहल पर हुआ।

मराठी दलित साहित्य में संवेदनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है जो घृणा, वंचना, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान, उत्पीड़न, अन्याय, असमानता, अवमानना भोगते हुए प्रतिरोध और प्रतिकार के रूप में आक्रोशित चेतना के गहराई से प्रस्फुटित हुआ है। मराठी साहित्य में जो विद्रोह है वह अन्य भाषा में नहीं है। यहॉं साहित्य को कला के लिए नहीं, बल्कि साहित्य को सामाजिक परिवर्तन के औजार के रूप में देखने को मिलता है। दलित साहित्य उन मान्यताओं पर प्रहार लेखन है, जो अन्याय और अत्याचार के वैचारिक स्रोत हैं। मराठी दलित साहित्य ने परम्परागत–मान्यताओं को ध्वस्त कर साहित्य को नया चेहरा दिया। मराठी की दलित आत्मकथाएं हिन्दी ही में नहीं अपितु भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में भी चर्चित हुई । आधुनिक दलित साहित्य की नींव में आत्मकथा लेखन की भूमिका सबसे प्रभावशाली रही है। बाबूराव बागुल की मराठी में 'जेव्हा भी जात चोरली' अर्थात 'जब मैंने जाति छिपाई' नामक कहानी संग्रह ने मराठी दलित साहित्य को युगान्तकारी बना दिया। 1960 से 1990 तक यहॉं के पाठकों ने अन्य भाषा की तुलना में मराठी दलित साहित्य की अनेक विधाओं को, अनेक लेखकों को पढ़ा, चर्चा किया, परन्तु इस परिप्रेक्ष्य में मराठी भाषा की आत्मकथा ज्यादा चर्चित रही है।

''यह बात अपने–आप में सही है कि हिन्दी में दलित आत्मकथाएं लिखने की शुरूआत जब हुई तब मराठी दलित आत्मकथाएं हिन्दी में अनुदित होकर हिन्दी सवर्ण समाज के साथ दलित समाज पर भी दस्तक दे चुकी थी। उन आत्मकथाओं को दलितों ने पढ़ा। वे दलित–साहित्य सृजन पहले से ही कर रहे थे। उनके हाथ में कलम थी और हृदय में हाहाकार, उन्हें बल मिला और प्रेरणा भी। हिन्दी दलित कथाकारों को आत्मकथा लिखने के लिए एक प्रेरक तत्व और था, वह यह कि बंबई, औरंगाबाद और विशेष रूप में नागपुर में आयोजित सभा, सम्मेलन और गोष्ठियॉं, जिनमें बड़ी संख्या में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि से दलित साहित्यकार तथा कार्यकर्ता पहुॅंचते थे।''[6]

दलित चेतना के विकास में दलित पैंथर संगठन का बड़ा योगदान है। पैंथर दलितों पर अत्याचार, अन्याय करने वालों के खिलाफ खड़े हो गये, पैंथर नया था, जोश था। दलितों पर अत्याचार करने वालों में दहशत पैदा हो गयी। पैंथर की शुरूआत ही देवताओं व धर्मों को गालियॉं देकर होती थी। दलित पैंथर की बैठकें, सभाएं, मोर्चे और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चाएं होने लगी थी, इसी प्रक्रिया ने साहित्य सृजन के लिए प्रेरित किया, दलित साहित्य और दलित आन्दोलन सक्रिय केन्द्र बन गया। मुम्बई, औरंगाबाद और नागपुर जैसे शहर। दलित पैंथर और दलित साहित्य दलितों के स्वतंत्र अस्तित्व की आवश्यकता महसूस कराता है। मराठी साहित्य में दलितों का कोई स्थान नहीं वह सवर्णों का साहित्य था। ऐसे साहित्य का विरोध हुआ, फलतः यह भावना बलवती हुई कि हमारा आन्दोलन अलग और हमारा साहित्य भी अलग। आत्मकथा मराठी दलित साहित्य की सशक्त विधा है। मराठी भाषा के दलित लेखकों में सबसे पहले दया पवार ने अपनी आत्मकथा बलुंत (अछूत) लिखी, इसी के बाद आत्मकथा लेखन का सिलसिला

आज तक जारी है। शरण कुमार लिम्बाले कृत अक्करमाशी (दोगला), लक्ष्मण गायकवाड़ कृत उचल्या (उचक्का), माधव कोंडविल्कर मुकाम पोस्ट (टूटी जिन्दगी), लक्ष्मण माने उपरा (पराया), डॉ0 अमिताभ कृत टीस, शान्ताबाई कांबले कृत मेरे जन्म की चित्रकथा पावड़े कृत अन्तस्फोट, मुक्तासर्वगोड़ कृत बन्द दरवाजे, रामनगरकर कृत रामनगरी, रमाकान्त जाधव कृत रमाकान्त की यादें, मुरलीधर जाधव कृत कार्यकर्ता, शशिकान्त तासागॉवकर कृत घराना लोट नाटकों, शंकर राय खरात कृत तराल–अंतराल, बेबी कांबले कृत जीवन हमारा। अनिल अवचट कृत हम भी जिन्दा हैं, दादा साहब मोरे की गबाड़ी (डेराडंगर) किशोर शांता बाई काले कृत छोरा कोल्हाटी का, शंकर राव खरात की तराल–अंतराल, प्रा0ई0 सोनकांबले कृत यादों के पंक्षी, बसंत मून कृत बस्ती आदि। इनमें से अधिकांश आत्मकथाओं का मराठी से हिन्दी में अनुवाद भी हुआ है और वे छपी भी हैं। ये सभी आत्मकथाएं दलित रचनाकारों की आप बीती पर आधारित है। इसी से स्पष्ट है कि दलित साहित्य कल्पना के बजाए भोगे हुए यथार्थ को महत्व देता है।

सन्दर्भ

1– ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र, राधा कृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण–2015 पृ0सं0 19

2– हरिनारायण, कथादेश, दलित साहित्य विशेषांक, दिलशाद गार्डन, दिल्ली, सितम्बर 2019 पृ0सं0 53

3– जय प्रकाश कर्दम, दलित साहित्य (वार्षिकी) सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, 2015 पृ0सं0 102, 103

4– डॉ0 शरण कुमार लिंबाले अनुवादक रमणिका गुप्ता, दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली संस्करण, 2016, पृ0सं0 10

5– वही पृ0सं0 15

6– मोहन दास नैमिशराय, हिन्दी दलित साहित्य, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, संस्करण 2018 पृ0सं0 189

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

भवभूति का भाव एवं भाषागत वैशिष्ट्य का अनुशीलन

इन्दल

पूर्व शोधच्छात्र,

संस्कृत विभाग,

बी0आर0डी0बी0डी0पी0जी0 कॉलेज, आश्रम बरहज

देवरिया, उत्तर प्रदेश,भारत।

शोधसारांश— भवभूति का काव्य प्रकर्ष भी समुन्नत कोटि का है। नाटकीय दृष्टि से भले ही उन्हें वह सफलता न प्राप्त हुई हो जो कालिदास या शूद्रक को प्राप्त है पर काव्य गुण की दृष्टि से भवभूति के नाटकों का महत्त्व कथमपि न्यून नहीं हैं। प्रो0 एस0के0 डे0 के अनुसार कालिदास के उत्तरवर्ती नाटककारों में कात्य प्रकर्ष की दृष्टि से नाटककार भवभूति आगे नहीं हैं।[4] काव्य धारा उनके सभी नाटकों में प्रवाहित हो रही है विशेषकर गीति पद्यों में जो सभी नाटकों में समान रूप से उपलब्ध है। वे मानव—भावनाओं के कवि हैं, जिनकी बहुरूपता में उनकी प्रवृत्ति विश्राम पाती है मानव प्रकृति की उन्हें महान परख है। साथ ही प्रकृति के रूप के दर्शन की भी उनमें क्षमता है।

मुख्य शब्द— **भवभूति, भाव, भाषागत, काव्य, संस्कृत, साहित्य, नाटक।**

महाकवि भवभूति संस्कृत साहित्य जगत् के विलक्षण विभूति हैं। उनकी सहज अनुभूति नाट्यदर्शन के द्वारा विश्व प्रसिद्ध हुई हैं। उन्होंने अपने हृदय निष्ठ सहज व्यापारों का सुन्दर सामंजस्य प्रस्तुत किया हैं। उनकी कविता वनिता कला और भावपक्ष दोनों पक्षों से समलंकृत है। जहाँ एक ओर उनके विभिन्न अवयव अलंकार, छन्द एवं सुमधुर शब्द विन्यास से विलसित है, वहीं दूसरी ओर रस, भाव एवं ध्वनि से उसका हृदय आप्लावित होकर सम्यक् विलास से उल्लसित हो रहा है। महाकवि भवभूति की शैली की यह एक असाधारण विशेषता है कि वे भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते हैं। और वे शब्द तथा अर्थतत्त्व के ज्ञाता हैं। काव्य में प्रौढ़ि तथा उदारता की उद्घोषणा करने वाले कवि का भाषा पर कितना अधिकार रहा होगा, यह प्रश्न सुस्पष्ट है। उन्होंने बड़े ही आत्म विश्वास से कहा है[1]—

यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते।
उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयोक्ष्यते।।

भाषा ही भाव–व्यञ्जित करने का साधन है। दूसरे शब्दों में वह भावों की वाहिका है। जिस प्रकार शरीर के बिना प्राण की सत्ता नहीं, उसी प्रकार भाषा के बिना भी भाषा की सत्ता नहीं। समर्थ कवियों में भाषा भाव का अनुगमन करती है। जिस प्रकार के भाव की वर्णना करनी है उसी प्रकार की भाषा ढल जायेगी। समर्थ कवियों की भाषा एक अत्यन्त तरल पदार्थ होती हैं जो किसी भी ढ़ाल पर ढल जाया करती है। यदि श्रृंगार–रस के वर्णन में कटुवर्ण बहुल भाषा होगी तो यह नितान्त अनुचित तथा अरुचिकर बात होगी। इसी प्रकार वीर तथा रौद्र रसों की वर्णना में कोमलकान्त पदावली वाली भाषा दिखायी पड़े तो अनवस्थान एवं अनौचित्यपूर्ण होकर रसभंग का कारण होगी। जब हम भवभूति की भाषा पर विचार करते हैं तो वे एक समर्थ कवि दिखायी पड़ते हैं और भाषा ज्ञान तथा उनकी ध्वनि पर भवभूति का असाधारण अधिकार है। कालिदास सरल भाषा के पक्षपाती थे पर भवभूति जैसा कि पहले संकेत किया है गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे। उनमें सरल शब्दावली का अभाव मिलेगा। भवभूति के नाटकों को सहसा रंगमंच पर देखने से पूर्व उनका अध्ययन–मनन अपेक्षित है तथा उनकी भाषा में भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्ण शक्ति है। किसी दृश्य को उपस्थित करते समय भाषा उसे मूर्तिमान रूप में उपस्थित कर देती है।[2] समास रूप में हम भवभूति की काव्यशैली के विषय में इस प्रकार कह सकते हैं कि उनकी भाषा सुन्दरी सरस, सरल, प्राञ्जल, परिष्कृत और प्रसादपूर्ण होती हुई यथासर भाषाभाषिनी के रूप में स्थित होकर ओजस्विनी और कठोर हो जाती है। परन्तु उभयत्र वह कुछ मीठी सी मुस्कान लिए रहती है जिसके लिए पाठक लालायित हो उठता है और उसके मुँह में पानी आ जाता है। कहीं–कहीं पर मुहाबरेदार चुस्त भाषा का प्रयोग हुआ हैं। जिससे उनकी भाषा के मन्द मुस्कराहट में चुस्ती सी आ गयी है। अतएव वह अपने यौवन के विकास द्वार पर पहुँच जाती है। वे जहाँ जिस भाव को प्रस्तुत करना चाहते हैं। भाषा उस भाव को सहज रूप में सहसा ही प्रस्तुत कर देती है। उनके कथापेकथन यथावसर छोटे गम्भीर रसीले एवं चुटकीले हैं। कालिदास की तरह भवभूति की भी भाषा भी अपूर्व तरलता लिए हुए है। इन दोनों कवियों में भाषा के सम्बन्ध में कौन अधिक सक्षम है, इसका निर्णय करना कठिन है। भवभूति का उत्तर रामचरित भाषा की दृष्टि से अभिज्ञानशाकुन्तल की अपेक्षा न्यून नहीं है। जहाँ जैसा भाव है वहाँ वैसी ही भाषा का प्रयोग दोनों कवियों ने किया है। परन्तु महाकवि भवभूति कहीं–कहीं पाण्डित के फेर में पड़कर दुरुह भाषा का प्रयोग कर देते हैं। जिससे साधारण लोक दृष्टि से वे कुछ उपर बढ़ जाते हैं। भवभूति की भाषा में विद्ग्धता, पौढ़ता, उदारता, गुण–बहुलता, प्रसन्नता, विपुलार्थता, अर्थगुरूता, मधुरता, भावुकता आदि गुणों के दर्शन होते हैं। इनके साथ ही साथ उनका नाद सौन्दर्य अत्यन्त ही प्रभावशाली एवं चमत्कारोत्पादक है। तथा इन विशिष्ट गुणों से उनके महत्त्व को नितान्त उदात्त बना देते हैं। सबसे प्रधान गुण है भवभूति की वर्णन–पटुता प्रयासः यह आज्ञेय है कि भवभूति की भाषा बड़ी कठोर हैं। किन्तु इसके सत्य होते हुए भी, जब विषय का प्रवाह चलता है और कोई गम्भीर घटना प्रस्तुत होती है तो भाषा अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। इसके अतिरिक्त भवभूति की भाषा का प्रधान गुण है विषय या दृश्य का प्रतिबिम्ब अंकित कर देना। मूर्त विषय की तो बात ही क्या अमूर्त मनोंभावों के चित्रण में भी भवभूति की भाषा सुतरां सफल और बेजोड़ है। भवभूति के गद्य अपेक्षाकृत अधिक कठोर तथा उबाने वाले हैं किन्तु गद्यभाग की संख्या पद्य से वैसे भी चतुर्थांश है और पद्य में वह दुरूहता भी नहीं है। डॉ0 बेलवल्कर का यह कथन उपयुक्त है कि कोई लेखक इस प्रकार अपने पद्य और गद्य को पूर्णतः दो भिन्न आधारों पर रखने में समर्थ नहीं हुआ है। कालिदास की सुकुमारता, कलाकारित और अलंकार विधान भवभूति में उपलब्ध नहीं होता पर भवभूति परिस्थिति के किसी विशिष्ट अंशों या विशिष्ट भावनाओं को लेते हैं और उनका क्रमिक रूप से सांगोपांग

वर्णन करते है। पाठक के मन में गम्भीर मनोंभावों की उद्‌बुद्धि कर देना जिसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है। भावनाओं का वर्णन वे इतनी सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं कि उन्हीं के साथ अपना तादात्म्य कर देते हैं। भावनाओं की वर्णना में जितनी सघनता भवभूति में दिखायी पड़ती है, उतनी अन्य किसी संस्कृत कवि में नहीं उपस्थित कर देना प्रिय नहीं। उन्हें भावों की वर्णना को अलंकारों के आदम्बरों में अलंकारों के आडम्बरों में भाव सौन्दर्य तो लुप्त हो जाता है केवल अलंकार ही रह जाता है। मानवीय भावों की गहराई में प्रविष्ट होकर उन्हें बड़ी गम्भीरता तथा मार्मिकता के साथ उपस्थित कर देना भवभूति की सबसे बड़ी सफलता है। हृदय में भावों का वर्णन सीधे शब्दों में करना कवि की विशेषता है। भावों की सघनता तथा विस्तार दोनों वस्तुयें भवभूति के नाटकों में सर्वत्र व्याप्त है। उत्तररामचरित में यदि करुण रस प्रसंग आया है तो वह लघु विस्तारी नही, दीर्घ विस्तारी है, पूरे नाटक में प्रसृत है। कोई वस्तु जब व्यापक हो जाती है तो प्रकृत्या सघनता की न्यूनता हो जाती है, पर भवभूति में विस्तार होने पर सघनता में वृद्धि हो जाती है। यदि करुणा का प्रसंग व्यापक होता है तो करुण की रसानुभूति भी व्यापक हो जाती है। दर्शक पाठक पात्र और स्वयं कवि भी उस रस सागर में गोता लगाता है। धन्य है एसे महाकवि कि सहृदय रसिकों को कौन कहे पत्थर भी रो पड़ते हैं–[3]

आर्थदं रक्षोभिः कनक हरिणच्छ्‌द्मविधिना।
तथा वृतं पायैर्त्यथयति यथा क्षालितमपि।
जनस्थाने शून्ये विकलकरणैरामचरितै–
रपि ग्रावा रोदित्यपि दलित वज्रस्य हृदयम्।।

भवभूति का काव्य प्रकर्ष भी समुन्नत कोटि का है। नाटकीय दृष्टि से भले ही उन्हें वह सफलता न प्राप्त हुई हो जो कालिदास या शूद्रक को प्राप्त है पर काव्य गुण की दृष्टि से भवभूति के नाटकों का महत्त्व कथमपि न्यून नहीं हैं। प्रो0 एस0के0 डे0 के अनुसार कालिदास के उत्तरवर्ती नाटककारों में कात्य प्रकर्ष की दृष्टि से नाटककार भवभूति आगे नहीं हैं।[4] काव्य धारा उनके सभी नाटकों में प्रवाहित हो रही है विशेषकर गीति पद्यों में जो सभी नाटकों में समान रूप से उपलब्ध है। वे मानव–भावनाओं के कवि हैं, जिनकी बहुरूपता में उनकी प्रवृत्ति विश्राम पाती है मानव प्रकृति की उन्हें महान परख है। साथ ही प्रकृति के रूप के दर्शन की भी उनमें क्षमता है। प्रकृति की सुकुमारता में वे रहने वाले व्यक्ति नहीं, उसके उग्र विद्रूप और विषम रूप में उनकी प्रकृति रहती है भवभूति भावना को पकड़ कर मानव जीवन के उस उत्स में प्रविष्ट हो जाते हैं। जिस इस धार से जीवन अनुप्राणित एवं रसाप्लावित होकर प्रवाहमान रहता है। यही रसधारा जीवन को सरस बनाती है। कई भावों की एकत्र उपस्थिति का बड़ा ही मनोरम वर्णन भवभूति ने किया है। तथा कवि का प्राकृत भाषा में भी प्रेम दर्शनीय है यद्यपि महावीरचरित में तथा उत्तरराम चरित में प्राकृत की कमी है पर मालती माधव में इसकी बहुलता दर्शनीय है। कहीं–कहीं तो विभिन्न स्थलों पर एक शब्द के दो रूपों का प्रयोग हुआ है जैसे कहीं 'वट्‌टदि' है तो कही 'बटठइ'।[4] प्राकृत के विषय में सामान्यतः कवि ने सौरशेनी प्राकृत तक ही अपने को सीमित रखा है। डी0एल0राय ने भवभूति की भाषा की प्रशंसा की है जहाँ कलिदास की भाषा अपनी सरलता में महत्त्व रखती वहाँ भवभूति की भाषा की गम्भीरता भी कम महत्त्व की नही। शब्द ब्रह्मविद् तथा परिणत प्रज्ञ पासरजनश्लाध्य भाषा के पक्षपाती नहीं। उनकी घोर गम्भीर भाषा का अपना विशेष स्थान हैं। वस्तुतः काव्यकर्म में भाषा का यही महत्त्व है।[5] काव्यकर्म के दो अंग है– अनुभूति और वर्णना। वर्णना के लिए ही भाषा की अपेक्षा होती है कवि की अनुभूति कितनी भी प्रखर कितनी भी सच्ची और कितनी भी मार्मिक क्यों

न हो पर जब तक सशक्त भाषा के माध्यम से वह अवतरित प्रवाहित न हो तब तक किस काम की भवभूति की भाषा सशक्त है और भावव्यंजना में पूर्णतः सफल है। पद वाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति वाणी के धनी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1— उत्तररामचरितम्, 1/2।

2— मालतीमाधवम्, 9/15।

3— उत्तररामचरितम्, 1/2।

4— टोडरमल कृत महावीरचरित की प्रस्तावना, पृष्ठ 28—29।

5— संस्कृत साहित्य की रूपरेखा : पाण्डेय एवं व्यास, पृष्ठ 145—146।

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

शास्त्रशिक्षणे प्रामाण्यवादः

डॉ. कुलदीपसिंहः
सहायकाचार्यः (शिक्षाशास्त्रम्)
ज.रा.राजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालयः
जयपुरम्, राजस्थानम्, भारतम्

सारांशः – आत्यन्तिकसत्यस्य यथार्थज्ञानस्य वा गवेषणा भारतीयदार्शनिकवादानां मुख्यविशेषता भवति। ज्ञानं स्वयम् आत्मनो यथार्थतायाः प्रमाणं ददाति, अथवा अन्यैः प्रमाणैः ज्ञानस्य प्रामाणिकता प्रमाणिता भवति इति प्रश्नस्य उत्तरं ददाति प्रामाण्यवादः। प्रामाण्यवादः स्वतः परतः इति भेदेन द्विविधो भवति। यथा यथार्थज्ञानं प्रतिष्ठापयितुं प्रामाण्यवादो भवति, तथैव अयथार्थज्ञानं प्रमाणीकर्तुम् अप्रामाण्यवादोऽपि भवति। पत्रेऽस्मिन् बहुभिः उदाहरणैः प्रामाण्यवादस्य विषये विमृष्टोऽस्ति। कस्मिन् दर्शने स्वतः प्रामाण्यवादोऽस्ति, परतः प्रामाण्यवादश्चास्ति इत्यपि पत्रेऽस्मिन् समुपवर्णितमस्ति।

उद्देश्यानि –

1. प्रामाण्यवादस्य अवधारणायाः स्पष्टीकरणम्।
2. विविधानां दर्शनानां मते ज्ञानस्य प्रामाण्यवादविषयकचिन्तनस्य उपस्थापनम्।
3. प्रामाण्यवादस्य अप्रामाण्यवादस्य च मध्ये भेदस्पष्टीकरणम्।

मुख्यशब्दाः –प्रमा, प्रमाणम्, प्रमितिः, प्रमेयम्, स्वतः प्रामाण्यवादः, परतः प्रामाण्यवादः, अप्रामाण्यवादः, मीमांसकाः, नैयायिकाः।

प्रामाण्यवादः भारतीयदर्शनस्य ज्ञानमीमांसया सम्बद्धः कश्चन गभीरः महत्त्वपूर्णश्च विषयः अस्ति। प्रामाण्यवादः कश्चन प्रयासः अस्ति, येन कस्यचित् ज्ञानस्य वैधतायाः निर्णयः भवति। ज्ञानस्य वैधता प्रामाण्यं वा ज्ञानेन सहैव उत्पद्यते अथवा ज्ञानप्राप्तेः परं भिन्नप्रक्रियया अर्थात् परतः प्रमाणैः उत्पद्यते इति प्रामाण्यवादस्य मूलसमस्या भवति। अत्र एषा अपि समस्या अन्तर्भवति यत् ज्ञाने अवैधता अप्रामाण्यं वा स्वतः उत्पद्यते अथवा तदपि परतः प्रमाणैः एव उत्पद्यते इति।

प्रामाण्यवादस्य एनां समस्याम् एकेन व्यावहारिकोदाहरणेन स्पष्टां कर्तुं शक्नुमः। यदा कस्मिंश्चित् मार्गे एकस्मिन् धनस्यूते शतस्य रूप्यकपत्रं स्पष्टतया दृश्यते, तदा प्रत्यक्षं ज्ञानं भवति यत् शतं रूप्यकाणि एतस्य पत्रस्य मूल्यम् अस्ति इति। यदा कश्चन प्रामाणिकः पुरुषः वदति यत् एतस्मिन्

धनस्यूते शतस्य रूप्यकाणाम् एकं पत्रमस्ति, तदा शब्दप्रमाणेन धनराशि: ज्ञायते। यदा च धनस्य स्यूते तत् पत्रम् अस्ति, तत्र 100 इति संख्या मुद्रिता अस्ति, यथा अन्येषु धनपत्रेषु भारतस्य राजचिह्नं प्रामाणिकं हस्ताक्षरं च भवति, तथैव एतस्मिन् अपि अस्ति इति प्रमाणेन धनपत्रस्य मूल्यं ज्ञायते, तदा अनुमानप्रमाणेन तज्ज्ञानं भवति। एवं प्रकारेण धनविषये यथार्थज्ञानं भवति। किन्तु एतादृशं ज्ञानं वस्तुत: यथार्थज्ञानम् अस्ति न वा इत्यस्य किं प्रमाणम् ? इति प्रश्न: समुदेति। एतादृशस्य प्रश्नस्य समाधानाय दार्शनिकचिन्तकै: प्रामाण्यवाद: शरणीक्रियते। प्रमाणानां यो भावो धर्मो वा भवति, तदेव प्रामाण्यं भवति।

वस्तुत: भारतीयदर्शनपरम्परायां पदार्थानां विवेचनार्थं मुख्यतया प्रमाणम्**,** प्रमेयम्**,** प्रमिति:**,** प्रमाता चेति चत्वार: अंशा: भवन्ति। तत्र -

प्रमाणम् – येन विषयस्य निश्चयात्मकं ज्ञानं भवति**,** तत् प्रमाणम्।

प्रमेयम् – प्रमाणेन यस्य विषयवस्तुन: ज्ञानं भवति**,** तत् प्रमेयम्।

प्रमिति: – प्रमाणेन यस्य विषयस्य निश्चयात्मकं ज्ञानं भवति**,** सा प्रमिति:।

प्रमाता – प्रमाणेन प्रमेयज्ञानं यो जानाति**,** स: प्रमाता।

दार्शनिकपरम्परायां यथार्थज्ञानं 'प्रमा' इत्युच्यते। अर्थात् य: पदार्थो भवति, तस्य तेनैव प्रकारेण ग्रहणं प्रमेति। यथा घटस्य घटरूपेण ज्ञानं प्रमा, जलस्य जलरूपेण ज्ञानं प्रमेति। प्रमाया: करणं प्रमाणं भवति। सैषा प्रमा ज्ञानपदेन उपलब्धिपदेन वापि व्यवह्रियते।

तत्र वेदवाक्यानां यथार्थताविषये प्रमाणस्य जिज्ञासा जागर्ति। अस्यां जिज्ञासायां प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, आप्तवाक्यम् इत्यादिभि: प्रमाणै: वेदज्ञानस्य यथार्थता मन्यते। प्रमाणस्य आधार: एव प्रामाण्यं भवति। प्रमाणशब्दात् ष्यञ् प्रत्यये प्रामाण्यम् इति शब्द: निष्पद्यते। वदति इति वाद:। प्रामाण्यं वदति इति प्रामाण्यवाद:।

यथा पूर्वमुक्तमेव यत् येन विषयस्य निश्चयात्मकं ज्ञानं भवति, तत् प्रमाणं भवतीति। किन्तु प्रामाण्यवादस्य भूमिकायाम् आदौ एतत् ज्ञातव्यं यत् प्रमाणं कतिधा भवति। किं दर्शनं कतिविधं प्रमाणम् अङ्गीकरोति।

प्रमाणस्य प्रकारा:

प्रत्यक्षमनुमानञ्च शाब्दं चोपमितिस्तथा।
अर्थापत्तिरभावश्च षट् प्रमाणानि भादृशाम्।।

अर्थात् प्रत्यक्षम्**,** अनुमानम्**,** शाब्दम्**,** उपमानम्**,** अर्थापत्ति: अभावश्चेति षड्विधं प्रमाणं मुख्यतया भवति। तत्र साक्षात्प्रतीति: **प्रत्यक्षं प्रमाणं** भवति। अवस्थादृष्ट्या प्रत्यक्षं निर्विकल्पं

सविकल्पमिति द्विधा भवति। निर्विकल्पं प्रत्यक्षं तद्भवति यत्र केवलं वस्तुन: अस्तित्वस्य ज्ञानं भवति। यथा 'इदम्' इति निर्विकल्पं प्रत्यक्षम् अस्ति। अत्र स्वरूपस्य बोधो न भवति। अत: परं द्वितीयावस्था भवति, यत्र दृष्टा वस्तुन: स्वरूपम्, गुणं धर्मं च विज्ञाय वस्तु परिचिनोति। यथा 'इदं पुस्तकम्' इति सविकल्पकं ज्ञानं भवति। **अनुमितिकरणम् अनुमानं** भवति। प्रतिज्ञा-हेतु-दृष्टान्त-उपनय-निगमनानि चाधारीकृत्य अनुमानप्रमाणं प्रवर्तते। **उपमितिकरणम् उपमानं** भवति। यथा गोसदृशो गवय: इति। उपमानप्रमाणे प्रत्यक्षात्परं सादृश्यज्ञानेन यथार्थज्ञानं भवति। पौरुषेयापौरुषेयवाक्यप्रमाणं **शाब्दप्रमाणं** भवति। **अर्थापत्तिरपि दृष्ट: श्रुतो वाऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यर्थकल्पना** अर्थात् विरोधाभासे उत्पन्नं काठिन्यं दूरीकर्तुं येन हेतुना काचित् कल्पना क्रियते, सा अर्थापत्तिरिति। सैषा अर्थापत्ति: दृष्टार्थापत्ति:, श्रुत्वार्थापत्ति: इति द्विधा भवति। यथा कस्मिंश्चत् प्रकोष्ठे नृत्ये काले 'पिधानं कुरु' इति वाक्येन नृत्यस्य पिधानम् उत प्रकोष्ठस्य द्वारस्य पिधानमिति संशये द्वारस्य पिधानमित्यर्थकल्पना अर्थापत्ति: भवति। **अभाव: अर्थात् अनुपलब्धिरिति।** यथा कस्मिंश्चित् भवने सर्वं वस्तु अस्ति, किन्तु घट: नास्ति। घटस्य अभाव: एव घटस्य अनुपलब्धे: बोधक: भवति। यथा तस्मिन् गृहे सर्वेषां वस्तूनां भावस्य साक्षात् ज्ञानं भवति, तथैव घटस्य अभावस्य ज्ञानमपि साक्षादेव भवति।

तत्र चार्वाका: केवलं प्रत्यक्षं प्रमाणं स्वीकुर्वन्ति। बौद्धा: वैशेषिकाश्च प्रत्यक्षम् अनुमानं च प्रमाणरूपेण अङ्गीकुर्वन्ति। भासर्वज्ञनामका: नैयायिका: सांख्याश्च प्रत्यक्षम्, अनुमानं शब्दं च प्रमाणत्रयरूपेण आमनन्ति। भासर्वज्ञनैयायिकेतरे नैयायिका: प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं शब्दं चेति प्रमाणचतुष्टयं स्वीकुर्वन्ति। प्राभाकरमीमांसका: प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, शब्दम् अर्थवृत्तिं चेति प्रमाणपञ्चकं स्वीकुर्वन्ति। वेदान्तिन: भाट्टमीमांसकाश्च अनेन प्रमाणपञ्चकेन सह अनुपलब्धिमपि प्रमाणरूपेण अङ्गीकृत्य षट् प्रमाणानि स्वीकुर्वन्ति। पौराणिका: उपर्युक्तै: षड्भि: प्रमाणै: सह सम्भवम् ऐतिह्यं चेति प्रमाणद्वयं स्वीकृत्य अष्टौ प्रमाणानि आमनन्ति। यथोक्तम् -

चार्वाकास्तावदेकं द्वितयमपि पुनर्बौद्धवैशेषिकौ द्वौ,
भासर्वज्ञश्च सांख्यास्त्रितयमुदयनाद्याश्चतुष्कं वदन्ति।
प्राहु: प्राभाकरा: पञ्चकमपि च वयं तेऽपि वेदान्तविज्ञा:,
षट्कं पौराणिकास्त्वष्टकमभिदधिरे सम्भवैतिह्ययोगात्।।

ज्ञानस्य प्रामाणिकता

भारतीयदार्शनिकै: ज्ञानस्य प्रामाणिकताविषये गाम्भीर्येण विचारो विहित:। ज्ञानस्य प्रामाणिकता इत्यस्य अयमाशयो यत् प्रमाणै: यत् ज्ञानं प्राप्तमस्ति, तस्य सत्यताया: यर्थाथताया: वा निर्णय: इति। भारतीयदर्शनपरम्परायाम् एष विचार: प्रामाण्यवाद: इत्युच्यते। किन्तु ज्ञानस्य प्रामाणिकता कथं स्यादित्यत्र दार्शनिकेषु मतद्वयम् अस्ति। तत्र प्रथममते मन्यते यत् ज्ञानस्य यथार्थता स्वयमेव सिद्धा भवति। एष सिद्धान्त: **स्वत: प्रामाण्यवाद:** इत्युच्यते। एतद्विपरीतपक्षे अन्ये दार्शनिका:

चिन्तयन्ति यत् ज्ञानस्य सत्यता स्वत: सिद्धा न भवति। तस्य सत्यताया: निर्धारणं प्रमाणै: क्रियते। एष सिद्धान्त: **परत: प्रामाण्यवाद:** इत्युच्यते। पूर्वोक्तेन उदाहरणेन चिन्तयामश्चेत् शतस्य रूप्यकाणां यत् धनपत्रमस्ति, तस्य सत्यताया: प्रमाणं तत् धनपत्रं स्वयमेव अस्ति। कुतश्चित् अन्यत: तस्य प्रामाणिकतायै किमपि आनेतव्यं नास्ति। धनपत्रस्य शुद्धतायै प्रामाणिकतायै यत् यत् प्रमाणम् आवश्यकम्, तत् तत् सर्वं धनपत्रे एव अस्ति। एतदेव स्वत: प्रमाणम् अस्ति। एवमेव यदि तस्य धनपत्रस्य शुद्धतायै प्रामाणिकतायै च वित्तकोषं गच्छति, तत: विशेषज्ञेन परीक्ष्य धनपत्रस्य प्रामाणिकतां निश्चिनोति, तर्हि तत् परत: प्रमाणमिति वक्तव्यम्।

यथा प्रामाण्यवाद: ज्ञानस्य वैधतां (Validity of Knowledge) सूचयति, तथैव अप्रामाण्यवाद: ज्ञानस्य अवैधतां (Invalidity of Knowledge) सूचयति। अत्र अप्रामाण्यवादेन अयथार्थज्ञानस्य परीक्षणेन आशयोऽस्ति। प्रामाण्यवादवदेव अप्रामाण्यं परीक्षितुमपि स्वत: प्रमाणानां परत: प्रमाणानां च आवश्यकता भवति। प्रामाण्यवादस्य स्वरूपम् अधोदत्ते रेखाचित्रे द्रष्टुं शक्यते –

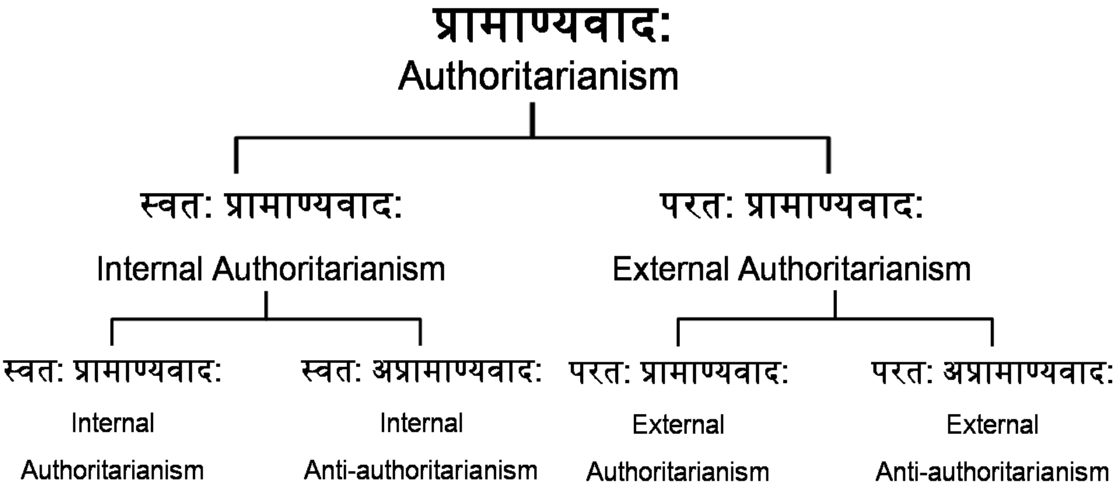

अनेन विवरणेन स्पष्टं भवति यत् यथार्थज्ञानं कर्तुं यथार्थज्ञानसामग्र्यामेव यदि प्रामाणिकता मन्यते, तर्हि स: स्वत: प्रामाण्यवादो भवति। यदि च यथार्थज्ञानसामग्र्या: प्रामाणिकता बाह्यप्रमाणै: प्रमाणिता भवति, तर्हि स: परत: प्रामाण्यवादो भवति। यथा सरोवरे जलं वीक्ष्य स्वत: प्रामाण्यवादिन: चाक्षुषप्रत्यक्षं कृत्वा स्वत: प्रमाणेन जलमिति वदिष्यन्ति किन्तु परत: प्रामाण्यवादिन: तज्जलं पीत्वा रासनप्रत्यक्षेण परत: प्रमाणदिशा जलमिति स्वीकरिष्यन्ति। विविधेषु दर्शनेषु ज्ञानस्य प्रामाण्याप्रामाण्यविषये मतैक्यं नास्ति, तद्यथा –

स्वत: प्रामाण्यं परत: अप्रामाण्यं च	-	मीमांसादर्शनम्, वेदान्तदर्शनम्
स्वत: प्रामाण्यं स्वत: अप्रामाण्यं च	-	सांख्यदर्शनम्
परत: प्रामाण्यं परत: अप्रामाण्यं च	-	न्यायदर्शनम्
परत: प्रामाण्यं स्वत: प्रमाण्यं च	-	बौद्धदर्शनम्

स्वत: प्रामाण्ये काठिन्यम् –

नैयायिका: वदन्ति यत् स्वत: प्रामाण्ये दोषो भवति यत् बहुधा भ्रान्ते: निवारणं भवितुं नार्हति। श्वेतपेयमिति दुग्धमिति स्वत: प्रमाणिते सति यथार्थत: तक्रस्यापि ज्ञानं न भवति।

परत: प्रामाण्ये काठिन्यम् –

परत: प्रामाण्ये किमपि एकं प्रमाणं पर्याप्तं न प्रतीयते अत: बहुभि: प्रमाणै: प्रमाणीकरणस्य आवश्यकता भवति। अत: एव अनेकानि प्रमाणानि मन्तव्यानि भवन्ति।

समाधानम्

परत: प्रामाण्यस्य आलोचनायाम् उत्तरत्वेन नैयायिका: वदन्ति यत् एषा आपत्ति: मूलहीनैव। व्यवहारे तु एकेन प्रमाणेन सिद्धे द्वितीयप्रमाणस्य आवश्यकता न भवति। यथा राज्ञ: भोजने विषस्य आशङ्कायां पाचक: एव स्वयं स्वनिर्मितं भुक्त्वा भोजनस्य विषहीनतां प्रमाणीकरोति। प्रामाण्यवादस्य सिद्धान्त: लोके अपि प्रचलित: अस्ति। शिक्षायामपि शास्त्रपद्धते: प्रामाण्यवादस्य समुपयोगो भवति। गुरु: यत् वदति तदात्मनि स्वत: प्रमाणितमपि भवति, परत: प्रमाणैश्चापि तत्प्रमाणितं भवति। एवमवे छात्रोऽपि यदुत्तरं वदति तदपि स्वत: प्रमाणितं परत: प्रमाणितं च भवति।

उपसंहार:

विविधै: प्रमाणै: ज्ञानस्य यथार्थताया: निश्चय: क्रियते। यथा ज्ञानसामग्री आत्मनि एव वैधा भवति, तदा स्वत: प्रामाण्यवाद: इत्युच्यते। यदा ज्ञानं बाह्यसाधनै: यथा प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, शाब्दम्, अर्थापत्ति:, अभाव: चेत्यादिभि: प्रमाणै: प्रमाणितं भवति, तदा तत् परत: प्रामाण्यवाद: इत्युच्यते। मीमांसका: वेदान्तिनश्च ज्ञानस्य स्वत: प्रामाण्यं परत: अप्रामाण्यं च अङ्गीकुर्वन्ति। नैयायिका: ज्ञानस्य परत: प्रामाण्यं परत: अप्रामाण्यं च स्वीकुर्वन्ति। प्रामाण्यवाद: लोकव्यवहारेणापि सिद्धो भवति। ज्ञानस्य सत्यतापरीक्षणे शास्त्रस्य प्रामाण्यवादप्रक्रिया महोपकारिका भवति।

सहायकग्रन्था:

1. अन्नम्भट्टविरचित: तर्कसङ्ग्रह:
2. केशवमिश्रप्रणीता तर्कभाषा
3. अवस्थी, प्रेमा; मीमांसा दर्शन, सुरभारती प्रकाशन, कानपुर।
4. निगम शोभा; भारतीय दर्शन, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली।
5. राधाकृष्णन् एस.; भारतीय दर्शन (भाग 1-2), राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली।
6. मिश्र, उमेश; भारतीय दर्शन, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

भारत में हरित क्रान्ति का किसानों के सामाजिक–आर्थिक स्तर पर प्रभाव

डॉ0 विमलेश मिश्र
असिस्टेण्ट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
कृषक (पी0जी0) कॉलेज, मवाना, मेरठ,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ (उत्तर प्रदेश)

सारांश – कृषि में होने वाले पूँजी निर्माण के सन्दर्भ में सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते है। कि आय वृद्धि के साथ कृषक अपने जोत के आकार में वृद्धि करना चाहते हैं। भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण और सामान्य आर्थिक विकासजन्य आय वृद्धि के कारण यह स्पष्ट हो चुका है कि भूमि कीमतें लगातार बढ़ती गई हैं। इस कारण भूमि के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ना स्वाभाविक है। यह भूमि क्षुधा बड़े कृषकों के साथ–साथ आय बढ़ने पर ग्रामीण दस्तकारों और कृषि श्रमिकों में भी बढ़ी है। हरित क्रान्ति की सफलता वाले क्षेत्रों में कृषि उपकरण, मशीनरी, फार्म हाउस और भूमि उद्धरण पर अधिक जोर दिया गया है।

मुख्य शब्द– हरित क्रान्ति, किसान, सामाजिक–आर्थिक, प्रभाव।

प्रस्तावना–भारत सरकार ने 1959 के अन्त में 'जिला सघन कृषि कार्यक्रम' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़ जनपद को चुना। हरित क्रान्ति से हमारे समाज में व्याप्त गरीबी, भुखमरी तथा कुपोषण जैसी समस्याओं को समाप्त करने में सहायता मिल रही हैं भारत में हरित क्रान्ति के सर्वाधिक प्रसार का श्रेय स्वं0 प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया जा सकता है। जिन्होंने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया, जिसके अनुसार देश को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने का काम सैनिकों का है जबकि खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किसानों का है। उनका यह सन्देश 1967–68 में रंग लाया जब कृषि उत्पादन तेजी से बढने लगा।

हमारे देश में वास्तव में हरित क्रान्ति कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उन्नतशील बीज, कृषि के सुधरे तरीके, रासायनिक खादों एवं दवाइयों तथा नहरी सिंचाई प्रणाली एवं मशीनों का प्रयोग एक साथ किया जाने लगा। जिसे 'पैकेज कार्यक्रम' कहा गया। दो वर्ष पश्चात् इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाने के लिए 'गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम' का स्वरूप निर्धारित हुआ। जिसके अन्तर्गत कुछ विशेष प्रकार की फसलों को

ध्यान में रखा गया। कृषकों को कृषि सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान और उत्पादन बढ़ाने के अन्य साधन भी आवश्यकता एवं समतानुसार व्यवस्थित किये गये। हरित क्रान्ति के प्रमुख कार्यक्रमों को दो भागों में बाँटकर मूल्यांकित किया जा सकता है–

हरित क्रान्ति के प्रमुख कार्यक्रम

(अ) कृषि तकनीकी एवं संस्थागत सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम	(ब) कृषि उत्पादन में सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम
(1) आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग	(1) रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों का प्रयोग
(2) सिंचाई सुविधाओं का विकास	(2) उन्नतिशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि
(3) भूमि परीक्षण कार्यक्रम	(3) बहुफसली कार्यक्रम
(4) पौध संरक्षण कार्यक्रम	(4) कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि
(5) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना	(5) कृषि उपजों का सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण
(6) कृषि उद्योग निगम	(6) पूंजी तथा बाजार की व्यवस्था
(7) कृषि विकास हेतु विभिन्न निगमों की स्थापना	(7) कृषि बचतों को प्रोत्साहन
(8) ग्रामीण विद्युतीकरण	
(9) भूमि संरक्षण	
(10) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	

हरित क्रान्ति के द्वारा कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों को निम्नलिखित रूपों में मूल्यांकित किया जा सकता है–

(1) कृषि के क्षेत्र में हरित क्रान्ति को अंगीकार किये जाने के पश्चात् फसलों एवं पशुओं का अनुपात असीमित होने लगा। कृषि के अधिकांश काम मशीनों द्वारा उच्च तकनीकी युक्त यन्त्रों से प्रारम्भ किये गये जो न केवल कम खर्चीले हैं वरन् कार्य को शीघ्र समाप्त करने की क्षमता भी रखते हैं। कृषि उत्पादनों पर मशीनों का प्रभाव भी इस रूप में सफल रहा है।

(2) हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिए पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाओं के विकास पर विशेष बल दिया गया। चूंकि उन्नतशील बीजों की उत्पादकता अल्प लागत वाली सिंचन सुविधाओं पर निर्भर करती है। यही कारण रहा है कि सन् 1970 से 1980 के दशक में भारत सहित विश्वविद्य के अधिसंख्य देशों द्वारा 'नहरी सींच प्रणाली' को विकसित किया गया है।

(3) हरित क्रान्ति कार्यक्रम में कृषि में नई रणनीतियों के तहत् भूमि परीक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी का पारिस्थितिक परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। इस

परीक्षण का मुख्य उद्देश्य भूमि की उर्वर शक्ति का पता लगाकर कृषकों को उनके अनुरूप रासायनिक खादों व उत्तम बीजों के प्रयोग की सलाह देना है। इस कार्यक्रम के तहत वर्तमान समय में सरकारी प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख, नमूनों का परीक्षण किया जाता है।

(4) हरित क्रान्ति के अन्तर्गत पौध संरक्षण का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके लिए भूमि तथा फसलों पर दवा छिड़कने का कार्य किया जाता है ताकि खरपतवार से फसलों की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में घातक टिड्डी दलों पर नियंत्रण करने तथा उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में समेकित कृषि प्रबन्ध के अन्तर्गत पारिस्थितिकी अनुकूल भूमि नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया है।

(5) सरकार ने कृषकों में व्यवसायिक साहस की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने की एक योजना लागू की है। इसमें पहले कृषकों को भलीभाँति प्रशिक्षित किया जाता है और फिर इनसे कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए उनको राष्ट्रीयकृत बैंकें से वित्तीय सहायता दिलाई जाती है।

(6) हरित क्रान्ति के अन्तर्गत सरकार ने अपनी नीति के तहत 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई हैं। इन निगमों का मुख्य कार्य मशीनरी तथा कृषि उपकरण की पूर्ति तथा फसल के प्रसंस्करण एवं भण्डारण को प्रोत्साहन देना है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए कृषि उद्योग निगम द्वारा किराया क्रम पद्धति के आधार पर ट्रैक्टर, पम्पसेट एवं अन्य मशीनरी को वितरित किया जाता है।

(7) हरित क्रान्ति की प्रगति मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती हैं– (i) अधिक उपज देने वाली किस्में, (ii) उत्तम सुधरे हुए बीज। इसके लिए 4,000 कृषि फार्म स्थापित किये गये हैं और 1963 में एक निगम राष्ट्रीय बीज निगम के नाम से स्थापित किया गया है। इसी प्रकार के निगम 13 राज्यों में स्थापित किये गये हैं।

(8) ग्रामीण जन–जीवन का स्तर उठाने तथा कृषि के लिए विद्युत उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना लागू की गई हैं। 1951 में केवल 3,061 गाँवों में ही बिजली थी लेकिन आज 5 लाख 9 हजार गाँवों में बिजली पहुँच गयी है। गाँवों को बिजली देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई है। हरित क्रान्ति के अन्तर्गत भूमि संरक्षण का कार्यक्रम अपनाया गया है जिसके प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं– (i) कृषि योग्य भूमि को क्षरण से रोकना तथा (ii) उबड़–खाबड़ भूमि को समतल बनाकर खेती योग्य बनाना। यह कार्यक्रम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में तेजी से लागू किया गया है।

(10) हरित क्रान्ति लाने में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार का योगदान भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः हरित क्रान्ति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे उस तकनीक को अपनाकर कृषि उत्पादन बढ़ा सकें। हरित क्रान्ति लाने में अभी तक मुख्य रूप से

गेहूँ व चावल की प्रजातियों का ही योगदान रहा है। अतः अन्य फसलों की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के लिए अनुसंधान कार्य भी आवश्यक है। साथ ही असिंचित दशाओं में कृषि उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

भारत में हरित क्रान्ति उत्पादन में सुधार निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये गये हैं–

(1) हरित क्रान्ति के पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत आदर्श फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों एवं दवाओं के अधिक प्रयोग पर बल दिया गया। परिणामतः कम दिनों में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की उन्नतशील प्रजातियों से उत्पादन भी बढ़ा।

(2) अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग बढ़ा और नयी–नयी किस्मों की खोज की गई जैसे– गेहूँ से सेनारा 64, लरमा, रोजो 64–ए, कल्याण सोना; चावल में छोटा बासमती, नयी जय, पदमा, रत्ना, जिया, विजया, कृष्णा आदि। अभी तक अधिक उपज देने वाला गेहूँ, धान, बाजरा, मक्का व ज्वार पर भी ही लागू किया गया है लेकिन गेहूँ में सबसे अधिक सफलता मिली है। नई विकास विधि के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में किसानों के बीच 5,100 हजार कुन्तल प्रजनक बीज, 700 हजार कुन्तल आधार बीज तथा 12,740 हजार कुन्तल अन्य प्रमाणित बीज वितरित किये गये।

(3) बहुफसली कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि के समस्त साधनों एवं तकनीकों का प्रयोग करके एक ही भूमि पर कई फसलें उगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

(4) भारतीय कृषि में लागू की गई नई विकास विधि 'हरित क्रान्ति' का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि देश में फसलों के अधीन क्षेत्रफल, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हो गई। विशेषकर गेहूँ, बाजरा, धान, पक्का तथा ज्वार के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर सा हो गया है।

(5) हरित क्रान्ति का आवश्यक तत्व कृषि उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारण है। इसी सन्दर्भ में सरकारों ने मूल्य निर्धारण समिति का गठन करके एक समर्थन मूल्य की अवधारणा विकसित की जिससे प्रत्येक किसान को उचित मूल्य पर न मात्र सुविधाएँ प्रदान की गई वरन् उपजों का भी उचित मूल्य दिया जाने लगा।

(6) हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से धन, तकनीकी एवं यंत्रों की सुविधा किसानों तक नियोजित ढंग से पहुँचाई गई। साथ ही मण्डी परिषदों की स्थापना करके बाजार भी सुनिश्चित किये गये जिससे किसान अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर विक्रय कर सकें।

(7) उन्नत बीज, रासायनिक खादें, उत्तम सिंचाई साधन व मशीनों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा है जिससे कृषक के पास बचतों की मात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जिसको देश के विकास के काम लाया जा सका। इससे औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति हुई है, उत्पादन बढ़ा है।

हरित क्रान्ति के पश्चात् देश में कृषि गत अर्थव्यवस्था पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा है। हरित क्रान्ति के प्रभावों का दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है–

हरित क्रान्ति के आर्थिक व सामाजिक प्रभाव

आर्थिक प्रभाव	**सामाजिक प्रभाव**
(1) कृषि उत्पादन में वृद्धि	(1) पूँजीवादी कृषि का विकास
(2) कृषि उत्पादकता में वृद्धि	(2) क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि
(3) रोजगार में वृद्धि	(3) भूमि–सुधार पर प्रभाव
(4) कृषि बचतों में वृद्धि	(4) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि
(5) आयात प्रतिस्थापना तथा निर्यात सम्बर्द्धन में सहायक	(5) ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन
(6) औद्योगिक क्षेत्र में निर्भरता	(6) उपभोक्ताओं पर प्रभाव
(7) कीमतों पर प्रभाव	(7) विचारधारा में परिवर्तन
(8) आर्थिक विकास का आधार	
(9) किसानों की संवृद्धि	

आर्थिक प्रभाव–

प्रमुख आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं–

(1) कृषि उत्पादन में वृद्धि– भारत में गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि की फसलों के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रसार से 1965–66 के पश्चात् इनका उत्पादन तेजी से बढ़ा है। नई कृषि नीति के परिणामस्वरूप यद्यपि विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु सबसे अधिक वृद्धि गेहूँ के उत्पादन में हुई है। इसलिए प्रायः कहा जाता है कि हरित क्रान्ति वास्तव में 'गेहूँ की क्रान्ति' है।

(2) कृषि उत्पादकता में वृद्धि– यदि हम यह मान लें कि कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र की मात्रा में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है तो कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रमुख कारण प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि को जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, चावल की प्रति हेक्टेयर उपज 1960–61 में 1,013 किग्रा थी जो बढ़कर 2001–02 में 2,085 किग्रा हो गई। इसी प्रकार गेहूँ के प्रति हेक्टेयर उपज 1960–61 में 851 किग्रा थी जो 2001–02 में बढ़कर 2,770 किग्रा हो गई।

(3) रोजगार में वृद्धि– नई कृषि नीति के अनुसार विकसित कृषि रीतियाँ श्रम प्रधान समझी जाती हैं। नई कृषि नीति के अन्तर्गत खेतों का समय–समय पर सिंचित करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह खेतों पर उर्वरक लगाने, कीटाणुनाशक दवाइयों तथा अन्य क्रियाओं के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। दो या दो से अधिक फसलों के कारण तथा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप परिवहन बिक्री तथा विपणन आदि की सेवाओं की माँग में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि हुई है।

(4) कृषि बचतों में वृद्धि– हरित क्रान्ति के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है जिससे कृषकों की बचतों की मात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस कृषि अतिरेक को देश के विकास के लिए काम में लिया जा सकता है।

(5) आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात सम्बर्द्धन में सहायक– हरित क्रान्ति के कारण कृषिजन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होने से इनके आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी।

(6) औद्योगिक क्षेत्र में निर्भरता– नई कृषि नीति में उद्योगों द्वारा निर्मित कृषि आदानों का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मशीन और उपकरण, उर्वरक, कीटाणुनाशक दवाइयाँ आदि की पूर्ति के लिए कृषि औद्योगिक क्षेत्र पर पूरी तरह से निर्भर है। यह निर्भरता धीरे–धीरे बढ़ती जा रही है।

(7) कीमतों पर प्रभाव– तीसरी योजना में कीमतों पर और विशेष रूप से कृषि पदार्थों की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई परन्तु हरित क्रान्ति के फलस्वरूप इस वृद्धि की गति कम हो गई है।

(8) आर्थिक विकास का आधार– भारत में वर्तमान समय में 18.5 प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है वहीं 16 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं को निर्यात किया जाता है। निर्यात कृषि वस्तुओं से जहाँ सरकारी बजट तथा यातायात पर कृषि का अधिक प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि से देश के आर्थिक विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों की पूर्ति से सहायता मिली है।

(9) किसानों की संवृद्धि– हरित क्रान्ति के फलस्वरूप किसानों की अवस्था में काफी सुधार हुआ है। उनका जीवन–स्तर पहले से बहुत ऊँचा हो गया है।

सामाजिक प्रभाव–

(1) पूँजीपति कृषि का विकास– नई कृषि नीति उत्पादन–विधि के कारण भारत में पूँजीवादी कृषि का विकास हो रहा है क्योंकि अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उपज और सिंचाई में भारी विनियोग करना पड़ता है जो छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानों की सामर्थ्य से परे हैं। भारत में 12 प्रतिशत बड़े किसानों के पास कुल भूमि का 50 प्रतिशत है और ये ही 12 प्रतिशत बड़े किसान नलकूप, पक्पिंग सेट, उर्वरक और भारी मशीनरी के रूप में भारी विनियोग कर रहे हैं। परिणामतः नवीन कृषि विधि से निर्धन किसानों को लाभ नहीं हुआ है बल्कि इस कारण ग्रामीण जनसंख्या के उच्चतम 10वें भाग के हाथ में सम्पत्ति का संकेन्द्रण हुआ है। अशोक रूद्र, माजिद और तालिब ने पूँजीवादी खेती का विश्लेषण करने के लिए पंजाब के बड़े किसानों का अध्ययन किया और निष्कर्ष पर पहुँचे कि नई कृषि उत्पादन विधि के कारण पूँजीवादी खेतों का विकास हुआ है।

(2) क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि– भारत में हरित क्रान्ति से क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। अधिक उपज देने वाले बीजों और उर्वरकों के प्रयोग से केवल गेहूँ के प्रति हेक्टेयर उपज में तो वृद्धि हुई है, परन्तु अन्य किसी फसल पर इस योजना का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में और विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े किसानों की सम्पन्नता बढ़ने से कृषि से भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो

चली है, जबकि देश के अन्य सभी भागों में कृषि का स्वरूप परम्परागत बना हुआ है। अतः कहा जाता है कि ''हरित क्रान्ति से निर्बलता के सागर में सम्पन्नता के द्वीप बन गये हैं।''

(3) भूमि–सुधार पर प्रभाव– हरित क्रान्ति ने ग्रामीण में धनी किसानों के एक शक्तिशाली वर्ग को सशक्त बनाया है। बड़े किसान न केवल आर्थिक रूप से, वरन् राजनीतिक दृष्टि से भी अधिक शक्तिशाली हो गये हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि–सुधार को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि बड़े किसान क्रियान्वयन में बाधा डालने में सफल रहे। इस स्थिति का विपरीत प्रभाव छोटे कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों पर पड़ा।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि– हरित क्रान्ति के अन्तर्गत गहन कृषि विकास कार्यक्रम को अपनाया गया है और कृषि के परिणामस्वरूप यन्त्रीकरण में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है।

(5) ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन– ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जुई बेरोजगारी के फलस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या के शहरों में जाने से वहाँ स्थानीय यातायात, आवास एवं जन–स्वास्थ्य की समस्याएँ अधिक विकट हो गई है। जिनके सामाजिक परिणाम बहुत बुरे होंगे।

(6) उपभोक्ताओं पर प्रभाव– भारत में निर्धन जनता की लगभग 80 प्रतिशत आय कृषि पदार्थों पर व्यय की होती है। इसलिए यहाँ कृषि पदार्थों के उत्पादन और उनकी कीमतों में होने वाले परिवर्तन का उपभोक्ता के बजट और जीवन–स्तर पर काफी प्रभाव पड़ता है। हरित क्रान्ति उनके बजट को सन्तुलित करने और जीवन–स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध हुई है।

(7) विचारधारा में परिवर्तन– भारत जैसे अर्द्धविकसित देश में जहाँ अधिकतर किसान अनपढ़, रूढ़िवादी और अन्धविश्वासी होते हैं, हरित क्रान्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हरित क्रान्ति ने भारतीय गाँवों में विचारों की क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। अब लोग यह समझने लगे हैं कि विज्ञान की सहायता से वे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। भारतीय किसानों ने जिस शीर्घता से कृषि की इस नई तकनीकी को अपनाया गया उससे यह प्रमाणित होता है कि भारतीय कृषक ऐसी विचारधारा की प्रतीक्षा में ही था।

निष्कर्ष–कृषि में होने वाले पूँजी निर्माण के सन्दर्भ में सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते है। कि आय वृद्धि के साथ कृषक अपने जोत के आकार में वृद्धि करना चाहते हैं। भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण और सामान्य आर्थिक विकासजन्य आय वृद्धि के कारण यह स्पष्ट हो चुका है कि भूमि कीमतें लगातार बढ़ती गई हैं। इस कारण भूमि के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ना स्वाभाविक है। यह भूमि क्षुधा बड़े कृषकों के साथ–साथ आय बढ़ने पर ग्रामीण दस्तकारों और कृषि श्रमिकों में भी बढ़ी है। हरित क्रान्ति की सफलता वाले क्षेत्रों में कृषि उपकरण, मशीनरी, फार्म हाउस और भूमि उद्धरण पर अधिक जोर दिया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. Agrawal, A.N. (1988) : 'Problems of Development and Planning', Wiley Eastern Limited, New Delhi
2. Banerjee, P.K. (1977) : 'Indian Agriculture Economy : Financing Small Farmers', Chetna Publications, New Delhi. (Revised Edition 2008, 2010)
3. Bansil, P.C. (1977) : 'Agricultural Problems of India', Vikas Publishing House Ltd., New Delhi. (Revised Edition 2010)
4. Mahajan, V.S. (ed.) (1990) : 'Agricultural and Rural Economy in India', Deep and Deep Publications, New Delhi. (Revised Edition 2010)
5. Sadhu, A.N. and Amarjit Singh, (1983) : 'Fundamentals of Agriculture Economics', Himalaya Publishing House, Mumbai. (Revised Edition 2010)
6. Subrata Ghatak and Ken Ingersent, Agriculture and Economic Development (New Delhi 1984).
7. W.R.C. Gopalan and S.C. Balasubramanian (1966) : The Nutrative Value of Indian Foods and the Planning of Satisfactory Diets. ICAR, New Delhi

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन

प्रो0 (डॉ0) पार्थसारथी पाण्डेय
शोध निर्देशक,असिस्टेण्ट प्रोफेसर,
शिक्षक–शिक्षा विभाग,
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय),
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

नरेन्द्र तिवारी
शोधछात्र (शिक्षाशास्त्र)
शिक्षक–शिक्षा विभाग
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय),
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

सारांश– प्रस्तुत समस्या कथन क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधाान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। जनसंख्या के रूप में प्रयागराज जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं का जनसंख्या माना गया है। अध्ययन हेतु यादृच्छिक न्यादर्श विधि का चयन किया गया है। शोधकर्त्ता द्वारा जौनपुर जनपद में स्थित 4 माध्यमिक विद्यालयों का चयन कर 200 छात्र–छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा चयन गया है। विद्यार्थियों के सामाजिक परिपक्वता को मापने के लिए प्रस्तुत अध्ययन में सामाजिक परिपक्वता के मापन हेतु डॉ. आर.पी. श्रीवास्तव द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत सामाजिक परिपक्वता मापनी का प्रयोग किया गया इस परीक्षण में सामाजिक परिपक्वता के तीन आयामों एवं तत्वों के आधार पर 90 प्र नों का चयन किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु टी–अनुपात सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है। क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक परिपक्वता में अन्तर नहीं पाया गया। इसका कारण यह हो सकता है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थी किशोरावस्था में होते हैं और वे समाज में अपनी भूमिका बनाने की कोशिश करते हैं।

मुख्य शब्द– माध्यमिक स्तर, छात्र–छात्राएँ, सामाजिक परिपक्वता, तुलना

प्रस्तावना – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है और धीरे–धीरे समाज में बड़ा होकर सामाजिक नियमों को ग्रहण करके वह समाज का सदस्य बन जाता है। समाज में वह प्रेम, मिठास, ईर्ष्या, द्वेष, सुख–दुख का अनुभव करता है। समाज में उसे इन समस्याओं से इतर भी अन्य अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा इसके अतिरिक्त मनुष्य सामाजिक अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं से गुजरते हुए अपने भावी भविष्य के तरफ तत्परता से आगे बढ़ता जाता है। इस संसार में जो व्यक्ति अपने आप को सुख–दुःख में सामान्य रूप से स्थापित कर लेता है वही सच्चा व सफल व्यक्ति माना जाता है।

मनुष्य के जीवन में वातावरण का विशेष प्रभाव होता है। मनोविज्ञान के अनुसार मानव के विकास में जितना आनुवांशिकता का योगदान होता है। उतना ही योगदान विकास में वातावरण का होता है क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है और वह वातावरण के सम्पर्क में आता है तो वह विकास के साथ–साथ अपने

आस–पास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो न हीं उसकी कोई जाति होती है और न ही उनका कोई धर्म होता है जाति तथा धर्म का तमगा उसे परिवार तथा समाज द्वारा प्रदान किया जा सकता है। बालक शैशवावस्था से ही समाज तथा अपने परिवेश से अनेक आदतों को सीखता है। जो उसकी आदतों तथा विचारों में परिवर्तित हो जाती है। शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। तथा वह घर से विद्यालय की तरफ अग्रसर होकर समाज के पूर्ण सम्पर्क में आता है तथा समाज के द्वारा बनाये नियमों तथा विचारों का सामना करता है। बाल्यावस्था के बाद एक सबसे कठिन अवस्था का आगमन होता है, वह अवस्था किशोरावस्था है यह अवस्था अत्यंत संवेदनशील होती है। इस अवस्था में बालक को जैसा समाज मिलता है वह उसी धारा की तरफ मुड़ जाता है। इस अवस्था में बालक समाज के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है इस अवस्था के बाद बालक तथा बालिकाओं में सबसे उमंग की अवस्था का आगमन होता है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में अधिक सामाजिक एवं धार्मिक होने के कारण इन नवयुवकों का उनके समाज के प्रति दृष्टिकोण तथा धार्मिक प्रवृत्ति का अंकन हो जाता है।

विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है इसमें बहुत सी बातों का समावे ा होता है। विकास के क्रम के बालक का बौद्धिक पक्ष ही नहीं भाारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। विकास के यह सभी पक्ष परस्पर सम्बन्धित हैं। परिपक्वता की ओर अग्रसर और विकास करता हुआ बालक न केवल भाारीरिक बौद्धिक और संवेगात्मक व्यवहार में बल्कि सामाजिक रूप से भी उन्नति करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप उसे सामाजिकता की थाती प्राप्त होती है। समाजिकता व्यक्ति के व्यवहार को सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वीकृत के साथ अदल–बदल कर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। जो कुछ चीजों को स्वीकृत एवं कुछ अन्य चीजों की अस्वीकृत को आगे ले जाती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सामाजिक समूह, औपचारिकता, अनौपचारिकता के प्रभाव को महत्व देता है।

सामाजिक परिपक्वता का तात्पर्य लाभ या सामाजिक अपेक्षानुसार बर्ताव करने की योग्यता से है। इसको इस प्रकार प्रभावित किया गया है, ''वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृहद श्रेणी के साथ जन्मा व्यक्ति वास्तविक बर्ताव का मार्ग दिखलाता है जो कि बहुत ही सकरी श्रेणी के अन्दर सीमित है। वह श्रेणी जो व्यक्ति के समुदाय के आद ाौं के अनुसार इसके लिए प्रथागत और स्वीकार करने के योग्य है।''

हरलॉक के मतानुसार ''सामाजिक उन्नति का तात्पर्य सामाजिक सम्बन्धों में परिपक्वता का प्राप्त करना है। जिसका अर्थ समूह के आद ाौं नैतिकता एवं परम्पराओं के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को सीखना है। और एकता के विचार अन्तः संचार और सहयोग को मन में रखना है। यह बर्ताव के नये तरीकों की उन्नति रुचि में बदलाव और नये मित्रों के चुनाव को भाामिल करता है। सामाजिक व्यक्ति वह जो न केवल लोगों के साथ रहता है बल्कि उनके साथ कार्य करना चाहता है।''

सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, समाज के मूल्यों, नियमों, अभिवृत्तियों, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक भूमिका में परिपक्वता प्राप्त करना। उपरोक्त गुण किसी कि ाोर में समाज की प्रत्या ााओं के अनुसार विकसित हुए हैं तो वह कि ाोर समाज की दृश्टि में पूर्णरूपेण सामाजिक रूप से परिपक्व माना जायेगा। सामाजिक परिपक्वता के कारण वह कि ाोर समाजिक मूल्यों, नियमों और भूमिका आदि में निश्ठा ही नहीं रखता है बल्कि वह इन्हीं के आधार पर समूह में व्यवहार करता है। ऐसे कि ाोर सामाजिक गतिविधियों में रूचि लेते हुए सन्तोश व प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।

समस्या कथन–

क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है–

1. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन करना।

2. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन करना।
4. माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन करना।
5. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ–

1. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध–प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधाान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। जनसंख्या के रूप में प्रयागराज जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं का जनसंख्या माना गया है। अध्ययन हेतु यादृच्छिक न्यादर्श विधि का चयन किया गया है। शोधकर्त्ता द्वारा जौनपुर जनपद में स्थित 4 माध्यमिक विद्यालयों का चयन कर 200 छात्र–छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा चयन गया है। विद्यार्थियों के सामाजिक परिपक्वता को मापने के लिए प्रस्तुत अध्ययन में सामाजिक परिपक्वता के मापन हेतु डॉ. आर.पी. श्रीवास्तव द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत सामाजिक परिपक्वता मापनी का प्रयोग किया गया इस परीक्षण में सामाजिक परिपक्वता के तीन आयामों एवं तत्वों के आधार पर 90 प्र नों का चयन किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु टी–अनुपात सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या–

1. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन–

H_{01} माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी सं0 1

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं क्रान्तिक–अनुपात

क्र. सं.	क्षेत्र	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SE_m)	मध्यमानों का अन्तर (D)	क्रान्तिक अनुपात मान (C.R.)	सार्थकता स्तर एवं सारिणी मान
1.	शहरी	100	207.31	24.35	3.70	3.63	0.98	0.05 सार्थक नहीं
2.	ग्रामीण	100	203.68	27.84				

अवकलित CR का मान = 0.98

98 आवृत्ति अंश (*df*) पर 0.05 सार्थकता स्तर का सारणी मान–1.98

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि CR का परिगणित मान 0.98 है, जो कि क्रान्तिक अनुपात के द्विपुच्छीय परीक्षण के लिए 0.05 सार्थकता स्तर के सारणीय मान 1.98 से कम है। तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर भी CR का परिगणित मान असार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (H_{01}) स्वीकृत की जाती है। इस प्रकार सारणी मान से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परिणामतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में सामाजिक परिपक्वता में समानता है।

2. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन–

H_{02} माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी सं0 2

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की सामाजिक परिपक्वता का मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं क्रान्तिक–अनुपात

क्र. सं.	क्षेत्र	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SE_m)	मध्यमानों का अन्तर (D)	क्रान्तिक अनुपात मान (C.R.)	सार्थकता स्तर एवं सारिणी मान
1.	शहरी	50	203.68	23.63	5.75	1.78	0.31	0.05 सार्थक नहीं
2.	ग्रामीण	50	205.46	33.08				

अवकलित CR का मान = 0.31

48 आवृत्ति अंश (*df*) पर 0.05 सार्थकता स्तर का सारणी मान–2.01

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि CR का परिगणित मान 0.31 है, जो कि क्रान्तिक अनुपात के द्विपुच्छीय परीक्षण के लिए 0.05 सार्थकता स्तर के सारणीय मान 2.01 से कम है। तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर भी CR का परिगणित मान असार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (H_{02}) स्वीकृत की जाती है। इस प्रकार सारणी मान से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परिणामतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों में सामाजिक परिपक्वता में समानता है।

3. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन–

H_{03} माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी सं0 3

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता का मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं क्रान्तिक–अनुपात

क्र. सं.	क्षेत्र	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SE_m)	मध्यमानों का अन्तर (D)	क्रान्तिक अनुपात मान (C.R.)	सार्थकता स्तर एवं सारिणी मान

1.	शहरी	50	210.94	24.76	4.64	9.04	1.94	0.05 सार्थक नहीं
2.	ग्रामीण	50	201.90	21.57				

अवकलित CR का मान = 1.94

48 आवृत्ति अंश (*df*) पर 0.05 सार्थकता स्तर का सारणी मान–2.01

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि CR का परिगणित मान 1.94 है, जो कि क्रान्तिक अनुपात के द्विपुच्छीय परीक्षण के लिए 0.05 सार्थकता स्तर के सारणीय मान 2.01 से कम है। तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर भी CR का परिगणित मान असार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (H_{03}) स्वीकृत की जाती है। इस प्रकार सारणी मान से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परिणामतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं में सामाजिक परिपक्वता में समानता है।

4. माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन–

H_{04} माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी सं0 4

माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता का मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं क्रान्तिक–अनुपात

क्र. सं.	लिंग	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SE_m)	मध्यमानों का अन्तर (D)	क्रान्तिक अनुपात मान (C.R.)	सार्थकता स्तर एवं सारिणी मान
1.	छात्र	50	203.68	23.63	4.84	7.26	1.50	0.05 सार्थक नहीं
2.	छात्राएँ	50	210.94	24.76				

अवकलित CR का मान = 1.50

48 आवृत्ति अंश (*df*) पर 0.05 सार्थकता स्तर का सारणी मान–2.01

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि CR का परिगणित मान 1.50 है, जो कि क्रान्तिक अनुपात के द्विपुच्छीय परीक्षण के लिए 0.05 सार्थकता स्तर के सारणीय मान 2.01 से कम है। तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर भी CR का परिगणित मान असार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (H_{04}) स्वीकृत की जाती है। इस प्रकार सारणी मान से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परिणामतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर पर शहरी क्षेत्र के छात्र–छात्राओं में सामाजिक परिपक्वता में समानता है।

5. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन–

H_{05} माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी सं0 5

माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता का मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं क्रान्तिक–अनुपात

क्र. सं.	लिंग	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SE_m)	मध्यमानों का अन्तर (D)	क्रान्तिक अनुपात मान (C.R.)	सार्थकता स्तर एवं सारिणी मान
1.	छात्र	50	205.46	33.08	5.58	3.56	0.64	0.05 सार्थक नहीं
2.	छात्राएँ	50	201.90	21.57				

अवकलित CR का मान = 0.64

48 आवृत्ति अंश (*df*) पर 0.05 सार्थकता स्तर का सारणी मान–2.01

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि CR का परिगणित मान 0.64 है, जो कि क्रान्तिक अनुपात के द्विपुच्छीय परीक्षण के लिए 0.05 सार्थकता स्तर के सारणीय मान 2.01 से कम है। तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर भी CR का परिगणित मान असार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (H_{05}) स्वीकृत की जाती है। इस प्रकार सारणी मान से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परिणामतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं में सामाजिक परिपक्वता में समानता है।

निष्कर्ष–

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये–

1. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता एक–दूसरे के समान है।
2. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की सामाजिक परिपक्वता एक–दूसरे के समान है।
3. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता एक–दूसरे के समान है।
4. माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता एक–दूसरे के समान है।
5. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता एक–दूसरे के समान है।

निष्कर्षतः क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक परिपक्वता में अन्तर नहीं पाया गया। इसका कारण यह हो सकता है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थी किशोरावस्था में होते हैं और वे समाज में अपनी भूमिका बनाने की कोशिश करते हैं। प्राप्त परिणाम की पुष्टि आलम, मो0 महमूद (2016) के अध्ययन के निष्कर्ष में छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। सिंह, धर्मेन्द्र कुमार (2018) के परिणाम उच्च भिाक्षा स्तर के प्रतिभा ाली शहरी छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों शहरी छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक व्यवहार में समानता पायी गयी। गिर व शर्मा (2006) ने

9–12 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक परिपक्वता की तुलना की। उन्होंने पाया, कि इस वर्ष के सभी विद्यार्थियों में सामान्य स्तर की सामाजिक परिपक्वता पाई गई।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- आलम, मो0 महमूद (2016). सोशल एडजेस्टमेन्ट एण्ड सोशल मैच्युरिटी एस प्रेडिकेटर्स ऑफ ऐकेडमी एचिवमेन्ट एमंग एडोलसेन्ट्स, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फार्मेटिव एण्ड फ्चूरिस्टिक रिसर्च, वाल्यूम–3, इश्शू–12, पृ0 4495–4507
- शर्मा श्वेता एवं गिर सोफिया (2006). सेक्स डिफरेन्स इन सोशियल मेच्यूरिटी, *साइकोलिंग्वा*, वाल्यूम–36।
- सिंह, धर्मेन्द्र कुमार (2018) ने उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतिभाशाली छात्रों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार तथा शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, राजा हरपाल सिंह पी0जी0 कालेज, सिंगरामऊ, जौनपुर।
- सिन्हा, बनिता (2014). उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक परिपक्वता एवं सामाजिक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन, पी–एच.डी. शोध प्रबन्ध, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- त्रिपाठी एवं सिंह (2016). रीवा संभाग में हाई स्कूल स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार का उनकी भौक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसड़ एजुकेशन रिसर्च*, वॉ0 1, इश्शू–5, पृ0 48–50
- त्रिवेदी, रश्मि (2017). माध्यमिक विद्यालय के किशोर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर मूल्य के प्रभाव का अध्ययन, शोधयतन–ए.आई.एस.ई.सी.टी. यूनिवर्सिटी जर्नल, वॉ0 4, इश्शू–8, पृ0 770–772

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

साहित्य में भक्तितत्त्वविमर्श

नाम –अनुपम सिंह,
ग्राम–माझा सोनौरा, पोस्ट – चौरे बाजार,.
तहसील– बीकापुर, जिला– अयोध्या, उत्तर प्रदेश।

सारांश– भगवान् के अर्चक हम कर–पादादि अङ्गों से तथा अवयवी शरीरों से संयुक्त होकर, भगवद् कीर्तन करते हुए देव के हितार्थ यानी भगवत्प्रीत्यर्थ प्रवाहमान जीवन को प्राप्त हों अर्थात् हमारे जीवन का लक्ष्य लौकिक स्वार्थ सिद्धि नहीं अपितु भगवान् की सेवा द्वारा उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना हो।

मुख्य शब्द– साहित्य, भक्तितत्त्व, भक्तिरस, देव, भक्ति।

भारतभूमि भक्तिरस के द्वारा स्निग्धधारा से सिक्त और आप्यायित है। भारतभूमि पर भक्ति का उद्गम कब और कैसे हुआ, कब से भक्तिरस का प्रवाह इस देश में हो रहा है यह कहना सम्भव नहीं है। इस विषय पर भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों का मतैक्य नहीं हैं। वैदिक–वाङ्गमय के अवलोकन से यह स्फुटित होता है कि वेद केवल कर्मप्रचारक ही नहीं अपितु भक्ति के उद्भूतिस्थान भी हैं। यह सत्य है कि संहिता–ब्राह्मणग्रन्थों में अनुरक्ति सूचक भक्तिशब्द का असद्भाव है, परन्तु भक्ति विषय पर्याप्तरूप से प्राप्त होता है। यह कल्पना करना कि वैदिक काल में भक्ति का उद्भव और विकास नहीं था यह अनुचित है। मन्त्रों में देवताओं की स्तुति अत्यधिक मार्मिकरूप से की गई है। स्तुतियों के दर्शन के द्वारा स्तोताओं के हृदय में अनुराग का अभाव था यह मत उपहासास्पद प्रतीत होता है। हृदय में भक्ति के अभाव में इस प्रकार के कोमल भावों और स्तुति का उद्गम सम्भव ही नहीं नहीं है। शुष्कनीर हृदय में एतादृशी कोमलता और भाभुकता सम्भव नहीं। देवताओं के स्तवन–काल में स्तोता ऋषियों के साथ माता, पिता, बन्धु इत्यधिक नाना प्रकार के सम्बन्धों को स्थापित करते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि स्तोताओं के हृदय में देवताओं के प्रति सर्वतोभावेन प्रेम और अनुराग है। यथा–

त्वां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां राय उभयासो जनानाम्।
त्वां त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्॥[i]

जिस प्रकार से इस मन्त्र में जो ऋषि अग्निदेवता को मातृ– पितृ इत्यादि रूपेण वर्णित करता है तो उसके हृदय में भक्ति भावना अवश्य ही है।

भक्ति भावना वरुणसूक्त में सर्वाधिक उपलब्ध है। वैदिक–देवताओं में वरुण का महत्त्वपूर्ण है। वह तो सर्वत्र देखता है (विश्वतश्चक्षुः)। वह धृतव्रत, सुक्रतु और सम्राट है, सर्वज्ञ है। स्तोताओं के मत में वरुण करुणास्पद्भूत, अपराधियों को दण्ड देने वाला, सत्य का नियामक और निर्माता है। स्तोता ऋषि अपराध क्षमापनार्थ और मङ्गलप्रधानार्थ प्रार्थना करते हैं –

य आपिर्नित्यं वरुणः प्रियः सन् त्वामाङ्गासि कृणवत् सखा ते।

मा त एनस्वन्तो यक्षिन् भुजेम यन्धिष्मा विप्रः स्तुवते वरूथम्॥ (ऋ.वे. 7.88.6)

भक्तिसूत्र में शाण्डिल्य कहते हैं– **भक्ति: प्रमेया श्रुतिभ्य:**[ii] इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रुति से ही भक्ति का उद्गम है।

'द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि दार्शनिक विचारधारायें वेदों से ही प्रादुर्भूत हैं। वेद आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्रबिन्दु हैं। सामाजिक मान्यता तथा आस्था जैसे सत्य, न्याय, सहानुभूति, अंहिसा, क्षमा, शान्ति, दया, परोपकार आदि मानवीय गुणों के उद्गम स्थान हैं। इनसे ही मानसिक चेतना की अभिवृद्धि, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रप्रेम, समाजसेवा, परमार्थ भावना तथा विशद मानव धर्म का सृजन होता है।' यथा–

अस्मिन्राष्ट्रे श्रियमावेश्याम्यतो देवीप्रतिपश्याम्याप:।

दक्षिणपादामवसनेनिजऽस्मिन् राष्ट्रऽइन्द्रियं वर्द्धयामि।।[iii]

वेदों का लक्ष्य शान्तिक- पौष्टिक क्रियाओं के द्वारा देवभक्ति की सहायता से प्राणी–मात्र का कल्याण करना ही है–

विद्याञ्चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते।।[iv]

भक्ति के स्वरुप पर विचार करते हुए 'भज् सेवायाम्' धातु से क्तिन् प्रत्यय होने पर भक्ति शब्द के मौलिक अर्थ सेवा का विस्मरण सम्भव नहीं है। **सा परानुरक्तिरीश्वरे**[v] इस शाण्डिल्य–भक्ति–सूत्र के अनुसार सेवा के अतिरिक्त परानुरक्ति का समावेश भक्ति का अनुपेक्ष्य अंग ही है। कठोपनिषत् में भक्तिभाव का स्पष्ट उल्लेख मिलता है–

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनूं स्वाम्।।[vi]

इसलिए भगवान् नारायण का उद्धरण है–

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमस: परस्तात्।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय।।[vii]

गीता का उद्धरण -

सहयज्ञा: प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति।

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ट कामधुक्।।[viii]

गीता ऐतिहासिक तथा वेदसम्बद्ध है। गीता के सम्बन्ध में विचार अवश्यक है क्योंकि चतुर्विध पुरुषार्थ से सम्बद्ध अनन्त उपदेश रत्नों के महासागर वेद, उपनिषद्, पुराण, दर्शन आदि का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ गीता एक महत्त्वपूर्ण अंश है। जो सम्भवत: लौकिक–परालौकिक दोनों दृष्टियों से मानव मात्र के लिए अतिशय उपादेय तथा नित्य प्रयोजनीय होने से इसका महत्त्व और बढ जाता है। वेद में, गीता में भगवत्प्राप्ति के प्रति साधनता का अनेक प्रकार से उपदेश दिया है।–**'सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित:**[ix]**'** सर्वभूताहितार्थ जो कर्म स्थिरप्रज्ञ कर्मयोगी करता है, वे सभी कर्म ईश्वरोपासनारूप होते हैं।यहां सेवा भाव व्याप्त है। **'श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मत:**[x]**'**– प्रेमयुक्त–श्रद्धायुक्त अन्त:करण से की जानेवाली भगवदुपासना से योगी को अधिक ही श्रेष्ठत्व प्राप्त होता है। यहां सख्य भाव है। **'चतुर्विधा भजन्ते माम्**[xi]**'**– दु:खग्रस्त, जिज्ञासु विषयेच्छु: और ज्ञानी ये चार प्रकार के पुण्यकारी मनुष्य मेरा भजन सेवना करते हैं, यहां सेवा भाव है। **'भजन्ते मां दृढव्रता:**[xii]–जिन सत्कर्मों का आचरण करने से अज्ञानरूप पताका का नष्ट हो चुका है, वे द्वन्द्वजन्य मोह से युक्त होकर दृढ निश्चय से परमात्मा की उपासना करते हैं, यहां पर स्मरणात्मिका भक्ति का निदर्शन है। **'भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव**[xiii]**—** प्रयाणकाल में एकाग्र चित्त से भक्ति युक्त योगबल से अपने प्राण को भ्रूमध्य में निरन्तर स्मरण करता है वह उस परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है। यहां स्मरणात्मिका भक्ति निदर्शन है। **'भजन्त्यनन्यमनस:।**[xiv] **'नमस्यन्तश्च मां भक्त्या।**[xv] **—** सदा कर्मयोगयुक्त रहने वाले पुरुष परमात्मा का गुण–कीर्तन कर प्रेम से मेरी शरण में आकर मेरी उपासना करते हैं। यहां भगवद् कीर्तन का सुस्पष्ट निर्देशन है। **'पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।**[xvi]**— 'ये भजन्ति तु मां**

भक्त्या।[xvii] **'भजन्ते मामनन्यभाक्।**[xviii] **'न मे भक्तः प्रणश्यति।**[xix] **'अनित्यसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्।**[xx] **'इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः।**[xxi] **'तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्।**[xxii] **'भक्त्या त्वनन्यया शक्यः।**[xxiii] **'मद्भक्तः सङ्गवर्जितः।**[xxiv] **'यो मद् भक्तः स मे प्रियः।**[xxv] **'भक्तिमान् मे प्रियो नरः। 'भक्त्यास्तेऽतीव मे प्रियाः।**[xxvi] **'भक्तिरव्यवचारिणी।**[xxvii] **'भक्तियोगेन सेवते।**[xxviii] **'स सर्वविद् भजति माम्।**[xxix]**'** **'मद्भक्तिं लभते पराम्।**[xxx]**'** **'भक्त्या मामभिजानाति।**[xxxi]

श्रीमद्भागवतादि पुराणों में भक्ति के नौ भेद बताये गये हैं—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्।।[xxxii]

वेदों में विभिन्न स्थलों पर भक्ति के इन नौ भेदों का पृथक्–पृथक् वर्णन तो है ही, जिसका दिग्दर्शन किया जायेगा। इसलिए यहां भगवान् वेद का यह मन्त्र उद्धृत किया जाता है, जिसमें भक्ति के उपर्युक्त सभी प्रकारों का अद्भुत कौशल के साथ एकत्र ही समावेश किया गया है—

'भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रजाः।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः।।[xxxiii]

श्रवणम्—प्रवचन सदा श्रवण साक्षेप ही होता है। श्रोता के उपस्थित रहने पर ही प्रवक्ता प्रवचन के लिए उत्साहित होता है। कोई सुनने वाला न हो तो प्रवचन निरर्थक आरण्यरोदन ही होगा।– **इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्।**[xxxiv] मैं मन्त्रद्रष्टा ऋषि इन्द्र के पराक्रमों का प्रवचन करता हूँ। **विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्रवोचम्।** विष्णु के पराक्रमों का प्रवचन करता हूँ। इस प्रकार इन दोनों वाक्यों में 'नु' और 'कम्' निरुक्तानुसार पादपुरक निपात् हैं। अतः जहां जहां 'वोचम्' 'वाचेम' आदि क्रियापद आये हों वहां वहां 'शृणु' 'शृणुयाः' आदि श्रवणार्थक क्रियापदों का अध्याहार करना ही होगा। उपर्युक्त दोनों वाक्यों का अर्थ यह हुआ कि मैं मन्त्रद्रष्टा ऋषि इन्द्र तथा विष्णु के पराक्रमों का प्रवचन करता हूँ। तो जब कोई प्रवचन करता है तो अवश्य ही श्रवण होगा। क्योंकि प्रवचन का श्रवण से नियत साहचर्य है।

कीर्तन –प्रवचन किसी के गुण–कर्मादि का अनेक प्रकार से कथन ही अभिप्रेत होता है, अतः कीर्तन को प्रवचन का पर्याय माना जाए तो अर्थ की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं पडता। इस दृष्टि से उपर्युक्त श्रवण सम्बन्धी सभी वेद वाक्यों में कीर्तन का सहज ही प्रतिपादन हो गया है, इसलिए वे सभी स्थल कीर्तन के भी स्पष्ट उदाहरण हैं। कीर्तन शब्द का दूसरा अर्थ है गुणगान। इस अर्थ में कीर्तन के निर्देशक कुछ स्थल वेद में निम्नलिखित हैं –

'गायन्ति त्वा गायत्रिणः।[xxxv] **सुष्टुतिमीरयामि।**[xxxvi] **बृहदिन्द्राय गायत।**[xxxvii] **इन्द्रमभि प्रगाय।**[xxxviii] **प्रगायत्रेण गायत।**[xxxix] **प्रगायताभ्यर्चाम।**[xl]

इन सबका अर्थ स्पष्ट ही है। अर्थ का विचार करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रहना चाहिए कि अग्नि, इन्द्रादि देवताओं के नाम सर्वत्र ईश्वर का ही ग्रहण अभिप्रेत है। इस प्रसंग में अथर्ववेद का निम्न मन्त्र विशेष महत्त्व का है जो अहर्निश भगवत्कीर्तन का सुस्पष्ट निर्देश देता है-

'दोषो गाय बृहद् गाय द्युमद्धेहि। आथर्वण स्तुहि देवं सवितारम्।।[xli]

इस मन्त्र में गाय और स्तुति क्रिया पदों में भगवद् यशोगान और भगवद्गुणानुकथन उभयविध कीर्तन का निर्देश किया गया है। भक्तिप्रकाश में कीर्तन का लक्षण इस प्रकार है— **'भगवतो यशोगानं रटनं वा मुहुर्मुहुः।'** अर्थात् भगवान् का यश गान बार–बार गुणानुकथन करना ही कीर्तन है।

स्मरणम् –भगवान् के साथ येन केन प्रकारेण सम्बन्ध स्थापित करना स्मरण भक्ति है। वेद माता गायत्री मन्त्र का द्वितीय पाद ही स्मरणात्मिका भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है – **'भर्गो देवस्य धीमहि।**[xlii]

परमात्मा के तेजोमय स्वरूप का ध्यान, चिन्तन करना ही स्मरणात्मक भक्ति है।

पादसेवन –ईश्वर के विग्रह की चरण–सेवा पूजा करना तथा अर्चन और स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करना पादसेवन भक्ति है। पाद–सेवन भक्ति का उदाहरण है– **'पदं देवस्य माळ्हुषोऽनाधृष्टाभिरूतिभि:। भद्रा सूर्य इवोपदृक्॥**[xliii]

निम्न मन्त्र में भगवच्चरणारविन्द का माहात्म्य द्योतित किया गया है, जो मानव को उसके अर्चन या सेवन की ओर प्रेरित करता है। जिसका अर्थ है- अभीष्ट पदार्थों के वर्षक परमात्मा का चरण आराधनीय है सेवनीय है। क्योंकि वह भगवच्चरण शत्रुओं से अनभिभूत रक्षाओं से युक्त है। उसकी रक्षा, छत्रच्छाया में कोई भक्त का बाल भी बंका नहीं कर सकता। उस परमात्मा का समीप से दर्शन या साक्षात्कार सूर्य के समान कल्याण का हेतु है। इसी बात को गीता में इस भाव से परम पुरुष परमात्मा को उपद्रष्टा कहा गया है – **'उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर:।**[xliv]**'**

अर्चनम्–अपने इष्ट का अनन्य भावों से पूजन करना स्तोत्र मन्त्रादि के माध्यम से वस्तूओं को हविष्यादि के द्वारा अर्पित करना ही अर्चन भक्ति है। वेद में अर्चन के प्रातिपादक उदाहरण निम्न प्रकार से हैं–

'अर्कमर्चन्तु कारव:।[xlv] **'अर्चत प्रार्चत।**[xlvi] **'अर्चन्त्यर्कमर्किण:।**[xlvii]

स्तोतृगण अर्चनीय परमात्मा की अर्चना करें। साधकगण आप लोग परमात्मा की अर्चा करें। अर्चनात्मक मन्त्रों के पाठक, पूजारी, पूजनीय परमात्मा की अर्चा करते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रभु के भक्त अर्चना में विनियुक्त वेदमन्त्रों से विधिवत् अपने इष्ट का पूजन करते रहें। इसी प्रकार यह अति–प्रसिद्ध मन्त्र भी अर्चन–भक्ति का उदाहरण है–

'त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्।

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्। उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुत:॥[xlviii]

वन्दन– वन्दन शब्द 'वदि अभिवादस्तुत्यो:' धातु से निष्पण होता है, वदि धातु का अर्थ है अभिवादन यानी नमस्कार और स्तुति। स्तुति अर्थ मानने पर वन्दन का कीर्तन में ही अन्तर्भाव हो जायेगा। अत: नवधा भक्ति के प्रकरण में वन्दन का अविवादन या नमस्कार अर्थ ही ग्रहण किया गया है। वन्दन भक्ति के उदाहरण स्वरूप निम्न मन्त्र इस प्रकार हैं–

'नमस्ते रुद्र मन्यवे' 'नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम्[xlix]

इस प्रकार वेद के सभी नमस्कार बोधक मन्त्र वन्दन भक्ति के उदाहरण हैं।

दास्य– अपने सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति अर्पण करना दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति का उदाहरण निम्न प्रकार से है–

'यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य। सर्वं तदिन्द्र ते वशे।[l]

स्वरूपाच्छादक अज्ञान के विनाशक हे सूर्यात्मक परमेश्वर सृष्टिकाल में आप जिस किसी पदार्थ के अभिमुख या समक्ष उदित होते हैं वह समस्त पदार्थ भवदुद्भासित विश्व आपके वशीभूत है। भाव यह है कि आप विश्व के स्वामी हैं, मैं उस विश्व के अन्तर्गत हूँ अत: आपका सहज दास हूँ। दीनबन्धो मुझ पर दया करके मेरे अज्ञान का नाश करें ताकि मैं संसार बन्धन से मुक्त हो सकूँ। भगवत्कृपा से स्वात्मदर्शन होने पर जब अज्ञान नष्ट होता है तभी भक्त संसार बन्धन से मुक्त हो पाता है।

सख्य – भगवान में अटल विश्वास होना और उनके साथ मैत्री भाव होना सख्य है। सख्य भक्ति का उदाहरण निम्न मन्त्रों में इस प्रकार है– **'अस्य प्रियास: सख्ये स्याम।**[li]**'**

प्रेमास्पद हम इस परमात्मा के मैत्री भाव में स्थित हों अर्थात् हम ईश्वर के प्रिय विश्वासनीय सच्चे मित्र बनें।

'देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम्।[lii]

हम साधकगण सर्वदेवमय प्रभु के सख्यभाव को मित्रता को प्राप्त हैं। अर्थात् सर्वदेवात्मक भगवान् के हम सच्चे मित्र बन चुके हैं। अत: अब हमें भव–बन्धन का कोई भय नहीं है।

आत्मनिवेदन–प्रभु की सेवा में अपनी आत्मा को समर्पित कर देना आत्मनिवेदन है। आत्मा के देह और देही ये दो अर्थ बतलाये गये हैं। इस प्रकार आत्म निवेदन के अन्तर्गत देह और देही इन दोनों का समर्पण समझा जाता है। आत्मनिवेदन का उदाहरण निम्न है।- **'स नो जीवातवे कृधि।**[liii]

वह आप हमारे सर्वस्व प्रभो! हमें जीवन के हेतु एकमात्र परम लक्ष्य अपनी सेवा के लिए स्वीकार करें। यहाँ साधक प्रभु की सेवा के लिए ही जीवित रहता है। भगवत्सेवा में जीवन के उपयोग की सम्भावना मिटते ही वह प्राणोत्सर्ग कर देता है। आत्मनिवेदन का ही नामान्तर शरणागति है जिसका उल्लेख श्वेताश्वतरोपनिषद् में इस प्रकार है—

'मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।[liv]

नवधा भक्ति का आचरण साधक अवस्था में होता है। उस समय प्रभु में विविध साधक का प्रेम वैध होता है। माता, पिता, गुरुजन, शास्त्रादि का आदेश विधि है। उससे प्रेरित होकर, न चाहते हुए भी साधक विवश होकर भगवान् की अर्चना-वन्दना करता है। इसलिए शास्त्रों में नवधा भक्ति को वैधी भक्ति माना गया है, इसके निरन्तर अभ्यास से परिपक्व दशा में प्रभु के प्रति नैसर्गिक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जैसे

नदीयों का समुद्र की ओर , पतङ्ग का दीपक की ओर, चकोर का चन्द्र के प्रति तथा चातक का मेघ के प्रति सहज आकर्षण होता है ठीक वैसे ही प्रभु के चरणों में साधक का स्वाभाविक प्रेम उदय भगवदनुरक्ति है।

वेद में भी विभिन्न स्थलों पर भक्ति के इन नवों भेदों का पृथक्-पृथक् वर्णन तो है ही, जिसका दिग्दर्शन हमनें किया, यहां भगवान् वेद का वह मन्त्र जिसमें भक्ति के उपर्युक्त सभी प्रकारों का अद्भुत कौशल के साथ एकत्र ही समावेश किया गया है।-

'भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥[lv]

हे देवगण! हम भजनीय, सेवनीय, अराधनीय, विद्वानों की **'कल्याणानां निधानम्'** इस उक्ति से तथा **'मङ्गलं मङ्गलानाम्'** इस उक्ति से परममङ्गलमय परमात्मा को कोनों से सुनें अर्थात् उनके दिव्य गुणों को, कर्मों को और चरित्र को सुनें।हमारी कर्णेन्द्रियां भगवद् कथा श्रवण में संलग्न रहें। भगवान् के अर्चक हम कर-पादादि अङ्गों से तथा अवयवी शरीरों से संयुक्त होकर, भगवद् कीर्तन करते हुए देव के हितार्थ यानी भगवत्प्रीत्यर्थ प्रवाहमान जीवन को प्राप्त हों अर्थात् हमारे जीवन का लक्ष्य लौकिक स्वार्थ सिद्धि नहीं अपितु भगवान् की सेवा द्वारा उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना हो।

सन्दर्भ–

[i].ऋग्वेद् ६।१।५॥

[ii]. शाण्डिल्यभक्तिसूत्रम् १।२।९॥

[iii]. ऋग्वेद

[iv]. शुक्लयजुर्वेद 40.5।

[v]. शाण्डिल्यभक्तिसूत्रम्

[vi]. कठोपनिषद् 1.2.23.

[vii]. शुक्लयजुर्वेद 31.18.

[viii]. श्रीमद्भगवद्गीता ३.१०॥

[ix].श्रीमद्भगवद्गीता 6.31।

[x].श्रीमद्भगवद्गीता 6-47।

[xi].श्रीमद्भगवद्गीता 7-16.

[xii].श्रीमद्भगवद्गीता 7-28.

[xiii].श्रीमद्भगवद्गीता 8-10.

[xiv].श्रीमद्भगवद्गीता 9-13.

[xv].श्रीमद्भगवद्गीता 9-14.

[xvi].श्रीमद्भगवद्गीता 9-26.

[xvii].श्रीमद्भगवद्गीता 9-29.

[xviii].श्रीमद्भगवद्गीता 9-30.

[xix].श्रीमद्भगवद्गीता 9-31.

[xx].श्रीमद्भगवद्गीता 9-33.

[xxi].श्रीमद्भगवद्गीता 10-8.

[xxii].श्रीमद्भगवद्गीता 10-10.

[xxiii].श्रीमद्भगवद्गीता 11.54.

[xxiv].श्रीमद्भगवद्गीता 11-55.

[xxv].श्रीमद्भगवद्गीता 12-14.

[xxvi].श्रीमद्भगवद्गीता 12-20.

[xxvii].श्रीमद्भगवद्गीता 13-10.

[xxviii].श्रीमद्भगवद्गीता 14-26.

[xxix].श्रीमद्भगवद्गीता 15-19.

[xxx].श्रीमद्भगवद्गीता 18-54.

[xxxi].श्रीमद्भगवद्गीता 18-55.

[xxxii].श्रीमद्भागवतम् 7-5-23.

[xxxiii].ऋग्वेद 1-89-8.

[xxxiv].ऋग्वेद 1-32-1.

[xxxv]. ऋग्वेद 1-10-1.

[xxxvi]. ऋग्वेद 2-33-8.

[xxxvii]. ऋग्वेद 8-89-1.

[xxxviii]. ऋग्वेद 8-92-1.

[xxxix]. ऋग्वेद 9-60-1.

[xl]. ऋग्वेद 9-97-4.

[xli]. अथर्ववेद 6-1-1.

[xlii]. ऋग्वेद 3-62-10.

[xliii].ऋग्वेद 8-102-15.

[xliv]. श्रीमद्भगवद्गीता 13-22.

[xlv]. ऋग्वेद 8-92-19.

[xlvi].सामवेद 4-2-3-3.

[xlvii]. ऋग्वेद 1-10-1.

[xlviii]. शुक्लयजुर्वेद 3-60.

[xlix]. शुक्लयजुर्वेद 16-66.

[l]. ऋग्वेद 8-93-4.

[li]. ऋग्वेद 4-17-9.

[lii]. ऋग्वेद 1-89-2

[liii].ऋग्वेद 10-186-2।

[liv]. श्वेताश्वतरोपनिषत् 6-18.

[lv]. ऋग्वेद 1-89-8.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

इतिहास के निर्माण में अभिलेखों की उपादेयता

दिनेश कुमार
शोधार्थी (इतिहास विभाग)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर, मध्य प्रदेश

सारांश : वर्तमान में प्राचीन अभिलेखों का स्थान अभिलेखागारों ने ले लिया है। अभिलेखागारों की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुये सन् 1950ई0 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काईब्स का गठन किया गया जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों में स्थापित अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार अभिलेखों को सुरक्षित जीवन प्रदान करने वाले अभिलेखागार ऐतिहासिक साक्ष्यों हेतु महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हीं को माध्यम बनाकर इतिहास का निर्माण किया जाता है।
मुख्य शब्द – इतिहास, अभिलेख, उपादेयता

इतिहास का निर्माण विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से पूर्ण होता है। साक्ष्यों के बिना इतिहास का निर्माण असंभव है। इतिहास निर्माता हेतु प्राप्त विभिन्न साक्ष्यों में से अभिलेख की महती भूमिका है। अभिलेखों के द्वारा सटीक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। क्योंकि इनके द्वारा अतीत में घटित घटनाओं की निष्पक्ष जानकारी प्रदान की जाती है।[1] अतः अभिलेख इतिहास के लिए विश्वसनीय जानकारी का स्त्रोत हैं। अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रस्तर लेख है जिनसे तत्कालीन समय (अतीत) के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक स्थिति का बोध होता है।[2]

अभिलेख तथा इतिहास को एक सिक्के के दो पहलू कहा जा सकता है। चूँकि अतीत के गर्भ में ही वर्तमान का बीज पनपता है इसलिए वर्तमान को परदर्शी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अतीत से सम्बन्धित जानकारी का स्त्रोत निष्पक्ष हो। अभिलेख इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। प्राचीन विश्व एवं प्राचीन भारत से सम्बन्धित सभ्यताओं से सम्बन्धित हमारा ज्ञान अपूर्ण है क्योंकि इन सभ्यताओं की सूचना प्रदान करने वाले अभिलेखों की लिपि को पढ़ने में हम असमर्थ हैं।

प्राचीन समय में जब मानव समाज ने कागज का आविष्कार नहीं किया था तब लोगों ने अपने कार्यों, विचारों की अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देने के लिए प्रस्तरों, मिट्टी के प्लेटों, धातु–पत्रियों,

ताड़–पत्रों, भोज वृक्ष के छालों, जानवर की खालों पर लेखन कार्य किया। जो वर्तमान में उनके विषय में हमारी जानकारी का स्त्रोत हैं। यदि हम प्राचीन भारत में ऐतिहासिक काल पर दृष्टिपात करें तो हमें सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। इन्हीं अभिलेखों को माध्यम बनाकर हम अशोक के समय घटित विभिन्न घटनाओं जैसे कलिंग युद्ध, युद्ध पश्चात् नीति व हृदय परिवर्तन, प्रशासन को पारदर्शी बनाने हेतु किये गये उसके सुधार, धम्म नीति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कलिंग के शासक खाखेल का हाथीगुम्फा अभिलेख, रूद्रदामन से सम्बन्धित जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कन्नौज के शासक सम्राट हर्षवर्धन द्वारा जानकारी मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल तथा बंगाल के सेनवंशी शासकों से सम्बन्धित शिलालेखों से इनके विषय में विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है।[3] इन अभिलेखों से शासकों दान–दाता, दान ग्रहीता, तिथिक्रम, राज्य सीमा व राज्य पदाधिकारियों के विषय में जानकारी मिलती है।

अशोक के पश्चात् होने वाले अभिलेखों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं– प्रथम सरकारी अभिलेख, द्वितीय–निजी अभिलेख। अधिकांश सरकारी अभिलेख राज–दरबार से सम्बन्धित राजा के कृपापात्र कवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी अभिलेख भूमि–अनुदान पत्र के रूप में मिलते हैं। प्रशस्तियों में जहाँ समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विजयों तथा नीतियों का विवरण प्राप्त होता है वहीं राजा भोज से सम्बन्धित ग्वालियर प्रशस्ति से उसके कार्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। भूमि अनुदान पत्रों का अंकन तांबे पर प्राप्त होता है जिनसे दान–कर्ता, दान, ग्रहिता, दान दिए जाने वाले समारोह का अवसर, भूमि खण्ड की सीमाओं तथा अवधि की सूचना प्राप्त होती है। परन्तु इन प्रशस्तियों तथा अनुदान पत्रों के रचयिता या लेखक राजदरबार से सम्बन्धित कवि अथवा विद्वान होते थे जिन्हें शासक का आश्रय प्राप्त रहता था फलतः वे अपने आश्रयदाता के सम्बन्ध में अतिश्योक्ति वर्णन करते थे। जिससे इनके द्वारा प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी संदिग्ध हो जाती है। बावजूद इसके हमें इनसे ढेर सरारी जानकारी प्राप्त होती है। पूर्व मध्य काल में बहुतायत संख्या में प्राप्त होने वाले भूमि अनुदान पत्रों से हमें यह सूचना प्राप्त होती है कि उस समय तक सामंती अर्थव्यवस्था पूर्णतया अपनी जड़े जमा चुकी थी। इसी प्रकार शिलालेख एवं स्तम्भलेख जिन स्थानों से प्राप्त होते हैं उससे शासक के साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

निजी अभिलेख अधिकतर देवालयों पर प्रतिमाओं पर अंकित हैं। इन पर अंकित तिथियों के आधार पर देवालय तथा प्रतिमा निर्माण के काल का ज्ञान होता है।[4] उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से बड़ी संख्या में प्राप्त भोजपत्रों से इतिहास के लिये उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं।[5]

प्राचीन समय के शासक अपने कृतित्व को चिरंजीवी रखना चाहते थे इसलिए वे अभिलेखों के महत्व से परिचित थे। परिणामतः अपने यश को सँजोए रखने के लिए उन्होंने अभिलेखों, शिलालेखों का उत्कीर्णन करवाया। दक्षिण भारत से सम्बन्धित संगम साहित्य को ताड़ के पत्रों पर उत्कीर्ण किया गया। सिन्धु घाटी में मुहरों पर लिपि का अंकन किया गया[6] जिससे यह विदित होता है कि भारत में आरम्भ से ही अभिलेखीय उत्कीर्णन होता था।

कालांतर में भारत में आने वाले विदेशी शासकों ने भी अपने–अपने अभिलेख जारी किये। इसी प्रकार मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों ने प्रशासनिक क्रियाओं कोर्ट के फैसलों, आदेशों, महत्वपूर्ण घटनाओं, राज परिवार से सम्बन्धित सदस्यों के जन्म, मृत्यु विवाह से सम्बन्धित दस्तावेजों, नियुक्तियाँ, पदोन्नति, युद्ध की घोषणाएँ, भाँति, समझौते, सीमांकन, राज–यात्राएँ आदि से सम्बन्धित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागारों की स्थापना की।[7]

भारत की अंग्रेज सरकार को पेपर ऑफ गवर्नमेण्ट के नाम से भी संबोधित किया जाता था।[8] क्योंकि अंग्रेजों ने अपने समस्त सरकारी व्यवहार को लिखित स्थित में संरक्षित किया जो कालांतर में भारतीय इतिहास लेखन हेतु सामग्री बना।

अभिलेखों से प्राप्त सूचनाएँ तथा अभिलेखागार से संरक्षित दस्तावेजों से प्राप्त होने वाली सूचनाएं इतिहास के लिए मुख्य स्त्रोत का कार्य करती हैं। क्योंकि विभिन्न विद्वानों जैसे भण्डारकर, विन्सेट, स्मिथ, रॉबर्ट, स्वेल, हेनरी, डॉडवेल, जॉन बुक इत्यादि ने इन्हीं को माध्यम बनाकर भारतीय इतिहास का लेखन किया।[9] ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कर्मचारी Rober Orme ने विभिन्न दस्तावेजों एवं पाण्डुलिपियों को आधार बनाकर इतिहास लेखन का कार्य किया।[10]

भारत में अंग्रेज सरकार ने दस्तावेजों को संरक्षित कर रखने के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न अभिलेखागारों की स्थापना[11] करवायी। जिनमें इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेण्ट कोलकाता, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली[12], मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस उल्लेखनीय है। अंग्रेजों ने सूचना संप्रेषण एवं अभिलेखीय संरक्षण के हेतु 1919 में इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन का भी गठन किया।[13]

अभिलेखागारों की स्थापना सर्वप्रथम फ्रांस में हुई। तत्पश्चात् फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद अन्य यूरोपीय देशों नीदरलैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन एवं इटली में भी पाण्डुलिपि को संरक्षित करने के उद्देश्य से अभिलेखागारेां की स्थापना हुई।[14] प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात पूँजीवादी एवं मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक देशों ने अपनी विचारधारा का संरक्षण व प्रसार का माध्यम अभिलेखागारों को बनाया।[15]

अभिलेख समय बीतने के साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी हो जाते हैं क्योंकि प्रारम्भ में इनकी प्रशासनिक प्रासंगिकता होती है परन्तु समय बीतने के साथ–साथ ज्यों–ज्यों इनकी प्रशासनिक प्रासंगिकता कम होती जाती है त्यों–त्यों इनकी सांस्कृतिक प्रासंगिकता इतिहास के स्त्रोत के रूप में बढ़ने लगती है।[16] अभिलेख इतिहास भी जीवंत सामग्री के रूप में प्रस्तुत होते हैं जिनको आधार बनाकर इतिहास की सूचनाओं को पारदर्शी तथा स्थिर स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।[17]

अंग्रेजों के समय अभिलेखागारों में संरक्षित दस्तावेजों से भी इतिहास निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। क्योंकि इन्हीं से अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीति, भारत का अनु–औद्योगीकरण, भारत के स्थानीय उद्योगों का नष्ट होना, जंगलों का विनाश, नकदी फसलों का उत्पादन, अकालों की बारम्बारता, गरीबी, भूखमरी, टैक्स का भारी बोझ, किसानों की दयनीय स्थिति इत्यादि के विषय में सूचना प्राप्त होती है।[18]

अभिलेख अतीत के विकसित होने वाले मानवीय समाज का दर्पण होते हैं। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमें अतीत की विभिन्न प्रथाओं जैसे जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवाओं की स्थिति, बाल विवाह, बहु–विवाह, महिला उत्पीड़न, खान–पान, मनोरंजन, वेशभूषा के विषय में सूचना प्राप्त होती है। पुनश्च, इन प्रथाओं के सकारात्मक, नकाररात्मक सामाजिक प्रभावों का भी ज्ञान प्राप्त होता है।

अंततः वर्तमान में प्राचीन अभिलेखों का स्थान अभिलेखागारों ने ले लिया है। अभिलेखागारों की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुये सन् 1950ई0 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काईब्स का गठन किया गया जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों में स्थापित अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।[19] इस प्रकार अभिलेखों को सुरक्षित जीवन प्रदान करने वाले अभिलेखागार ऐतिहासिक साक्ष्यों हेतु महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हीं को माध्यम बनाकर इतिहास का निर्माण किया जाता है।

सन्दर्भ

1. अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेख सप्ताह पर प्रकाशित, पटना, 1979, पृ0 1
2. वही
3. पी0डी0 महाजन, प्राचीन भारत का इतिहास, नई दिल्ली, 1984, पृ0 10
4. डी0एन0 झा एवं के0एम0 श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, नई दिल्ली, 1986, पृ0 15
5. बी0डी0 महाजन, पूर्वोद्धत, पृ0 10
6. बी0डी0 महाजन, पूर्वोद्धत, पृ0 12
7. मैनुअल ऑफ आर्काइवल सिस्टमस एण्ड द वर्ल्ड ऑफ आकाईव (संपादक) डॉ0 एम0 सुंदरराज चेन्नई, 1999, पृ0 2
8. स्मारिका, आई0एच0आर0सी0 बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना, 2013, पृ0 1

9. मैनुअल ऑफ आर्काइवल सिस्टमस एण्ड द वर्ल्ड ऑफ आर्काइव, पूर्वाद्धत, पृ0 11
10. इंटरनेट विकिपीडिया, Robert Orme
11. सव्यसाची भट्टाचार्य, व्हाट आर द आर्काइव फॉर, अभिलेख, बिहार, पटना, 2011, पृ0 3
12. मैनुअल ऑफ आर्काइवल सिस्टमस एण्ड द वर्ल्ड ऑफ आर्काइव, पूर्वाद्धत, पृ0 2
13. प्रोसीडिंग्स ऑफ द 61 सेशन वॉल्यूम LXI इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्डर्स कमिटी, पटना, 2013, पृ0 303
14. मैनुअल ऑफ आर्काइवल सिस्टमस एण्ड द वर्ल्ड ऑफ आर्काइव, पूर्वाद्धत, पृ0 2
15. वही, पृ0 3
16. वही, पृ0 11—13
17. अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख सप्ताह पर प्रकाशित, पूर्वोद्धत, पृ0 4
18. मैनुअल ऑफ आर्काइवल सिस्टमस एण्ड द वर्ल्ड ऑफ आर्काइव, पूर्वाद्धत, पृ0 9
19. वही, पृ0 2ण

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

दीन दयाल उपाध्याय की राजनीति में राष्ट्र के लिए समर्पित चिन्तन

डॉ. जगदीश प्रसाद जाटः
एसोसिएट प्रोफेसर, स्वः लक्ष्मी कुमारी बधाला गर्ल्स
पी.जी. कॉलेज गोविन्दगढ़, चौमूँ (जयपुरम्)

सारांश : दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संध के प्रचारक के नाते जीवन भर रहे। राजनीति में भी संघ के द्वारा भेजे गए। राजनीति क्यों होनी चाहिए और राजनीति में हम क्या आदर्श स्थापित करना चाहते है, यह दीन दयाल उपाध्याय ने अपने राजनीतिक जीवन में बतलाया । भारतीय जन संघ की स्थापना राष्ट्रीय स्वयं सेवकसंघ और प्रथम अध्यक्ष डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अकस्मात निधन के पश्चात भारतीय जन संघ की वागड़ोर पूरी तरह से दीन दयाल उपाध्याय के कंधो के ऊपर आ गई। दीन दयाल उपाध्याय ने राजनीतिक दलों तथा कार्यकर्ताओं के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रीय अखंडता तथा एकता को प्रमुखता से अपने राजनीतिक दल तथा स्वयं के आचरण में स्थान दिया। राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कभी भी अपने राजनीतिक दल को राष्ट्र हित से ऊपर नहीं देखा। दीन दयाल उपाध्याय की राजनीति बहुत स्पष्ट थी, वो कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। उनके द्वारा कभी भी राजनीति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनका मानना था कि वोट बैंक के लिए कभी भी राष्ट्र को जाति, धर्म, पंथ आदि में नहीं बांटना चाहिए। दीन दयाल उपाध्याय अपनी राजनीति राष्ट्र को समर्पित करते हैं तथा आने वाले राजनीतिक दलों तथा कार्यकर्ताओं को एक आदर्श स्थापित करते हैं कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि होता है।

भूमि, जन तथा संस्कृति के संघात से राष्ट्र बनता है। "संस्कृति राष्ट्र का शरीर, चिति उसकी आत्मा तथा विराट उसका प्राण है।" यह उपाध्याय द्वारा दी गई राष्ट्र की भारतीयकृत परिभाषा है। भारत एक राष्ट्र है और वर्तमान समय में एक शक्तिशाली भारत बन कर भी उभर कर सामने आ रहा है। राष्ट्र में रहने वाले जनों का सबसे पहला दायित्व होता है कि वो राष्ट्र के प्रति ईमानदार तथा वफादार रहे । प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है, जब भी कभी अपने निजि हित राष्ट्र हित से टकराएं तो राष्ट्रहित को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यह हर एक राष्ट्रभक्त की निशानी होती है। भारत सदियों तक गुलाम रहा और उस गुलाम भारत को आजाद करवाने के लिए असंख्य वीरों ने अपने निजि स्वार्थों को दरकिनार करते हुए राष्ट्रहित में अपने जीवन की आहुति स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में डालकर राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति है और उसी संस्कृति से सीखकर भारत को आगे बड़ने की अवश्यकता है। हमें रामराज्य तथा महाभारत में श्री कृष्ण की अधर्म के प्रति धर्म की नीति को न भुलाकर उससे सीखकर एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना कैसे करनी है, इसका चिंतन करना अति अवश्यक है। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त जैसे शक्तिशाली शाशकों के जीवन से प्रेरणा लेकर भारत को दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में कैसे ले कर आना है, इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। हमें अपने गौरवमयी इतिहास को न भुलाकर आने वाले शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है। दीन दयाल उपाध्याय स्वतंत्र भारत में अपनी भारतीय संस्कृति से सीख लेकर आगे बढ़ने की दिशा दिखाने वाले विचारक थे। दीन दयाल उपाध्याय 'सनातनधर्मी' हैं। वे प्राचीन से कटकर आधुनिक बनने की प्रवृति को समाज-जीवन के लिए अहितकर मानते हैं। अतः भारतीय राष्ट्रजीवन के पुनर्निमाण की वेला में पाश्चात्य संपर्क व प्रभाव के कारण कटी हुई नई पीढ़ी को अपनी प्राचीन अवधारणाओं से ससंबद्ध करना चाहते हैं।

राष्ट्र की परिभाषा विभिन्न विचारकों ने कुछ इस तरह दी है: डी स्मिथ ने राष्ट्र क्या है, कुछ इस तरह परिभाषित किया है- मानव समुदाय, जिनकी अपनी मातृभूमि हो, जिनकी समान गाथाएं और इतिहास एक जैसा हो, समान संस्कृति हो, अर्थव्यवस्था एक हो और सभी सदस्यों के अधिकार व कर्तव्य समान हो।

रूपर्ट इमसन के अनुसार एक संबद्ध समुदाय, जिनकी विरासत समान हो और जो एक जैसा भविष्य पसंद करते हों।

फ्रांसीसी लेखक अर्नेस्ट के अनुसार (1882) आधुनिक राष्ट्र केंद्राभिमुख घटकों की ऐतिहासिक परिणति है। एक जैसा अतीत गौरव, वर्तमान की एक समान इच्छा तथा एक साथ महान कार्य के निष्पादन व इसे बेहतर करने की इच्छा, ये सभी घटक 'जन' बनने की अवश्यक शर्ते हैं और एसे 'जन' की आत्मा 'राष्ट्र' है।

श्री गुरूजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक ने राष्ट्र-जन के विभिन्न घटकों का उल्लेख किया है- समान इतिहास, समान परंपरा, शत्रु मित्रता का भाव समान, भविष्य की आकांक्षा समान ऐसी भूमि का पुत्र संबंध समाज राष्ट्र कहलाता है।'

दीन दयाल उपाध्याय ने भी राष्ट्र क्या है, इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं- विश्व में आज समष्टि की सबसे बड़ी इकाई 'राष्ट्र है। अतः राष्ट्र की दृष्टि से अगर विचार करें तो राष्ट्र के लिए चार बातों की अवश्यकता होती है- प्रथम अवश्यकता है देश । देश, भूमि और जन दोनों को मिलाकर बनता है। केवल भूमि ही देश नहीं। किसी भूमि पर एक जन (समाज) रहता हो और वह उस भूमि को मां के रूप में पूज्य समझें, तभी वह देश कहलाता है। दूसरी अवश्यकता है सबकी इच्छाशक्ति, यानि सामूहिक जीवन का संकल्प। तीसरी एक व्यवस्था जिसे नियम या संविधान कह सकते हैं, इसके लिए हमारे यहां सबसे अच्छा शब्द प्रयुक्त होता है 'धर्म' । चौथी अवश्यकता जीवन आदर्श अर्थात संस्कृति । इन चारों का समुच्चय यानि राष्ट्र ।

दीन दयाल उपाध्याय आधुनिक भारत के भारतीय विचारक थे, उन्होंने सवतंत्रता के पश्चात देश में बनी परिस्थितयों का आंकलन कर देश के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए। देश कौन से विचार को लेकर आगे की दिशा और दशा निश्चित करे, इसी के तहत उन्होंने विशुद्ध भारतीय परंपरा और संस्कृति से निकला विचार एकात्म मानव दर्शन देश के सामने प्रस्तुत किया। दीन दयाल उपाध्याय के राजनीतिक और समाजिक विचारों को अलग करना काफी कठिन कार्य है, क्योंकि दीन दयाल उपाध्याय राजनीति व राज्य व्यवस्था को समाज की प्रतिनिधि व्यवस्था नहीं मानते। अतः उनके राजनीतिक विचार भी सामाजिक और सांस्कृतिक ज्यादा और राजनीतिक कुम हैं।'

पंडित दीन दयाल उपाध्याय का राजनीति में प्रवेश

दीन दयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश, मथुरा जिला के नगला चंद्रभान गांव में हुआ। बचपन से ही उनके जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टुट पड़ा। ढ़ाई साल की ही उम्र में पिता का साया उनके जीवन से छंट गया। दीन दयाल उपाध्याय के पिता भगवती प्रसाद का देहांत हो गया। अभी दीन दयाल केवल सात वर्ष के ही हुए थे, कि माता का भी देहांत हो गया। दीन दयाल उस समय अपने नाना के घर में रह रहे थे। अभी माता को गुजरे हुए दो ही वर्ष हुए थे, कि नाना भी स्वर्ग सिधार गए। उनके जीवन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, पर दीन दयाल अभी भी हिम्मत नहीं हारे थे और अपने छोटे भाई का भी पालन पोषण करते थे। जब दीन दयाल अपने अठारवें वर्ष में थे और नवीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो उनका छोटा भाई भी रोगग्रसत हो गया, दीन दयाल ने सब प्रकार से उपचार करवाया पर 18 नवंबर 1934 को शिव दयाल अपने बड़े भाई को अकेला छोड़ संसार से विदा हो गया। इस तरह से अपनों की मृत्यु ने दीन दयाल को झकझोर के रख दिया था, पर पंडित दीन दयाल ने अपने हौंसलों को कमजोर नहीं पड़ने दिया और विपरीत परिस्थितयों में भी वे पूरे उत्साह से आग बढ़ते रहे।

राष्टीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क

दीन दयाल उपाध्याय अपनी स्नातक की पढ़ाई करने के लिए कानपुर गए, वहीं उनका संपर्क 1937 में अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। कानपुर में संघ संस्थापक डा हेडगेवार से भी उनकी भेंट हुई। कानपुर के इस विद्यार्थी जीवन से ही दीन दयाल उपाध्याय का सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। सन 1937 के बाद 1941 तक छात्र रहे। सन 1939 में उन्होंने संघ का 40 दिन का प्रशिक्षण वर्ग प्रथम वर्ष और सन 1942 मे द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने तथा द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पं दीन दयाल उपाध्याय राष्टीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए। वे आजीवन संघ के प्रचारक ही रहे। संघ के माध्यम से ही वे राजनीति में गए, भारतीय जन संघ के महामंत्री तथा अध्यक्ष रहे और एक संपूर्ण राजनीतिक विचार के प्रणेता बने ।

राजनीतिक दल जनसंघ में प्रवेश

स्वतंत्रता के बाद भारत कई प्रकार की समस्याओं से भी घिरा हुआ था, देश किस दिशा में आगे बड़े और किस तरह से अग्रणी देशों की श्रेणी में अपने को ला कर खड़ा करे, यह बहस होना स्वाभाविक था। देश में कांग्रेस का एकतरफा जनाधार था और एक शक्तिशाली

राजनीतिक दल के नाते भी भारत में कार्य कर रही थी। स्वतंत्रता के उदेश्य से ही कांग्रेस का निर्माण हुआ था और अपनी भुमिका भारत को आजाद करवाने के लिए बखूबी निभाई। अब भारत आजाद हो गया था और कांग्रेस एक मजबूत राजनीतिक दल बन कर कार्य कर रहा था, पर स्वतंत्र भारत मे किस विचार को लेकर आगे बढ़ना है और क्या लक्ष्य लेकर भारत की दिशा और दशा तय करनी है, इसकी कमी साफतौर पर झलक रहीं थी। पर कांग्रेस का कोई बेहतर और मजबूत विकल्प भी नहीं दिख रहा था। कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे भी थी जो भारत की परिस्थितयों को भली भांति समझते थे और राष्ट्रहित में कार्य कर रहे थे और कुछ ऐसे भी थे, जो अपने निजि स्वार्थो को साथ ले कर चल रहे थे और राष्ट्र के विकास और प्रगति को दरकिनार कर अपना प्रभुत्व दिखा रहे थे। हम सरदार पटेल के प्रयासों और पर्यत्नों को नहीं भूला सकते, जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता तथा कुशल रणनिति का परिचय देते हुए विभिन्न स्वतंत्र रियासतों का भारत में विलय करवाया। डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू सरकार में भारत के पहले उधोग मंत्री थे, परंतु जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ, उसके वो पक्षधर नहीं थे और उन्होंने मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया। डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में ही 21 अक्तूबर 1951को अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति एवं डा मुखर्जी के नेतृत्व में अन्य हिंदू राष्ट्रवादी समुदायों को साथ लेकर भारतीय जनसंघ को विकसित करने की योजना बनी, लेकिन नियति इस योजना के अनुकूल नहीं थी। जनसंघ की स्थापना के 21 महीने के बाद ही कश्मीर आंदोलन के तहत श्रीनगर की जेल में 23 जून 1953 को डा मुखर्जी की मृत्यु हो गई। राष्ट्रवादी भारतीय राजनीति जिसका प्रतिनिधित्व जनसंघ को करना था, के नेतृत्व का भार अब पूरी तौर पर संघ द्वारा राजनीति में भेजे कार्यकर्ताओं पर आ गया था। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने प्रत्यक्षतः यह कार्य संभाला। सरसंघचालक मा स गोलवलकर इन नवीन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्त्रोत व मार्गदर्शक थे।

दीन दयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचार

पंडित दीन दयाल उपाध्याय केवल राजनीतिक उपदेशक नहीं थे। उनके जीवन से ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को सीख लेनी चाहिए, उनका स्वयं का जीवन प्रेरणादायी अनुशासित तथा निष्कलंक था। राजनीति उनके लिए राष्ट्र की सेवा के लिए साधन थी, केवल सत्ता सुख के लिए नहीं थी। दीन दयाल उपाध्याय राजनीति में क्यों आए? इस प्रश्न का उत्तर है, उन्होंने राष्ट्रनीति के लिए राजनीति में पदार्पण किया। वे देश की सत्ता चाहते तो थे, किंतु किसके हाथों में ? उनका विचार था कि सत्ता उसके हाथों में जानी चाहिए, जो राजनीति का उपयोग राष्ट्रनीति के लिए कर सकें।

भारत की अखंडता और एकता :

भारत में जिस समय जनसंघ की स्थापना हुई, उस समस देश विपरीत परिस्थितयों से गुजर रहा था। कांग्रेस देश की परिस्थितयों को नहीं समझ पा रही थी और बिना किसी उदेश्य तथा लक्ष्य से देश में कार्य कर रही थी। कांग्रेस के नेताओं में दूरदर्शिता की कमी साफ झलक रही थी। जन संघ का उदेश्य साफ था और वह अखंड भारत की कल्पना कर कार्य करने वाला था। वह भारत को खंडित भारत करने के पक्ष में नहीं थे। जन संघ का सपष्ट मानना था कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दूनिया के सामने आएगा। दीन दयाल उपाध्याय के अनुसार अखंड भारत देश की भौगोलिक एकता का ही परिचायक नहीं है, अपितु जीवन के भारतीय दृष्टिकोण का द्योतक है, जो अनेकता में एकता का दर्शन करता है। अतः हमारे लिए अखंड भारत कोई राजनीतिक नारा नहीं है बल्कि यह तो हमारे संपूर्ण जीवनदर्शन का मूलाधार है। स्वतंत्रता के बाद कश्मीर भारत के लिए एक अनसुलझी सी पहेली बन कर सामने आया है। धारा 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। कश्मीर के अलगाववादी नेता कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग न मानते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ को राष्ट्र के हित के आगे विशेष प्राथमिकता देते रहे हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। भारतीय जनसंघ की स्थापना के पश्चात ही कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए आंदोलनरत है। कश्मीर आंदोलन के प्रसिद्ध तीन नारे थेः एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे। दीन दयाल उपाध्याय भी अपने एक लेख में लिखते हैं: आज कश्मीर कसौटी बन गया है, भारत की पंथनिरपेक्ष राष्ट्रीयता की, नेशनल कांग्रेस के नेताओं की राष्ट्र निष्ठा की और संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायप्रियता की। जिस कश्मीर के लिए भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणास्त्रोत दीन दयाल उपाध्याय अपने जीवन में कश्मीर के लिए आंदोलन लड़ते रहे, आज उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और धारा 370 को राष्ट्र की अखंडता में बाधा देखते हुए कश्मीर समस्या का समाधान 'कश्मीर' का पूरी तरह से भारत में विलय करके किया है। यह उसी चिंतन का परिणाम दिखता है, जिसके लिए जनसंघ के दोनो नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन में राष्ट्र की अखंडता और एकता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए।

राजनीतिक दलों की भूमिका तथा चुनावी मैदान :

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका अहम हो जाती है। भारत में काफी राजनीतिक दल सकीय हैं, कुछ क्षेत्रीय दल तथा कुछ राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विचार को लेकर तथा लक्ष्य लेकर कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र के विकास तथा उन्नति को गति देने के लिए राजनीतिक दलों की भूमिका भी अहम हो जाती है। राजनीतिक दलों के बारे में दीन दयाल उपाध्याय अपनी राय रखते हैं और कहते हैं, कि एक श्रेष्ठ दल जो सत्ता पर अधिकार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का झुंड न होकर, एक जीवमान संगठन हो, जिसका सत्ता प्राप्त करने के अतिरिक्त अपना अलग वैशिष्ट्य हो। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अधिकतर राजनीतिक दल स्वार्थ और एक दूसरे राजनीतिक दलों को नीचा दिखाने की राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, जो कि देश के विकास में भी बाधक है। चुनावी संग्राम में हम देखते हैं कि किस तरह से राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत समीकरण बिठाए जाते हैं, बाहुवल और धनवल का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। जातिवादी राजनीति वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र में घातक बिमारी है। उपाध्याय की आस्था है कि मतदाता की बुद्धिमता ही इसका इलाज है, ये सब ऐसे तथ्य हैं कि जो देश की राजनीति को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। राजनीतिक दलों को जो देश की राजनीति में प्रमुख दल के रूप में विकसित होना चाहते हैं, इन खतरों से सचेत रह कर अपने सिद्धांत की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसी भांति जनता का यह कर्तव्य है कि वह जागरूक रहकर बुद्धिमता के साथ अपने विवेक का परिचय दें, जिससे राजनीतिक दलों के गलत दृष्टिकोण को सुधारा जा सके। भारतीय जनता पार्टी दीन दयाल उपाध्याय को अपना आदर्श तथा प्रेरणास्त्रोत मान कर कार्य कर तो रही है, पर कहीं न कहीं चुनावी संग्राम में जातिवादी समीकरण बिठाने के लिए जातिगत राजनीति का शिकार हो जाती है। उपाध्याय जितनी अधिक श्रद्धा भक्ति राष्ट्र के प्रति रखते थे, उतनी ही उनकी आस्था एवं श्रद्धा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति थी। उन्होंने अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों को गतिशीलता प्रदान की।

राष्ट्रीय संकट की घड़ी में, राष्ट्रहित सर्वोपरि :

दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रहित में राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ थे। अपने भारतीय वीरों से, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए अपने जीवन की आहूति स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में हंसते हंसते डाल दी, उन्हीं से प्रेरणा लेकर ही दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रहित के लिए ही राजनीति में आए। उनका पूरा प्रयत्न जनसंघ को राष्ट्रनीति में कार्य करने वाला राजनीतिक दल बनाना था। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जब चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, उस समय भारतीय जनसंघ का उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चला हुआ था। दीन दयाल उपाध्याय की राजनीति चाल सीधी थी, टेढ़ी नहीं। राष्ट्रीय संकट की घड़ी में भी सरकार को कठिनाई में डालकर अपने दल का स्वार्थ साधना उनकी राजनीति में नहीं बैठता था। इसलिए उन्होंने इस संकट की घड़ी में तुरंत अपने किसान आंदोलन को बिना किसी शर्त स्थगित कर दिया।

दीन दयाल राजनीति में जनसंघ के स्वतंत्र व्यक्तित्व और अस्तित्व को इस प्रकार बनाये रखना चाहते थे, कि वह देश के नवनिर्माण का कार्य कर सके। उनके विचार से जनसंघ केवल सत्ता प्राप्ति के लिए स्थापित दल नहीं था बल्कि राजनीतिक क्षेत्र के साथ ही राष्ट्रजीवन में युगपरिवर्तन कराने के लिए निर्मित राजनीति दल था। दीन दयाल उपाध्याय आधुनिक भारतीय राजनीति में कांति लाने वाल पुरोधा थे। राष्ट्र की अखंडता पर उन्होंने विशेष बल दिया और साथ ही विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों तथा जबरनी धर्म परिवर्तन पर अपने विचार प्रस्तुत किए, उस समय की कांग्रेस सरकार से उनके हितों की रक्षा करने की वकालत की। वर्तमान समय में भाजपा सरकार के द्वारा नागरिकता संसोधन बिल को पास कर एक्ट बना दिया गया है, जिसके तहत अब इस्लामिक देश पकिस्तान, बंग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यको को एक विशेष प्रकिया के तहत भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

दीन दयाल उपाध्याय का विशेष बल ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने पर था जो कि अनुशाशित हों। उन्होंने अपने जन संघ के सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया। दीन दयाल उपाध्याय ऐसे राजनीतिक नेता थे, जो कि राष्ट्रीय संकट के समय सभी राजनीतिक दलों को एकता दिखाने के लिए अपील करते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, कि अगर मुझे दो दीन दयाल मिल जाएं, तो में भारतीय राजनीति का नक्सा ही बदल दूं। यही से हम कह सकते हैं कि दीन दयाल उपाध्याय का चरित्र कितना मजबूत था। उनके इसी गम्भीर प्रयत्न के परिणामस्वरूप राजनीतिक परिदृश्य में उनका स्थान बना है और सदा बना रहेगा। आधुनिक भारतीय राजनीतिक दर्शन को पंडित दीन दयाल उपाध्याय का विशिष्ट योगदान है।

संदर्भग्रन्थाः -

1. पंडित दीन दयाल उपाध्यायः विचार दर्शन, राजनीति राष्ट्र के लिए
2. दीन दयाल उपाध्याय, राष्ट्र चिंतन, (2) अखंड भारतः साध्य और साधन, राष्टधर्म पुस्तक प्रकाशन, लखनउ, पृ: 33
3. पांच्चजन्य, कश्मीर अंक, (दीपावली, 2019) 28 अक्तूबर, 1962, पृ 167
4. दीन दयाल उपाध्याय, मताधिकार कागज का टुकड़ा नहीं, लोकाज्ञा है', पाच्चजन्य, 21 जनवरी 1962 (चुनाव विशेषांक पृ 40)
5. दीन दयाल उपाध्याय, 'मताधिकार कागज का टुकड़ा नहीं, लोकाज्ञा है', पाच्चजन्य, 21 जनवरी 1962 (चुनाव विशेषांक, पृ.41)
6. पंडित दीन दयाल उपाध्याय, विचार दर्शन
7. समर्थ भारत, सांस्कृतिक राष्टवाद का अर्थ (प्रो बाल आपटे)
8. एकात्म मानववाद, व्यक्ति और समाज
9. भारतीय राजनीति को पंडित दीन दयाल उपाध्याय का योगदान, अध्याय 3, पं दीनदयाल जी का राजनीतिक चिंतन (डॉ. ईला त्रिपाठी, डा प्रयाग नारायण त्रिपाठी) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
10. कश्मीर आंदोलन व मुखर्जी की मृत्यु के संदर्भ में निम्न पुस्तकें पठनीय हैं उमाप्रसाद मुखर्जी, ए मुखर्जी, 'श्यामाप्रसाद मुखर्जी हिज डेथ इन डिटेंसन,' ए केस फार इन्क्वारी, कलकता सेकेंड एडीसन 1953, कश्मीर समस्या और जम्मू सत्याग्रह, भारतीय जनसंघ प्रकाशन, दिल्ली

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

आत्मकथा की संस्कृति और जीवन का श्मशान हो जाना

डॉ. अनुराग मिश्र
एसोसिएट प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग, का.सु.साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अयोध्या, उत्तर प्रदेश,भारत।

शोधसार : आधुनिक हिंदी साहित्य की गद्य–विधाओं में आत्मकथा लेखन की एक अपनी विशिष्ट भूमिका है। वस्तुपरक तटस्थता और आत्मपरक ईमानदारी के प्रतिमानों से होकर गुजरते हुए समकालीन विमर्शों के रूप में यह विधा बीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में अपनी अब तक की सर्वोच्च ऊंचाई का स्पर्श करती है। आत्मकथाओं के माध्यम से दलित विमर्श ने हिंदी साहित्य के लेखन और संस्कृति की चली आ रही अवधारणाओं में प्रभावी हस्तक्षेप किया है। अस्मितामूलक विमर्श को निर्मित करने में दलित आत्मकथाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. विगत तीन दशकों की दलित आत्मकथा लेखन की परंपरा में 'मुर्दहिया' का प्रकाशन एक युगांतकारी घटना है जिसने संवेदना, भाषा और सौंदर्यशास्त्रीय प्रतिमानों में रैडिकल परिवर्तन उपस्थित किया है. आरंभिक दलित लेखन के अंतर्विरोधों, उसकी सीमाओं और सामाजिक परिवर्तनों के रूपाकारों को समझने की दृष्टि से प्रस्तावित विषय अध्ययन का एक विचारोत्तेजक सन्दर्भ–बिंदु हो सकता है।

बीजशब्द : आत्मकथा, विमर्श, अस्मितामूलक विमर्श, सौंदर्यशास्त्र, सबाल्टर्न इतिहास लेखन।

आधुनिक काल के गद्य–विधाओं के स्वरूपगत विकास में आत्मकथा–लेखन की एक अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक भूमिका रही है। एक विधा के रूप में इसकी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति के आत्मगत जीवन के तथ्यात्मक व्योरों से अधिक उसके विश्लेषण व मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त होती है। इस रूप में एक श्रेष्ठ आत्मकथा की कसौटी ही यह हो जाती है कि वह लेखक के अपने जीवन से अधिक उस समाज का मूल्यांकन हो जिससे वह प्रतिकृत होता है और जिसमें उसके सामाजिक संघर्ष की सच्चाईयाँ अपने समग्र और वास्तविक रूप में प्रकट होती हों। अर्द्धकथानक से लेकर समकालीन दलित आत्मकथाओं तक की जो परंपरा है, उसमें लेखन की प्रवृत्तियों में आये हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को देखा जा सकता है। समकालीन दलित लेखन ने हिंदी साहित्य लेखन को अंतर्वस्तु व रूप–चेतना के स्तर पर गहरे तक प्रभावित किया है। जूठन

से मुर्दहिया तक की यात्रा में लेखन के स्वरूप में आए परिवर्तनों को लक्ष्य किया जा सकता है। दया पवार की अनूदित आत्मकथा 'अछूत', प्रो. तुलसीराम की 'मुर्दहिया', ओमप्रकाश वाल्मीकि की 'जूठन', मोहनदास नैमिशराय का 'अपने अपने पिंजरे', किशोर शांताबाई काले का 'छोरा कोल्हाटी का', कौशल्या बैसंत्री का 'दोहरा अभिशाप', अनिल अवचट का 'हम भी जिन्दा हैं',माता प्रसाद का 'झोपड़ी से राजभवन', सूरजपाल सिंह चौहान का 'तिरस्कृत' रमणिका गुप्ता की 'हादसे' और सुशीला टाकभोरे का 'शिकंजे का दर्द' आदि आत्मकथाओं ने दलित लेखन का एक समृद्ध वैचारिक परिदृश्य निर्मित किया है।

समकालीन हिन्दी दलित–लेखन में डॉ. तुलसीराम की आत्मकथा 'मुर्दहिया' का दलित–संवेदना को एक नये सैद्धान्तिक व आनुभविक वैशिष्ट्य के स्वरूप में ढालने के सन्दर्भ में अपना एक विशेष महत्त्व है। 'मुर्दहिया' तक आते–आते हिन्दी की दलित आत्मकथा ने विकास का एक चक्र पूरा कर लिया है। 'मुर्दहिया' का प्रकाशित होना दलित–समाज व लेखन की एक विशिष्ट साहित्यिक उपलब्धि है जहाँ दलित–लेखन अपने कथित संवेदनात्मक खुरदुरेपन और शैलीगत अपरिपक्वता की लांछना को एक झटके में उतार फेंकता है। बेहद संवेदनशील मन के साथ लिखी गयी यह आत्मकथा एक ओर तो दलितों के जीवन की व्यापक सामाजिक–आर्थिक दुरवस्था को बहुत मार्मिक ढंग से सामने रखती है, तो दूसरी ओर, यह सामाजिक ताने–बाने के भीतर उस 'स्पेस' को भी खोलती है जिसमें एक प्रतिभाशाली दलित के लिए विभेद की संरचना को थीड़ा लचीला बनाते हुए आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन का वातावरण अपने आप ही सामने आ जाता था। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवनयापन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित एक बड़ा सामाजिक वर्ग किस तरह घिसट–घिसंट कर आगे बढ़ रहा था, इसके स्तब्ध कर देने वाले ब्योरे मुर्दहिया में मिलते हैं – ''मैं भी अन्य बच्चों के साथ टिन की बाल्टी तथा झाड़ू लेकर जाता और झाड़ू से चूहों को मार–मारकर बाल्टी भर जाने पर उन्हें घर लाता। इन चूहों को पहले घर के लोग रहट्ठा यानी अरहर का डंठल डालकर उस पर खूब सेंकते थे। इस तरह चूहों के बाल बिल्कुल जल जाते थे। इसके बाद साफ करके बोटी–बोटी काट दिया जाता, फिर मसाला डालकर उसका मांस पकाकर खाया जाता था। इस तरह के मैदानी चूहों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता था। इन बरसाती कड़की के दिनों में इस प्रकार के चूहे जब तक उपलब्ध रहते, सभी दलित दाल–सब्जी के बदले उन्हीं से गुजारा करते थे।''[1] यह ही कारण है कि यह केवल लेखक की आत्मकथा न होकर धरमपुर की दलित बस्ती के सभी पीड़ितजनों की आत्मकथा हो जाती है जिसके बारे में लेखक को विश्वास भी है कि यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता।' लेकिन चूँकि आत्मकथा की विधागत प्रकृति

को अतिक्रमित करता हुआ इसका स्वरूप लोकाख्यान का है, इसलिए इसकी संरचनात्मक निर्मिति घृणा व विद्वेष के आधार पर नहीं तैयार होती। एक प्रतिभाशाली कम वय के दलित बालक के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव संकटा सिंह, बाबू साहब, बलराम सिंह, चिन्तामणि सिंह, महेन्द्र सिंह, रामवृक्ष सिंह, पारसनाथ पाण्डेय आदि में, और विशेष तौर पर हिन्दी–प्राध्यापक सुग्रीव सिंह में मिलता है जो गम्भीर संकट के क्षणों में कई बार उसके लिए रुपयों की आर्थिक सहायता लेकर तत्पर हो जाते थे।

'मुर्दहिया' लोकजीवन की अंतर्धारा में भुला दिये गये गुमनाम चरित्रों का एक सजीव अल्बम है – एक ऐसा 'अल्बम' जिसमें हमको एक ऐतिहासिक समय में सक्रिय रहे ऐसे जीवंत लेकिन आम चरित्र दिखायी देते हैं जिनको हमने भुला दिया है और जो विभिन्न स्थानीयताओं में अपनी संचरणशीलता के नाते वहाँ के जीवन में एक खास तरह का महत्त्व रखते थे। हिंगुहारा, पटहारा, चूड़िहारा, बंकिया डोम, जोगी, पग्गल आदि–आदि समाज की इस विकास प्रक्रिया में गाँवों, कस्बों की स्थानीय संस्कृति में विलुप्त हो रही वे मनुष्य प्रजातियाँ हैं जिनके 'जीवाश्मों' को हम मुर्दहिया में देख सकते हैं। इस एक खास दृष्टिकोण से 'मुर्दहिया' अपनी विशिष्ट लोकसंरचनात्मक शैली के भीतर कई आयामों में वैकल्पिक इतिहास–लेखन के स्रोतों की वैविध्यपूर्ण खोज को सम्भव बनाती है। लोकगीतों की उपस्थिति समाज की उस सृजनशीलता को रेखांकित करती है जिसमें राष्ट्रीय और सामाजिक महत्त्व के प्रश्नों से लेकर वैयक्तिक जीवन की ऐन्द्रिकता तक को अपनी एक खास सामाजिक समझ की बुनावट में सम्मिलित कर लिया गया है। 'हरिजन जाति सहै दुख भारी हौ', ललका झंडा मोटका डंडा कब उठइबा बलमू', 'दउरा दउरा भारत के किसनवा', 'हम्मै देदा वोट भैया हम्मै देदा वोट ', 'मं त हौं जवान मोर बलमा लरिकिइयां', 'बाबा विदा करौ', जैसे लोकगीतों और प्रयोग में लायी गयी अवधी लोकोक्तियों और मुहावरों से उस लोकजीवन की सर्जनात्मक मानसिक बुनावट को समझने में मदद मिलती है जो घटनाओं और परिस्थितियों पर अपने संवेगात्मक विचारों को सम्प्रेषण की एक लयात्मक मुद्रा में रूपांतरित करता था। इसी तरह राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के दिनों में भोजपुरी समाज के भीतर एक दलित की आरंभिक स्मृति में मार्क्सवाद के प्रति लगाव और आर,एस.एस. व स्वामी करपात्री आदि को लेकर असमंजस कैसे बनता है, यह देखा जा सकता है। डंगरियार (डांगे) और नमरिया (नम्बूदरीपाद) की आंदोलनात्मक खबरों और हड़तालों के किस्से लोकजीवन के यथार्थ का हिस्सा बनने शुरू हो गये थे। नेहरू के समाजवाद का मॉडल समोही (सामूहिक) खेती के भोजपुरी अनुवाद में गाँवों तक पहुँच रहा था, और इन सब चीजों ने वैचारिक और भावनात्मक परिवर्तन की एक बेहद आरंभिक ही सही, लहर तो पैदा कर ही दी थी। आज के तेज जनसंचार माध्यमों

की तुलना में उससे बहुत दूर, जब कोई शहर से पचासों किमी. की साइकिल–यात्रा करके किसी एक घटना की कोई छोटी–सी खबर गाँव में लाता था, तो वह किसी युगांतकारी घटना से कम नहीं होती थी। आधुनिकता के इस सबसे निचले स्तर पर भी आलोडन–विलोड्न और परिवर्तन की छोटी–छोटी लहरें जन्म ले रही थीं, यद्यपि ये पर्याप्त नहीं थी और परिवर्तन की प्रक्रिया को द्रुततर करने में इनकी भूमिका बेहद सीमित थी। 'मुर्दहिया' इस सारी घट रही प्रक्रियाओं पर बहुत सूक्ष्मता के साथ दृष्टि को केन्द्रित करता है। एक ओर यदि इसने आधुनिकता की वैचारिक–प्रक्रिया के मद्धिम रूपांतरण को अपने अनुभव में दर्ज किया है जिसके नाते दलितों के सामाजिक जीवन में बदलावों की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है तो दूसरी ओर वह आधुनिकीकरण की उस भयावह विडम्बना को भी अनावृत्त करता है जिसने दलितों के स्थानीय जीवन, उसकी स्मृतियों और देशज आधुनिकता से उसके सम्बन्धों का विच्छेद कर दिया है। समीक्षक चौथीराम यादव की एक प्रासंगिक टिप्पणी इस सन्दर्भ में यह है कि – 'अतः लेखक के लिए मुर्दहिया का उजड़ना कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि ऐसा दर्दनाक हादसा है जो भूमंडलीकरण के अंधे दौर का दुष्परिणाम है। आधुनिकता की चकाचौंध में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति स्थानीयता और देशज आधुनिकता को निगल लेने पर आमादा है। रुपये की खनक ने जिन्दगी की खनक को फीका कर दिया है। गरज कि मुर्दहिया उजड़ चुकी है, वहाँ के पशु–पक्षी, गिद्ध, कुत्ते, सियार, साही, खरगोश आदि विलुप्त हो गये हैं और दलित बस्ती से मजदूरों का विस्थापन तो शहरीकरण का सबसे दर्दनाक पक्ष है। इस विस्थापन में कलकत्ता जाने वाली रेलगाड़ी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। जिसका रास्ता मुर्दहिया से होकर गुजरता है।''[2] आधुनिकीकरण से मोहभंग के अर्थ में यदि यह अम्बेडकर की मान्यताओं से विचलन है तो बौद्ध धर्म के स्वीकार और जीवन की घटनाओं से उसकी संगति के अर्थ में अम्बेडकर की मान्यताओं का विस्तार। याद नहीं आता कि अम्बेडकर के बौद्ध–धर्म में दीक्षित होने के बाद आधुनिक भारत में किसी दलित लेखक ने बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों को जीवन की व्याख्या के रूप में इस तरह सर्जनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया हो। लेखक जीवन की कई घटनाओं व अनुभूति के सन्दर्भ में बुद्ध के दर्शन को तो याद करता ही है, सार्वजनिक अपमान और तिरस्कार के सन्दर्भों में भी बुद्ध की करुणा उसके तात्कालिक क्षोभपरक आवेग का शमन कर देती है। तालाब में नहाने से रोक का मामला हो या चमकटिया कहकर उपहास करने का, हर जगह यह करुणा उसके मानव–बोध को एक वृहत्तर धरातल पर स्थापित कर देती है।

वैसे कहने को तो 'मुर्दहिया' आत्मकथा है लेकिन आधुनिक साहित्य–सिद्धान्त का यह विधागत संस्कार मुर्दहिया में आकर टूट जाता है। लेखक के अपने जीवन की आपबीती होने के

कारण यह आत्मकथात्मक तो है ही, लेकिन अपने कलेवर व प्रभाव में यह धरमपुर की दलित बस्ती के लोगों का एक मार्मिक दस्तावेजी रिपोर्ताज भी है। लोकाख्यान की शैली होने के कारण इसमें एक जीवंत किस्सागोई भी है और स्थानीयताओं का वहाँ की भाषा और मुहावरे में खोज करती एक 'सबाल्टर्न' इतिहास–दृष्टि भी। यह सारा संश्लेष एक समीक्षक की दृष्टि में एक खास रचना की सृष्टि करता है – ''किस्सागोई की शैली में लिखी गयी इस आत्मकथा को पढ़ते समय यदि उपन्यास की–सी रोचकता का अहसास होता है तो यह उसकी विशिष्टता है। अकारण नहीं है कि किसी साहित्यिक विधा के पक्के ढाँचे का टूटना और अन्य विधाओं के साथ उसका संवाद करना उत्तरआधुनिकता का प्रमुख लक्षण है। कथा–आख्यायिका से संवाद करती इस आत्मकथा में कहानी के कहन की विशेषता, लेखक को अपनी दादी से विरासत में मिली है।''[3]

एक दलित जीवन के सन्दर्भ में मुर्दहिया की केन्द्रीय स्थापना है कि 'ज्ञान का कोई विकल्प नहीं होता है! ... बुद्ध की इन पंक्तियों को याद करते हुए और अम्बेडकर की प्रेरणा को हृदय में लिये हुए लेखक अपने को 'दीपक' के बिम्ब में ढालता हुआ ज्ञान की चिरंतन खोज की ओर प्रवृत्त रहता है। राहुल सांकृत्यायन, बौद्ध दर्शन, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, तुंग, अश्वघोष, शेक्सपीयर, गालिब और विश्व–साहित्य की ढेरों पुस्तकों और लेखकों की ओर जाती यह अंतहीन यात्रा है। विश्वबोध को व्यापक करने की, वैचारिक दृढ़ता की और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की चेतना लेखक को इन पुस्तकों से ही मिलती है। दलित–संघर्ष का यह कोई 'शार्टकट' नहीं हैं, इसमें संघर्ष है, विचार के प्रति सम्मान है और मनुष्यता में द्वेषरहित आस्था है। यह एक ऐसे दलित की आत्मकथा है जिसके प्रति उसके माँ–बाप की सर्वोच्च आकांक्षा अधिक से अधिक उसे एक सिद्धहस्त 'मछमरवा' बनाने की थी लेकिन अदम्य संघर्ष और ज्ञान की ललक से वह उस उचित गर्व को हासिल करता है जहाँ यह कहा जा सके कि 'आज जब मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेण्टर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हूँ, तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे तीन गरीब मजदूर थे जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अन्तरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था।'[4] दलित–समाज के सन्दर्भ में, प्रार्थना की शब्दावली की धूल को झाड़ते हुए कहा जा सकता है कि यह वास्तव में, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ती हुई यात्रा है।

सन्दर्भ :

1. डॉ. तुलसीराम – मुर्दहिया, तद्‌भव–17, (सं.) अखिलेश, जनवरी, 2008, पृ. 184

2. चौथीराम यादव – रोती हुई संवेदनाओं की आत्मकथा, तद्भव–26,(सं.) अखिलेश, पृ. 289
3. चौथीराम यादव – रोती हुई संवेदनाओं की आत्मकथा, तद्भव–26,(सं.) अखिलेश, पृ. 289
4. डॉ. तुलसीराम – मुर्दहिया–4, तद्भव–19, (सं.) अखिलेश, जनवरी, 2009, पृ. 194

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

An overview of Relevance of Wind Energy in India

Dr. Manju Giri
Department of Physics
D.S. College, Aligarh, U.P. India

Dr. Vinay Kumar Singh
Department of Physics
D.S. College, Aligarh, U.P. India

Abstract - There is a close link between availability of energy and future growth of a nation. Energy is consumed in a variety of forms and produced from variety of sources. Oil, Coal, Solar, wind and nuclear energy sources have become a permanent necessity of modern society. About 80% of energy demand still being met by Fossil fuels (Coal, Oil and solid biomass etc.) in which coal is the bulk primary contributor with a share of 56.9%. Growing energy needs through conventional sources such as coal, gas, etc. creates environmental problems. Emission of greenhouse gases, limited coal availability, environment distortion, rising prices of fossil fuels and pressure on foreign exchange reserves have created hindrance in the prolongation of these resources. Wind energy is indigenous and helps in reducing the dependency on fossil fuels. This paper begins by describing the importance of wind energy and its advantages over fossil fuels. It gives an overview of the wind energies in India with evaluating its Pros and Cons.

Keywords : Renewable energy, wind energy, carbon emission environmental protection.

Introduction- Wind is emerging as one of the most potential source of alternate energy that will be helpful to a great extent in bridging the gap between the energy demand and supply. Wind has kinetic energy by virtue of the movement of large masses of air caused by differential heating of the atmosphere by the sun [1]. This energy can be utilized for performing mechanical and electrical work. Harnessing wind energy to generate electricity has great potential, and wind is becoming increasingly important in supplying our energy needs. It is currently the most cost-competitive of all forms of solar energy, and new technological advances suggest that wind energy could become an important source of electricity within the next decade. Wind power has emerged as the biggest source of renewable energy in the world [2]. Since wind turbines themselves run strictly on the power of wind generated, there is no need for fuel. So wind energy does not contribute carbon emission [3]. India is presently fourth among the few nations that deliver greater power from wind control. Germany is the biggest breeze energy creating nation in world. Spain is the nation with the fourth biggest breeze vitality generation on the planet. China has seen a huge increment in sustainable power sources, particularly after 2007 and has greatest development in wind vitality. This is motivation behind why numerous nations are utilizing wind power as a wellspring of energy.

Wind Energy Technology

Wind energy technology demands careful attention to scientific and engineering details. The technology in the wind turbines has developed in several ways. The control system have become cheaper and more advanced, new profiles for the rotor blades can extract more power from the wind and new power electronic equipment makes it possible to use variable speed and to optimize the capacity of the turbines [4]. The kinetic energy, U, of a sample of air of volume, A(δx), and density ρ, moving with velocity υ, where A is a unit area perpendicular to the wind stream and δx is parallel to the wind stream, is :

$$U = \frac{\rho A\,(\delta x)\,\upsilon^2}{2}$$

The energy flux P_ω or wind energy density, is given by the time rate of change of U/A

$$P\omega = \frac{dU}{dT} \times \frac{1}{A} = \frac{P}{2}\left(\frac{\delta x}{\delta t}\right)\upsilon^2 = \frac{1}{2}\rho\upsilon^3$$

Not all of the wind power density is available for useful work; the maximum power that can be extracted from a wind stream is 16/27 x P_ω = 0.593 x P_ω. The average wind efficiency of turbines is 35-40% [5].

Because wind power density varies as the cube of the wind velocity, a wind turbine must be able to function over very large variations in P_ω to accommodate typical variations in wind speed. Wind speed in any given region is not constant but varies over periods of seconds, hours, days, and months. Large changes in wind speed can be encountered by a wind turbine. Thus, the technical challenge is to design a wind turbine that can function efficiently and reliable over the large variation in P_ω despite extreme of weather, with a minimum amount of maintenance for as low an initial capital cost as possible.

Sources and Sites of Wind Energy in India

India has a vast coastal line which is a good resource of the fresh wind. Harnessing wind energy is most profitable in rural areas that receive fairly continual winds, such as islands, coastal areas, mountain passes, and grasslands. Due to the geographic conditions of India, plenty of renewable energy sources such as solar, wind biomass, hydro and tidal are available to it. India is currently leading Asia in the installation of wind farms. According to C-WET estimation, Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Maharashtra are leading states in wind energy potential [6]. These states are having areas with good and consistent wind, suitable for commercial use of wind energy. The state of Gujarat is blessed with a long coastline of 1600 KM where the wind speeds are adequate for turbines. Tamil Nadu is the leading producer of wind energy with a total installed capacity of 7,276 MW, accounting 34% of India's total wind capacity [7]. Maharashtra is having largest installed capacity of wind energy after Tamil Nadu with 4098 MW, covering about 19% of India's total wind capacity [7]. According to the studies conducted by C-WET, Andhra Pradesh is having second highest potential for wind energy with 14.5 GW of generation potential. Rajasthan is emerging as the most favored destination for setting up wind power projects. This state has reached to installation of 2,820 MW on March 2014 form just 16.1 MW in 2002. There are some other ways to generate the wind which need to get attention now. Highway wind turbine is the option for production of energy in India [8].

Pros and Cons of Wind Energy

Role of wind energy is not only limited to energy generation, but it also contributes to the country by generating employment, reducing adverse effects of greenhouse gases and increasing size of GDP. According Global Wind Energy Council (GWEC), wind energy can create 213,000 green collar jobs every year in manufacturing, project development, installation, performance, maintenance, consulting, and so on [9]. Global wind energy council estimated that by 2030 wind energy can supply up to 24% of India's power needs. The use of wind power does not cause major environmental problems, although there is a little adverse impact done by wind power. The California Energy Commission estimated that as many as 567 birds turned up dead in the vicinity of the 7000 turbines at Altamont Pass in California. High cost of generating energy from wind is also a cause of concern. Total Cost of installing an onshore wind power system in India is 1300 to 1450 USD/KW [10]. Good wind sites are often in remote locations, far from cities where electricity is needed. Electricity is brought from the wind power plants to the city by transmission lines. So, its distribution should also be dealt with proper mechanisms to unleash its maximum potential. Although the turbines may cause noise and aesthetic pollution, the concern over the noise produced by the rotor blades, aesthetic visual can be tolerated in comparison to its advantages.

Conclusion

Development of wind power in India began in the 1990s, and has significantly increased in the last decade. Realizing its potential, Government of India has been actively putting efforts to promote renewable energy. Growth in the installed capacity of wind energy shows that investors are positively participating in Indian wind energy programme. If these challenges will be completely removed then India will set a new record of generating power & energy by wind, and the market of wind power generation will see an unprecedented growth. The Indian government should realize the long term benefits of renewable power generation and mark it top priority during their economic growth plans. They should increase their financial support for renewable energy in a variety of ways which includes funds for demonstration projects and loan guarantees. Many research and development centers should be opened for the further enhancement and progress of wind power.

References

1. Nikola Nilivojevic, Power and Energy Analysis of commercial small wind turbine system IEEE, 2010
2. S. Mani, T. Dhingra, "Policies to accelerate the growth of offshore wind energy sector in India" Renewable and Sustainable Energy Reviews, viol 24 (c), pp. 473-482, 2013.
3. American Wind Energy Association. U.S. Wind Industry Fourth Quarter 2014 Market Report January 2015.
4. Tore Wizelius, "Development Wind Power Projects" first edition, Eartscan 2007.
5. N.H. Afgan and M.G. Carvalho, "Multi-criteria assessment of new and renewable energy power plants," Energy, vol 27, pp. 739-755, 2002.
6. http://www.cwet.tn.nic.in/html/department_ewpp.html [accessed on 01.08.14]
7. http://www.cwet.tn.nic.in/html/information_yw.html [accessed on 01.08.14]

8. IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE)
9. e-ISSN: 2278-1676, p-ISSN: 2320-3331, Volume 10, Issue 1Ver. II (Jan-Feb, 2015), PP 79-83 www.iosrjournals.org
10. http://www.gwec.net/publications/country-reports/indian-wind-energy-outlook-2009/ [accessed on 01.08.14]
11. International Renewable Energy Agency working paper, "Renewable energy technologies: cost analysis series", June 2012.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 प्रेम चन्द यादव
शोध निर्देशक, एसोसिएट प्रोफेसर
बी0एड्0 विभाग श्री गाँधी पी0जी0 कालेज,
मालटारी, आजमगढ़,उत्तर प्रदेश।

राजीव सिंह
शोधकर्त्ता, एम0ए0, एम0एड्0, नेट
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

सारांश– प्रस्तुत अध्ययन उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में स्नातक स्तर के (कला एवं विज्ञान वर्ग) तृतीय वर्ष में अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को जनसंख्या माना गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु आवश्यक प्रदत्तों को प्राप्त करने के लिए रैन्डम न्यादर्शन विधि द्वारा स्नातक स्तर (कला एवं विज्ञान वर्ग) में अध्ययनरत् तृतीय वर्ष के 200 छात्र–छात्राओं को न्यादर्श के लिए चुना गया है। प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्तों के संग्रहण के लिए दो प्रकार की मापनी का प्रयोग किया है–सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति मापनी– स्वनिर्मित प्रस्तुत अध्ययन में संकलित आंकड़ों के विश्लेषण के लिए टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में कला वर्ग के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सामाजिक चेतना होती है।
2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्रों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति कला वर्ग के छात्रों की अपेक्षा अधिक होता है।
3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति समान होता है।

मुख्य शब्द– उच्च शिक्षा, छात्र एवं छात्राएँ, सामाजिक चेतना, अभिवृत्ति, तुलना।

भूमिका. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है और धीरे–धीरे समाज में बड़ा होकर सामाजिक नियमों को ग्रहण करके वह समाज का सदस्य बन जाता है। समाज में वह प्रेम, मिठास, ईर्ष्या, द्वेष, सुख–दुख का अनुभव करता है। समाज में उसे इन समस्याओं से इतर भी अन्य अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा इसके अतिरिक्त मनुष्य सामाजिक अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं से गुजरते हुए अपने भावी भविष्य के तरफ तत्परता से आगे बढ़ता जाता है। इस संसार में जो व्यक्ति अपने आप को सुख–दुःख में सामान्य रूप से स्थापित कर लेता है वही सच्चा व सफल व्यक्ति माना जाता है।

वर्तमान युग संघर्ष का युग है। जिधर भी हम दृष्टिपात करते हैं उधर समस्या ही समस्या नजर आती है। साथ ही बढ़ती धार्मिक सामाजिक जटिलताओं और साम्प्रदायिकता ने मानव जीवन को दुष्कर बना दिया है।

हमारे देश में अनेक समस्याओं का स्वरूप सामने उभर कर आया है। जैसे–भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, छुआछूत, क्षेत्रवाद और साम्प्रदायिकता आदि। जिससे देश को अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर देश को विदेशी कर्ज, सीमा सुरक्षा आदि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी समस्यायें हमारे देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। इन सभी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या साम्प्रदायिक समस्या है। आज हम कुछ विद्यालयों को छोड़कर यह कह सकते हैं कि देश के विभिन्न विद्यालयों में छात्रों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों में अपने जाति को श्रेष्ठ मानने और अन्य धर्म जाति के विरूद्ध विपरीत भावना का विकास हुआ है। जिससे उनमें धर्मविरोधी, साम्प्रदाय विरोधी एवं जातिविरोधी वातावरण उत्पन्न हो रहा है।

मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह अपने सामने एक अदभुत वातावरण पाता है और विकास की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होता है। मनोविज्ञान के अनुसार मानव के विकास में जितना आनुवांशिकता का योगदान होता है। उतना ही योगदान विकास में वातावरण का होता है क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है और वह वातावरण के सम्पर्क में आता है तो वह विकास के साथ–साथ अपने आस–पास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो न हीं उसकी कोई जाति होती है और न ही उनका कोई धर्म होता है जाति तथा धर्म का तमगा उसे परिवार तथा समाज द्वारा प्रदान किया जा सकता है। बालक शैशवावस्था से ही समाज तथा अपने परिवेश से अनेक आदतों को सीखता है। जो उसकी आदतों तथा विचारों में परिवर्तित हो जाती है। शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। तथा वह घर से विद्यालय की तरफ अग्रसर होकर समाज के पूर्ण सम्पर्क में आता है तथा समाज के द्वारा बनाये नियमों तथा विचारों का सामना करता है। बाल्यावस्था के बाद एक सबसे कठिन अवस्था का आगमन होता है, वह अवस्था किशोरावस्था है यह अवस्था अत्यंत संवेदनशील होती है। इस अवस्था में बालक को जैसा समाज मिलता है वह उसी धारा की तरफ मुड़ जाता है। इस अवस्था में बालक समाज के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है इस अवस्था के बाद बालक तथा बालिकाओं में सबसे उमंग की अवस्था का आगमन होता है जिसे युवावस्था कहते हैं अतः स्नातक स्तर पर आते–आते बालक पूर्ण रूप से समाज तथा धर्म के प्रति जागरूक हो जाता है अतः इस अवस्था में अधिक सामाजिक एवं धार्मिक होने के कारण इन नवयुवकों का उनके समाज के प्रति दृष्टिकोण तथा धार्मिक प्रवृत्ति का अंकन किया जाये जिससे यह पता चले कि उनकी क्या मनोदशा है तथा उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है या नकारात्मक जिसके आधार पर शिक्षक उनके बारे में जान सके तथा उन्हें सही दिशा–निर्देश द्वारा सही पथ पर अग्रसारित कर एक अच्छा नागरिक बना सके और वे एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए देश के विकास में सहयोग कर सके।

महान युनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि– मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है समाज में रहकर ही उसका विकास हो सकता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो समाज में नहीं रह सकता है या जिसे समाज की आवश्यकता ही न हो वह या तो देवता हो सकता है या तो जंगली जानवर। मनुष्य एवं समाज एक दूसरे के पूरक हैं। समाज में रह कर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है तथा समाज के मूल्यों, नियमों तथा प्रतिबन्ध द्वारा नियंत्रित होता

है। सामाजिक भागीदारी एवं समस्याओं के प्रति ज्ञान रखने को ही सामाजिक जागरूकता कहा जाता है।

मैकाइवर एवं पेज– सामाजिक चेतना क्या है? इसके संदर्भ में अपनी पुस्तक 'SOCIOLOGY' में परिभाषा देते हुए लिखा है– ''सामाजिक जागरूकता एवं चेतना से तात्पर्य सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं के बारे में ज्ञान रखना है।''

एम0एस0 श्रीनिवास– सामाजिक चेतना को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है कि– ''सामाजिक जागरूकता न सिर्फ सामाजिक मूल्यों का ज्ञान है अपितु सामाजिक कार्यों में भागीदारी भी है।''

एटकिन्सन, स्मिथ एवं हिलगार्ड (1989)– ने चेतना की एक वैज्ञानिक एवं लोकप्रिय परिभाषा दी है '' हम लोग जब चेतना में होते हैं तो बाह्य एवं आन्तरिक घटनाओं से अवगत होते हैं, अपने गत अनुभूतियों को प्रतिबिम्बित करते हैं, समस्या–समाधान में सम्मिलित होते है, किसी नये उद्दीपकों पर ध्यान न देकर विशेष उद्दीपकों पर ही ध्यान देने में वरणशील होते हैं तथा किसी व्यक्तिगत लक्ष्य एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं के प्रति जानबूझकर अनुक्रिया का चयन करते हैं एवं उसे कार्यान्वित करते हैं।''

अर्थात् सामाजिक चेतना देश तथा काल के प्रति सजग होना है। प्रायः यह भावना सब लोगों में नहीं पायी जाती है, इसलिए संचार माध्यमों से नागरिकों को विभिन्न सूचनाओं से परिचित कराया जाता है और इसी को सामाजिक क्रान्ति, गतिशीलता एवं परिवर्तन में देखा जा सकता है।

समस्या कथन–

''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन''।

अध्ययन के उद्देश्य

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं होता है।
2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं होता है।
3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं होता है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन में स्नातक स्तर के (कला एवं विज्ञान वर्ग) तृतीय वर्ष में अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को जनसंख्या माना गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन हेतु आवश्यक प्रदत्तों को प्राप्त करने के लिए रैन्डम न्यादर्शन विधि द्वारा स्नातक स्तर (कला एवं विज्ञान वर्ग) में अध्ययनरत् तृतीय वर्ष के 200 छात्र–छात्राओं को न्यादर्श के लिए चुना गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्तों के संग्रहण के लिए दो प्रकार की मापनी का प्रयोग किया है –

सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति मापनी– स्वनिर्मित

प्रयुक्त सांख्यिकीय

प्रस्तुत अध्ययन में संकलित आंकड़ों के विश्लेषण के लिए टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं निर्वचन

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का विश्लेषण एवं निर्वचन

सारणी सं0 1

कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–अनुपात

क्र0 सं0	न्यादर्श	संख्या (N)	मध्यमान (M)	S.D.	दोनों मध्यमानों का अन्तर (M_1-M_2)	t–अनुपात	सार्थकता स्तर (0.05) पर सारणीमान
1.	कला वर्ग के विद्यार्थी	100	26.91	5.17	1.77	2.15	1.97 df=198
2.	विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी	100	28.68	6.39			

निष्कर्ष–

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत

$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ सार्थकता स्तर पर स्वीकृत

सारणी संख्या 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला वर्ग के विद्यार्थियों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 26.91 एवं मानक विचलन 5.17 है तथा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 28.68 एवं मानक विचलन 6.39 है। परिगणित टी–अनुपात का मान 2.15 है। मुक्तांश 198 तथा 0.05 सार्थकता स्तर के लिए द्विपुच्छीय परीक्षण पर टी–अनुपात का सारणी मान 1.97 है। अर्थात् परिगणित टी–अनुपात सारणीमान से अधिक है, अतः कहा जा सकता है कि 0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

प्रस्तुत उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राकल्पित किया गया था कि *''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर होता है।''* जो कि सार्थकता स्तर 0.05 पर स्वीकृत की जाती है तथा शून्य परिकल्पना *''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर नही होता है।''* अस्वीकृत की जाती है तथा परिणामतः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में कला वर्ग के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सामाजिक चेतना होती है।

2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का विश्लेषण एवं निर्वचन

सारणी सं0 2

कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–अनुपात

क्र0 सं0	न्यादर्श	संख्या (N)	मध्यमान (M)	S.D.	दोनों मध्यमानों का अन्तर (M_1-M_2)	t–अनुपात	सार्थकता स्तर (0.05) पर सारणीमान
1.	कला वर्ग के छात्र	50	26.54	3.77	2.22	2.72	1.98 df=98
2.	विज्ञान वर्ग के छात्र	50	28.76	4.35			

निष्कर्ष–

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत

$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ सार्थकता स्तर पर स्वीकृत

सारणी संख्या 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला वर्ग के छात्रों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 26.54 एवं मानक विचलन 3.77 है तथा विज्ञान वर्ग के छात्रों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 28.76 एवं मानक विचलन 4.35 है। परिगणित टी–अनुपात का मान 2.72 है। मुक्तांश 98 तथा 0.05 सार्थकता स्तर के लिए द्विपुच्छीय परीक्षण पर टी–अनुपात का सारणी मान 1.98 है। अर्थात् परिगणित टी–अनुपात सारणीमान से अधिक है, अतः कहा जा सकता है कि 0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

प्रस्तुत उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राकल्पित किया गया था कि *''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर होता है।''* जो कि सार्थकता स्तर 0.05 पर स्वीकृत की जाती है तथा शून्य परिकल्पना *''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर नही होता है।''* अस्वीकृत की जाती है तथा परिणामतः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्रों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति कला वर्ग के छात्रों की अपेक्षा अधिक है।

3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का विश्लेषण एवं निर्वचन

सारणी सं0 3

कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–अनुपात

क्र0 सं0	न्यादर्श	संख्या (N)	मध्यमान (M)	S.D.	दोनों मध्यमानों का अन्तर (M_1-M_2)	t–अनुपात	सार्थकता स्तर (0.05) पर सारणीमान
1.	कला वर्ग की छात्राएँ	50	27.28	3.51	1.30	0.826	1.98 df=98
2.	विज्ञान वर्ग की छात्राएँ	50	28.58	4.67			

निष्कर्ष–

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ सार्थकता स्तर पर स्वीकृत

$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत

सारणी संख्या 3 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला वर्ग की छात्राओं का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 27.28 एवं मानक विचलन 3.51 है तथा विज्ञान वर्ग की छात्राओं की सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 28.58 एवं मानक विचलन 4.67 है। परिगणित टी–अनुपात का मान 0.826 है। मुक्तांश 98 तथा 0.05 सार्थकता स्तर के लिए द्विपुच्छीय परीक्षण पर टी–अनुपात का सारणी मान 1.98 है। अर्थात् परिगणित टी–अनुपात सारणीमान से कम है, अतः कहा जा सकता है कि 0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

प्रस्तुत उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राकल्पित किया गया था कि *''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर होता है।''* जो कि सार्थकता स्तर 0.05 पर अस्वीकृत की जाती है तथा शून्य परिकल्पना *''उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर नही होता है।''* स्वीकृत की जाती है तथा परिणामतः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति समान होती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए–

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में कला वर्ग के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सामाजिक चेतना होती है।
2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्रों का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति कला वर्ग के छात्रों की अपेक्षा अधिक होता है।

3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं का सामाजिक चेतना के प्रति अभिवृत्ति समान होता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति में सामाजिक चेतना का होना अति महत्वपूर्ण व अनिवार्य हो जाता है ताकि समाज में उसके जीवन सम्बन्धित सभी कार्यों को व्यवस्थित व आसान बनाया जा सके। सामाजिक चेतना का मतलब न सिर्फ व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत जीवन में जागरूकता होता है बल्कि मानव जाति या समाज के प्रति भी सामाजिक जागरूकता का महत्व होता है। सामाजिक चेतना व्यक्ति को प्राणीशास्त्रीय अर्थात् जैविक रूप से प्राप्त नहीं होता बल्कि उसे यह समाज में स्वयं चेतन रूप में प्राप्त करना होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- आलम, मो0 महमूद (2016). सोशल एडजेस्टमेन्ट एण्ड सोशल मैच्युरिटी एस प्रेडिकेटर्स ऑफ ऐकेडमी एचिवमेन्ट एमंग एडोलसेन्ट्स, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फार्मेटिव एण्ड फ्चूरिस्टिक रिसर्च, वाल्यूम–3, इश्शू–12, पृ0 4495–4507
- अस्थाना, अंजू (1991). ए स्टडी ऑफ सोशल मेच्योरिटी एमांग स्कूलिंग चिल्ड्रेन इन द सिटी ऑफ लखनऊ, पी–एच.डी. शिक्षाशास्त्र, लखनऊ विश्वविद्यालय।
- कुमार, दिनेश एवं रीतू (2013). सोशल मैच्युरिटी ऑफ सीनियर सेकेण्डरी स्कूल स्टूडेन्ट्स इन रिलेशन टू देयर पर्सनालिटी, एशियन जर्नल ऑफ मल्टीडिमेशनल रिसर्च, वाल्यूम–2, इश्शू–8, पृ0 14–25, www.tarj.in
- कुन्दू, मौमिता एवं अन्य (2015). एडजेस्टमेन्ट ऑफ अण्डरग्रेजुएट स्टूडेन्ट्स इन रिलेशन टू देयर सोशल इंटेलीजेन्स, *अमेरिकन जर्नल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च,* वाल्यूम–3, नं0 11, पृ0 1398–1401
- किन्स गिलमैन्स (2007). नैतिक और सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों का मेटा एनालिसिस, अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण–(2011) हिन्दी मासिक राष्ट्रीय पत्रिका उपकार प्रकाशन, आगरा पृ0सं0 101
- चन्नावार एवं खान, तरन्नूम (2018). उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सामान्य वर्ग और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की समाजिक बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन, *आयुषी इण्टरनेशनल इण्टरडिस्पिलनरी रिसर्च जर्नल,* वॉ0 5, इश्शू–4, पृ0 381–383

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

समाजिक परिवर्तन और आधुनिक महिलाएं

सन्ध्या राज

प्रवक्ता–अर्थशास्त्र,द्रौपदी कन्या इण्टर कॉलेज,बरेली।

शोधार्थी, एम0जे0पी0आर0यू0 बरेली, उत्तर प्रदेश।

सारांश – समाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप महिलाओं में होने वाले परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया के रूप में देखे जाते है, जो निश्चित समय में होने वाली घटनाओं की श्रृंखला के आधार पर परिवर्तित होती रहती है, सामाजिक परिवर्तन के कारक इनमें परिवर्तन की निरन्तरता बनाये रखते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रायः दो केन्द्रों पर केन्द्रित रहती है प्रथम इसका स्वरूप और दूसरी उसकी दिशा। परिवर्तन चाहे सामाजिक हो या फिर अन्य कोई, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाता है। सामाजिक परिवर्तनों में केवल सामाजिक ढांचे में परिवर्तनों को या फिर सामाजिक संबधों में आये बदलाब को ही सामाजिक परिवर्तनों में शामिल किया जा सकता है। विभिन्न शोधों एवं सर्वे के आधारों पर यह माना जाने लगा है कि 'सामाजिक ढॉचे या लोगो के आपसी व्यवहार में आये महत्वपूर्ण बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन हैं।'

की वर्ड– सामाजिक, परिवर्तन, आर्थिक, परिवेश, धार्मिक, रीतिरिवाज।

समाजिक परिवर्तन का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ता है चाहे वो शहरी महिलाएं हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाएं सभी की परिस्थिति पर सामजिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं मे सामाजिक परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक हुआ, क्योंकि वहाँ की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक जाग्रत हुई है, अनेकों ग्रामीण महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर नौकरी कर रही है और आर्थिक संरक्षण प्राप्त करने के साथ–साथ अपने परिवार एवं पति का पूण सहयोग कर रही है, आज महिलाएं समान बराबरी का दर्जा प्राप्त किये हुए है। महिलाओं में शिक्षा के प्रति आई इस जागृति ने ही बाल–विवाह कम हुए है, सती प्रथा का अंत हुआ तथा विधवा विवाह प्रारम्भ हो सका है। आज महिलाएं चाहे व शहरी क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हो या ग्रामीण क्षेत्र से वे चाहे किसी धर्म की हो प्रेत्यक क्षेत्र चाहे वो राजनीति का हो या

सामाजिक, धार्मिक हो या आर्थिक सभी में पुरूषों के कधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि ग्रामीण महिलाएं पुरूष की शक्ति, योग्यता, विचार, रहन–सहन आदि में अन्तर किसी मौलिक या प्राकृतिक कारणों से नहीं है बल्कि मानव जाति के द्वारा बनाएं गये विभिन्न क्षेत्रों में सास्कृंतिक परिवेश के कारण है। इसके लिए समाज सुधारक हमेशा प्रयत्नशील रहते है और वे अपने लक्ष्य को पूर्ण भी करते है। इस तरह यह पता चलता है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव के कारण महिलाओं की परिस्थिति में काफी अन्तर और सुधार पाया जाता है।

सदियों से ग्रामीण महिलाओं को कभी भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में समाज में स्थान नहीं दिया गया। वास्तविक जीवन और व्यवहार में देखा जाय तो ये महिलाएं अनेक सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। भारत में विशेशकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। इनकी सामाजिक स्थिति पुरूष की तुलना में बहुत नीची है ग्रामीण महिलाएं मुख्य रूप से पुरूष प्रधान–व्यवस्था, परदा–प्रथा तथा महिला पुरूष में असमानता आदि से ग्रस्त हैं। विगत वर्षो में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी आई है। इनकी स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। यदि सैद्धान्तिक पक्ष का अध्ययन किया जाये तो ग्रामीण महिलाओं में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं किन्तु व्यावहारिक रूप से देखने में परिवर्तन में विलम्ब दृष्टिगोचर होता है। किन्तु यह आशा की जाती है कि भविष्य में महिलाओं की स्थिति में आशातीत परिवर्तन और सुधार हो जायेगा।

सामाजिक परिवर्तन का महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव– किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला है। आर्थिक विकास का सीधा सम्बन्ध हमारे जीवन धारण के लिए जरूरी साधनों से है। सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से ही महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। ग्रामीण महिलाएं चाहे वे किसी भी धर्म की हो पहले की अपेक्षा स्वतंत्र हो गई हैं। महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा जीविकोपार्जन के लिए नौकरी एवं व्यवसाय करने की पूरी स्वत़ंत्रता है। शहरी जीवन में आज पर्दा प्रथा काफी कम देखने को मिलती है। ग्रामीण महिलाओं में यह परदा प्रथा सबसे ज्यादा है परन्तु महिलाओं के बीच भी शहरों में विशेषकर पढ़ी–लिखी महिलाओं के बीच परदा की प्रथा में कमी है। विभिन्न सस्थांनों, स्कूलों, अस्पतालो एवं दुकानों आदि पर महिलाएं काम करते पाई जाती है। वर्तमान समय में शहरी एवं ग्रामीण घरों के तहत् महिलाएं पुरूषों के साथ बैठकर निर्णय लिया करती हैं। शहरों

के अन्तर्गत पितृसत्तात्मक मूल्यों का काफी ह्रास हुआ है। अब ग्रामीण परिवार में भी महिलाओं को विचार विमर्श करने का लगभग समान हक प्राप्त हो चुका है।

मानव जाति का प्रारम्भिक जीवन काल बहुत ही संघर्ष से व्यतीत हुआ, मानव अपनी समस्त शक्तियां एवं समय का उपयोग जंगली जीवों आदि से रक्षा करने एवं पेट भरने ती ही सीमित थे। धीरे–धीरे विकास ने अपनी गति पकड़ी और मानव भोजन का उत्पादन करने के लिए उत्पादक बन गया और एक निश्चित निवास पर स्थान करने लगा वह खेती–बाड़ी एवं पशुपालन के कर जीवन–स्तर को और विस्तार देने लगा। इस प्रकार मनुष्य का सामुदायिक जीवन शुरू हआ। इस विकास के क्रम से मनुष्य को कुछ राहत महसूस होने लगी और केवल जीवन की रक्षा एवं पेट भरने के स्थान पर वह प्रकृति की देन एवं प्रबल शक्तियों को चकित होकर देखने लग गया उसने बिजली की चमक, बादलों का गर्जन और तूफान जैसी प्राकृतिक लीलाओं से वह जहॉ भयभीत हुआ वहीं उसने यह भी अनुभव किया कि उसका जीवन और विकास प्रकृति पर ही आश्रित है। अतः पूर्ण श्रद्धा, भय एवं कृतज्ञता के भाव से वह प्रकृति के समक्ष नतमस्तक हो गया।

भारत का सर्वप्रमुख धर्म हिन्दू धर्म है, जिसे इसकी प्राचीनता एवं विशालता के कारण 'सनातन धर्म' भी कहा जाता है। ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के समान हिन्दू धर्म किसी पैगम्बर या व्यक्ति विशेश द्वारा स्थापित धर्म नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न धर्मों, मतमतांतरों, आस्थाओं एवं विश्वासों का समुच्चय है। एक विकासशील धर्म होने के कारण विभिन्न कालों में इसमें नये–नये आयाम जुड़ते गये। वास्तव में हिन्दू धर्म इतने विशाल परिदृश्य वाला धर्म है कि उसमें आदिम ग्राम देवताओं, भूत–पिशाचों, स्थानीय देवी–देवताओं, झाड़–फूँक, तंत्र–मंत्र से लेकर त्रिदेव एवं अन्य देवताओं तथा निराकार ब्रह्म और अत्यंत गूढ़ दर्शक तक–सभी बिना किसी अन्तर्विरोध के समाहित हैं और स्थान एवं व्यक्ति विशेष के अनुसार सभी की आराधना होती है।

महिलाओं में धार्मिक रीतियों की सामाजिक स्थिति –

धार्मिक रीतियों को परिभाषित करना बहुत मुष्किल काम है। मुष्किल इसलिये नहीं कि इसका प्रयोग बहुत विस्तृत है, बल्कि इसलिये कि ये असंख्य मानव व्यवहार के अपरिवर्तनीय आधार का निर्माण करती हैं। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने रीति–रिवाजों को संगठित धर्म के दिनचर्या के रूप में स्वीकार किया है। कुछ लोगों ने इसे क्रिया के रूप में स्वीकार किया है। किन्तु इसके साथ

ही यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी क्रियायें रीतियों या चलनों का रूप नहीं ले पातीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें वह रीतियाँ हैं जो एक समूह के सदस्य अपने दिन प्रतिदिन की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये या पारस्परिक अन्तः क्रियाओं या अपने व्यवहारों को व्यवस्थित करने के लिये प्रयोग में लाते हैं। इनका प्रभाव सामाजिक समिति और संघों तक में विस्तृत रूप से फैला होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक समाज में व्यवहार की कुछ स्वीकृत प्रणालियां होती हैं जो समूह के सदस्यों द्वारा सम्पादित रस्मों या चलनों के रूप में अभिव्यक्त होती है। रस्में, जिनका विकास अनुभवों से होता है और जो परम्परा के द्वारा आगे बढ़ाई जाती हैं। इनमें परिवर्तन तो होता है किन्तु अति मन्द गति से। अतः हम कह सकते हैं कि इन रीति–रिवाजों की ऊपरी सतह ही परिवर्तित होती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.त्रिपाठी डा0 उमा – पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास,

2.राठौर मधु – पंचायती राज और महिला विकास,

3.शर्मा प्रज्ञा – महिला विकास और सशक्तिकरण।

4.अजय आर. चौबे – पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण विकास एवं समाज

5.कृष्णन कुट्टी – द इण्डियन ज्वाइन्ट फैमिली, विकली 1960

6.मनोरमा जौहरी – प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था

7.देवकी जैन – इण्डियन विमेन

8.कुरूक्षेत्र

9.आउटलुक

10.प्रतियोगिता दर्पण

11.इण्डिया टूडे

Shodhshauryam
International Scientific Refereed Research

Publisher
Technoscience Academy
Website : www.technoscienceacademy.com
Email: info@technoscienceacademy.com

Email: editor@shisrrj.com